राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड - 2] षष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

मंगलवार :

दिनांक 13 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म० पू० 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री ईश्वर चन्द्र !

कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी का मार्केटिंग यार्ड

124. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी का मार्केटिंग यार्ड राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्थान पर अभी तक स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

(2) राज्य सरकार ने पचपहाड़ रोड पर स्थित मार्केटिंग यार्ड के विकास में अब तक कितना रुपया खर्च किया है व इसके विकास की कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) नये मण्डी प्रांगण में अभी कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण वहां मण्डी का कार्य स्थानान्तरित करना व्यवहारिक नहीं है । कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जिन्हें मण्डी समिति अपनी धनराशि और क्षमता से सम्पन्न करा सकी है ।

(2) राज्य सरकार ने कोई खर्च नहीं किया है । मण्डी समिति द्वारा अब तक व्यय की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :—

चारदीवारी	1,91,300.84
भूमि क्रय	61,000.00
नाली निर्माण आदि	22,445.00
योग ..	2,74,745.84

Page No. 2

(श्री सम्पतराम)

खेली, प्याऊ, मूत्रालय, नीलामी चबूतरा व कृषक एवं पशु विश्राम गृह के कार्य भी निर्माणाधीन हैं।

विस्तृत परियोजना, जिसमें बैंक द्वारा विकास के लिए ऋण मिलने की सम्भावना है, अभी बनाई जा रही है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि मण्डी का जो निर्धारित स्थान है और जिस पर 2.75 लाख खर्च हो चुका है, वहां पर मण्डी कब तक स्थानान्तरित हो जायेगी ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता का मैं सम्मान करता हूं। दरअसल यह कार्य बहुत जल्दी और तेजी से होना चाहिए। और राज्य सरकार ने इस मण्डी के लिए ही नहीं बल्कि और निर्माणाधीन मंडियों के संबंध में भी आदेश कर दिया है। सेंट्रल बैंक, जो हमारी लीड बैंक है, को भी पन्द्रह-बीस बार रिमाइंन्डर भेज दिये। लेकिन जब 1976 आ गया है तब काम को लिया है। मैं समझता हूं जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस प्रकार के विकास के कार्य जल्दी पूरे कराये जायें।

श्री ईश्वर चन्द्र : सन् 1971 में यह ज़मीन खरीदी गई थी और अब 1977 आ गया है। मंत्री महोदय कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं सूचनार्थ बता दूं कि छः लाख रुपये के टेन्डर भी स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक व्यापारियों के निहित स्वार्थों के कारण, और चेम्बर ऑफ कामर्स के निहित स्वार्थों के कारण, वहां पर पिछली सरकार ने मण्डी निर्माण का कार्य रुकवा दिया। 18-1-77 को एक बैठक हुई थी चेम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसमें यह तय किया गया था कि अभी जहां पर कृषि मण्डी का दफ्तर है, उसका 950 रुपया किराया वसूल किया जाये। तो एक तरफ तो लाखों रुपये खर्च करके निर्माण कराया गया वह अधूरा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मण्डी का दफ्तर चेम्बर ऑफ कामर्स में चलाया जाये। आज चेम्बर ऑफ कॉमर्स मण्डी पर हावी है। उसको अलग किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, सुझाव मत दीजिए।

श्री ईश्वर चन्द्र : सुझाव नहीं दे रहा हूं। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के इशारों पर चल रही है मण्डी। मंत्री महोदय, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी को जहां तक अलग करने का प्रश्न है, कार्य को शीघ्रता से करने का प्रश्न है, सरकार किसी भी रूप में किसी भी व्यापार संस्थान से प्रभावित नहीं होने वाली है। जहां तक दफ्तर ले जाने का सवाल है, अगर सुचारु रूप से काम करने के हालात मौजूद हुए तो....

श्री ईश्वर चन्द्र : हालात तो मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री राम प्रसाद लड्ढा।

आयुर्वेद अस्पतालों की क्रमोन्नति

125. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडल) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में विगत दो वर्षों में कितने आयुर्वेद अस्पतालों को क्रमोन्नत किया गया ?

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(2) क्या यह सही है कि ऐसे क्रमोन्नत आयुर्वेद औषधालयों में उनके स्तर के अनुरूप व्यवस्था अब तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती विद्या पाठक): (1) गत दो वर्षों में एक "बी" श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय को "अ" श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया ।

(2) यथासंभव व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि गत दो-तीन सालों में बहुत से औषधालयों को क्रमोन्नत किया गया है। पिछली सरकार ने पता नहीं किन कारणों से कोई व्यवस्था नहीं की । मैं मांडल का उदाहरण देता हूं जहां औषधालय क्रमोन्नत किया गया, लेकिन वहां किसी प्रकार की व्यवस्था वैद्यों, कम्पाउण्डरों, नर्सों इत्यादि की नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट है, जो औषधालय क्रमोन्नत किए गए हैं उनका उत्तर दे दिया है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इस वर्ष जो 200 औषधालय खोले जाने वाले थे उनमें से कुछ तो खोल दिए गए, बाकी के बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। मूल प्रश्न तो क्रमोन्नत के बारे में है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): इन औषधालयों को क्रमोन्नत करने का आधार क्या है ?

श्रीमती विद्या पाठक : वहां के रोगियों की संख्या को देखते हुए क्रमोन्नत किए जाते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बस एक यही कारण है ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : जो नए औषधालय खोले जा रहे हैं वे पहले जरूरी हैं या जो पुराने हैं उनमें व्यवस्था करना पहले जरूरी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मांडल में जो औषधालय क्रमोन्नत किया गया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने जिन कमियों की ओर पहले ध्यान आकर्षित किया है, वे कब तक दूर की जायेंगी ? व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : पिछले दो वर्षों में एक ही अस्पताल क्रमोन्नत हुआ । जहां तक नए अस्पताल खोलने का प्रश्न है, उसको हम शीघ्रातिशीघ्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : नए खोलने से पहले जो पुराने हैं उनमें जिन सुविधाओं का अभाव है उनको पूरा करेंगे या पहले नये खोलेंगे ?

श्रीमती विद्या पाठक : जानकारी के अनुसार पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मूल प्रश्न की जानकारी ही आपके पास नहीं है तो उत्तर कैसे देंगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : जो पिछले खुले हुए अस्पताल हैं, मेरे पास जब जब भी शिकायत आती है जल्दी से जल्दी अटेंड करने का प्रयास करती हूं ।

प्रश्न संख्या 126

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह राठौड़ ।

उद्योगों को विद्युत रेटों तथा ड्यूटी में रियायतें

127. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़):- क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कौन कौन से उद्योगों को विद्युत् रेटों में तथा इलेक्ट्रिक ड्यूटी में कितनी कितनी रियायत दी हुई हैं ?

(2) क्या इन रियायतों में राज्य सरकार फेर बदल करने का सोच रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) यह रियायतें किन कारणों से दी गई थीं ?

विद्युत मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) राजस्थान में किसी भी औद्योगिक इकाई को वर्तमान में बिजली दर में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। मार्च, 1968 से मार्च, 1979 की अवधि में लगने वाले नये उद्योगों से विद्युत् शुल्क नहीं लिया जाता है यदि ऐसी इकाईयां विद्युत् मंडल को राज्य के उद्योग विभाग से छूट देने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करें ।

(2) जी नहीं ।

(3) विद्युत् शुल्क में रियायत राजस्थान में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से दी गई थी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब आप लघु उद्योगों व किसानों को रियायत नहीं देते हैं तो फिर बड़े उद्योगों को क्यों देते हैं ?

श्री सम्पतराम : कहां दी जा रही है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने स्वयं ने कहा है कि 1968 से 1979 तक जो उद्योग लगेंगे और जो रियायतें दी हुई हैं, वे आप जारी रखना चाहते हैं । फिर आपने कहा है, नई रियायतें देने की भी सोच रहे हैं । छोटे उद्यमी जो नए उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी आपको रियायतें देनी चाहिएं ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ विद्युत् शुल्क के बारे में कहा है । राजस्थान में सभी केटेगरीज के उद्योग चाहे वह छोटे उद्योग हों चाहे वह बड़े उद्योग हों उन सभी उद्योगों को हमने बराबर बराबर कन्सेशन्स दिये हैं । अगर उनके कन्सेशन्स के इम्पलीमेन्टेशन में कहीं कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप बतावें मैं उसके लिये कार्यवाही करने को तैयार हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्रीजी को अपने प्रश्न में दोनों ही बातें पूछी हैं । विद्युत् शुल्क के बारे में भी पूछा है और विद्युत् रेट के बारे में भी पूछा है । इन्होंने सिर्फ एक का ही जवाब दिया है और दूसरा जो मेरा प्रश्न विद्युत ड्यूटी का है उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह सूचित करना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार का

Page No. 5

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में गठन हुआ है तब से जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी इन्डस्ट्री को चाहे वह बड़ी इन्डस्ट्री हो चाहे वह छोटी इन्डस्ट्री हो, रियायत किसी प्रकार की नयी नहीं दी है। जो भी रियायतें इन्डस्ट्रीज को दी गयी थीं वह भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार द्वारा दी हुई हैं। इन्डस्ट्रीज को किस प्रकार की सुविधायें दी जायं और कितनी दी जायं इसके लिये सरकार पूरा विचार करके एक ब्लू प्रिन्ट बनाकर हाउस के सामने रखेगी। उसके बाद में हाउस से तय हो जाने पर वह सुविधायें दी जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी स्टेट्स में इन्डस्ट्रीज के डवलपमेन्ट के लिये एक कम्पीटीशन आपस में हो रहा है। सभी जानते हैं कि जितना इन्डस्ट्रीज का विकास होगा उतना ही उस स्टेट के लिये फायदा है। वह लोग तरह तरह की रियायतें अपने स्टेट्स में दे रहे हैं। सभी राज्य अपने अपने यहां पर अलग अलग प्रकार से इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को इन्डस्ट्रीज लगाने के लिये तरह तरह की रियायतें पानी की, बिजली की, जमीन की, सड़कों की दे रहे हैं। इसलिये हमने अपने राज्य में इन्डस्ट्रीज के विकास के लिये विचार किया है। और इसके लिये किस प्रकार की सहायता दी जाय इसके बारे में विचार कर रहे हैं, साथ में यह भी चाहते हैं कि हाउस में या बाहर राज्य सरकार की उन रियायतों को देने के लिये आलोचना नहीं हो इसलिये जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्लू प्रिन्ट उन सभी रियायतों का बनाकर हाउस में पेश किया जायेगा। उसके बाद में उसकी हाउस से स्वीकृति ली जायेगी ताकि उसके बाद में किसी प्रकार की आलोचना राज्य सरकार की इस बारे में न हो। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अलग अलग स्टेट्स में कुछ अधिकारी भेजा करेगी वहां की सरकारों ने इन्डस्ट्रीज को क्या क्या सुविधायें दी हैं, उसकी स्टडी करके आकर वे हमें रिपोर्ट देंगे। सिफारिशों को देखकर हम किस प्रकार की रियायतें दे सकते हैं उनके अनुसार पानी, बिजली, जमीन, सड़कों और इवन रॉमैटीरियल्स की जो भी जरूरी होगी दे कर इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट राजस्थान में करने की कोशिश करेंगे। जब उससे भी स्वीकृति हाउस से हो जायगी तो बाद में आलोचना राज्य सरकार की इस बात के लिये नहीं हो सकेगी कि किसी पर्टीक्यूलर इन्डस्ट्री को विशेष सुविधायें दी गयी हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में घोषणा की है उसकी तो हम सराहना करते हैं लेकिन यह सभी आप इसी सत्र में पेश कर सकेंगे क्या?

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रश्न और मेरा भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले प्रश्न का तो जवाब आने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उसके साथ में इसका भी जवाब आ जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो इन्डस्ट्रीज पिछले दस साल से राज्य में चल रही है और जिन्हें, पिछली सरकार ने रियायतें दी थीं, वे इन्डस्ट्रीज अब आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और लाभ में चल रही हैं। जनता पार्टी की सरकार ने समाजवाद की नीति की घोषणा

(श्री मूलचन्द डागा)

कर रखी है और हमारे संविधान में भी समाजवाद को मान लिया गया है तो जिन पुरानी इन्डस्ट्रीज को रियायतें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं और जिन्होंने लाखों रुपये का मुनाफा कमा लिया है उनको जो कन्सेशन्स पुरानी सरकार ने दिये थे उन्हें राज्य सरकार बन्द करने का प्रयास करेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इन सारी बातों की स्टडी कर रही है। और जिन मामलों में राज्य सरकार ने कन्सेशन्स दिये थे वह केन्सिल कर दिये जाने पर वह लोग कोर्ट्स से स्टे ले आये हैं। इसलिये अब राज्य सरकार सोच रही है कि क्या किया जाय। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोधपुर से नहीं शेरगढ़ से आने वाले सदस्य कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके लिये जल्दी से जल्दी ब्लू प्रिन्ट तैयार करायेगी। दूसरे राज्यों में भी अपने अधिकारियों को भेजेगी जो अपनी रिपोर्ट दूसरी सरकारों द्वारा दी जाने वाली रियायतों के बारे में देंगे कि वहां पर किस प्रकार की कार्यवाही चल रही है और उससे कितना लाभ हुआ है। उन रियायतों को देने के बाद इन्डस्ट्री कितनी इफेक्टिव होती है और उसमें हम किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं, इन सभी बातों पर विचार करके हम उसको हाउस के सामने रखेंगे और हाउस से उसकी अनुमति प्राप्त करेंगे, ताकि किसी प्रकार की आलोचना सरकार की उसके बारे में नहीं हो। इसके बाद में हम राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन का विकास ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में रिक्त पदों की पूर्ति

128. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले के राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर एवं जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने कनिष्ठ विशेषज्ञ, पोस्ट ग्रेजुएट, सी.ए.एस औषध निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, मैकेनिक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, डेन्टल टेक्निशियन, मेल नर्स प्रथम, मेल नर्स द्वितीय, प्रसविका, वाहन चालक आदि के पद कितने अर्से से रिक्त हैं ? प्रत्येक का कारण बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भरना सम्भव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न (2) का जो उत्तर आया है, "योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भरना सम्भव होगा" तो, उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह पद रिक्त पड़े हैं जिससे कि बाड़मेर में जनता को बहुत परेशानी हो रही है। महिला नर्सेज की बहुत कमी है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आप जिन पोस्ट ग्रेजुएट्स को अपाइन्ट करके वहां पर जोइन करने के लिए आर्डर करते हैं वह जोइन नहीं कर रहे हैं तो इसके लिये गवर्नमेन्ट क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में मेल स्वास्थ्य नर्सेज और महिला स्वास्थ्य नर्सेज की बहुत कमी है। राज्य सरकार उस कमी को दूर करने के लिये ट्रेनिंग देने के लिये इन्स्टीट्यूशन्स चला रही है जिससे कि लोगों को ट्रेन्ड करके जहां भी इनकी कमी है वहां पहुंचाया जा सके। जहां तक सवाल यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स को अपाइन्ट करके भेजने के बाद अगर कोई व्यक्ति दस दिन के अन्दर अन्दर जोइन नहीं करेगा तो उस व्यक्ति के अपाइन्टमेन्ट आर्डर को कैन्सल कर दिया जायेगा और नैक्स्ट व्यक्ति जो उस पैनल में होगा उसको अपाइन्टमेंट करके भेज दिया जायेगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि वहां पर रिक्त स्थान जल्दी से जल्दी भरे जा सकेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिर्फ राजस्थान बाड़मेर का ही नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान का है। कई जगह डाक्टरों की कमी है, पूरा स्टाफ नहीं हैं। हमारे कोटा के चिकित्सालय में स्टाफ की बहुत भारी कमी है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी तो पूरे राज्य की स्थिति से चिन्तित हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, महिला नर्स उपलब्ध नहीं होने से जनता में बहुत परेशानी है। इसी प्रकार मेल नर्सेज की कमी से डाक्टरों को भी बहुत भारी दिक्कत आती है। एक तरफ डाक्टर्स पूरे नहीं, दूसरी तरफ मेल नर्सेज की कमी है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कब तक ट्रेनिंग देकर लोगों को वहां पर भेज सकेंगे ? पूरे 15 स्थान हमारे बाड़मेर में ही रिक्त हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वैसे हम 9-9-77 से पोस्टिंग कर रहे हैं और लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, यह तो है डाक्टरों के बारे में। दूसरी बात ट्रेनिंग देकर भेजने के बारे में है। हमने ट्रेनिंग के लिये पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करदी है। अब पक्की ट्रेनिंग पास करने के बाद ही भेजने की व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की तन्ख्वा दूसरे स्टेट्स के डाक्टरों और कम्पाउन्डर्स से कम होने की वजह से भी कमी रही है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी है कि बाड़मेर और जालौर एक ऐसा इलाका है जहां पर अपोइन्ट करके लोगों को भेज देते हैं तो भी लोगों के नहीं जाने का कारण यह भी है कि वहाँ पर लोगों को मकान नहीं मिलते हैं और मिलते हैं तो 200-200 रुपये माह पर। दूसरे पानी की भी कमी है। तो ऐसे इलाकों में लोगों को भेजने के लिये स्पेशल अलाउंसेज देने की व्यवस्था करें तो लोग वहां पर जा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सकते हैं। अन्यथा मैं तो यह समझता हूं कि लोग वहां जायेंगे नहीं, और एक बार चले भी गये तो परेशानियों से परेशान होकर वापस भाग कर आ जायेंगे। तो इसके लिये अगर राज्य सरकार कुछ स्पेशल अलाउन्सेज दे तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री एच० एन० शर्मा।

पानी के पैसे की वसूली में असमानता

129. **श्री एच० एन० शर्मा (बैंगू)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने पानी का पैसा वसूल करने के लिये पी० एच० ई० डी० के अलावा भी आर० एस० ई० बी० और आर० पी० एस० डैम विभाग को पानी के बिलों की वसूली के लिये अधिकृत किया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि आर० एस० ई० बी० के कर्मचारियों से पानी का माहवारी बिल ढाई रुपये वसूल किया जाता है उसी स्थान पर आर०पी०एस० डैम विभाग के कर्मचारियों से साढ़े सात रुपये पानी के माहवारी के रूप में चार्ज किये जाते हैं? यदि हां, तो यह असमानता किन कारणों से है?

(3) इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी (श्री महबूब अली): (1) जी नहीं।

(2) जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई असमानता नहीं की गयी है।

(3) विभाग द्वारा कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एच० एन० शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री ने जवाब दिया उससे कहीं भी किसी प्रकार की सन्तुष्टता की झलक नजर नहीं दिखायी देती है। मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी रावतभाटा में आर०एस०ई०बी० और आर० पी०एस० के कर्मचारियों से क्रमशः ढाई रुपये और साढ़े सात रुपये पानी के और बिजली के काटे जाते हैं। अगर मंत्री महोदय कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पी०एच०ई०डी० के द्वारा नहीं काटे जाते हैं तो उन कर्मचारियों की तनख्वाह में से यह रुपये प्रति माह क्यों काटे जा रहे हैं? आर०पी०एस० और आर०पी०पी०पी० के कर्मचारियों से 7.68 रुपये वसूल किये जा रहे हैं हर माह के बिल से।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं।

श्री एच० एन० शर्मा : तो फिर किसके आदेश से यह पैसे काटे जाते रहे हैं? आप उन रुपयों को वापस करिये। पिछले दस वर्ष से यह पैसे काटे जाते हैं। अगर राज्य सरकार के जन-स्वास्थ्य विभाग के आदेश नहीं हैं तो अब तो इस कार्यवाही को बन्द किया जाना चाहिये फटाफट।

श्री महबूब अली : मैं माननीय सदस्य की शंका का निवारण कर दूं। जिस विभाग की ओर से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं उस विभाग से इस प्रश्न का कतई सम्बन्ध नहीं है।

(श्री महबूब अली)

सिचाई विभाग और आर०एस०ई०बी० ने अपनी ही कोई वहां वाटर सप्लाई की स्कीम बनायी है। पी०एच०ई०डी० का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आर०एस०ई०बी० और सिंचाई विभाग ने मिल कर जल-वितरण की योजना बनाई है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : है तो राजस्थान के विभाग ही। राजस्थान एक, सरकार एक और महकमे अलग-अलग।

श्री एच० एन० शर्मा : एक ही नगर में तीन तरह की व्यवस्था है। एक से 2।। रुपया, दूसरे से 7.68 रुपये और एक दिन लेट हो जाय तो 1.52 रु० की पैनेल्टी लगायी जाती है राणा प्रताप सागर डैम के कर्मचारियों पर जयपुर में जो पानी की व्यवस्था है चाहे सरकारी कालोनी हो, चाहे प्राइवेट हो सब पर एक ही रेट है। रावतभाटा में तीन प्रकार की श्रेणियों में कर्मचारियों का पैसा काटा जाना कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पीने के पानी का प्रश्न है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चौहटन में 15.25 पैसे पानी के वसूल किये जाते हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अर्बन सप्लाई स्कीम.....

(व्यवधान)

श्री एच०एन० शर्मा : वहां पर पी०एच० ई०डी० का विभाग है......

श्री उपाध्यक्ष : No more questions बिलकुल नहीं।

(व्यवधान)

No supplementary.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक ही प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : No further supplementaries. No. Next.

गांधीनगर, जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टरों के किराये की वसूली

130. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) [श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) की अनुपस्थिति में] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांधी नगर, जयपुर में स्थित सरकारी क्वार्टरों का किराया कर्मचारियों के वेतन बिलों से सीधे ही काट लिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वेतन बिल के साथ किराये कटौती का शिड्यूल भी संलग्न कर ट्रेजरी को भेजा जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि वेतन बिलों से किराये की नियमित कटौती होते रहने पर भी कर्मचारियों के नाम बकाया निकाली हुई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कर्मचारियों के खाते में वसूल किये गये किराये की पोस्टिंग सही ढंग से नहीं की जाती है ?

Page No. 10

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(5) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनमें क्वार्टर किराया बाकी निकलता है ? मार्च, 1977 तक की स्थिति और उन क्वार्टरों क नम्बर दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

मुझे यह प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने लिखा जरूर है लेकिन आपने अधिकार पत्र इसके साथ नत्थी नहीं किया है ।

कई माननीय सदस्य : ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सब ही माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रश्नकर्ता हैं वे अपना अधिकार दूसरों को देते हैं । जो भी अधिकृत किये जाते हैं वे कृपया उनके अधिकार-पत्र को साथ में दें । उनके अधिकार-पत्र कार्यालय में पहुंचते नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न बहुत जरूरी है इसलिये ले लिया जाय ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । सार्वजनिक निर्माण विभाग के खातों में केवल उन्हीं कर्मचारियों की बकाया निकलती रहती है जिनका किराया कटौती के शिड्यूल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त नहीं होने के कारण समायोजन नहीं हो पाता है ।

(4) जी हां ।

(5) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें रकम जमा कर ली जाती है क्योंकि किराये की रकम सीधी ही कर्मचारियों की तनखवाहों से कट जाती है, लेकिन शिड्यूल और रजिस्टर में बाकी निकलती रहती है । उसके लिये मंत्री महोदय क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने यह बताया कि विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों के यहां से शिड्यूल प्राप्त नहीं होते थे इसलिये समायोजन नहीं हो पाता था । अब इसके लिये कुछ व्यवस्था की है । वह मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा ।

सामान्य वित्तीय नियम 156 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सरकारी मकानों के किराये की कटौती हेतु बिल सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को भेजे जाते हैं । नियमानुसार कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन बिल से किराये की कटौती कर शिड्यूल की एक प्रति सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को भेजते हैं । परन्तु इस प्रकार की सूचना विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त नहीं होने पर अधिशासी अभियन्ता के रजिस्टर में एन्ट्री सम्भव नहीं होती थी । इसीलिये वांछित कटौती शिड्यूल के अभाव

Page No. 11

(श्रीललित किशोर चतुर्वेदी)
में बकाया निकलती थी। वित्त विभाग ने अपने पत्र दिनांक 28-6-76 के द्वारा उक्त नियम में संशोधन किया जिसके अनुसार किराये कटौती का एकजायी शिड्यूल कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रमाणित करके सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजते हैं। जबसे यह होता है समायोजन सम्भव हुआ है। कुछ इस नवीन प्रणाली का विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पालन नहीं कर रहे हैं इसलिये इसमें कठिनाई हो रही है। नवीन व्यवस्था के बाद जो समायोजन में कठिनाई होती थी वह अब पूरी हो जायेगी और बकाया राशि निकल रही है उसका समायोजन कर लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

पंचायत समिति, मांडलगढ़ के स्कूल

131. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडलगढ़ पंचायत समिति में कुल कितने स्कूल हैं और हर स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है ?

(2) उक्त स्कूलों में कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनका पांच पांच वर्षों से तबादला नहीं हुआ है ? पांच वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहने वालों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) लम्बे समय तक अध्यापकों को एक ही स्थान पर रखने का कारण क्या भूतपूर्व प्रधान तथा भूतपूर्व सरपंच की कृपा ही है या और कोई कारण ?

(4) कितने अध्यापक ऐसे हैं जो रात्रि को भी हैडक्वार्टर पर रह कर रात्रि-शाला चलाते हैं ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) पंचायत समिति, मांडलगढ़ के अन्तर्गत 80 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्रत्येक शाला की छात्र संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) 16 अध्यापक ऐसे हैं जिनका पांच वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। इन अध्यापकों का कार्य संतोषप्रद होने तथा स्थानान्तरण पर वित्तीय व्यय होने से इनके स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं।

(4) इस पंचायत समिति के प्राथमिक शाला काछोला व थड़ोदा के ही अध्यापक रात्रि में शाला चलाते हैं। शेष अध्यापक मुख्यालय पर ही रहते हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्षजी मेरे पास जो लिस्ट आयी है उसमें 26 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 25 से भी कम है। यह जो संख्या है वह रजिस्टर में दर्ज है वह आयी है। लेकिन वह 20 से भी कम है क्योंकि कितने ही गैर हाजिर रहते होंगे। कभी किसी ने प्रत्यक्ष जानकारी नहीं की।

दूसरा यह पूछा कि कितने मास्टर रात्रि को वहां पर रहते हैं। तीसरी बात यह है कि पंचायत समिति को शिक्षा सौंपी उसमें

Page No. 12

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

खास मकसद यही था कि मास्टर वहां रह कर सर्वांगीण विकास के काम कर सकेंगे। वहां पर मास्टर रहते हैं या नहीं, कृपया इसको स्पष्ट करिये। 20 लड़कों पर इतना खर्चा हो रहा है लेकिन आपने कुछ नहीं सोचा। इस पर अब आपका क्या चिन्तन चल रहा है ?

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड (4) में आपका प्रश्न है कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जो रात्रि को भी हैडक्वार्टर पर रह कर रात्रि-शाला चलाते हैं। उसी पर यह सूचना मंगायी गयी है और आपको वह दे दी गयी है। यह विद्यार्थियों की संख्या अभी की प्रवेश संख्या के आधार पर दी है। कितने उपस्थित रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं यह अलग से जानकारी का विषय है। यदि जानकारी चाहेंगे तो यह भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप यह सोचते हैं कि जिस पंचायत समिति के अध्यापक रहने वाले हैं उनको उसी पंचायत समिति में न रख कर दूसरी पंचायत समिति में रखा जाय ? उसको वहां पर रात्रि को रहना पड़ेगा इसलिये कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जहां पर बच्चों की संख्यां 20 है, मास्टरों को यह आदेश दिये हैं कि यह संख्या नहीं बढ़ायी तो एक्शन लिया जावेगा। यदि रात्रि-शाला चलाओगे तो उसमें छात्रों की गिनती की जावेगी। क्या इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदेश दिये जाने की जानकारी मुझे अभी उपलब्ध नहीं है। कितनी पंचायत समितियों में रखा जाये या नहीं रखा जाये इस विषय पर निश्चित नियम अभी नहीं बने हुए हैं। उनके ऊपर विचार हो रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्षजी, मास्टरों पर रहम आये इसलिये ही अर्ज करना चाहता हूं कि कई लोगों को 12-12 मील से चलकर आना पड़ता है और वहां बहुत देरी से पहुंचते हैं। वह पसीना सुखाते हैं और बीड़ी पीते हैं। वापस भी जल्दी रवाना होना पड़ता है। तो रात को हैडक्वार्टर्स पर रहने की व्यवस्था कर दें तो वह बीमारियों से बच जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

श्री एच० एन० शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मास्टरों के रहने की बड़ी असुविधा है। कई मास्टर स्कूलों में ही रहते हैं परिवार के साथ, ऐसी हालत में विद्यार्थियों के पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। वहां कमरों की अव्यवस्था रहती है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मास्टरों के रहने के लिए जहां पर मिडिल स्कूल हैं वहां भवन भी उपलब्ध कराये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

नैक्स्ट। श्री शंकरलाल।

श्री अय्यूब खां : मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि जो पंचायत समितियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल हैं उनकी आम शिकायत है इसलिये क्या सरकार गौर करेगी कि..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। मैंने दूसरा प्रश्न काल कर लिया है।

श्री शंकरलाल !

भिक्षावृत्ति को मिटाने की योजना

132. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार के पास भिखारियों को धन्धे पर लगाने और भिक्षावृत्ति को मिटाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि है, तो क्या और वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कैलाश मेघवाल): राजस्थान में भिक्षावृत्ति नियंत्रण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर, अजमेर व उदयपुर में तीन सेवा सदन चलाये जा रहे हैं जिनमें 300 भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है। भिक्षुओं को रोजगार व धन्धे की दृष्टि से पुनर्वास की दिशा में इन सदनों के माध्यम से लोहारी, बढ़ईगिरी व बुनाई उद्योग में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य में विशेष रूप से पर्यटक स्थलों पर भिक्षावृत्ति निरोध हेतु भिक्षावृत्ति निरोध बिल का प्रारूप राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल : यह तो आपने जवाब दिया कि यहां जहां पर 300 भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है, इसको हमेशा के लिए कानून के जरिये मिटाने के लिए कोई योजना है क्या ? पूरे राजस्थान में भिक्षावृत्ति को मिटाने के लिए कानून लागू करना चाहते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : योजना विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल : पूर्ण राजस्थान के लिये नहीं बताया, पूरे राजस्थान के लिए भिक्षावृत्ति को मिटाने के लिए कोई योजना है क्या, यह नहीं बताया । आपने तो यह बताया है कि 300 भिक्षुओं के रहने के लिए इन इन स्थानों पर सदन चलाये जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए कानून लागू कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । राजस्थान में कुल भिखारियों की संख्या कितनी है ? कितने भिखारी पढ़े-लिखे हैं ? कितने भिखारी शादी-शुदा हैं और कितने.....

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो भिक्षा की परिभाषा देखनी पड़ेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : तो फिर आप बतायें कि राजस्थान में कितने भिखारी हैं ?

श्री एच० एन० शर्मा : डागा साहब यह चाहते हैं कि भिक्षुओं में उनका भी नाम दर्ज कर दिया जाये ।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें पहले भिखारी ढूंढे जायें कि कितने हैं, कितने पढे लिखे । हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि जो विशेष व्यवस्था की जा रही है वह तो पर्यटक स्थलों पर की जा रही है। भिक्षावृत्ति निरोधक बिल का सारे राजस्थान के लिए प्रारूप तैयार है और जैसा डागा साहब ने कहा कि पहले भिखारी किसको माना जाये इसकी परिभाषा तैयार कर दें, और यह भी बतायें कि पढ़े-लिखे कितने हैं और दूसरे कितने हैं। तो अभी जो भिखारी की परिभाषा है वह यह है कि जो सड़कों पर भिक्षा मांगते हैं वही भिखारी हैं । हमने उनकी गणना नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)
कराई है । आप चाहेंगे तो वह भी तैयार करा ली जायेगी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उसमें इनका नाम भी जोड़ दिया जाये ।

श्री शंकरलाल : भिक्षोवृत्ति करने वालों को कानून में बन्द किया जाये या नहीं। इसके लिए कानून बनकर तैयार हो रहा है, उसके ऊपर निर्णय लेने का विचार कब तक रखते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : वह बिल विचाराधीन है और जब भी पूर्णतया विचार होकर जो भी निर्णय लिया जायेगा वह आपके सामने आ जायेगा ।

श्री शंकरलाल : कब तक ? यही तो प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसी बजट सत्र में पारित होगा या नहीं ?

श्री शंकरलाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी कहना चाहते हैं उन्हें कहने दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले दिनों आपातकालीन स्थिति में भिखारियों को पकड़ा गया ? अगर नियम नहीं थे तो सरकार के द्वारा किन नियमों के तहत उनको पकड़ा गया ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री शंकरलाल : कानून के जरिये इसको बन्द करने का विचार कर निर्णय कब तक सरकार ले लेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जल्दी के लिए कह रहे हैं ।

श्री शंकरलाल : आप उसके बारे में कोई समय या तिथि बताने की स्थिति में नहीं हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । मंत्री महोदय जवाब देने की कृपा करें कि पिछले दिनों जिन भिखारियों को पकड़ा गया यदि नियम ही नहीं थे तो किन नियमों के तहत उनको पकड़ा गया और क्यों पकड़ा गया ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि यह सप्लीमेन्ट्री मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को बार बार इसके लिए बाध्य किया है कि जहां पर्यटक स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं वहां विदेश के लोग आते हैं और भारत के दीन लोगों की दशा देखते हैं इसलिये कानून के अन्तर्गत भिखारियों का चालान किया जाय ? आपने कितने भिखारियों का चालान किया ? जयपुर में ज्यादा होगी ऐसी संख्या ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क): उपाध्यक्ष महोदय, यहां भिखारियों का प्रश्न उठाया गया । यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमारे कुछ साथी नागरिक भीख मांगने का धंधा करें और हम उस प्रश्न की इस तरह से उपेक्षा करें—यह किसी के लिए शोभा की बात नहीं है । माननीय सदस्य

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

डागाजी ने प्रश्न उठाया, जब कि सेन्सस होती है तो सेन्सस में व्यक्ति का ब्यौरा होता है, पेशा भी लिखा जाता है और दूसरी बातें भी लिखी जाती हैं। जबकि हम अन्त्योदय के युग में प्रवेश कर रहे हैं फिर भी माननीय मंत्री महोदय के पास फिगर्स नहीं हैं। वह नहीं बता सकें कि इस समस्या का हल कब तक निकाल सकेंगे या हम कब तक निश्चित नीति की घोषणा कर सकेंगे? जबकि गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में यह हो गया है फिर भी राजस्थान, जोकि अन्त्योदय में अग्रणी होने का दावा करता है, इस समस्या को हल करने की निश्चित तिथि घोषित नहीं कर पाये। इस अन्त्योदय के जरिये हम गरीबों को ऊंचा उठाने का दावा करते हैं इसलिए मंत्री महोदय को ढिलमिल नीति के साथ उत्तर देना शोभा की बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इस संबंध में निश्चित घोषणा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कुछ सप्लीमेन्ट्री ऐसे किये गये जिनका आज का जो प्रश्न है उससे सीधा संबंध नहीं है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहें कि कितने भिखारी हैं तो वह सूचना तो उपलब्ध करा सकता हूं और वह सूचना यहां दे सकता हूं.... .

श्री शंकरलाल : इसी सत्र में घोषणा होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : किसी मंत्री महोदय की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। अगर प्रश्न से संबंधित है और आवश्यक है सूचना देना तो यदि सूचना देना चाहें तो दे दें लेकिन सदन के समय का अपव्यय नहीं होना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिन भिखारियों को पकड़ा उनको आपने किस कानून में पकड़ा? जिन्होंने गलत कार्यवाही की, उनको क्या सरकार सजा देने जा रही है? मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें?

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिना कानून के पकड़ा जाये····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण न दीजिये। इस प्रश्न पर काफी सप्लीमेंट्रीज हो चुके हैं। अब और किसी सप्लीमेंट्री के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शंकरलाल : भिक्षावृत्ति को मिटाने के बारे में सरकार के पास क्या योजना है? माननीय बजरंगलालजी ने भी कहा है इनके पास कोई योजना नहीं तो भिक्षावृत्ति को कैसे मिटायेंगे····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने तीस साल तक क्या किया?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा!

राज्य सेवा के निलम्बित प्रशासनिक अधिकारी

133. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की

Page No. 16

(श्री भंवरलाल शर्मा)
कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सेवा में कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा कितने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति सेवारत हैं ? गत दस वर्ष से इनमें से कितने प्रशासनिक अधिकारी निलम्बित हैं ? किन-किन प्रशासनिक अधिकारियों को कब-कब निलम्बित किया गया तथा इनको कब-कब आरोप-प्रत्र दिये गये ? देरी के कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों से श्री एस० के० दत्त शर्मा निलम्बित है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 1970 में फाइनल रिपोर्ट आने पर भी आरोप-पत्र निर्धारित अवधि में नहीं दिये जाने का क्या कारण है ? देर से आरोप-पत्र दिये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है ? इस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) श्री शर्मा के विरुद्ध की गई विभागीय जांच में कितना समय लगा और यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? राज्य सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर अब तक निर्णय नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

(4) क्या यह सही है कि निलम्बित कर्मचारी को दो वर्ष के अन्दर अन्दर पुनः पदस्थापित कर दिया जाना चाहिये, इस नीति के अनुसार कितने आई० ए० एस० व आर० ए० एस० अधिकारियों को लाभ दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(5) श्री शर्मा को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : (1) राज्य सेवा में 163 भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा 469 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति सेवारत हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी गत दस वर्ष से निलम्बित नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का केवल एक अधिकारी गत दस वर्ष से निलम्बित है। गत दस वर्षों में जिन भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर निलम्बित किया गया उनकी सूची मय अन्य सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री एस० के० दत्त शर्मा दिनांक 3-2-68 से निलम्बित है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से दिनांक 20-10-71 को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद आरोप-पत्र दिनांक 29-4-72 को जारी कर दिये गये। आरोप-पत्र देने में निर्धारित अवधि से कुछ ज्यादा समय लगा क्योंकि इनके खिलाफ आरोप गम्भीर थे और रिकार्ड भी काफी था। इन सबकी स्क्रूटिनी कई स्तरों पर करवाई गई जिसके कारण कुछ विलम्ब हुआ। इस विलम्ब के लिए कोई भी दोषी नहीं है।

(3) श्री एस० के० दत्त शर्मा के विरुद्ध की गई विभागीय जांच में कुल 3 वर्ष 9 माह 18 दिन का समय लगा। जांच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 15-3-77 को प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट को एग्जामिन कर लिया गया है और प्रोविजनल निर्णय लिया जा चुका है। अन्तिम निर्णय लेने

(श्री महबूब अली)

से पूर्व श्री शर्मा से 'कारण बताओ' नोटिस का जवाब लिया जा रहा है और उसके पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय प्राप्त की जायेगी ।

(4) ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार निलम्बित कर्मचारी को दो वर्ष के अन्दर-अन्दर पुनः पदस्थापित करना अनिवार्य हो । राज्य सरकार की नीति सदैव यही रही है कि निलम्बित अधिकारी के मामले का जल्द से जल्द निबटारा हो । राज्य सरकार के यह निर्देश हैं कि दो वर्ष से अधिक पुराने निलम्बन के मामलों में जिसमें कर्मचारी के खिलाफ अदालत में मामला विचाराधीन न हो यथासम्भव बहाल कर दिया जाना चाहिये, यदि ऐसा करने से राज्य हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो । चाहे उसके खिलाफ चल रहा अनुशासनिक मामला फाइनल न हुआ हो । इस नीति के अनुसार गत दस वर्षों में जिन आई० ए० एस० व आर० ए० एस० अधिकारियों को लाभ मिला उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) श्री शर्मा को बहाल नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना राज्य हित में नहीं था ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, यह जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जो रिपोर्ट दी .....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा । किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछा जाता इसलिये इस बारे में किसी सप्लीमेन्ट्री पूछने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 48 यह कहता है जब स्पीकर महोदय ने इस प्रश्न को एडमिट कर लिया है तो उनका हक पैदा हो गया है सप्लीमेन्ट्री पूछने का । पहले ही अपने सचिवालय से रिजेक्ट करा देते ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक सवाल मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा । डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज में इतना टाइम लगा देते हैं, इस बारे में मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था लेकिन सफलता नहीं मिली । मुख्य मंत्रीजी अभी आपकी सरकार की शुरुआत है, क्या इस बारे में विचार करेंगे ? चार-चार, पांच-पांच, छः छः साल से केसेज पेन्डिग पड़े हुए हैं इनको जल्दी निपटाने के लिये क्या सरकार का कोई रूल है ? क्या सरकार इसके लिये कमेटी का गठन करने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं । राजस्थान में बहुत से मामले हैं जिनमें कई दिनों से इन्क्वायरीज कम्पलीट नहीं हो पा रही हैं । कल ही इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की है । कुछ आंकड़ों के साथ प्रमुख बात यह बताई कि जिस अधिकारी को चार्ज-शीट दी जाती है वह रिकार्ड देखने के नाम से 1-2 वर्ष का समय ले लेता है । रिकार्ड की एक लम्बी लिस्ट दी जाती है । जांच अधिकारी द्वारा उसकी स्क्रूटिनी नहीं होती है । दूसरा कारण यह है कि न रिकार्ड उपलब्ध होता है और न जांच पूरी होती है । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही व्यवस्था करें चाहे नियमों में संशोधन करना पड़े जिससे इन्क्वायरी जल्दी समाप्त हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

बनेड़ा तहसील के किसानों से पिलाई की वसूली

134. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 1963-64 में दी गई एक दरखवास्त पर 1966 में राज्य में जिस जगह लगान व पिलाई शामिल होकर लगान वसूल किया जा रहा था उस जगह पिलाई अलग से न ली जाये सम्बन्धी आज्ञा में तर पिलाई भी माफ की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1966 की इस आज्ञा के पहले, बनेड़ा तहसील में पिलाई न वसूल की जाये, यह आज्ञा दी गई थी तथा बकाया पिलाई की वसूली को भी स्थगित कर दिया गया ?

(3) उक्त दोनों आज्ञाओं के विरुद्ध बनेड़ा तहसील में किसानों से कुल कितनी पिलाई वसूल की गई ? पटवारी क्षेत्र के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त नाजायज वसूली को राज्य सरकार कब तक किसानों को वापस देने का प्रबन्ध कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पतराम) : इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । इसको स्थगित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित समझा जाये । नैक्स्ट ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लाखों रुपयों का मामला है । जब यह आर्डर पास कर दिया कि पिलाई वसूल नहीं होनी चाहिये फिर एक तहसीलदार ने ऐसा किया । इतने दिनों के बाद भी जवाब नहीं आता । उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सत्र में इस प्रश्न का जवाब दिलवाया जाये ।

श्री मूलचन्द डागा : किन कारणों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ, आप ताड़ना दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह परम्परा है कि कोई भी प्रश्न किसी भी विषय का पूछा जाता है श्री डागाजी को निश्चित रूप से उसमें बोलना पड़ेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : आप हमको डिमोरेलाइज कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जा सकता जिसमें डागाजी न बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो प्रश्न ढाबरियाजी ने पूछा है मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं । किसानों के बारे में उनसे कम चिन्तित नहीं हूं और सरकार भी कम चिन्तित नहीं है । मैं इस प्रश्न की गहराई में जाना चाहता था । जब पूरी जानकारी नहीं आई तो इसको जानकर स्थगित कराया है । यह नहीं सोचना चाहिये कि इसकी गहराई में पहुंचने की कोशिश नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

Page No. 19

मैट्रन के पद से महिला जेलर के पद पर पदोन्नति

134. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागार में नियुक्त महिला जेलर प्रतिदिन सुबह जब जेल का वार्ड खुलवाने जाती हैं तब वे समस्त महिला बन्दियों को अपने पांव छूने को मजबूर करती हैं ?

(2) महिला जेलर का इस प्रकार का व्यवहार किस नियम के अन्तर्गत आता है ? इस सम्बन्ध में भी यदि कोई नियम हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि आज भी महिला बन्दियों को पर्दे में रखा जाता है तथा उनके शरीर के मर्म स्थानों पर गम्भीर चोटें पहुंचाई जाती हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस प्रकार की ज्यादतियों को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस महिला जेलर को बन्दियों का राशन, दूध आदि अपने घर ले जाते हुए कई बार घटनास्थल पर ही पकड़े जाने पर कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा इन्हें मैट्रन से महिला जेलर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जांच कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, कारागार (श्री विज्ञान मोदी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इन्हें मैट्रन (सहायक कारापाल) से कारापाल के पद पर जो अस्थायी रूप से पदोन्नति दी गयी है, वह नियमानुसार है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अगर नियम नहीं है तो इस तरह का जो आचरण किया जा रहा है, वह किस आधार पर किया जा रहा है ? यह जो महिला जेलर है वह वहां पर स्थायी रूप से है। मैं समझती हूं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैंने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा और ओम मेहता को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझती हूं, मंत्री महोदय ने जेल में जाकर कोई जानकारी लेने की चेष्टा नहीं की है। मंत्री महोदय क्या वहां पर गये हैं और स्थिति की जानकारी की है ? यह बता दें।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उत्तर दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं। वह महिला जेलर वहां की बन्दी महिलाओं से अपने पैर छुआती है, पैर दबवाती है और पर्दा कराती है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
कोई व्यवस्था नहीं है । महिलाएं इतनी दुखी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है । फिर भी इस प्रकार उसको संरक्षण दिया जा रहा है और उसकी पदोन्नति की जा रही है । पिछली सरकार में यह सब कुछ हो सकता था, लेकिन इस सरकार से इसकी सम्भावना नहीं थी । पिछली सरकार तो उसको संरक्षण देती थी लेकिन इस सरकार को तो संरक्षण नहीं देना चाहिए । पिछली विधान सभा में भी यह प्रश्न उठा था । वह महिला जेलर चोरी करती पकड़ी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण की प्रवृति आपने वापस प्रारम्भ कर दी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं सदन में पिछली बार चर्चा उठी थी कि उसने चोरी की है । दूध, बेसन, आटा, आलू, जो खाने की चीजें हैं उनकी चोरी करती है । इसकी जांच कराने का जब तक आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं समझती हूं उन महिलाओं के प्रति न्याय नहीं होगा । जिनको न्याय देने के लिये मंत्री बने हैं ।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो शिकायतें पेश की हैं, सरकार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्या इस प्रकार की शिकायत और सबूत सरकार के सामने रखे तो ऐसे कर्मचारी को संरक्षण देने की सरकार की कोई नीति नहीं है । उसके खिलाफ जांच की जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्रीमती मदनकौर!

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, स्वयं प्रश्न को देखने का आश्वासन देंगे ?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

क्या मंत्री महोदय बात करेंगे, कोई उचित व्यस्था करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय बाहर गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब कृपया स्थान ग्रहण करें ।

नैक्स्ट । श्रीमती मदन कौर!

बाड़मेर एवं पचपदरा तहसीलों में पीने के पानी की व्यवस्था

136. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में कुल कितने गांव ऐसे हैं जहां पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है ? इन गांवों में कितनी जनसंख्या निहित है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में पीने का पानी उपलब्ध कराने से सम्बन्धित मास्टर प्लान बना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) मास्टर प्लान के आधार पर उपरोक्त तहसीलों के ग्रामों को कहां-कहां से पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ? इस मास्टर प्लान पर कब तक क्रियान्विति हो जावेगी ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) तहसील बाड़मेर व पचपदरा में अभी लगभग 337 ग्रामों में पीने योग्य जल नहीं है। इनकी आबादी लगभग 2 लाख है।

(2) जी हां। मास्टर प्लान बहुत विस्तृत होने के कारण प्रतिलिपि सदन की मेज पर फिलहाल रखना सम्भव नहीं।

(3) मास्टर प्लान में प्रस्तावित योजनाओं के जल स्रोतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्य स्रोतों के लिये विस्तृत जांच करवाई जा रही है। मास्टर प्लान की क्रियान्विति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट सं. 3 देखिये)

श्रीमती मदन कौर : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जो बाड़मेर पचपदरा में 25 जल स्रोतों की सूची उपलब्ध कराई है, क्या ये सभी विश्वसनीय स्रोत हैं ?

श्री महबूब अली: जो मास्टर प्लान में लिया गया है उसका सर्वे कराकर देखा जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई टैस्ट के बतौर पर कार्य रूप में परिणित किया गया है क्या ?

श्री महबूब अली : मुझे जानकारी नहीं है इसलिये जानकारी करके बता दूंगा।

श्रीमती मदन कौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं, क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए और अन्य जिलों की स्थिति को देखते हुए इन सब गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये जल स्रोत है ? अगर जल स्रोत उपलब्ध नहीं है तो क्या राजस्थान सरकार ने लिफ्ट कैनाल से पीने का पानी देने के लिये कोई अपना दिमाग बनाया है ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्या के जो विचार हैं बहुत उत्तम हैं, लेकिन बाड़मेर जिले में इस प्रकार के जल स्रोत की उपलब्धि मुझे फिलहाल सम्भव लगती नहीं है - लिफ्ट कैनाल से किस प्रकार का प्रावधान किया जा सके, भविष्य में किस प्रकार का प्रावधान किया जा सके, इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। अगर कोई विकल्प हुआ तो जरूर किया जायगा।

श्रीमती मदन कौर : क्या मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पीने का पानी देने के लिये राजस्थान नहर को बाड़मेर में लाने का सुझाव दिया है ? क्या राज्य सरकार योजना आयोग से मंजूरी कराने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग करेगी ?

श्री महबूब अली : जहां तक प्रभाव लाने का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभाव का इस्तेमाल किया जायगा, निश्चित रूप से प्रभाव काम में लाया जायगा लेकिन जहां तक सुझाव का सवाल है मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : लिफ्ट इरिगेशन के बारे में अभी राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया।

श्रीमती मदन कौर : मैं तो ड्रिंकिंग वाटर के लिये कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उसी से पीने का पानी लेने की दृष्टि से पूछा है।

श्रीमती मदन कौर : मैं तो इतना जानना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान नहर से एक लिफ्ट कैनाल द्वारा बाड़मेर को पीने का पानी दिये जाने का प्रस्ताव किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : लिफ्ट इरिगेशन योजना के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं; क्या राज्य सरकार उन प्रस्तावों पर प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार से विचार-विमर्श करने के लिये या इसके औचित्य को उचित करने के लिये विचार करेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सारा प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : जब यह विचाराधीन है तो उन क्षेत्रों को पानी देने की क्या योजना की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है, कभी आप पूछ लेना।

नैक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क !

राज्य में अकालग्रस्त क्षेत्र

137. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कौन-कौनसा क्षेत्र अकालग्रस्त है तथा उसको कब-कब अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट राज्य सरकार को कब मिली और उस पर कब क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राहत कार्यों के लिये क्या-क्या प्रोविजन है तथा उन पर कितना-कितना खर्च होगा ?

(4) क्या-क्या राहत कार्य चलाये जायेंगे तथा उसमें कितना-कितना खर्चा किस-किस मद से होगा तथा कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेंगे ?

(5) राहत कार्य चलाने में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) इस वर्ष अभी तक किसी भी क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अतः सम्बन्धित सूचना शून्य है।

(2) अभी तक कोई रिपोर्ट नियमानुसार नहीं मिली है।

(3) अभाव स्थिति से सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट जिलाधीशों से गश्त गिरदावरी होने के पश्चात प्राप्त होगी। यह रिपोर्ट सामान्यतः अक्टूबर के अन्त तक प्राप्त होती है। राहत कार्यों के लिये सहायता विभाग बजट में 10.19 करोड़ रुपयों का प्रोविजन है। खर्चों का अनुमान इस समय लगाना सम्भव नहीं है।

(4) इस प्रश्न की सूचना अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा अभाव की स्थिति घोषित होने के बाद ही दी जा सकती है।

(श्री सम्पतराम)

(5) प्रश्न के इस भाग का भी वही उत्तर है जो पूर्व भाग का है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अतिवृष्टि से जो अकाल की स्थिति पैदा हो गई है तो क्या इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट आपके पास आ गई है ?

श्री अयूब खां (तिजारा) : मंत्री महोदय, क्या यह बतायेंगे, आपने जो कहा कि अकाल दो प्रकार का होता है तो वे कौन-कौनसे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछ लेता हूं। आपने कहा कि अक्टूबर के आखिर तक आपको मालूम होगा कि खरीफ में कितना-कितना खराबा, कहां-कहां हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी से रिपोर्ट मंगाइये क्योंकि अक्टूबर के अन्त तक तो निश्चित रूप से जहां-जहां फसल जल गई है, लोगों ने उसको काटना शुरू कर दिया है। अक्टूबर तक सारी फसल कट गई तो फिर बाद में कहेंगे कि हमें पता नहीं चलता कि कहां-कहां पर कितना खराबा हुआ है ? बाद में फिर परेशानी हो जायेगी इसलिए अभी से आप जिलाधीशों को आदेश देकर प्रारम्भिक रिपोर्ट मंगवालें ताकि आपको मालूम हो कि अक्टूबर के बाद कहां-कहां पर आपको फैमिन के काम शुरू करने हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके मुताबिक आदेश जरूर जारी करेंगे।

श्री अयूब खां : माननीय मंत्रीजी ने बताया नहीं कि अकाल कौन-कौनसा होता है ?

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रारम्भिक रिपोर्ट राज्य सरकार को कब तक प्राप्त हो जानी चाहिए। आपको प्रारम्भिक रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई या नहीं ?

श्री सम्पतराम : प्रारम्भिक रिपोर्ट जल्दी आ जानी चाहिए। नियमों के अनुसार 30 सितम्बर तक आ जानी चाहिए लेकिन अभी तक अकाल के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी जिलाधीशों से सम्पर्क स्थापित कर जल्दी ही रिपोर्ट मंगाने का प्रयास करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): क्या मुख्य मंत्री महोदय ने जो अभी जिलाधीशों की मीटिंग बुलाई थी उसमें यह प्रश्न नहीं पूछा ? कहां-कहां अकाल की स्थिति है इसके बारे में कलेक्टर्स की मीटिंग में चर्चा नहीं की ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसी कौनसी धारा है कि जिसके अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने के बजाय केवल मुस्करा देते हैं ? आप उनको आज्ञा कीजिये कि केवल मुस्करायें ही नहीं, प्रश्न का उत्तर भी दें।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसमें खरीफ की फसल पैदा हुई हो। वहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है वहां पर बीज की भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि अगली

(श्री रतनलाल वर्मा)

फसल भी बोई जा सके। अभी तक भी बीज की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय अजमेर जिले को राहत देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भिक रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद विचार होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : जल्दी आनी चाहिए . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भिक रिपोर्ट जल्दी मंगाने का मंत्री महोदय ने कहा है। Now question hour is closed.

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय, मुस्करा रहे हैं। जवाब नहीं दिया।

श्री अयूब खां : तिजारा बाढ़ग्रस्त एरिया है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?

श्री शंकरलाल : आपको मुस्करा कर राहत दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : No question. No supplementary question. Question hour is closed.

श्री रतनलाल वर्मा : मैं फिर निवेदन करता हूं कि अजमेर जिले की स्थिति बड़ी भयंकर है। बीज की व्यवस्था नहीं है गांवों के अन्दर। जो गेहूं आपके भण्डार में पड़ा है उसको बीज के लिए किसानों को देने का इन्तजाम करें वरना फसल काश्त नहीं होगी और बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी. . . .

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, बैठिए।

श्री रतनलाल वर्मा : इसकी तत्काल व्यवस्था करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावादि की सूचना प्राप्ति और कार्य सूची में उनकी समाविष्टि

श्री उपाध्यक्ष : विभिन्न प्रकार की जो सूचनायें प्राप्त हैं उनके बारे में एक व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी देना चाहूंगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देनी है कि आसन को माननीय सदस्यों की ओर से प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था कर रखी है कि ये सूचनायें सचिवालय में देर से देर प्रातः 9.30 बजे प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले दिन के लिये प्राप्त हुई सूचनाएं मानी जावेंगी। इनमें से जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना आसन की ओर से महत्वपूर्ण मानी जाकर उनके बारे में सदन में व्यवस्था सुनाई जाती है उनके सम्बन्ध में सदन में चर्चा करने का अधिकार नहीं होता, किन्तु माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आसन की ओर से यह छूट दी हुई है कि अत्यावश्यक मामलों का सम्बन्धित सदस्य थोड़े समय के लिए सदन में उल्लेख कर सकते हैं। जिन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में आसन की ओर से कोई व्यवस्था न हो, उनके विषय में सामान्य प्रक्रिया यह है कि माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों को यदि कोई जानकारी करनी हो तो वे आसन से उनके वेश्म में जाकर मिल लें और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें और किसी भी हालत में ऐसे स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में, जिनकी चर्चा यहां नहीं की गई हो, सदन में चर्चा उठाने का प्रयत्न न करें। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के विषय में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव सदन में तभी लिये जा सकते हैं, जब आसन द्वारा उनको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। ऐसा होने पर इसकी सूचना सम्बन्धित दिवस की कार्य-सूची में समाविष्ट होने पर सदस्यों को स्वतः मिल जावेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्य-सूची में कोई समावेश न हो उनके विषय में सदन में किसी प्रकार की चर्चा न की जावे। आसन को जितनी संख्या में सूचनायें प्राप्त होती हैं, उनको देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि सबके विषय में सदन में जानकारी दी जावे और न ऐसा करना व्यवहारिक ही है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी माननीय सदस्य इन दोनों मामलों में आसन को सहयोग करेंगे ताकि सदन का कार्य सूचारु रूप से चल सके।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि यह बजट सत्र है। मैं सदन के नेता द्वारा कुछ समय पूर्व सदन के प्रांगण पर व्यक्त की गई भावना से सहमत हूं कि साधारणतया बजट सत्र के दिनों में, जबकि सदस्यों को विभिन्न मुद्दों को उठाने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, स्थगन प्रस्ताव तथा ध्याना-कर्षण प्रस्ताव कम से कम देने चाहिए। केवल उन्हीं विषयों पर केन्द्रित रहना चाहिए जो अत्यावश्यक एवं लोकमहत्व के हों और जिनको सदन में उठाये जाने का निकट भविष्य में कोई अवसर न आये।

मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि जो स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी आसन की सूचनार्थ प्रेषित करने के लिये भेजे जाते हैं उनमें यह तथ्यात्मक जानकारी प्रायः काफी विलम्ब से प्राप्त होती है। शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जबकि सचिवालय द्वारा निर्धारित अवधि में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई हो। मैं इस स्थिति को आपत्तिजनक तथा खेदजनक मानता हूं। इसी विलम्ब के कारण सदस्यों को बार-बार ऐसे विषय सदन में उठाने को बाध्य होना पड़ता है जिन पर आसन की ओर से कोई निर्णय न लिया गया है। मैं भविष्य में राज्य सरकार से यह अपेक्षा करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा ऐसे सभी विषयों पर जिनमें अपेक्षित सूचना एक निर्धारित अवधि में चाही गई हो, पर सूचना इसी अवधि में विधान सभा सचिवालय को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आसन द्वारा उन पर उचित समय में निर्णय लिया जा सके।

श्री मूलचन्द डागा: यहां तो हमारे अधिकारों का हनन होगा, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मूलचन्द डागा: यह हमारा अधिकार है कि हम....

श्री प्रद्युम्न सिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। डागाजी, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। श्रीमन्, अभी आपने जो व्यवस्था दी यहां पर इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिन एडजोर्नमेंट मोशनों की आप यहां चर्चा नहीं करेंगे, जिनको रिजेक्ट करने की सदन में घोषणा नहीं करेंगे उनके बारे में सदस्य यहां पर कोई चर्चा नहीं कर सकेंगे। आपकी इस व्यवस्था का यही अभिप्राय है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अगर आपका अभिप्राय; श्रीमन, यही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पूर्व में व्यवस्था रही है सदन के अन्दर, 1967 से 1972 तक रही है और 1972 से 1977 तक रही है, मुझे दस वर्ष तक इस सदन का सदस्य होने का सौभाग्य मिला है और मैंने देखा है कि एडजोर्नमेंट मोशन पेश किए जाते हैं, सेक्रेटरी को पेश किए जाते हैं, उसके सम्बन्ध में सदन के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रिजेक्ट करने की घोषणा की जाती है। हर एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर सदस्यों को दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, याद तो आपको क्या दिलाऊं क्योंकि आप उस समय सदस्य नहीं थे, जिन एडजोर्नमेंट मोशन को अध्यक्ष महोदय रिजेक्ट करते थे, जिन पर सरकार से जानकारी नहीं चाही जाती थी, प्रश्नकाल के बाद उन पर तीन-तीन बजे, साढ़े तीन-तीन बजे तक, ढाई-ढाई घण्टे तक चर्चायें सदन में होती थीं। इस प्रकार की आसन के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि जो एडजोर्नमेंट मोशन आपके चेम्बर में रिजेक्ट कर दिए जावें उनके बारे में यहां पर चर्चा नहीं होगी। अगर हमको बोलने का अवसर नहीं दिया गया तो, श्रीमन्, इसे सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात मानकर चलूंगा। मैं चाहूंगा कि जो पूर्व में व्यवस्था रही है, आज आपने जो व्यवस्था दी है, इस व्यवस्था को देने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूर्व में जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को कायम रखना चाहिए वरना हम लोग अपनी बातों को सही प्रकार से नहीं रख सकेंगे। जो तथ्य हैं, जो समस्यायें हैं जो इम्पार्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको हम उठा नहीं पायेंगे। इसलिए मैं आसन से यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो पूर्व में प्रक्रिया रही है वही सदन में कायम रखी जानी चाहिए।

मैं यह भी मानता हूं कि विरोधी पक्ष के अन्य माननीय सदस्य भी मेरी भावना से सहमत होंगे। मैं नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, हाउस के कन्वेंशन्स भी होते हैं। नियमों में यह प्रावधान हो सकता है कि एडजोर्नमेंट मोशन के रिजेक्ट होने के बाद कोई बात यहां पर नहीं कह सकता लेकिन पूर्व में जो कन्वेन्शन्स रहे हैं, उन कन्वेन्शन्स का आपको पालन करना चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि आप यह व्यवस्था वापस लें। अगर यह व्यवस्था आपने वापस नहीं ली तो सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में यहां पर निर्णय दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपको बोलने दीजिए।

Page No. 27

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस व्यवस्था का तो यह मतलब हुआ कि जिस स्थगन प्रस्ताव को आप रिजेक्ट कर देंगे, उस पर हम सदन में नहीं बोल सकेंगे । 15 वर्ष से मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं। इस अवधि में कुल 2-3 एडजोर्नमेन्ट मोशन ही एक्सेप्ट हुए हैं जबकि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर, उस वक्त विचार किया गया। जिस वक्त आप स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं उस वक्त हम सदन का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित करते हैं कि वास्तव में मुद्दा यह है और इस पर हम निवेदन करना चाहते हैं । इसलिए आपने जो रूलिंग दी है, यह विधान सभा की अब तक की परम्पराओं के प्रतिकूल है, खिलाफ है । हमेशा से ऐसा होता आया है। इसलिए आपने यह जो निर्णय दिया इसको आप वापस लें । इसी तरह से स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में दो तीन मिनट का समय सदस्यों को मिलता रहा है । उनको आसन की ओर से समय दिया जाता रहा है, 12 बजे से 1 बजे तक। माननीय भैरोंसिंह जब अपोजीशन में तशरीफ रखते थे, उन्होंने चार-चार बजे तक जीरो आवर चलाया है और हमने भी उनकी बात को सुना है । वे आज सत्ता में बैठे हैं । हम तो आपसे, आसन से कोआपरेट करके चल रहे हैं और आप हमें आधे घंटे का भी समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) **:** यह कोई अच्छी परम्परा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सुनने का मौका दीजिए । आप बैठिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि बोलने के लिए दो-तीन मिनट का समय दीजिए ताकि उस विषय में सदन को जानकारी दी जा सके। कहीं पर उपद्रव होते हैं, कहीं पर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो सदन को जानकारी दी जा सकती है ताकि लोगों को और सरकार को भी यह मालूम हो जाए कि यह एक अहम मुद्दा है और यह विधान सभा में उठाया गया है । जहां तक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का ताल्लुक है, वह ज्यादातर रूलिंग पार्टी के सदस्यों की तरफ से ही आया करता है ।

श्री सम्पतराम (मंत्री, संसदीय मामलात) **:** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं, जबकि माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह कोई संसदीय परम्परा नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : बराबर है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में कहां से टपक पड़े । यह कोई शिष्टाचार है ।

श्री सम्पतराम : पॉइंट ऑफ आर्डर । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं इससे सदन की कार्यवाही को चलाने में पर्याप्त सुविधा होगी । मेरी यह दरख्वास्त है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं, वे काफी अनुभवी हैं, काफी समझदार हैं। वे ऐसा कोई मत प्रदर्शन करें जिससे कि हमारे जो नए माननीय सदस्य हैं वे उनसे पाठ ग्रहण कर सकें फिर वह उनकी मर्जी है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो

(श्री मूलचन्द डागा)
स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं वे नियम 50 के अन्तर्गत रखे जाते हैं सवाल यह है, यह जरूरी नहीं है कि आप सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करें। अगर आपको यह सेटिस्फेक्शन हो जाये तो सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए और अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को पहले लेना चाहिए। यहां फर्क हो जाता है। मेम्बर अपनी बात सदन के सामने रखे और अगर सारा सदन इस बात को माने कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो मैं यह समझूंगा कि आपको समय देना चाहिए—सचिव महोदय आपसे बात कर रहे हैं—सवाल यह है कि अगर आज आपने यह निर्णय ले लिया कि हम स्थगन प्रस्ताव पर अपनी बात को नहीं रख सकेंगे और आप समय नहीं देंगे, उस पर निर्णय रिजेक्शन का आप अपने चेम्बर में देंगे तो हम अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं रख सकेंगे। फिर इस पर निर्णय आपके पहले अध्यक्ष महोदय ने इसी हाउस में दिया है कि जो एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करेगा उसे बोलने का अधिकार होगा और तीन मिनट चर्चा कर सकेगा। मैं यह चाहता हूं कि आप इस परम्परा को, इस स्वस्थ परम्परा को कायम रखें। जनता पार्टी के चीफ व्हिप से भी मेरा निवेदन है कि विरोधी दल की बात को सुन कर उनके साथ सहयोग की भावना प्रदर्शित करें। यदि आप इसमें कोई अड़चन, रुकावट पैदा करेंगे तो फिर विरोधी पक्ष से भी सहयोग की भावना अपेक्षित न करें। यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने जो रूलिंग दी है, इससे पूर्व में अध्यक्ष महोदय ने भी एक रूलिंग यहां पर दी है। तो आप उस पूर्व रूलिंग को समाप्त करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपने विचार पहले व्यक्त कर दिए हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो यहां पर अभी व्यवस्था दी है इसके पहले आज प्रातः ही समाचार-पत्रों में हमने यह पढ़ा है कि जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का एक निर्णय हुआ है कि उनके विधायक स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे। पहले उनको स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शायद आपने, जनता पार्टी ने छूट दे दी थी और अब इससे उनको रोक रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अभी नहीं उठ रहा है।

श्री शंकरलाल : मैं आसन को यह निवेदन कर रहा हूं यह आपने निर्णय दिया, यह आज ही व्यवस्था दी, इसकी आज ही ऐसी कौनसी आवश्यकता आ पड़ी ? इन सब कारणों से हमें कुछ शंका पैदा होती है। आसन के प्रति कोई बात नहीं है। आज ही अखबार में आया कि जनता पार्टी के सदस्य स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे और आज ही आपकी यह व्यवस्था हो गयी है। अब भविष्य में स्थगन प्रस्तावों को आप चेम्बर में ही रिजेक्ट करेंगे। उसके बारे में माननीय सदस्य सदन में नहीं बोल सकेंगे, जबकि तीस साल की इस सदन में परम्परा रही है। इसलिये यह गलत होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार जनता पार्टी के निर्णय के बाद केवल विरोधी पक्ष को ही रह गया है। विरोधी पक्ष को भी

(श्री शंकरलाल)
अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वे भी जिम्मेदारी लेकर यहां पर आते हैं। अनेक महत्वपूर्ण मसले होते हैं, उनको स्थगन प्रस्तावों के जरिए सदन में उठाना चाहते हैं, तो उनको रिजेक्ट करने के साथ ही सदन में सदस्य को समय न दिया जाए तो गलत होगा और परम्परा के विपरीत होगा। मैं समझता हूं कि आपको इस पर पुर्नविचार करना चाहिए। सदन के नेता, मुख्य मंत्री-जी ने भी, जो पहले अपोजीशन में थे, काफी समय जीरो आवर का लिया है.....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना से मैं अवगत हो गया हूं।

श्री शंकरलाल : मेरा निवेदन है कि आप इसको गंभीरता से लें। आपकी यह घोषणा उचित प्रतीत नहीं होती है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर नियमों के अनुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाए तो उसको पढ़कर सुना दिया जाए और जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं उनके कारण भी विस्तारपूर्वक बताये जाने चाहिएं। नियम अलग हैं और परम्पराएं अलग हैं। परन्तु परम्पराएं नियमों के आधार पर होनी चाहिएं। फिर नियमों के होते हुए भी इस तरह की धांधली करना सदन का समय व्यर्थ करना है। हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहती हूं। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने रखा था उदयपुर के सम्बन्ध में.....

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में आप मुझसे मिल लें।

श्रीमती श्यामा कुमारी : मैं यह कहना चाहती हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले इस बारे में अपने सचिव से जानकारी ले लूं।

श्रीमती श्यामा कुमारी : मैं यह कहना चाहती हूं, निवेदन करना चाहती हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं जानकारी तो कर लूं। आप बैठिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर तीन-तीन बजे तक जीरो आवर चला है। अब तो पार्लियामेन्ट में भी यह जीरो आवर शुरू हो गया है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। स्ट्रिक्टली रूल्स के अनुसार तो नहीं चल सकते। माननीय मदनसिंहजी इस बात को नहीं जानते हैं। अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रस्ताव पर ही नही, कॉल अटेन्शन मोशन पर भी दस मिनट की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने हाल ही में दी है। कॉल अटेंशन मोशन सत्ता पक्ष से भी देते हैं और इधर से भी देते हैं। अध्यक्ष महोदय ने ही यह आदेश दिया है कि जब तक उस पर सूचना नहीं आती है तब तक जो भी विचार व्यक्त करना चाहें उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं और रिमाइण्ड कर सकते हैं कि सूचना आई है या नहीं। सदन में आपका इतना बहुमत है। सदन में जन-भावनाओं का आदर करना चाहिए। जो कन्वेंशन कई सालों से बराबर चला आ रहा है, माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं, चीफ व्हिप

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
बैठे हैं, मंत्रीजी बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, उनको चालू रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, आप जो कह रहे हैं, मैंने उन भावनाओं को समझ लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह व्यवस्था हो चुकी है, आप उसे उठाकर देख लें। इसी प्रकार से सदन में पहले भी स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करते थे। परन्तु अब तो सारी विधान सभाओं में ईवन पार्लियामेण्ट में भी यह परम्परा बन गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मशीनरी पर सरकार का कोई कण्ट्रोल नहीं है। यह सदन जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो सरकारी पक्ष में बैठे हैं उनको इसका पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सदन अच्छी तरह से अपना दायित्व निभा सके।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रूलिंग दी गई है उस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो फर्माया है, उसको उन्होंने अच्छी तरह से नहीं समझा है। अध्यक्ष महोदय ने समय-समय पर अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। आपने भी व्यवस्था पढ़कर सुनाई है। ऐसे स्थगन प्रस्ताव जो हाउस में स्वीकार नहीं किये जायें, उन पर माननीय सदस्यों को हाउस में थोड़े समय के लिए बोलने का अधिकार है, यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने दे रखी है। उसी को आपने रिपीट किया है। फिर आपको क्या असुविधा हो रही है। व्यवस्था वही है। उसी को रिपीट किया है। फिर क्या कारण है ?

श्री मूलचन्द डागा : उसी को चाहते हैं ? आप उपाध्यक्ष महोदय से कहला दीजिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप सुनिये ध्यान से।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने व राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसका स्पष्टीकरण किया है। क्या मैं यह मानकर चलूं कि आसन से जो व्यवस्था देते हैं, कि जो एडजोर्नमेण्ट मोशन और काल अटेंशन मोशन स्वीकार कर लेते हैं उन पर माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार रहेगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप अपनी बात कह लें।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले समय में इस पर एक कमेटी में विचार हुआ था। मैं समझता हूं माननीय सदस्य दस साल की बात कह रहे हैं, वह गलती कर रहे हैं। पिछले 15 साल से, एडजोर्नमेण्ट मोशन स्वीकार हो या अस्वीकार हो, माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार रहा है। इसके सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कोई व्यवस्था देना चाहते हैं तो उन्हें सभी दलों के माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करके व्यवस्था देनी चाहिए। जो 15 साल से व्यवस्था चली आ रही है;

Page No. 31

(श्री परसराम मदेरणा)

उसके प्रतिकूल व्यवस्था दी जाती है तो हमारे अधिकारों पर जबरदस्त कुठाराघात होगा। कई मुख्य प्रश्नों पर हम सदन में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, यह आवश्यक है....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, आप जो कह रहे हैं, वह मैं समझ चुका हूं। मेरी क्या भावना है, इस बारे में मैं अपने विचार बाद में व्यक्त करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही जटिल बन गया है। जटिल इस दृष्टि से कि नियमों में कुछ कहा है, और परम्परा कुछ कहती है। नियमों में एडजोर्नमेण्ट मोशन किस प्रकार से मूव किये जायें, किस प्रकार से विचार हो, इसका स्पष्ट प्रावधान है। हालांकि यह बात है कि नियमों के विपरीत इस सदन में कुछ इस प्रकार की परम्पराएं बन गई हैं जिनके कारण स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर चर्चा होती है। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा है कि हमारे अधिकारों पर भयंकर कुठाराघात हो रहा है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। दुःख इसलिए कि जब वह इधर बैठते थे तो इस व्यवस्था के विपरीत बोलते थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भाषा तो दोनों की बदली है।

श्री शंकरलाल : आप स्वयं भी इसी प्रकार बोलते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक भी एडजोर्नमेण्ट मोशन आप नहीं दिखा सकते हैं जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया हो और मैंने उस पर यह कहा हो कि मुझे बोलने का मौका दिया जाये। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका नहीं है लेकिन आपके लेफ्टिनेण्ट सतीशचन्द्र अग्रवाल रोजाना यही काम करते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं चाहूंगा कि लोकमहत्व के इश्यू पर डिबेट नहीं हो। मैं कहता हूं निश्चित रूप से होनी चाहिये। लेकिन कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। जो प्रश्न आपने उठाया है, उस पर जो आवश्यक व्यवस्था है वह हो। आप जो एडजोर्नमेण्ट मोशन की बात कर रहे हैं, अधिकारों पर कुठाराघात की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि जो प्रश्न आपने उठाया है, सरकार निश्चित रूप से उसका उत्तर दे सके। यह सारी व्यवस्था आवश्यक है। एक दिन में एक स्थगन प्रस्ताव से ज्यादा नहीं लिया जाता है। आप पालियामेण्ट की बात कर रहे हैं। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि एक एक दिन में छः-छः और सात-सात स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होती है। 10 बजे स्थगन प्रस्ताव दे दिया। उसके ऊपर हाउस में चर्चा होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बात कर लें और ऐसी व्यवस्था कर लें कि जो इम्पोर्टेण्ट इश्यू उठाया है, उसको सरकार काग्नीजेंस लेकर उत्तर दे सके और उसका समाधान हो जाये। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा खुद का अनुभव है, मैं कुछ साल पालियामेण्ट में रहा

Page No. 32

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
हूं जो चर्चा कॉल अटेंशन मोशन पर होती है, जिस विस्तार से चर्चा होती है, वह एडजोर्नमेण्ट मोशन के जरिये से नहीं होती है। आप एक बात को मानकर चलेंगे कि आज सदन की कार्यवाही सात दिन से चल रही है। सात दिन एडजोर्नमेण्ट मोशन यहां रखे गये हैं। तीन महीने पहले कोई घटना हो गई हो, उसके लिए एडजोर्नमेण्ट मोशन मूव किया जाय, या तीन महीने पहले कोई आदमी बीमार होकर मर गया उसके सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन अब रखा जाय, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं यह मानता हूं कि जितनी चर्चा यहां पर होगी उससे सरकार को जानकारी ही मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालने के लिए कहना चाहूंगा कि आप यह देखें, कितने गम्भीर मामले शून्य काल में आये और कितने प्रश्न उस समय उठाये गये या नहीं उठाये गये। मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय बहुत ही सीमित है। जिस तरह से लोकसभा में समय निश्चित है, 12 बजे तक क्वेश्चन आवर, 1 बजे तक जीरो आवर और एक बजे के बाद सामान्य बिजनेस होता है, उसी तरह से आप विचार-विमर्श करके छूट रख सकते हैं, लेकिन कोई समय तो निश्चित होना चाहिए। यह तय किया जा सकता है कि एक बजे बाद डिमाण्ड पर चर्चा होगी और फिर उसका उत्तर दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था आपस में बैठकर कर ली जाय। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय सबको बुला लेंगे और इस बारे में तय कर लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है, हम सब विचार-विमर्श करके तय कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा उसमें कोई आपत्तिजनक बात है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल।

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल है। समय का सदुपयोग हो, इस बात से मैं सहमत हूं। आप जब इस ओर बैठते थे तब एडजोर्नमेंट मोशन और कॉल अटेन्शन नोटिस पर तीन-तीन घंटे चर्चा होती थी। आज आप समय की बात कर रहे हैं। जो विषय लोकमहत्व के हैं उनके विषय में समय का हेर-फेर किया जा सकता है और जो भी आगे का बिजनेस है उसके बारे में समय निश्चित करके उसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है। किसी भी लोकमहत्व के विषय पर चर्चा करने का समय नहीं मिले और अन्य बिजनेस शुरू हो जाय यह ठीक नहीं होगा। डिमाण्ड आज ही पास करवानी हो तो ज्यादा देर भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में विचार-विमर्श करके कोई न कोई रास्ता निकाला जाना जरूरी है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह अर्ज कर दूं कि आज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विरोधी दल के नेता महोदय से....

श्री मूलचन्द डागा : मैं खड़ा हूं, आप नहीं बोल सकते। यह गलत तरीका है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं खड़ा हो गया हूं इसलिये अब आप नहीं बोल सकते।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता खड़े हों तो माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

Page No. 33

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन कृषि और पशुपालन की मांगें रखी गई हैं। इसकी रिपोर्ट आज मिली है,..

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य आप...

श्री मूलचन्द डागा : हमारे को रिपोर्ट 9 बजे मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप बाद में कहना।

श्री मूलचन्द डागा : दो दिन पहले आप रिपोर्ट दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात अभी मत बोलिये। अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य, विरोधी पक्ष के माननीय नेता और माननीय सदस्य मेरी भावना को गलत नहीं समझेंगे। यह व्यवस्था जो दी जा रही है वह सदन को सुचारु प से चलाने के लिये है जिससे कि माननीय सदस्यों के बोलने का अधिकार सुरक्षित रहे। इसमें जो ढील दी थी उससे कोई वंचित नहीं किया जा रहा है। इस बात को आप स्वयं भी मानते हैं कि बिजनेस कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं, उनके अन्दर जो उल्लेख है उसके अनुसार जो परम्परा चल रही है उसका निर्वाह नहीं हो सकता है। पूर्व में जितने भी अध्यक्ष पद से निर्णय लिये गये, उसका मेरे पास एक संकलन है, यह संकलन 67 से 75 तक का है। इसी सदन में एक बार व्यवस्था दी गई थी जो कि इस संकलन के पृष्ठ संख्या 39 पर दी गई है। मुझे जानकारी नहीं कि अगस्त, 1975 से आज तक विधान सभा की जो भी कार्यवाहियां हुई हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं क्योंकि आज तक का संकलन भी नहीं है। लेकिन जो रिकार्डेड संकलन है उसमें एक व्यवस्था दी हुई है वह विचारणीय है, वह मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा—

"जिन स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष ने निर्णय नहीं दिया है अथवा जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, उन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।"

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल ने कस्बा भुसावर (भरतपुर) में कब्रिस्तान की भूमि पर अलॉटमेंट के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। जब श्री गोयल उस पर बोलने लगे तो श्री अध्यक्ष ने कहा कि उन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी लेने के आदेश मैंने दिये हैं। परन्तु श्री गोयल फिर भी बोलते ही गये तो श्री अध्यक्ष ने कहा—

"....स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जब तक कि जानकारी प्राप्त न हो जावे और जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद वक्तव्य देने का आदेश न हो तब तक कोई उस पर वाद-विवाद नहीं होता है और यों भी स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद .... नहीं होता प्रश्न पूछे जाते हैं ......।"

तो मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि पूर्व में दी गई व्यवस्थाओं को देखते हुए इसमें कोई नई व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह विपरीत व्यवस्था है।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : श्रीमन्, मैं जानकारी देने के लिए निवेदन करूंगा।

(मेजर श्री फतहसिंह)

निर्णयों के जिस संकलन का आपने जिक्र किया है उस संकलन के पृष्ठ 57 में 'स्थगन प्रस्तावों की प्रक्रिया' का विस्तार से विवरण दिया गया है। 9-4-74 को तत्कालीन अध्यक्ष, मैं समझता हूं, श्री रामकिशोरजी व्यास थे उन्होंने एक बहुत विस्तृत व्यवस्था दी है। उसका अवलोकन करके श्रीमन् देखेंगे कि जो व्यवस्था दी गई है वह आज की व्यवस्था से अनुकूल है या नहीं। उसका मैंने अध्ययन किया है और उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है वह सदन की जानकारी के लिए आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहूंगा:

"भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य साधारणतया किसी भी दिन एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना नहीं देंगे, चाहे वह प्रस्ताव उनके द्वारा स्वयं उनके हस्ताक्षरों से हो अथवा अन्य किसी सदस्य के द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके। यदि किसी माननीय सदस्य ने किसी दिन एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी हो तो यह अध्यक्ष के विवेक पर ही रहेगा कि वे उसमें से किसी एक प्रस्ताव को विचारार्थ रखें।

यह आवश्यक नहीं होगा कि जितने स्थगन प्रस्तावों की सूचना अध्यक्ष को प्राप्त हो उन पर, सब पर सदन में व्यवस्था सुनाई जाय। जिन स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था नहीं सुनाई जाय उनके सम्बन्ध में सदन में सदस्यों को चर्चा करने का अधिकार नहीं होगा।

नियमों के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावों पर दी जाने वाली व्यवस्था के पश्चात् सदस्यों को उस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है किन्तु यदि अध्यक्ष चाहें तो किसी माननीय सदस्य को किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहने का अवसर दे सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजे जायं उन पर सदन में केवल एक ही दफा चर्चा उठाई जा सकती है। यदि राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजने सम्बन्धी व्यवस्था के समय माननीय सदस्य कोई चर्चा उठायेंगे तो बाद में उस प्रश्न पर सदन में कोई व्यवस्था नहीं सुनाई जावेगी।

अध्यक्ष को अधिकार होगा कि यदि वे उपयुक्त समझें तो किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।"

इस तरह की उन्होंने व्यवस्था दी थी।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, ठीक है।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं समझता हूं इसी के अनुरूप हम यदि चलें तो ठीक होगा।

श्री मूलचंद डागा : We agree.

मेजर श्री फतहसिंह : मैं क्षमा चाहता हूं। श्रीमन् ने जब व्यवस्था दी उस समय मैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त था, पूरी तरह से सुना नहीं लेकिन यह व्यवस्था पूर्ण रूप से पूर्ण है। इससे इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की भी रक्षा होगी, उसका यदि श्रीमन् अवलोकन कर सकें तो ......

श्री मूलचंद डागा : बिल्कुल ठीक है।

श्री शंकरलाल : हम भी यही चाहते हैं कि जो यह व्यवस्था अभी पढ़ी गई है उसके अनुसार बहस हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप विरोधी दल के नेता और दूसरे दलों के नेताओं जैसे सी०पी० आई० व सी०पी०एम० के नेताओंकोबुलाकर, बात करके निर्णय लीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो आपने व्यवस्था दी है, उसको पोस्टपोन रखें और इस पर पुनर्विचार करके सही व्यवस्था देने की कृपा करें नहीं तो इससे अव्यवस्था फैलेगी, जीरो आवर में बहुत ज्यादा अव्यवस्था होगी, आसन को कष्ठ उठाना पड़ेगा। जब तक इस पर पुनर्विचार न करें, अपनी व्यवस्था को स्थगित रखें।

मेजर श्री फतहसिंह : मेरी पढ़ी हुई व्यवस्था और श्रीमन् ने जो व्यवस्था दी है उसमें अंतर केवल यह है कि पहली व्यवस्था के अनुसार अगर स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर दिया जाता था तो उसकी सूचना सदन के प्रांगण पर दी जाया करती थी। श्रीमन् द्वारा दी गई व्यवस्था को मैं जैसे समझ पाया हूं और जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार स्थगन प्रस्ताव का रिजेक्शन चेम्बर में होगा। चेम्बर में न होकर उसकी सूचना यहां पर दी जाय। फिर अगर माननीय सदस्य ठीक समझें तो उसके लिये परश्यू करें आसन को और आसन ठीक समझें तो थोड़े समय के लिये बोलने का अवसर दे सकते हैं।

श्री मूलचंद डागा : हमारी यही मांग है।

श्री परसराम मदेरणा : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस व्यवस्था को यहां पढ़ कर सुनाया, हम उससे सौ फीसदी सहमत हैं। इस सदन के माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारी गोयल के स्थगन प्रस्ताव पर आसन की व्यवस्था जो आपके सामने रखी गई है वह 1974 की है। अतः भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके उद्धरण अभी पढ़कर सदन में प्रस्तुत किये उस व्यवस्था के अनुरूप ही सदन में प्रक्रिया रहनी चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सदन में पानी बिलोना ठीक नहीं है, इससे घी नहीं निकलेगा। ये बहुत ज्यादा समय नष्ट करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप हमारे अधिकारों की रक्षा करने को तैयार नहीं हैं।

श्री एच० एन० शर्मा : सदन में सभी के अधिकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावना है कि जो व्यवस्था सम्बन्धी उद्धरण मेजर साहब ने सुनाया है और जो व्यवस्था आज दी गई है, मैं समझता हूं यह उसी भावना के अनुरूप है। अगर उनके विचारों से बिल्कुल मेज नहीं खाती है तो मैं उनसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में बिल्कुल ओपन माइन्डेड हूं। मैं इसका इन्टरप्रिटेशन, जो पहले की व्यवस्था है, उन्हीं के ढंग से करूंगा जिससे अपोजीशन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कल परसों जो भी कन्वीनियेंट टाइम संबद्ध नेताओं को हो, मुझसे चम्बर में प्रातः 10 बजे मिल लें या सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद में मिल लें। जो कन्वीनियेट समय हो वह मुझे कन्वे कर दें। मैं सभी संबद्ध पक्षों को बुलाकर इस सम्बन्ध में विचार करूंगा। अगर कोई व्यवस्था पहले वाली व्यवस्थाओं से मेज नहीं खाती है या माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो उस पर पुनः व्यवस्था की जाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : हम यही चाहते हैं।

Page No. 36

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नैनवा, जिला बूंदी में दिनांक 18-8-77 को पुलिस द्वारा छात्रों एवं जनता पर लाठी चार्ज व एक 12 वर्षीय बालक को तालाब में फैंकने से हुई मृत्यु

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट आइटम। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री माणक लाल ठाकोर, सदस्य विधान सभा कस्बा नैनवा, जिला बूंदी में दिनांक 19 अगस्त, 1977 को पुलिस द्वारा छात्रों एवं जनता पर लाठी चार्ज व एक 12 वर्षीय बालक की तालाब में फैंकने से हुई मृत्यु से सम्बधित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है, ने डिबेट के समय विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है जिसका उत्तर गृह मंत्री देंगे। उसके बाद जो आज की कार्य सूची है उसको देखते हुए कम से कम समय लें। मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अपना वक्तव्य दें।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : दिनांक 18 अगस्त को करीब 200–250 विद्यार्थियों व कुछ अध्यापकों को लेकर प्रधानाध्यापक श्री रतनलाल कालिया, तलवास पिकनिक के लिए गये। लौटते समय प्रधानाध्यापक कुछ विद्यार्थियों को लेकर देई के माध्यमिक विद्यालय में रुके और देई व नैनवा के विद्यार्थियों के बीच में एक कबड्डी के मैच के लिए कहा। इसमें पॉइंट्स को लेकर छात्रों विवाद हो गया। यह झगड़ा शान्त होने की स्थिति आ में गया था और नैनवा के विद्यार्थियों ने अपने तीन ट्रकों पर चढ़ना शुरू कर दिया था। तभी ऐसा मालूम होता है कि देई के कुछ विद्यार्थियों ने उन्हें चिढ़ाया। इससे नैनवा के विद्यार्थी उत्तेजित हो गये। नैनवा के प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को शान्त करने के बजाय देई के छात्रों से बदला लेने के लिए उकसाया। यह घटना करीब शाम के 5,30 बजे घटी। नैनवा के विद्यार्थी जो ट्रकों पर चढ़ गये थे, वापस उतरे और देई के विद्यार्थियों का पीछा किया। देई के काफी विद्यार्थियों के साथ मारपीट की व वहाँ के निवासियों को भी चोटें पहुंचाई। कई लोगों के मामूली चोटें आई और 10-12 लोगों को अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए जाना पड़ा। इसी दरमियान देई के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस स्टेशन, जहाँ पर नैनवा के विद्यार्थी पहुंच गये थे, घेर लिया। देई के लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर बढ़ती गई। नैनवा के प्रधानाध्यापक पुलिस स्टेशन के पिछले दरवाजे से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में चले गए थे, क्योंकि उनके कुछ विद्यार्थियों को चोटें आई थीं। जब भीड़ को यह मालूम हुआ तो भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया।

अस्पताल के चारों तरफ उस समय काफी भीड़ हो चुकी थी। सी० ओ० नैनवा यह सूचना मिलने पर थानेदार नैनवा को लेकर देई पहुंचे। भीड़ प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी की माँग कर रही थी। भीड़ की तादाद व उसके व्यवहार को देखकर सी० ओ० ने प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। अस्पताल के चारों तरफ भीड़ पत्थर फक रही थी। अस्पताल की

(श्री केदारनाथ)

खिड़कियाँ तोड़ दी गई। सी० ओ० प्रधानाध्यापक को हथकड़ी लगाकर अस्पताल से पुलिस थाने में ज्यादा सुरक्षित समझ कर ले आये। भीड़ अस्पताल से पुलिस स्टेशन की तरफ आ गई और नैनवा के लड़कों को गिरफ्तार करने की माँग करने लगी। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, बूंदी व डी-वाई० एस० पी०, बूंदी वगैरह पुलिस की जीप लेकर देई पहुंचे। रात को करीब 3 बजे भीड़ ने बसों को रोकना शुरू कर दिया और पत्थर मारे। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने देई के थानेदार को अश्रुगैस छोड़ने के आदेश दिये जिस पर अश्रुगैस छोड़ी गई। भीड़ के तितर-बितर होने पर नैनवा के छात्रों व अध्यापकों को बसों से नैनवा रवाना कर दिया। प्रधानाध्यापक नैनवा को उनके गिरफ्तार कर लिये जाने के कारण देई पर ही रोक लिया गया।

देई से छात्रों व अध्यापकों के नैनवा पहुंचने पर नैनवा ग्रामवासी प्रधानाध्यापक को न पाकर और भी उत्तेजित हो गये। स्थिति की गंभीरता को देखते हुये प्रधानाध्यापक को मुचलके पर छोड़ा जाकर नैनवा रवाना कर दिया।

दिनांक 19-8-77 को प्रातःकाल नैनवा की भीड़ ने सी० ओ० के कार्यालय को घेर लिया और उसके कार्यालय में घुस कर तोड़-फोड़ की। सी० ओ० नैनवा को डी-वाई० एस० पी० ने पीछे रोक लिया था। अतः सी०ओ०, बूंदी, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी कुछ पुलिस फोर्स को लेकर देई से नैनवा पहुंचे। नैनवा के पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के पहले उनको एक भीड़ मिली जो सी० ओ०, नैनवा के खिलाफ नारे लगा रही थी और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। उन्होंने भीड़ को शान्त कर दिया। भीड़ एस० डी० एम० कोर्ट की तरफ चली गई। इसके बाद अधिकारी, सी० ओ० के कार्यालय में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। उनकी वापसी पर करीब 400-500 व्यक्तियों, जिनमें अधिकतर विद्यार्थी व युवक थे, ने उन्हें घेर लिया। जीप के टायरों की हवा निकाल दी व जीप की सीटों में आग लगाने का प्रयास किया। थानेदार देई के साथ भी मारपीट की। एस० डी० ओ० का निवास स्थान नजदीक था, इसलिए भीड़ से बचने के लिए ये अधिकारी एस० डी० ओ० के निवास स्थान पहुंच गये जो कि ऊंचाई पर है। थानेदार देई श्री फतेहसिंह के गंभीर चोटें आई।

एस० डी० ओ०, नैनवा मौके पर पहुंचे। भीड़ एस० डी० ओ० के बंगले के सामने सड़क पर थी और अधिकारियों व पुलिस पर पत्थर फक रही थी। एस० डी० ओ० ने अश्रुगैस छोड़ने की आज्ञा दी जिस पर अश्रुगैस छोड़ी गई। एस० डी० ओ० के बंगले के सामने उत्तर की तरफ कुछ दुकानें हैं और उनके पीछे एक तालाब है। ऐसा लगता है कि अश्रुगैस छोड़ने की वजह से और बाद में कुछ लाठी-चार्ज की वजह से भीड़ तितर-बितर हो गई।

बाद में पता चला कि एक बारह वर्ष का लड़का मिलापचंद अपने घर नहीं पहुंचा और करीब 7.30 बजे शाम पुलिस स्टेशन पर यह सूचना मिली। लड़के की लाश दूसरे दिन सुबह मिली। राज्य सरकार को अत्यन्त दुःख हुआ।

राज्य सरकार ने एक सब-इन्सपैक्टर व एक असिस्टेंट सब-इन्सपैक्टर को मुअत्तल

(श्री केदारनाथ)

किया है व सी०ओ०, नैनवा के स्थानान्तरण के आदेश दे दिए हैं। पूरे मामले की जांच कराई गई है। यह मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री माणकलाल (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के दौरान मैंने इस संबंध में सभी बातें सदन के सामने पेश कर दी थीं। सभी बातें स्पष्टरूप से निवेदन कर देने के बाद अभी जब मैंने गृह मन्त्रीजी का नैनवा हत्याकांड के बारे में वक्तव्य सुना तो मुझे उसको सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खेद भी हुआ। इसका कारण यह है कि जनता पार्टी के नेताओं ने और नैनवा की जनता ने वहां पर जो संघर्ष समिति बनायी है इस काण्ड के लिये उसने जो राज्य सरकार को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में जो आरोप लगायें गये हैं उनके सम्बन्ध में, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है, एक भी शब्द गृह मन्त्रीजी द्वारा नहीं कहा गया है। जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा बनायी गयी है, सिर्फ पुलिस ने अपने को बचाने के लिये ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसमें पुलिस ने अपने आपको बेगुनाह बताने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने अपने को बचाने के लिये दिनांक 18-8-77 से लेकर आज की तारीख तक अपने फेवर में ऐसे डिफेन्सेज रचे हैं, ऐसे व्यूह की रचना कर दी है जिससे उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। पुलिस ने गलत तथ्य पेश किये हैं और पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ गलत मुकदमे बना लिये हैं। आपने जो तथ्य मांगे हैं, जो रिपोर्ट मांगी है वह आपने स्टेटमेंट के लिये पुलिस के एस० पी० से मांगी। पुलिस एस०पी० ने होम कमिश्नर साहब को रिपोर्ट दी। जो रिपोर्ट वहां से आयी वह डिटो गृह मन्त्रीजी ने हाउस में पढ़ दी। मैं समझता हूं कि उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की खोजबीन नहीं की। मैं समझता हूं कि अगर राज्य सरकार पिछली सरकार की तरह उन अधिकारियों के द्वारा दी हुई रिपोर्ट को सदन में पेश करती है जिनके खिलाफ में ज्ञापन दिया गया है तो मैं समझता हूं कि यह गलत परम्परा होगी, इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज जब कभी कहीं पर लाठीचार्ज होता है या गोलीकाण्ड होता है तो वह पुलिस के द्वारा होता है। जब पुलिस गोलीकाण्ड करती है या अश्रुगैस छोड़ती है तो यह स्वाभाविक है कि पुलिस अपने को बचाने के लिये मनगढ़न्त तथ्य पेश करेगी। वह अपना बचाव करना चाहेगी। अगर सरकार उन्हीं की रिपोर्ट को सही मानले, उन्हीं के कृत्यों को सही मानले या उनका समर्थन कर दे तो मैं समझता हूं यह एक गलत परम्परा होगी। इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और जो दोषी लोग हैं उन्हें सजा भी नहीं मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह न केवल एक गलत परम्परा होगी बल्कि मैं समझता हूं यह एक बहुत ही खेद का विषय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे जघन्य हत्याकाण्ड के लिये मैं पहले ही सदन में सभी माननीय सदस्यों को बता चुका हूं। अब चूंकि उपाध्यक्ष महोदय ने वैसे भी आदेश दिये हैं कि समय कम है तो मैं उन्हीं बातों को वापस दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे हत्याकाण्ड के लिये मुख्य मंत्रीजी को, गृह मन्त्रीजी को बून्दी के समस्त जनता पार्टी

(श्री माणकलाल)

के विधायकों ने कई बार निवेदन किया और ज्ञापन भी दिया। उनसे यह मांग की है कि इस सारे काण्ड की न्यायिक जांच होनी चाहिये और दोषी पुलिस अधिकारियों को इस हत्याकाण्ड के लिये दण्ड दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने निहत्थी जनता पर लाठीचार्ज किया। एक बच्चे को उठाकर तालाब में फेंक दिया और वह बच्चा मर गया। आपने जो रिपोर्ट दी है वह सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट है। मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने पुलिस पर खुला चार्ज लगाया है लेकिन मुझे दुःख है कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, कोई निर्णय नहीं लिया है। हो सकता है कि वह कोई जांच करे और जांच में वह तथ्य आ जावें जो कि पुलिस ने नहीं दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे, निहत्थे थे, उन पर लाठीचार्ज किया है और एक बच्चे की हत्या की गयी है। डी-वाई० एस० पी०, बून्दी ने देई में लाठीचार्ज करवाया है और डी-वाई० एस० पी०, नैनवा ने लाठी चार्ज करवाया है। वह मुख्य दोषी हैं जिनके कि आदेश से यह सारा काण्ड हुआ है। आपने उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, एक हत्या हुई है यह मामला सारा विवादास्पद है। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक उच्चस्तरीय हाई कोर्ट जज से इस सारे काण्ड की न्यायिक जांच कराइये। उस जज के, न्यायिक जांच के जो भी फैसले हमारे सामने आयेंगे उन नतीजों को हम नतमस्तक होकर मानेंगे।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब लाठीचार्ज हुआ उस समय वहां पर सबसे बड़ा अधिकारी जो था वह था डी-वाई० एस० पी०, बून्दी मिस्टर गोयल, वह घटनास्थल पर मौजूद था। उपाध्यक्ष महोदय, जब लाठीचार्ज या गोली का आदेश दिया जाता है तो बड़े अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। नीचे वाले अधिकारी उसके अधीनस्थ होते हैं और उसकी अनुमति से ही लाठीचार्ज करते हैं। तो आपने डी-वाई० एस० पी०, बून्दी मिस्टर गोयल के खिलाफ में क्या एक्शन लिया? अभी तक जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई है वह 26 की है। लोगों के एक-एक के 20 जगह चोटें आई हैं और एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सारे के सारे काण्ड के लिये जिम्मेदार डी-वाई० एस०पी०, बून्दी मिस्टर गोयल हैं उनको सस्पैन्ड क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा देई में जो काण्ड हुआ,जो लाठी-चार्ज हुआ उसके लिये जिम्मेदारी होनी चाहिये डी-वाई० एस० पी०, नैनवा श्री योगेश्वरलाल की आपने उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। इन दोनों डी-वाई० एस० पी०, मिस्टर गोयल और योगेश्वर कलाल को तुरन्त सस्पैन्ड किया जाना चाहिये था। राज्य सरकार ने यह बात मान ली है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्राईमा फेसी केस बन जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ में तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिये। ऐसा डिसीजन है और उसी के आधार पर आपने सब-इन्सपैक्टर और असिस्टेन्ट सब-इन्सपैक्टर के खिलाफ में एक्शन लिया है, उन्हें आपने निलम्बित किया है। तो क्या कारण है कि आपने इन छोटे कर्मचारियों के खिलाफ में ही एक्शन लिया? आपने उन बड़े अधिकारियों को संरक्षण क्यों दिया है जो कि असली दोषी

(श्री माणकलाल)

हैं ? समाजवाद में सभी बराबर हैं तो छोटे कर्मचारियों के खिलाफ में एक्शन लेना और बड़े अधिकारियों को निलम्बित नहीं करना और उन्हें बचाने का प्रयास करना मैं समझता हूं उचित नहीं है।

तीसरी बात जो है वह यह है कि मैं यहां पर सभी सदन के माननीय सदस्यों और मुख्य मंत्रीजी तथा होम मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस बच्चे की हत्या हुई है गुलाबचन्द की वह बच्चा अपने पिता का एकमात्र पुत्र था। उसके सिर्फ चार ही बहनें हैं। वह बच्चा अब स्वर्गवासी हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुलाबचन्द का पिता श्री नाथूलाल एक गरीब व्यक्ति है और उसने अपनी नसबन्दी करा रखी है। इस बच्चे के मर जाने से उसके घर का दीपक हमेशा-हमेशा के लिये बुझ गया है। उसके चाचा वगैरह के भी कोई लड़का नहीं है। एक साधारण परिवार होने के नाते, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार मदद करे। वह एक साधारण परिवार का आदमी है दस रुपये रोज की सेवें बनाता है। उसको बेच कर दो ढाई रुपये रोज की मजदूरी कमा कर अपना व अपने परिवार का पेट पालता है। इन परिस्थितियों का देखते हुए मैं मुख्य मन्त्रीजी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से यह मांग करूंगा कि राज्य सरकार उसको अच्छा मुआवजा दे। मैं समझता हूं कि आज ही राज्य सरकार इस बात की घोषणा करे कि मृत बच्चे के बाप को कितना मुआवजा दिया जायेगा। इस प्रकार की मेरी यह मांग है जो कि न्यायपूर्ण है।

इसके साथ ही दूसरी मांग यह है कि बड़े अधिकारियों नैनवा और बूंदी के डी-वाई० एस० पी० को निलम्बित करें। बड़े अधिकारी, जिनकी सूची माननीय मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन के द्वारा दी गयी है, को ट्रान्सफर किया जाय और उनको बूंदी में न रखा जाय जब तक कि यह कार्यवाही चले। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करायी जाय और जो बच्चा मरा है उसके पिता श्री नाथूलाल को पर्याप्त मुआवजा दिया जाय। दोनों पक्षों में विवाद है। ज्यादा अच्छा तो यह होता कि दोनों ही पक्ष की बात माननीय गृह मंत्रीजी कहते। शायद उनकी विशेष परिस्थितियां रही हों।

अन्त में यह बात कहते हुए स्थान ग्रहण करता हूं कि यह घटना हो गयी है और घटना हो जाने के बाद पुलिस की जो कुछ भी रिपोर्ट आई उसी को सरकार ने सही रिपोर्ट मान लिया। मैं केवल इतनी-सी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अभी हम एक तानाशाही से गुजर चुके हैं, इन्दिरा तानाशाही से, जिसको हमने समाप्त किया, बलिदानों से समाप्त किया, हमारा भी उसमें सहयोग रहा है हमने यातनाएं सही हैं। जनता पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने तानाशाही का मुकाबला किया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक तानाशाही तो समाप्त कर दी है लेकिन अभी नौकरशाही की जो तानाशाही है वह राजस्थान में छायी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उसी प्रश्न को बार-बार न उठायें।

श्री माणकलाल : ... कि इसको केवल नैनवा का प्रश्न समझ कर ही इसकी जांच नहीं की गयी, तो यह नौकरशाही की

(श्री माणकलाल)

तानाशाही एक दिन गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को चटनी बना कर हजम कर जावेगी । यह केवल मैं नैनवा के लिये ही नहीं कहता हूं । मैंने मानवता की दृष्टि से जो कुछ भी मांग माननीय गृह मंत्रीजी के सामने रखी है मुझे आशा है कि उसको मंजूर करने की कृपा करेंगे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया .. .. —

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ढाबरियाजी को बोलने दीजिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनके वक्तव्य से यह बात बिल्कुल जाहिर हो जाती है कि पुलिस के द्वारा ज्यादती हुई है उसके कारण दो छोटे अधिकारियों को सस्पेन्ड किया है । अभी ठाकुर साहब ने डिमाण्ड रखी है कि इस सारे काण्ड की जांच कराई जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि पूरा सदन ठाकुर साहब के विचारों के साथ है । माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी से खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की यह पूरी सैद्धान्तिक बात है कि जब तक सामने वाला हथियार न ले पुलिस को हथियार और लाठी काम में नहीं लेनी चाहिये । घटना का ही सवाल नहीं है, एक बालक की मौत का भी सवाल है । मेरा निवेदन है कि इस बात पर स्थगन प्रस्ताव एडमिट किया जाता और दूसरी कार्यवाही को रोक कर उस स्थगन प्रस्ताव पर हाउस में विचार किया जाता तो अच्छा होता और तत्काल सारा मामला सामने आ जाता । लेकिन हाउस में उसको एडमिट करने के बाद उस पर विचार नहीं किया गया और आज यह काल अटेन्शन मोशन के रूप में यहां आया है । हमारा भी अनुभव रहा है कि सरकार का आदमी गलती करता है तो सरकार का बड़ा अधिकारी उस सरकारी अधिकारी को बचाता है और मंत्री महोदय के सामने मामला उसी रूप में आता है । अपनी गलतियां अधिकारियों ने सरकार के सामने लाने की कोशिश नहीं की । मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी खुद समाजवादी रहे हैं, लोहियाजी के सिद्धान्त उनके सामने हैं, उनको सारे तथ्य सामने रख कर सदन के अन्दर जांच कराने की घोषणा करनी चाहिये । पहले सदन के चार सदस्य जाकर सारे मामले की जांच करें और जो भी तथ्य व आंकड़े दें उनके आधार पर ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो । मेरा निवेदन है कि जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस के और दूसरे, उनको तत्काल वहां से हटा देना चाहिये, और कम से कम दस हजार रुपया लड़के के पिता को मुआवजे के रूप में देने की इस सदन में तुरन्त घोषणा करनी चाहिये । एक बच्चे की मृत्यु के सवाल को मामूली समझ कर डिले करके खत्म कर देने से, जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा, दोषी बरी हो जावेंगे और उन लोगों को इस प्रकार से अधिकारों को प्रयोग में लाने की खुली छुट हो जावेगी । उन्होंने अपनी इस प्रकार की एक आदत डाल रखी है । इसलिये उनको सबक देने के लिये गृह मंत्रीजी सारी छानबीन करावें । ज्युडिशियल इन्क्वायरी बिठायें और तत्काल जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको वहां से हटायें और दस हजार रुपया लड़के के पिता को दें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय,........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी समय मिलेगा।

श्री ज्योतिसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ने और नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार रखे। वे एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। इस बात की हैरानी हुई कि सरकारी पक्ष ने घटना का विवरण तो दे दिया कि किस प्रकार से घटना हुई लेकिन पुलिस ने इस प्रकार की बात बतायी कि बच्चा डूब कर मरा। क्यों मरा? क्या चोट के निशान थे? इस बात को बिलकुल अन्धेरे में रखा। यह महत्वपूर्ण बात थी। इस घटना में उसको टच नहीं किया।

दूसरी सिद्धान्त की बात कही। पिछले तीन सालों में जो शिकायतें रही हैं, जितने भी लाठी चार्ज हुए हैं, गोलियां चली हैं, मृत्यु हुई हैं, दुर्घटनायें हुई हैं उनकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग, हाई कोर्ट जज द्वारा इन्क्वायरी की मांग की और उसके द्वारा लोगों के गुस्से को ठंडा कर दिया। इस प्रकार की इन्क्वायरी से लोगों के गुस्से को धीरे-धीरे ठंडा करते हैं और ऑफिसर्स की रिपोर्ट में सारे मामले को दबा दिया जाता है। जनता पार्टी से मैं चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि विरोधी पार्टी के और सत्ताधारी पार्टी के लोग, माननीय सदस्य यहां बैठते हैं, वे इस तरह के मामले उठाते हैं उनके बारे में एक सिद्धान्त तय कर देना चाहिये। न्यायिक जांच के बजाय सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी के द्वारा की गई जांच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बनिस्पत उन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के इस सदन के पांच आदमियों की कमेटी का निर्माण किया जाय उसमें विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों को लिया जाय। वह यह जांच करें कि दोनों में से कौनसी बात सही है। जो गुनाहगार हैं, जिनकी गलती की वजह से, लापरवाही से यह घटना हुई उसकी जनता के प्रतिनिधि जांच करें। ज्युडिशियल इन्क्वायरी का मतलब एक लम्बा प्रोसेस हो जावेगा। विरोधी पक्ष में बैठ कर देखा है। गोलियां बहुत चलीं, इन्क्वायरी हुई और लीपा पोती हो गयी। न तो मारने वाले को दण्ड दिया और न ही जनता को न्याय दिया। इसलिये एक कमेटी के निर्माण का एलॉन किया जाय जो कि यह डिसीजन भी ले कि बच्चे के पिता को मुआवजा दिया जाय। यह जल्दी न्याय दिलाने का आसान तरीका है जो कि हमारे सामने है और यह परिपाटी डालनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

श्री माणकलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक कमेटी बैठाई जाये या न्यायिक जांच बैठाई जाये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवा में काफी विवाद के बाद संघर्ष समिति बनी है। बूंदी जिले की जनता पार्टी ने राय प्रकट की है और उसकी मांग यह है कि इस संबंध में न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह मांग बहुत ही सोच समझ के बाद की है। इसमें देर लग सकती है या क्या हो सकता है यह सबने सोचकर निर्णय किया है।

एक बात यह कि हमारे कितने ही विधान सभा के सदस्य घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार के सामने रखी है। वहां पर बूंदी जिले के विधायक भी गये हैं और दूसरे भी गये हैं। उन्होंने इस संबंध में जांच करके सरकार को कहा है। जहां तक विधायकों

(श्री माणकलाल)
की जांच समिति का सवाल है मेरा ख्याल है कि जांच बिलकुल निष्पक्ष होगी लेकिन साथ ही दूसरा पक्ष भी है

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायिक जांच की मांग का सवाल नहीं है। उनका एक सुझाव है। इस पर विवाद नहीं होगा।

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य सूची को देखते हुए इस पर ज्यादा लम्बा विवाद उचित नहीं होगा। अगर कोई बहुत ही उत्सुक हों और नयी बात रखना चाहते हैं और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो दो दो मिनट का सब को समय दे दूंगा।

श्री माथुर साहब !

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के दूसरे दिन मैं बूंदी में था। मुझे नैनवा जाने की दावत भी दी गयी थी लेकिन इस कारण कि वहां पर बहुत तनाव था और मैं तनाव में वृद्धि नहीं करना चाहता था इसलिए वहां नहीं गया। वहां से आने वाले माननीय सदस्यों से, जो चाहे जनता पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों और वहां के नागरिकों से इस बारे में बहुत चर्चा की थी। इसलिए मैं अपनी जानकारी के आधार पर गृह मंत्रीजी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

गृह मंत्रीजी ने अपने बयान में इस बात को कबूल किया है कि बच्चे की मृत्यु हुई। उन्होंने इस बात को भी कबूल किया है कि पानी में वह बच्चा गिर गया और उसके बाद में लाश निकाली। उन्होंने अपने बयान में मेडिकल रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया। यह बात जुदा है कि बच्चे की मृत्यु लाठी लगने से हुई या और किसी कारण से हुई। और फिर उसको वहां धकेल दिया गया। लेकिन यह बात सत्य है कि पुलिस के अश्रु-गैस और लाठी चार्ज के कारण बच्चा मजबूरन पानी में, तालाब में गिर गया। उसको जिन्दा नहीं निकलने दिया गया और बच्चा वहां मरा। यह भी बात गृह मंत्रीजी ने कबूल की है। पुलिस के सब-इन्सपैक्टर को मुअत्तल करके उन्होंने इस बात को मन्जूर किया है कि पुलिस का हाथ बच्चे की मृत्यु में है। यह दो बातें मन्जूर करने के बाद में अब प्रश्न सिर्फ इतना ही रह जाता है गोया कि पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी, जिनकी चर्चा इस सदन में कई बार की, इन्क्वायरी में आड़े आयेंगे और उनके वहां बने रहने के कारण केस पर असर पड़ेगा। उनके बारे में क्या व्यवस्था की जायेगी। क्या ऐसे मामले की तफ-सीश पुलिस से कराई जाये जिसमें पुलिस के अधिकारी ही इन्वाल्ड हों ? मुझे खेद है, गृह मंत्रीजी, पुलिस बनाम जनता, जनता पार्टी नहीं जनता पुलिस बनाम जनता और जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां भी शामिल हों, यह मुकद्दमा बन गया है इसलिए आज के दिन सदन में इस ओर और उस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों का एकमत है। हमारी यह मान्यता है कि पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी मौजूद थे। उनके ही हुक्म से यह काम हुआ है। उनको बचायें और छोटे अधिकारियों को फसायें यह शोभा की बात नहीं है। इससे यह होगा कि फिर छोटे अधिकारी आपका कहना नहीं मानेंगे। इसलिये जैसी कि नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की है कि इसकी ज्युडिशियल जांच डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

के जज, जो आजकल बहुत हो गये हैं, किसी से भी कराई जाये नहीं तो आप वहां की जनता को सन्तोष नहीं दिला सकेंगे।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : बच्चे का पक्ष कौन लेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : ज्युडिशियल इन्क्वायरी के बाद जो रिजल्ट निकलेगा कानून के आधार पर चालान होगा और मुकद्दमा चलेगा।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : ज्युडिशियल इन्क्वायरी के दौरान क्या बच्चे का पक्ष रखने वाला कोई आदमी है ?

श्री मथुरादास माथुर : वहां की जनता और मुख्तलिफ पार्टीज हैं। वहां पर संघर्ष समिति बनाई गई हैं और वह उस बच्चे का पक्ष रखेगी। इसलिए मैं जानना चाहूंगा, क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार है कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराई जाये ? साथ ही अधिकारियों को वहां से हटाने का इन्तजाम कर सकती है ? तीसरी बात बच्चे के माता-पिता को क्या सुविधा दे सकते हैं ? इसका निर्णय दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों ही शर्मा हैं जो भी सीनियर हो वह बोल लें।

श्री रामकिशन दास (कोलायत) : मैं शुरू से खड़ा हो रहा हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : दोनों की लड़ाई में मुझे बोलने का मौका दे दिया जाये।

श्री रामकिशन दास : उपाध्यक्ष महोदय, मसला बहुत गम्भीर है और कौन पहले बोले, कौन बाद में बोले इस विषय में हम जो हंसी मजाक कर रहे हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि उत्तरी भारत में जनता शासन के आने के बाद पहली मौत और वह भी पुलिस के हाथों यह हुई हैं। मैं जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी इस शर्मनाक घटना से बहुत दुःखी हूं और बहुत ही पीड़ित हूं। पिछले तीस साल के कांग्रेस शासन में कांग्रेस के हाथ कईयों के खून से रंगे हुए हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आपको कोई गृह मंत्रीजी से पूछना है तो पूछ लें।

श्री रामकिशन दास : यही कह रहा हूं। कांग्रेस शासन में कांग्रेस के हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे हुए हैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि आपको दो मिनट का समय मिला है। भूमिका बांधने में लग जायेंगे तो मुझे विवश होकर दूसरे माननीय सदस्य को मौका देना पड़ेगा।

श्री रामकिशन दास : आज जो गृह मंत्री हैं वह जब विरोधी पक्ष में थे तो स्वयं मांग किया करते थे कि जांच की जाय। आज वह क्यों खामोश हैं ? जब सत्ता इनके पास है और यह पुलिस इनकी एजेन्सी है तो पुलिस के हर कर्त्तव्य के लिए यह जिम्मेदार हैं। मैं चाहूंगा कि आज जनता सरकार अपने को निर्दोष घोषित करें और ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराई जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात दूसरे वक्ताओं ने जाहिर कर दी है। नई बात आप कोई नहीं कह रहे हैं।

श्री रामकिशन दास : आज ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं आई० जी० लेवल के और गृह सचिव वह हमारे गृह मंत्री पर दवाव डाल रहे हैं कि अगर न्यायिक जाँच की तो पुलिस पर जिम्मेदारी आयेगी। दोषियों को दण्डित नहीं किया गया तो राजस्थान की जनता के मानस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि पुलिस महकमे की पपेट न बनकर गृह मंत्री अपने विवेक से काम लें। कहीं ऐसा न हो कि एक मौत की जाँच के लिये कई मौतों की जाँच करनी पड़ जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलालजी।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सिद्धांत का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं और व्यवस्था चाहता हूं। एक माननीय सदस्य एक घटना का ब्यौरा देता है तो मंत्री अपनी पुलिस की रिपोर्ट पर अधिक भरोसा करता है और अपने सदन के सदस्य की बात पर कम। इसलिये यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जनता द्वारा चुना हुआ जन-प्रतिनिधि, एक लाख का प्रतिनिधि, जब एक बात कहता है तो उसको सही मानें या जो ऑफिसर कहता हैं उसको सही मानें? दृष्टिकोण का फर्क है। आफिसर जो कुछ भी रिपोर्ट देता है उसको प्रमाण पेश करना होगा। सदस्य की बात को सही मानना चाहिये।

दूसरी बात श्री श्योपतसिंहजी ने जैसा कहा जब भी कभी ऐसा महत्वपूर्ण मामला आवे, इस हाउस के सदस्यों की कमेटी बने उसकी जाँच के लिये। जैसे बंसीलाल के अत्याचारों की बात हुई, मुजफ्फर नगर का मामला हुआ फैमिली प्लानिंग का, उसमें लोकसभा के सदस्यों की कमेटी बनी। वह जांच करे कि वाकई दोष किसका है? इसलिये सभी दलों के नेताओं से बात करके आप स्वयं एक कमेटी का निर्माण करें और उसमें सभी दलों के सदस्य लें। उसके सामने पुलिस का भी पक्ष आये और जनता का भी पक्ष आये। उस कमेटी से एक निश्चित अवधि में रिपोर्ट मांगें। उस कमेटी की रिपोर्ट में स्थिति सही तरीके से सामने आयेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप तय करें कि जो भी लोक महत्व का प्रश्न हो, जिस पर सदन में चर्चा हो, उसके लिए सदन के सभी दलों के प्रतिनिधि कमेटी में हों। वह कमेटी जाँच करे और उसकी जो रिपोर्ट आये उसको सरकार माने। उसमें जो भी दोषी हो, उसे दण्डित करे।

तीसरी बात, जो माननीय माथुर साहब ने कही, उसका समर्थन करना चाहता हूं। जब कहीं किसी की गलती होती है तो छोटे कर्मचारी को दण्डित किया जाता है। बड़े-बड़े आफ़िसर तो जैसे भगवान को छू कर आये हों, गलती करते ही नहीं। परम्परा यह है रेल टकरा गई तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। एल०आई०सी० में मूंदड़ाकाण्ड हुआ तो वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। यहाँ हालत यह है कि एक छोटा बच्चा, जो कल मोरारजी बन सकता था, अटल बिहारी वाजपेयी बन सकता था, की निर्मम हत्या हुई, उसमें एस०पी० तक को लाईबल नहीं मानते, डी-वाई०एस०पी० को सस्पेंड नहीं किया गया? मेरी इस बात पर गृह मंत्रीजी रोशनी डालें

(श्री बंजरंगलाल शर्मा)

कि आपके काम करने का दर्शन क्या है ? मुद्दा इस बात का है कि जन-प्रतिनिधि अधिक विश्वसनीय हैं या नौकरशाही द्वारा दी गई रिपोर्ट पर गृह मंत्रीजी बयान देते हैं वह अधिक विश्वसनीय है ? इस संबंध में आप समुचित व्यवस्था दें ।

श्री रतनलाल वर्मा : अभी गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया उसमें यह नहीं बताया कि बच्चा कैसे गिरा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में माथुर साहब ने पहले ही कह दिया है ।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें कोई हवाला नहीं दिया गया है । भीड़ ने कहा कि मास्टर को गिरफ्तार करो तो गिरफ्तार कर लिया, भीड़ ने कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया । पुलिस बिल्कुल मनमानी कर रही है और मनमानी का शिकार उस बच्चे को बनाया जो बिल्कुल अबोध था । न तो वह पुलिस पर लाठीचार्ज कर सकता था न वह कोई और गुस्ताखी कर सकता था । मैं निवेदन करना चाहता हूं उस बच्चे के साथ खिलवाड़ कर जनता में आतंक फैलाया गया है । यह हमारी माँग है कि इसकी सदन के सदस्यों की कमेटी बनाकर जाँच की जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये, आसन खड़ा है । मैं भी कुछ कहना चाहूंगा । सदस्यों को इसलिये समय दिया गया कि कुछ नई बातें सामने आयेंगी, लेकिन सभी पुराने आर्गुमेंट्स दोहरा रहे हैं । मैं समझता हूं अब गृह मंत्रीजी जवाब दें ।

श्री नूरा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना नैनवा में घटी है उसमें अश्रुगैस और लाठी चार्ज की बात सामने आई । लाठी चार्ज और अश्रुगैस को छोड़ने में पुलिस का हाथ है । आफिसरों को चाहिये था कि स्थिति को संभालते । जब इस सारी घटना में सस्पेण्ड करने की बात आई तो छोटे कर्मचारी को किया है, वह गलत है । जिम्मेदार वह ज्यादा है जिसने लाठीचार्ज और अश्रुगैस का आदेश दिया है । ऐसे अधिकारी को सस्पेण्ड किया जाना चाहिये न कि छोटे कर्मचारी को, ऐसा मेरा मानना है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, गृह मंत्रीजी कुछ कह लें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्षजी, जिस पुलिस की बात कर रहे हैं वह पुलिस हमेशा झूठी कहानी बनाकर मुकदमा पेश किया करती है । वही स्थिति इसमें है । इस नैनवा की पुलिस ने माननीय गृह मंत्री को गुमराह किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात गृह मंत्रीजी के वक्तव्य में यह आई है कि नैनवा के हैड मास्टर थे उनको उनकी रक्षा के लिये गिरफ्तार किया गया था । माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा कौनसा कानून था कि आत्मरक्षा के लिये गिरफ्तार किया जाय और गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर भारी जनसमूह के साथ बाजार में घुमाया जाय ? वहाँ की पुलिस ने हथकड़ी लगाने के

(श्री गणेशलाल बैरागी)

बाद सारे के सारे गाँव में घुमाया यह क्या उनकी आत्मरक्षा की ? दूसरी बात माननीय गृह मंत्री ने यह बताई कि नैनवा की पुलिस की जीप को घेरकर वहाँ की जनता ने जीप के पहियों की हवा निकाल दी और उसमें आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था। माननीय उपाध्यक्षजी, जो जनता हवा निकाल सकती है उसको आग लगाने में कौनसी देर लग सकती थी। माननीय उपाध्यक्षजी, यह बिलकुल गलत है।

इसके अलावा दूसरी बात माननीय गृह मंत्री ने बताई कि वहां के अधिकारियों पर पत्थर बरसाये जा रहे थे। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : एक भी पुलिस कर्मचारी के यदि चोट आई हो तो माननीय उपाध्यक्षजी, आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं। यह बात गलत है और गलत तथ्यों के आधार पर, गलत सूचना के आधार पर कहा गया है। जैसा मैंने पुलिस पर आरोप लगाया है यह पुलिस जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है। मैं घटना का प्रत्यक्ष दर्शी हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर कई नीतियों के प्रश्न उठाये गये। फायरिंग कब हुआ और फायरिंग के दौरान केजुअल्टी हो जाय तो उसके लिये क्या मत है। लोगों के चोटें आ जायं तो क्या मत है सरकार का। पुलिस की हाई हैन्डेडनेस के बारे में भी माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की। यह प्रश्न न तो डिबेट के स्कोप में आते हैं और न आज यह चर्चा का विषय है। पुलिस डिमाण्ड के दिन उसका जवाब हो जायगा। यह इन्सीडेण्ट 19 तारीख को हुआ 10 बजे। नैनवा में, देई में बच्चों को घेर लिया तो स्वाभाविक था उत्तेजना आना। जब बच्चों के स्कूल में हैड मास्टर पहुंचा नहीं तो और उत्तेजना बढ़ गई। क्राउड सर्च कर रही थी। उन्होंने एस. डी. एम. की कोर्ट को घेर लिया जो पुलिस अश्रुगैस लिये हुये थी, उसको भी घेर लिया। केवल उत्तेजना अधिक बढ़ने पर मजिस्ट्रेट ने अश्रु गैस छोड़ने के आदेश दिये थे। जब भीड़ उनके सैल छीन रही थी और जब वह उनको कम्पेल कर रहे थे तो उन्होंने मजबूर होकर उसका इस्तेमाल किया। भीड़ उत्तेजित होकर पुलिस वालों के वैपन्स छीन रही थी। भीड़ ने पुलिस को अश्रुगैस का इस्तेमाल करने के लिये विवश कर दिया। अब यदि फालो-अप एक्शन में बच्चे ने तालाब में छलांग मारदी तो यह बात इन्क्वायरी की है। अगर किसी पुलिस कान्स्टेबल ने बच्चे को फोलो किया और बच्चे ने तालाब में छलांग मार दी और केजुअल्टी हो गई तो उसका हमें भी अफसोस है। केवल 20-25 आदमियों ने छलांग मारी है। मान्यवर, उस तालाब में बहुत जानवर हैं इसलिये उसका केवल स्केलटन ही बचा है, ऐसी मेडिकल रिपोर्ट है। माननीय

(श्री केदारनाथ)

सदस्यों ने यह भी कहा कि पुलिस के ग्राफिसर्स जो रिपोर्ट देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। हमारे विश्वास का रिसोर्स तो ग्राप हैं। हमारे सिद्धान्तों में फर्क है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट ग्राती है उस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन पूरा विश्वास नहीं करते हैं। हमने जानकारी हासिल की है। लाठी चार्ज का ग्रॉर्डर नहीं था फिर भी पुलिस ने ग्रपने डिफेन्स में यूज किया भीड़ को रिपेल करने के लिये। ऐसी स्थिति में फालो-ग्रप एक्शन से बच्चे की डेथ हुई है तो मैं रेवेन्यू बोर्ड के जो जुडिशियल ग्राफिसर हैं श्री सुरेश एच० माथुर, जो हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं, नियुक्त कर देता हूं। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इतनी एलर्ट रही है कि दो दिन के बाद फैसला कर दिया। ग्रगर फैक्ट्स पर जाते ग्रौर ग्रगर पुलिस की रिपोर्ट पर जाते तो हम न वहां के ग्रधिकारियों को सस्पेंड करते ग्रौर न डी० एस० पी० का तबादला करते। हमें ज्यों ही जानकारी मिली हमने ग्रफसोस जाहिर किया ग्रौर तत्परता से जांच के ग्रादेश दे दिये।

मान्यवर, थोड़ी-सी बात निवेदन करना चाहता हूं दोनों पार्टियों में मैच प्वाइन्ट पर झगड़ा हो गया। ग्रगर हैड मास्टर ग्रपना प्रभाव इस्तेमाल करता ग्रौर जो बच्चे थे देई के, उनकी पिटाई न होती तो यह इन्सीडेन्ट नहीं होता। ग्राप इसके काज ग्राफ ग्राकरेन्स को देखिये ग्रौर विचार करिये। माननीय सदस्यों का सारा ध्यान पुलिस पर, व्यूरोक्रेसी पर चला गया लेकिन काज पर ध्यान नहीं गया। 500 ग्रादमी पुलिस को घेरें, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को घेरें, लड़के कहें हम ग्रन्दर जायेंगे ग्रौर पिटाई करेंगे। वहां हथकड़ी एक पर्सन को सेफ करने के लिये, सिचुएशन को कन्ट्रोल करने के लिये लगाई गई थी, कोई मेलाफाइडी नहीं थी। ग्रापकी जो नाराजगी है, वह शान्त होनी चाहिये। ग्रापने यह कहा, डी. एस. पी. का तो तबादला कर दिया लेकिन जिस पिता के एक ही बच्चा था वह मर गया उसके लिये क्या किया तो उसका मुझे भी बहुत ज्यादा ग्रफसोस है। मैं पांच हजार की घोषणा करता हूं हालांकि इससे कोई कन्सोलेशन होने वाला नहीं है, यह कोई जीवन की कीमत नहीं है लेकिन फिर भी मैं पांच हजार देने की घोषणा करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक सवाल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 10 हजार की घोषणा की जाय। माननीय मंत्री महोदय जो पांच हजार के लिये कह रहे हैं वह बहुत कम है। वैसे जीवन की तो कोई कीमत ही नहीं है लेकिन फिर भी 10 हजार की घोषणा करें। सारा हाउस मेरे साथ होगा, ग्रगर 10 हजार की घोषणा करेंगे तो।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो ग्राप एक लाख भी दें तो उससे भी पूर्ति नहीं हो सकती है। जिस ग्रादमी के लड़कियां ज्यादा हों ग्रौर लड़का न हो, ऐसी हालत में ग्राप कृपा करके 10 हजार दीजिये हालांकि उससे भी उसको शान्ति होने वाली नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लड़की मर जाती तो····

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिसके लड़का नहीं हो यह तो वही जान सकता है। पुत्र और पुत्री दोनों बराबर ही होते हैं। गृह मंत्रीजी पर हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी रिक्वेस्ट है 10 हजार दीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल आधे मिनट में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन मेन्टेन करने में यदि पुलिस को डिमोरेलाइज किया गया तो भविष्य में पुलिस नाकामयाब ही सिद्ध होगी। मेरा निवेदन है, इस तरफ भी आप ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आने के बाद अब कोई प्रश्न नहीं बचता है। जैसा ढाबरिया साहब ने कहा 10 हजार दे दिये जायं, यह गृह मंत्री पर छोड़ दिया जाय।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): पांच हजार रुपये की घोषणा की, कितना अच्छा होता पांच हजार की घोषणा न करते और यह जिम्मेदारी ले लेते कि उस मरने वाले बच्चे के पांच बहिनें हैं, उसकी बहिनों की शादी का खर्चा सरकार वहन करेगी।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन): मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उन पांच बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं जो चर्चा हो चुकी है वह काफी है। अगर आपके कोई और सुझाव हों तो गृह मंत्रीजी से मिलकर बात कर लीजिये। नैक्स्ट एजेण्डा।

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक) बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जो बजट पर सामान्य वाद-विवाद है, वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है। अब समय भी शेष नहीं रहा है। मैं यह जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय सदस्या, जो कल अपना भाषण कर रही थीं, का भाषण यदि इनकम्पलीट है और वह चाहती हैं कि कम्पलीट हो जाय तो वे जरूर पांच मिनट का समय ले सकती हैं।

श्री माणकलाल : मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं।

श्री माणकलाल : मैं तो केवल धन्यवाद देता हूं, इस प्रशासन को धन्यवाद दे रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रशासन नहीं चाहता था कि किसी जज की नियुक्ति हो और इसीलिए रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की नियुक्ति की गई है। यह प्रशासन की जीत है और हमारी, जनता की हार है, इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको बधाई देता हूं कि आप लोगों की जीत हुई और हम जन-प्रतिनिधियों की हार हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या को बोलने दीजिए। वे महिला हैं, उनको बोलने का मौका दिया गया है, उनको बोलने दीजिए

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश एच० माथुर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की सम्भावना का गृह मंत्री द्वारा उल्लेख

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस राज्य के गृह मंत्री द्वारा यह घोषणा करना उचित है कि यह व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज बनने वाला है? यह राइट सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सलाह से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सलाह से यह नियुक्ति होती है। गृह मंत्री ने जो एडवान्स में मुबारकबाद पेश किया है, क्या यह गृह मंत्री महोदय की कॉम्पीटेंस में है? आपने यह कहा, श्री सुरेश एच. माथुर की नियुक्ति होने वाली है, इससे क्या यह नहीं माना जायेगा कि राजनीतिज्ञों के इशारों पर उच्च न्यायालय के जजेज की नियुक्ति होती है? आखिर आज के समय में रूल आफ लॉ है। पहले की बात जाने दीजिए, लेकिन आज के युग में हम जब यह कहते हैं कि हम जुडिशियरी में इण्टरफियरेन्स नहीं करेंगे तो माननीय गृह मंत्री की यह घोषणा कहाँ तक उचित है कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले हैं? इसके बारे में आप व्यवस्था दें। क्या माननीय गृह मंत्री यह स्पष्ट करेंगे और बतायेंगे कि राज्य सरकार की जजेज की नियुक्ति में क्या भूमिका है?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के नाम की लिस्ट बनी थी जो कॉम्पीटेंट थे हाई कोर्ट के जज बनने के लिये। इस तरह का पैनल बना था उसमें सुरेश माथुर का भी नाम होगा। इसमें क्या बात है? इसमें कोई नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर के माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल शर्मा ने जो पाइण्ट उठाया है उस पाइण्ट में बहुत सब्सटेंस है। चाहे गवर्नमेंट ने या चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की सिफ़ारिश कर दी हो कि हाई कोर्ट का जज बनाया जाय तो भी आखिरी फैसला माननीय राष्ट्रपति का ही होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहाँ तक उस पोर्शन का सवाल है कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाने वाला है, इन शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक्सपंज करने का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे शब्दों को ही एक्सपंज करते हैं जो अनपार्लियामेंट्री हों या ऑब्जेक्शनेबल हों, इसमें ऐसी कौनसी बात है?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : किसी जज की नियुक्ति के बारे में कहने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब आपको नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सीनियोरिटी के लिहाज से उन्होंने कहा होगा । उनकी मंशा यह रही है कि जब वे सीनियर-मोस्ट हैं तो जज बनेंगे ही ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे हमारे यहाँ के सचिव थे, इसलिए उनके साथ गृह मंत्री की सहानुभूति हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाई कोर्ट जजेज के अपोंइन्टमेंट में गृह मंत्री को पूछता ही कौन है, न उनका इससे कोई ताल्लुक है । उन्होंने जो कुछ कहा है अपने खुद के इन्ट्यूशन से कहा है । इसमें ऐसी कौनसी गजब की बात हो गई ?

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : मेरे शब्दों को जिस कंटेक्स्ट में लिया गया है वह ठीक है। अगर टैक्तिकलि माननीय सदस्यों को एतराज हो तो मैं वापस ले लेता हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : गृह मंत्री फिर इसको कन्फर्म कर रहे हैं । उनका कहना है कि वैसे तो ठीक है लेकिन टैक्निकल ऑब्जेक्शन हो तो बात अलग है । इसका मतलब है कि वह पुनः दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं । कल अगर कोई स्टेट की सीक्रेसी को डिस्क्लोज कर दे और जैसा कि माणकचन्दजी सुराणा ने कहा कि इनको एक्सपंज कर दिया जाय, तो क्या आफिशियल सीक्रेसी डिस्क्लोज होने पर भी एक्सपंज करने से काम चल जाएगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल ही कृषि मंत्रीजी कह रहे थे कि फाइल देख लो । कल ही सम्पतरामजी ने यह कहा था कि माननीय सदस्य चाहें तो मेरी फाइल को देख लें....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : सम्पतरामजी तो कोई भी बात कह सकते हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट हुआ ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सामरियाजी बोल रहे हैं, सुनिए ।

श्री मूलचन्द सामरिया : कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है जब उसको नियुक्ति का अधिकार नहीं है । मेरा निवेदन है कि जब किसी भी व्यक्ति को अपॉइन्ट करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह गृह मंत्री हों या मूलचन्द सामरिया हों या भैरोंसिंह शेखावत हों, इससे क्या फर्क पड़ता है । अगर किसी भी व्यक्ति को किसी के अपोंइन्टमेंट का अधिकार नहीं है और वह ऐसी बात कह दे तो उससे हमारे राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है । क्या इस स्टेटमेंट की वजह से उनका अपोंइन्टमेंट हो जाएगा ? चूंकि माथुर साहब सीनियर-मोस्ट जजों में से हैं और ऐसी परम्परा रही है कि जब तक कोई विशेष बात नहीं हो, सीनियर-मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है । यह उनकी नॉलिज में होगा कि ये सीनियर-मोस्ट हैं । इस आधार पर यहाँ कहने की वजह से ऑल इंडिया के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रभावित नहीं होने वाले हैं ।

(श्री मूलचंद सामरिया)

इसलिये जो शब्द एक्सपंज करने की बात कही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा इतना ही निवेदन करना है कि माननीय गृह मंत्री बहुत भोले और सच्चे मन के इन्सान हैं, लेकिन जब भी वे बोला करें सावधानी से बोला करें। यदि बोलें तो हमारे मुख्य मंत्रीजी, जो हैड मास्टर हैं, इस कैबिनेट के अन्दर मास्टरजी हैं, उनसे ट्रेनिंग लेकर बोला करें तो ज्यादा ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आप सब लोगों के विचार सुने। यह मांग की गई कि उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कहे गये शब्दों को एक्सपंज कर दिया जावे। मैं समझता हूं कि उनकी मांग में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा यह मांग की गई थी कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाय, हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाय, उस मांग को जस्टीफाई करने के लिए कि एक योग्य व्यक्ति को इसमें लगा रहे हैं। योग्यता के आधार पर कि ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का जज बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। उस आधार पर गृह मंत्री ने यह बात कही है। इसलिए इस बात में ज्यादा आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। अब इस चीज को यहीं समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा !

परिवर्तित आय-व्ययक (1977-78) पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट का अनुमोदन करते हुए मैं अपने भाषण को आपकी अनुमति से जारी रख रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि सरकार ने भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए कोई खास कदम उठाने का प्रयास करने के लिए पैसे का प्रावधान बजट में नहीं किया। सोशल वैलफेयर के कामों में जो पैसे का प्रावधान किया है वह बहुत कम है। समाज के ऐसे अंगों के लिए, समाज में उनको ऊंचा उठाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना है। उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति निवारण के लिए जो कदम उठाये गए हैं वे बहुत कम हैं। केवल एक भिखारी को पकड़ कर किसी सदन में दाखिल कर लिया, यह कोई भिक्षावृत्ति निवारण के लिए अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता है। उनका एक परिवार होता है, उनके रहन-सहन के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए उनकी बस्तियों का विकास होना चाहिए। वे भी इस देश के नागरिक हैं। एक ओर एक व्यक्ति भिक्षा मांगे और दूसरे लोग ऊंचे पदों पर बैठे रहें यह अशोभनीय है। जनतन्त्र में ऐसे लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह भी उचित सम्मान प्राप्त कर सकें और अपनी आजीविका जुटा सकें। मैं चाहूंगी कि सरकार इसके लिए समुचित प्रबन्ध करे। इसके लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता हो वह नियोजित करे।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की जो घोषणा की गई तथा उसके सम्बन्ध में जो कदम उठाए गए

Page No. 53

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वे अपर्याप्त हैं । इसके लिये पैसा बहुत कम रखा है । मुझे तो बहुत ही खेद होता था यह देखकर कि देश की एक महिला महारानी के पद पर बैठी हुई थी और दूसरी बहिन सिर पर मैला ढोती थी । एक बहिन महारानी और दूसरी बहिन मेहतरानी । किसी के दिल में शायद दर्द नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके लिए एक समुचित योजना बनाई जावे । योजना केवल शहरों के लिए ही नहीं हो, बल्कि गाँवों में भी इस योजना को लागू किया जावे । इसके लिए कितने भी पैसे की आवश्यकता पड़े सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए । सदियों से यह प्रथा चली आ रही है । वे लोग भी मतदान करते हैं, वे हमारे मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं । ऐसे लोगों के लिए जो छुआछूत निवारण के नियम बने हैं, उनका सही ढंग से पालन किया जाये । इसके सम्बन्ध में बजट में जितनी भी राशि का प्रावधान किया गया है, वह बहुत ही कम है । इसलिए और राशि बढ़ाई जाए ।

मैं यह कहना चाह रही थी, उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र छुआछूत निवारण के लिये कदम उठाने से ही काम नहीं चलेगा । विभिन्न जातियों में जो भेदभाव पैदा किया गया है, उसको समाप्त करने के लिए भी सरकार तत्काल कदम उठावे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग हैं, उनमें भेद-भाव पैदा करने के लिए जो व्यवस्था चल रही है पिछले तीस वर्षों से कांग्रेस शासन काल से, उसको मिटाने के लिए भी जनता पार्टी की सरकार जो कदम उठा रही है, वह प्रशंसनीय है, लेकिन इस सम्बन्ध में जो पैसों का प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है । इस परम्परा को मिटाने के लिए हमारी सरकार को अधिक पैसों का प्रावधान करना चाहिए था ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी । बजट में, घोषणा-पत्र में और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई बार यह कहा गया है कि महिलाओं के लिए रोजगार की योजना को लिया जायगा परन्तु मैंने इस बजट में देखा है कि इसके लिए कदम उठाने के लिए पैसे का अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, जो महिलाएं सेवारत हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभागों में, उनके वेतनमान में असमानता है । पुरुष वर्ग को अधिक पैसा मिलता है, और जो महिला श्रमिक हैं उनको पुरुषों के मुकाबले कम पैसा मिलता है । सरकार के द्वारा सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि महिलाओं के वेतन में जो असमानता है, जो दूरी है, उसको दूर किया जायेगा, चाहे इसके लिए सरकार को कितने ही पैसे का प्रावधान करना पड़े ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार ने साहसिक कदम उठाया है, उसकी मैं प्रशंसा करती हूं, लेकिन मैं आंकड़ों के जाल में न फंसते हुए यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी जो अर्वाचीन भाषा संस्कृत है, उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है । जो हमारे संस्कृतविद् लोग हैं, जो शिक्षक के रूप में इसका प्रचार कर रहे हैं, उनके वेतनमान अन्य लोगों की अपेक्षा चाहे वे प्राध्यापक हों, चाहे अध्यापक हों, काफी कम हैं ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उनमें असमानता है। मैं चाहूंगी कि उनके वेतनमान की इस असमानता को दूर किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, वनों के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगी। आज हमारे वन बराबर कटते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों के जंगल कटने से अजीब स्थिति पैदा हो गई है। रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए वनों की समुचित सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए। अब की बार दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारे यहां पर अधिक वर्षा हुई है। पहाड़ी जंगलों पर हरे पेड़ उगे हैं। हमारे जीवन के लिए और बरसात के लिए पेड़ बहुत जरूरी हैं। इसलिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अच्छे कदम उठाये। वनों से पशुओं और पक्षियों का भी सीधा सम्बन्ध रहता है। वनों के ह्रास के कारण अच्छी नस्ल के पशु-पक्षी आज समाप्त होते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। वनों की सुरक्षा के लिए, अभयारण्यों के विकास के लिए चाहे वह भरतपुर का घाना पक्षी-विहार हो, सिरसका का अभयारण्य हो, अधिक पैसे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो प्राकृतिक देन है, यह हमारे यहां पर अभूतपूर्व है। यही हमारे नागरिकों के लिए जीवन है, आंखों को शान्ति प्रदान करता है। देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए, विभिन्न प्रान्तों से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए यह एक आकर्षण का केन्द्र है।

मैं यह कहना चाहूंगी पर्यटन के लिए हमारे इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसके लिए अधिक कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि पर्यटन विकास के लिए काफी पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक और छः के रेश्यो में अर्थ की उत्पत्ति देने वाले ऐसे विभागों के प्रति उपेक्षा बरतना अधिक अच्छा नहीं है। हमारा राजस्थान ऐतिहासिक प्रदेश है। इसके विभिन्न जिलों की विभिन्न विशेषताएं हैं, जिनके प्रति दूर-दूर के लोग आकर्षित होकर यहां पर आते हैं। हमारे यहां पर सुन्दर स्थापत्य कला के महल हैं, मन्दिर हैं, प्राकृतिक झीलें हैं, वन हैं। इन सबके विकास, रक्षा और संरक्षण के लिए राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान करना चाहिए था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है। कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा समां बांध रही हैं। बोलने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब बातों को छोड़ कर दो बातों की ओर ही आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही थी कि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पानी जीवनदाता है। इसके बारे में राज्य सरकार ने घोषणा भी की है। पैसे का प्रावधान भी किया है। परन्तु यह प्रावधान अपर्याप्त है। इसके लिए अलग से निगम बना कर, विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करके इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। हमारे यहां पर कहीं पानी है, कहीं पानी नहीं है। कहीं पर

Page No. 55

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं पानी की क्वालिटी अच्छी है तो पूरी क्वान्टिटी में नहीं है, जितनी कि जीवन के लिए पर्याप्त हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्र ही समाप्त कर रही हूं । इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को उचित पैसे का प्रावधान करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें । आखिरी अंश पढ़ दीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहती हूं कि मंगलकारी राज्य कैसा होता है । विदेशों में ऐसी परम्परा है, वहां पर भोजन और जो दूसरी उपयोगी वस्तुएं हैं, वे नागरिकों को सस्ती दर पर सुलभ कराई जाती हैं । हमारे यहां पर महंगाई बहुत बढ़ रही है । जन साधारण इस महंगाई में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता । भर पेट खाना नहीं खा सकता है । इसके लिए भी बजट में उचित प्रावधान नहीं है । कोई व्यवस्था नहीं है । मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि अन्य देशों की तरह यहां के नागरिकों को भी आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुएं सब्सिडी देकर मुहैया करावें ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाप्ति की ओर जा रही हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आपकी तो 100 वर्ष की उम्र है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि हमारी जनता पार्टी सरकार मंगलकारी साबित हो, इसलिए वह सबके लिए अन्न, जल जुटाने की समुचित व्यवस्था करे, चाहे सब्सिडी देकर ही उसको पूरी व्यवस्था करनी पड़े परन्तु जनता को सस्ते दर पर अनाज मुहैया करे ।

मैं यह कहना चाह रही थी कि श्रमिकों के बारे में जो योजनाएं हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, काफी समय हो गया है । मेरी समस्या भी बढ़ रही है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देंगे ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

एक माननीय सदस्य : कई माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया गया है, इसलिए बचे हुए माननीय सदस्यों को मौका दिया जाए । माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह एक घण्टा बाद में बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सम्भव नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट के ऊपर विचार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यक्त करते हुए कई प्रश्नों पर आलोचना की है, कई सुझाव दिये और कई विषयों में सरकार का समर्थन भी किया। कुल मिलाकर मैं यह कहूं कि बजट का आम स्वागत हुआ है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। विरोधी दल के माननीय सदस्य मन में शायद इस बात को महसूस करते होंगे और कइयों ने यह प्रकट भी किया कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला बजट है, जिस बजट का इस प्रकार से आम स्वागत हुआ है। इस स्वागत के पीछे, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कारण हैं। कारण केवल इतना ही नहीं कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है बल्कि कारण यह है कि सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ प्रशासन की दिशा में भी परिवर्तन हुआ है, प्रशासन के लक्ष्यों में भी परिवर्तन हुआ है, प्रशासन के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। वह परिवर्तन भी ऐसा है कि परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी में किसी प्रकार का अविश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि इस परिवर्तन के कारण लोगों में आशाओं का संचार हुआ है। इस बजट के जरिये जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के पूर्व जनता को जो आश्वासन दिये, जनता से जो वायदे किये, उन सबकी पूर्ति किस प्रकार से की जाये, इसकी एक व्यवस्था की है। यह सही है कि वह व्यवस्था पूर्ण नहीं है, वैसे पूर्ण होना सम्भव भी नहीं है। एक प्रकार से यह 6 महीने का बजट है, पिछली सरकार ने 6 महीने का बजट प्रस्तुत कर दिया था, अगले 6 महीने का बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछली सरकार ने छः महीने का बजट प्रस्तुत करते हुए जो दिशाएं दी हैं, जो व्यवस्था की है, उन दिशाओं और व्यवस्थाओं के आधार पर प्रयत्न करने के उपरान्त भी हम आमूलचूल परिवर्तन कर सकें यह सम्भव नहीं है। इसी कारण इच्छा के उपरान्त भी इस बजट के द्वारा अपनी नीतियों का प्रतिपादन कर सकते थे, वह सारा सम्भव नहीं हुआ है। यह बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है जैसे किसी का कोट उतार कर, सिला सिलाया कोट उतार कर, उदाहरण के लिए माथुर साहब का बुश्शर्ट उतार कर खेतसिंहजी के शरीर पर फिट करना हो तो निश्चित रूप से उसमें कुछ काटछांट करनी पड़ेगी। और यह भी सम्भव हो सकता है कि काटछांट करने के उपरांत भी वह बुश्शर्ट उनके शरीर पर पूरा नहीं जंचे।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): अण्डरवीयर क्यों नहीं उतारा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं यह समझता हूं कि अण्डरवीयर उतारने का काम हमने मथुरादासजी माथुर को दे रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सामने कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मैं यह समझता था कि माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष से बोले हैं, विरोधी दल के नेता और भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय, वह अपने अनुभव के आधार पर हमें कुछ इस बात का सुझाव देते कि राजस्थान के समक्ष जिस प्रकार की समस्यायें हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है तो मैं समझता हूं, बहुत उचित होता, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री और विरोधी दल के नेता महोदय दोनों ही घाटे की अर्थ-व्यवस्था का विश्लेषण करने में ही अधिकांश समय लगा गये। घाटे की अर्थ-व्यवस्था क्या होती है, घाटे की अर्थ-व्यवस्था के क्या परिणाम होते हैं, मनी सप्लाई किस मात्रा में बढ़ता है, इनफ्लेशन कैसे होता है, उसके कारण से मंहगाई कितनी बढ़ती है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन सब बातों का ही उन्होंने उल्लेख किया। यह आज हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी, उतना इनफ्लेशन होगा। इसका देश की इकोनामी के ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा यह विचार कर लेते कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था लाने के लिए दोषी कौन है? यह वह सोचते तो शायद उन्हें एक घण्टा और पांच मिनट का समय इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था को बताने में, आंकड़े देने में नहीं लगता। इस स्थिति में उन्होंने एक सिद्धान्त बताया कि बजट अच्छा कौनसा है? बजट के अच्छे-बुरे का मापदण्ड क्या है और उस मापदण्ड के आधार पर उन्होंने बताया कि बजट से राष्ट्रीय सम्पत्ति कितनी बढ़ती है, पैदावार कितनी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति की आय कितनी बढ़ती है, रोजगार के साधन कितने उपलब्ध होते हैं, मूल्यों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, मुद्रा-स्फीति की क्या स्थिति रहती है और सामाजिक सेवाएं किस सीमा तक उपलब्ध होती हैं, यह मापदण्ड है। मैं माथुर साहब से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यही मापदण्ड पिछले 30 वर्षों में कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर लागू करते तो राजस्थान की 56 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहती। राजस्थान गरीबी की रेखा को पार कर जाता। आज वे हमें सिद्धान्त बता रहे हैं, इस बात की खुशी है।

एक माननीय सदस्य : डूबने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि उनको निराश ही होना पड़ेगा। अगर उन चीजों को कांग्रेस पार्टी बजट बनाते समय और आर्थिक स्थिति का संचालन करते समय लागू करती तो राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में आज पिछड़ा हुआ नहीं रहता। आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है कि राजस्थान किस सीमा तक पीछे चला गया है अन्य राज्यों की तुलना में। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते समय इन सब बातों का उल्लेख किया है। मैं उन बातों को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 30 वर्षों के शासन में गरीब और अमीर के बीच में असमानता को बढ़ाया है। इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से असमानता को बढ़ाया है। पिछले 30 वर्ष के शासन में राजस्थान में रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इस संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम काम किया है। प्रति व्यक्ति आय, जिस पर जोर माथुर साहब सबसे ज्यादा दे रहे थे कि ऑल इण्डिया एवरेज से राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय कई राज्यों की तुलना में कम है. ऐसी स्थिति में मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस बजट को नई दिशा दी है। आज तक जो योजनाओं का एक दिशा-निर्देश रहता था, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन योजनाओं के परिणामस्वरूप सारे संसार में एक चर्चा चल गई थी कि योजनाओं का लाभ समाज का विशिष्ट वर्ग उठाता है, योजनाओं से असमानताएं बढ़ती हैं, योजनाओं से अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। हमने उसको शीर्षासन कराया, और शीर्षासन करा कर व्यवस्था इस बात की कि राजस्थान का एक पैसा भी जो खर्च होगा, वह पहला पैसा खर्च होगा

Page No. 58

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गरीब की गरीबी को मिटाने के लिये, अमीर को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं। इसलिये आपने देखा होगा कि हमारी पहली योजना अन्त्योदय योजना है। पांच गरीब परिवारों को गांव से लेकर उन गरीब परिवारों को राजस्थान के कोष से, अन्य प्रकार के साधन जुटा कर के गरीबी की रेखा से पार करवाने की यह योजना है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, माथुर साहब, आपने यह कहा कि बजट में केवल 25 लाख का ही प्रावधान है, और 25 लाख के प्रावधान से इन सारे गरीबों की गरीबी नहीं मिट सकती लेकिन आप जानते हैं कि यह केवल 25 लाख का प्रावधान ही नहीं है, हमने कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में इस बात की व्यवस्था की है कि इन क्षेत्रों में जितना भी धन खर्च हो, वह सारा धन पहले गरीबों के लिए खर्च होगा, बाद में दूसरे हिस्सेदार होंगे। इतना ही नहीं आज आपने कहा कि पैसा कहां से लाया जायगा। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान का पूरा कोष गरीबों की गरीबी मिटाने के लिये खर्च किया जायेगा। मैं आपको यह भी विश्वास के साथ कहता हूं कि चाहे हिन्दुस्तान में घर-घर जाकर भीख मांगनी पड़े लेकिन राजस्थान के गरीबों को गरीबी की रेखा से पार कराकर छोड़ूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की अन्त्योदय की योजना को सारे देश में व्यापक समर्थन मिला है। आज राजस्थान इस बात के लिए गौरवशाली होगा कि अन्य राज्यों में भी इस अन्त्योदय की योजना का अनुकरण किया जाय। कई राज्य सरकारों से समाचार आ रहे हैं कि अन्त्योदय की योजना क्या है, इसको भेजी जाय, इसको क्रियान्वयन करने के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम बनाया जाय, इसकी जानकारी दी जाय। मैं चाहूंगा कि अन्त्योदय का कार्यक्रम केवल राजस्थान का ही नहीं रहे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाय और गरीबी को मिटाने के लिये हिन्दुस्तान की जनता आगे से आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सामने कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने किया है। राजस्थान में सिंचाई के साधन यदि जुटाये जायं तो उनसे उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। माननीय माथुर साहब ने चिन्ता व्यक्त की राजस्थान कैनाल के लिए और मैं समझता हूं कि इसके लिये पूरे सदन को चिन्ता है। राजस्थान कैनाल राजस्थान का एक प्रकार से ऐसा शरीर का अंग है कि यदि यह अंग सबल हो जाय तो राजस्थान की खाद्य समस्या का ही नहीं देश की खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। इस आधार पर जो कुछ राजस्थान कैनाल के निर्माण में अब तक प्रगति हुई है उस प्रगति को और किस प्रकार से वेट दिया जाय, यह प्रगति और ज्यादा किस प्रकार से बढ़े, कैनाल का काम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से चले, जनता पार्टी की सरकार उसके लिए बहुत चिन्तित है। जो कुछ हमारे पास साधन थे, जो कुछ साधन हमको उपलब्ध कराये गये, जो साधन उपलब्ध हो सकते हैं उन सारी चीजों के लिये हम प्रयत्नशील हैं। आज मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि भारत सरकार से और बाहर से, विदेशों से हमें इसके निर्माण-कार्य में जितना सहयोग मिल सकता है वह लेकर हम कोई कसर इस बात की नहीं छोड़ेंगे और कोशिश इस बात की करेंगे कि राजस्थान कैनाल का निर्माण जल्दी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से जल्दी हो। इस कोशिश के पीछे मेरे दिमाग में यह भी भावना है कि यदि राजस्थान कैनाल का निर्माण समय पर नहीं होगा तो इस राजस्थान कैनाल से मिलने वाले पानी को लेकर कई प्रकार की समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। आज तक राजस्थान कैनाल का जो फेज्ड प्रोग्राम, शिड्यूल्ड प्रोग्राम था, उसके हिसाब से चलते तो राजस्थान कैनाल पूरी हो जाती। मैं माननीय माथुर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक राजस्थान कैनाल का काम पूरा नहीं हुआ तो उसका उत्तरदायित्व किसका है? क्या इसका उत्तरदायित्व हमारा है? क्या हमने विरोधी दल में बैठ कर भी कभी सरकार का इस काम में विरोध करने के लिये, सरकार के काम में रोड़े अटकाने के लिए कोई काम किया? मैं समझता हूं कि किसी को भी यह याद नहीं होगा कि विरोधी दल में बैठकर कभी इस काम में सरकार के हाथ पकड़े और सरकार के सामने खड़े हो गये कि राजस्थान कैनाल के निर्माण का काम किसी प्रकार से रोक दिया जाय। हमको भी चिन्ता थी। लेकिन शिड्यूल्ड प्रोग्राम के अनुसार काम नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भूतपूर्व सरकार की है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान कैनाल का काम जितना जल्दी हो सके पूरा करायेंगे। इससे केवल राजस्थान का ही हित नहीं होगा, सारे राष्ट्र का हित होगा। इस काम में जितना भी विलम्ब होगा, राजस्थान का इससे बड़ा भारी नुकसान होगा। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं, हम साधन जुटा रहे हैं। कुछ बातों का अभी निर्णय नहीं हुआ है, उनको मैं समझता हूं इस समय कहना उपयुक्त नहीं होगा, वरना इस सम्बन्ध में जो प्रयास किये हैं, मुझे आशा है कि उनमें सफलता मिलेगी। उनकी अगर आज घोषणा करूं और कल कुछ कमी रह जाय तो संकट हो जायगा, इसलिये आज नहीं कह कर, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों बाद सदन को जानकारी दे सकूंगा कि राजस्थान कैनाल के निर्माण के लिए कहां से और किस प्रकार से साधन एकत्र कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से जनता पार्टी की सरकार आई है और जो बजट प्रस्तुत किया गया है इस बजट में एक विशेषता माननीय सदस्यों ने देखी है। मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस प्रश्न के ऊपर इस बजट की समीक्षा की। यह पहला बजट है जिस बजट का अधिकांश पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों पर खर्च किया जा रहा है। कृषकों के विकास के लिए, कृषकों के हितों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, इस बजट में अधिकांश राशियों का प्रावधान रखा गया है। इसलिए यह भी कह सकता हूं कि इस बजट ने एक नई दिशा दी है। ग्रामीण क्षेत्र में जो एक असन्तुलन बन गया था, विकास की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की अब तक जो उपेक्षा की गई थी वह ग्रामीण क्षेत्र अब भविष्य में उपेक्षित नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यह अनुभव करने लगेंगे कि जनता पार्टी की सरकार ने आकर गांवों की दशा सुधारने में भी अगुवाई की है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक आम चर्चा बन गई है, और वास्तविकता है कि जबसे हमने शपथ ग्रहण की है लोगों की आकांक्षायें बढ़ीं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोग हमारे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पास आने लगे। हजारों की संख्या में एक-एक मन्त्री के पास लोग खड़े हो गये, सबके हाथ में आवेदन-पत्र थे, हमने उन आवेदन-पत्रों की समीक्षा की। यह नहीं कि अधिकारियों के पास भेज दिया, हमने उनकी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानियां जिस गति से चल रही हैं यदि उसमें अवरोध पैदा करके परिवर्तन नहीं किया गया तो आज एक हजार आदमी आकर मंत्री के बंगले पर खड़े होते हैं तो कल पांच हजार आ सकते हैं। उनको खड़े होने का अधिकार है। इसलिए हमने व्यवस्था की कि ग्रामीण क्षेत्रों में और गांवों में जाकर, सरकारी अधिकारी जनता अदालतों में जाकर जिन व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए थे, उनको खातेदारी अधिकार दिलवायें, गांवों में मौके पर जाकर उनका निबटारा किया जाय। नामान्तरण के मामले जो वर्षों से पड़े हुए हैं, जिनमें 18-19 तारीखें पड़ चुकी हैं, गरीब नागरिकों को तहसीलों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए उन नामान्तरण के मामले गांवों में जाकर तय किये जायं। गांवों में जो भूमि पड़ी है, उसमें से जो आवंटित की जा सकती है, उसका आवंटन किया जाए। जिस भूमि पर लोगों ने बाड़े बना लिए, एन्क्रोचमेन्ट कर लिया, उसके संबंध में सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं, उन आदेशों के अनुरूप वहां पर जाकर उनका नियमन किया जाय। इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रियां नहीं हुईं, उनको निपटाया जाय। रहन की हुई भूमि का कब्जा संबंधित काश्तकारों को दिलाया जाय। काश्तकारों की अयाप्त की गई भूमि लगान में से निकाली जाय। ग्रामीणों की आबादी के लिए भूमि उपलब्ध की जाये। कृषि भूमि के रूपांतरण के मामलों को निपटाया जाय। बैंकिंग संस्थाओं से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिए राजस्व अभिलेख की प्रतियां अथवा बकाया राशि के प्रमाण-पत्र वहीं जाकर दिये जायं। कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों तथा सीमान्त कृषकों के ऋण-भार समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जाय।

आज गांव के लोगों को पता नहीं कि वृद्धावस्था के लिए पेन्शन दी जाती है। मुझे खुद जानकारी है कि फोटोग्राफ तस्दीक कराने के लिए लोग तहसीलों और अदालतों में घूम रहे हैं लेकिन तस्दीक नहीं होती। उन वृद्धों को पेन्शन नहीं मिलती। हमने व्यवस्था की है कि अधिकारी गांवों में जायेंगे और गांवों में ऐसा कोई व्यक्ति बच न जाय जो इस कानून के अन्तर्गत पेन्शन पाने का अधिकारी है और दरख्वास्त न देने के कारण उसको पेन्शन न मिले। हमने ऐसी व्यवस्था की है। आपने बजट में देखा होगा कि हमने इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऐसी हालत में पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में ये जन-अदालतें जाकर निर्णय करेंगी कि किस प्रकार के स्रोत हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यह कार्यक्रम हम 15 सितम्बर से आरम्भ करने वाले थे। मेरी मन्शा थी कि 15 अक्टूबर को यह कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। जब जिलाधीशों की बैठक हुई तो मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि 15 अक्टूबर को प्रत्येक कलेक्टर अपने जिले के संबंध में यह क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा कि अमुक मदों में कोई मामला आज के दिन पैंडिंग नहीं है, वरना उन जिलाधीशों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।

इस सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद माननीय सदस्यों का आग्रह था कि हम इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सारी कार्यवाही में स्वयं भागीदार बनना चाहते हैं, हम जनता में जाकर स्वयं खड़े होना चाहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हम स्वयं भागीदार बनकर कराना चाहते हैं इसलिए इस राजस्व अभियान को 15 सितम्बर से आरम्भ न कर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। इसलिए कल ही सरकार ने निर्णय लिया कि 15 सितम्बर के बजाय इस अभियान को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से आरंभ किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में नया परिवर्तन मालूम होगा और जनता को पहली बार यह महसूस होगा कि वाकई राजस्थान में, ग्रामों में जनता का राज आया है, यह राज हमारा है और हमारा राज गांव-गांव और घर-घर जाकर न्याय की व्यवस्था कर रहा है। मेरा अनुमान है कि इस सारी कार्यवाही से लगभग 8 लाख मामलों का निपटारा होगा। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होगी जिसका उदाहरण राजस्थान का इतिहास तो दे ही नहीं सकता, बाकी के राज्य के पिछले इतिहास भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए बजट में हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये व्यवस्थायें की हैं।

5 व्यक्तियों के चयन करने का काम भी इसी अभियान के साथ होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांवों में जायं, लोगों की समस्याओं को सुनें, उनका समाधान सरकारी स्तर पर किस प्रकार से किया जा सकता है, उस समाधान के बारे में चिंतित होकर यह देखें कि निश्चित तौर से समाधान हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात बैठी है कि नौकरशाही हम पर हावी होगी वे सही नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम आपसे कह देंगे कि नौकरशाही हमारे काबू में नहीं है, लेकिन हम अपने को इतना कमजोर अनुभव नहीं करते। जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, नौकरशाही हम पर हावी नहीं हो सकती। हम आज भी नौकरशाही पर हावी हैं। जिस दिन आपको संदेह हो कि अमुक स्थान पर सरकारी अधिकारी जन प्रतिनिधियों से या जनता से असहयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में लायें। उनके खिलाफ जितनी उपयुक्त कार्यवाही होगी, वह की जाएगी।

मेरी आपसे अपील है कि अन्त्योदय कार्यक्रम और राजस्व अभियान एक ऐतिहासिक घटना बन जाय। सरकार और जन-प्रतिनिधियों के सामंजस्य से निकलने वाला प्रतिफल ग्रामों के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच जाय, इस प्रकार का मिशन लेकर सारे के सारे माननीय सदस्य गांवों में चले जायं और लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसकी जांच करें। कांग्रेस के बन्धु व अन्य विरोधी दलों के सदस्य यह न समझें कि यह अपील केवल जनता पार्टी के सदस्यों से कर रहा हूं। मैं आपसे भी इस बात की अपील कर रहा हूं कि इन दो कार्यक्रमों को लेकर आप जनता में जायें और जनता का सहयोग प्राप्त करें, जिस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो सकता है, वह समाधान आप करें।

यहां कई माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह तो ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था है फिर शहरों में किस प्रकार से जायं। मुझे मालूम है कि शहरों में भी आज इस प्रकार की स्थिति है। आज किसी नगरपालिका में चले जायं, हजारों गरीब लोगों के आवेदन-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पत्र पड़े हैं, कोई मकान बदलने की अनुमति चाहता है, कोई दुछती मंजिल पर एक मकान और बनाना चाहता है इत्यादि। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग, दुनिया भर के आवेदन-पत्रों का अम्बार हर कार्यालय में लगा हुआ है। मैं उसके लिए तारीख की घोषणा तो नहीं कर सकता लेकिन मैंने जानकारी प्राप्त की है और कुछ ही दिनों में बता दूंगा कि शहरी क्षेत्रों में जो इस प्रकार के मामले आज विभिन्न स्तरों पर पड़े हैं उनको निपटाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के आधार पर किस प्रकार से निपटाये जायेंगे। इस सदन के माध्यम से मैं सरकारी अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं जिनके कार्यालयों में आवेदन-पत्र पड़े हैं वे अपना प्रथम कर्त्तव्य समझ कर उनका निपटारा करें। अगर उन्होंने निपटारा नहीं किया तो वे दंड के भागी होंगे चाहे विद्युत् मंडल के हों, चाहे सिंचाई विभाग के हों। इन सारे प्रश्नों पर जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, जनता के आवेदन-पत्रों को ठुकराया नहीं जा सकता, यह व्यवस्था उनको करके चलनी पड़ेगी।

राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, माननीय सदस्यों ने भी उसका उल्लेख किया। सबको चिंता बराबर है। जो लोग आज जोर से बोल रहे हैं कि बजट में केवल 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट पेश किया अप्रेल महीने में उस समय आप भी मंत्रिमंडल में थे, आप भी व्यवस्था कर सकते थे। हमने 5 करोड़ नहीं 5 करोड़ से ज्यादा रखा। इतना ही नहीं, हम आगे निगम बनाकर अन्य वित्तीय संस्थाओं से रुपया लेकर राजस्थान में पेयजल की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मेरा विश्वास है, उपाध्यक्ष महोदय, 15 तारीख तक हम कुछ अधिकारियों को यहां से बाहर दूसरे प्रॉविन्सेज में भेजेंगे जहां पर कि पेयजल की समस्याओं के लिये कॉर्पोरेशन्स बने हैं। वह लोग वहां पर जाकर देखेंगे कि इन कॉर्पोरेशन्स ने किस प्रकार से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की है। वह यह भी देखेंगे कि इस प्रकार के कॉर्पोरेशन्स बनाना लाभदायक रहेगा या नहीं। इसमें किस प्रकार से खर्चा होगा और कितना खर्च होगा, यह सारा अध्ययन यह अधिकारी वहां पर करेंगे और बाद में उसकी पूरी रिपोर्ट हमें देंगे। उसके बाद में हम भी इस प्रकार के निगम बनायेंगे और या कुछ सुधार करके कोई कार्यवाही राज्य सरकार को करनी होगी तो वह करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की इस पेयजल की समस्या के बारे में राज्य सरकार बहुत ही चिन्तित है। यहां पर मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पेयजल की समस्या का युद्ध स्तर पर हल निकाल कर कार्यवाही करेगी। इससे आपको और जनता को यह पूर्ण विश्वास हो जायेगा कि राज्य सरकार इस पेयजल की समस्या को हल करने का कितना गम्भीरतापूर्वक प्रयास कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमने जो बजट रखा है और उसमें जो पेयजल की समस्या के लिये धनराशि रखी है, आप राजस्थान के पिछले तीस सालों के बजट में से चाहे किसी साल का बजट ले लें, किसी भी बजट को उठाकर देख लें, पेयजल की समस्या के हल के लिये इतनी धनराशि कभी भी पिछली सरकार ने नहीं रखी होगी।

Page No. 63

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फिर भी उसी सरकार के माननीय सदस्य आज यहां पर बैठकर इसकी शिकायत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इसी तरह कई विपक्षी दल के सदस्य इस चीज की ओर विशेष तौर से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि राज्य में बेकारी की समस्या अधिक है और बजट में इसका कोई हल नहीं दिया है। आज जो लोग बेकारी की बात करते हैं कि बेकारी है, शहरों में बेकारी है, गावों में बेकारी है, मैं भी मानता हूं कि बेकारी है और इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे यहां पर बेकारी है लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यह बेकारी क्यों बढ़ी? इस बेकारी को बढ़ाने वाली कौनसी सरकार थी? मैं समझता हूं कि बेकारी बढ़ाने वाली बातें जो करते हैं जो आज विपक्षी दल में हैं उन लोगों की खुद की सरकार ही थी। वह स्वयं ही इनके जिम्मेदार हैं। उनकी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हमारे देश में बेकारी बढ़ी है। उन्हीं को बेकारी समाप्त करनी चाहिये थी। उन्हें ऐसी योजनायें बनानी चाहिये थीं जिनसे कि लोगों को बेकार नहीं रहना पड़े। उन्हें इसे प्राथमिकता ही देनी चाहिए थी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ऐसी है कि बेकारी किसको कहते हैं यह भी पता नहीं चलता। आज बेकारी की परिभाषा क्या होनी चाहिये यह परिभाषा करना सरकार के लिए कठिन हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी, उनके अन्त तक तो यह पता चलता था कि हमारे यहां पर कितने बेकार हैं, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनके आंकड़े भी नहीं दिये गये। उनके बारे में उल्लेख होना ही बन्द हो गया। इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार के आंकड़े नहीं दिये गये कि हमारे देश में कितने बेकार लोग हैं। तब हमारे यहां मांग हुई कि हमारे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना तक कितने लोग बेकार हैं। हमारे देश के तत्कालीन प्रधान मन्त्री जो थे उन्होंने उस वक्त यह पार्लियामेन्ट में जवाब दिया कि बेकारी कितने लोगों में है यह आंकड़े देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने यह कहा, अभी तक यह प्रश्न तय नहीं हो पाया है कि हम बेकार किसको कहते हैं। पहले बेकारी की परिभाषा क्या हो इस बात को तय करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने इसके लिये एक आयोग बैठा दिया कि बेकारी की परिभाषा क्या होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आयोग तो गठित हो गया पर उस आयोग ने पांच वर्ष तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दी कि बेकारी की परिभाषा क्या हो। इसलिये, श्रीमानजी, आपकी सरकार तो पांच साल तक इस समस्या का समाधान भी नहीं निकाल सकी कि इस बेकारी की परिभाषा क्या है? अब आपको बेकारी की बड़ी भारी चिन्ता हो रही है। आप इस चिन्ता से दुबले हो रहे हैं कि इस बजट में बेकारी की समस्या के समाधान के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों को यह पता नहीं है कि हमने बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की है और इसके अलावा भी ऐसी योजना बजट के अलावा भी होगी और काम होंगे जिनसे कि लोगों को काम मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय

Page No. 64

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों को एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर राजस्थान में केन्द्रीय सरकार का विनियोजन बहुत कम है। माथुर साहब ने अपने भाषण में यह कहा था व्यंग्य के साथ कि अब तो दिल्ली की सरकार आपकी है अब तो आप यहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं माथुर साहब के उस व्यंग्य के जवाब में उनको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली की सरकार को बने हुए सिर्फ दो-तीन महीने हुए हैं लेकिन आपकी तो दिल्ली की सरकार तीस साल तक रही थी। दिल्ली की सरकार जो आपकी थी वह तो आपकी सरकार ने ही खत्म कर दी थी। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार से हम यहां पर एक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना लगवा रहे हैं। उसकी स्वीकृति हो चुकी है। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 11 वर्षों से 11250 वुलन स्पीन्डल्स लगे हुए चल रहे थे उनमें अब तक पिछले 11 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हो सकी। हमने दिल्ली की सरकार से इन दो-तीन महीनों में ही 7400 और वुलन स्पीन्डल्स की स्वीकृति ले ली है।

इसके अलावा यहां पर पुरानी कांग्रेस सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को खनन के पट्टों को देने की घोषणा तालियों की गड़गड़ाहट में की थी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी हरिजन या मजदूर को आप खनन के पट्टे नहीं दिला सके। आपने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के ऐसे झगड़े उसमें सर्टिफिकेट देने के लगा दिये जिससे मजदूर लोग, जो वहां पर खान के पट्टे लेने के लिये लालायित हो रहे थे, पट्टे नहीं मिलने के कारण खनन के मालिक नहीं बन सके। उन्हें खनन के पट्टे नहीं मिले। यह तो सिर्फ घोषणा मात्र ही थी। हमने यह आदेश दे दिया है कि बिना सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट दिये ही वह लोग खनन के पट्टे पाने के हकदार हो जायेंगे। हमने उन सभी बाधाओं को हटा दिया है और उनको कहा है कि जाओ और खान पर काम करो और पट्टे ले लो।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया है कि राजस्थान में बैंकों में पैसा तो राजस्थान का अधिक जमा होता है, लेकिन इसका विनियोजन बहुत कम हुआ है। डिपोजिट्स ज्यादा हैं उसके बदले में यहां पर उस धन का उपयोग कम किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में हिन्दुस्तान के सभी प्रोविन्सेज के मुख्य मन्त्रियों और वित्त मन्त्रियों की बैठक हुई थी उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक तरफ तो हमारा भारत सरकार द्वारा शोषण हो रहा है दूसरी तरफ हमारा पैसा जो बैंकों में जमा हो रहा है उसका विनियोजन राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। इस बात को अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस दिन के बाद में मेरे पास में कई बैंक्स वाले आये हैं और स्कीम्स भी लेकर आये हैं, जिनसे गांवों में भी बैंक्स की शाखायें खुलेगी और लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी समयाभाव के कारण मैं राजस्थान में बैंकों की बैठक में भाग नहीं ले सका हूं लेकिन दो-तीन-चार दिन में बैठक होगी और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास के नाम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
पर शहरों और गांवों में जो असन्तुलन पैदा हो गया है बेकारी की समस्या मुंह बाये खड़ी है इस समस्या का समाधान भी बैंक की शाखायें गावों में खुलने से व बैंकों द्वारा उद्योग धन्धों के लिये लोगों को ऋण देने से होगा और काफी लोगों को, मैं समझता हूं रोजगार मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमने भारत सरकार के सामने कई योजनायें रखीं। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ भारत सरकार इस बारे में जरूर निर्णय लेगी। ऐसा मैं समझता हूं कि हमारे आग्रह पर जो योजनायें खुलेंगी उनसे भी कई समस्याओं का समाधान होगा।

श्री मूलचन्द डागा : आहा!

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागाजी आपने तो पिछले तीस वर्षों में कुछ नहीं किया अब आज आप आहा कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बजट में क्या किया है वह बतावें। आप कोई चौपड़ पर खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट में क्या होता है।

श्री मूलचन्द डागा : आंकड़े बताओ। यह बताओ कि आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो खाली डींगें मार रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट के आंकड़े में कोई खास बात नहीं है। जो कुछ रखा है वह स्पष्ट है। बजट के आंकड़ों के बारे में वित्त मन्त्रीजी जवाब देंगे वैसे आप चाहें तो मैं भी जवाब दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन से जनता पार्टी की सरकार ने अपना काम शुरू किया उसी पहले दिन हमने जनता से यह वायदा किया कि हम जनता को शुद्ध प्रशासन देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, शुद्ध प्रशासन एक बहुत बड़ी बात है। इसमें पहली बात है कि शुद्ध प्रशासन देने में हमें किन-किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिये। यहां पर शुद्ध प्रशासन को लेकर कई माननीय सदस्यों ने काफी आलोचना की। इसके साथ-साथ ही यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने बाढ़ के सन्दर्भ में यह कहा कि बाढ़ के कारण कई गांवों में फसलें नष्ट हो गयीं और लोगों के मकान बह गये। इसके लिये हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने राहत कार्य चालू करने के लिये आदेश दे दिये हैं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि राहत कार्य खोलने में कोई राजनैतिक पक्षपात नहीं किया जायेगा। जहां-जहां पर बाढ़ के कारण क्षति हुई है चाहे मकान गिर गये, चाहे फसलें नष्ट हो गयीं, वहां पर राहत कार्य खोले जायेंगे और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सभी जगह समान स्तर पर कार्यवाही होगी। मैं एक बात और सूचित करना चाहता हूं कि जब कल हम राहत कार्य खोलने के लिये चर्चा कर रहे थे उस समय हमारे यहां पर सबसे पहले यह बात शुरू हुई कि कहीं पर कोई राहत खोलने के पहले हमें इस बात के लिये तो कम से कम आश्वस्त हो जाना चाहिये कि जो भी पैसा हम इस राहत कार्य के लिये देंगे वह पैसा उसी के लिये उपयोग में आयेगा। जिस काम के लिये पैसा दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जायेगा एक भी पैसा अगर देंगे तो वह पैसा उसी के लिये उपयोग में होगा। उस पैसे का सही उपयोग होगा। उस पैसे को बीच में कोई हजम न कर जाय, उस पैसे को बीच में हजम करने की शक्ति को मिटाना है, उसको मिटाने के लिये मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा।

आपको जानकारी पहले यह देना चाहूंगा कि सन् 1960 से लेकर 1975-76 तक राजस्थान में 261 करोड़ रुपये अकाल राहत पर खर्च हुए। इन 261 करोड़ में से कहां-कहां, कितना-कितना खर्च हुआ मैं वह सारा विवरण यदि चार दिन तक भी इस पर विधान सभा की कार्यवाही हो तो भी नहीं रख पाऊंगा लेकिन कुछ तथ्य सामने जरूर रखना चाहूंगा। उदाहरण स्वरूप मैं एक मामला रखना चाहूंगा। यह मामला है, डूंगरपुर सड़कों के अकाल राहत कार्य का। 1966-67 के अकाल राहत कार्य में डूंगरपुर में काम हुए। उस समय 1967 में केवल एक ही अकाल में सड़कों पर 2 करोड़ 6 लाख रुपये खर्च हुए। इतनी राशि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजना में खर्च नहीं हुई। उन सड़कों के काम में भ्रष्टाचार है, इस बात की शिकायत इस सदन के अन्दर मैंने भी की, अन्य माननीय सदस्यों ने भी की। उस समय हम चर्चा करते थे, डागाजी, सरकारी पक्ष यह कहा करता था कि बातें बड़ी बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। वे तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं।

अतिरिक्त सहायता आयुक्त ने सड़कों के राहत कार्यों पर व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार का जिक्र अपने 21 पृष्ठीय प्रतिवेदन में किया है। उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। यदि मिट्टी की ये कच्ची सड़कें 26 फीट चौड़ी होतीं, 2½ फीट ऊंची होतीं तो भी उनके ऊपर 15 से 20 हजार रुपये प्रति मील से अधिक खर्च नहीं आ सकता था। जो उस समय का शिड्यूल बना हुआ था, जिस मापदंड से सड़कें बनती थीं, उसके अनुसार 15 से 20 हजार रुपयों से अधिक खर्च नहीं हो सकता था, लेकिन भ्रष्टाचार की इतनी पराकाष्ठा हुई थी कि कच्ची सड़कों पर 1 लाख रुपये से अधिक रुपया प्रति मील के हिसाब से खर्च किया गया। जहां 15 से 20 हजार से अधिक खर्च नहीं हो सकता था वहां पर 1 लाख से अधिक रुपया खर्च किया गया प्रति मील।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 12 सड़कों पर 50 हजार रुपये की प्रति मील से अधिक राशि खर्च की गयी। तथा 10 सड़कों पर 30 से 45 हजार रुपये तक की अधिक राशि प्रति मील खर्च की गयी। यही नहीं, उसमें से अधिकांश सड़कें 1 से 1½ फीट ऊंची तथा 24 फीट चौड़ी भी नहीं बनाई गईं। जो मापदण्ड बना हुआ है उस हिसाब से नहीं बनाई गईं। उस समय लगभग 60 हजार रुपया प्रति मील की दर से डामर की सड़कें बनती थीं पर पिछली सरकार ने मिट्टी के कच्चे रास्ते बनाने में भी एक-एक लाख रुपया प्रति मील व्यय कर जनता के पैसे को खराब किया। कई सड़कों पर, कई जगहों पर काम ही नहीं हुआ और पैसा उठा लिया गया।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के मंत्री जांच प्रतिवेदनों को ऐसे दबा कर बैठ गये कि सांप फुंकार कर ले लेकिन जांच प्रतिवेदन को निकाल नहीं सके।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रिपोर्ट में उल्लेख आया उसकी चिन्ता नहीं। एडीशनल कमिश्नर ने इन्क्वायरी कर ली। आपको चिन्ता नहीं हुई। दो-दो वर्ष तक एक मंत्री की अलमारी में यह फाइल पड़ी रही।

कई माननीय सदस्य : कौन है वह मंत्री ? नाम बताया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम नहीं बताऊं तो ही अच्छा है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : नाम जरूर बतावें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तत्कालीन राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री।

श्री मूलचन्द डागा : ये सब भाषण सुने हैं पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल राहत के तत्कालीन राज्य मंत्री श्री गुलाबसिंह शक्तावत के पास से यह फाइल दो वर्ष में मिली।

आगे मैंने एक्शन लिया है वह बताऊंगा। सदन की जानकारी में कुछ छोटे-मोटे मामले लाना चाहूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बड़े मामले क्यों नहीं ? स्पष्ट बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पष्ट बताऊंगा।

भीलवाड़ा में 1969-70 में हुए राहत कार्यों पर केवल इस सदन में ही चर्चा नहीं हुई थी बाहर भी हुई थी। माननीय श्री खेतसिंहजी और परसरामजी परिचित हैं कि जब हमने इस मामले को इसी सदन में जोर शोर से उठाया था। काफी उस पर चर्चा हुई थी। तब सरकार ने पूरे तथ्य सामने नहीं रखे थे और मामले को सरकार ने दबाने की चेष्टा की थी। लेकिन कतिपय कारणवश मामला दब नहीं पाया और सरकार को तीन अधिकारियों की समिति बना कर जांच करानी पड़ी। मामला काबू से बाहर निकल गया था उनके। अब वे मामले क्या थे ? मैं आपको बताना चाहूंगा।

1. मस्टर रोल में फर्जी हाजरी की गयी।

2. औजार फावड़े खरीदने में गम्भीर अनियमिततायें हुईं।

3. खराब किस्म के त्रिपाल खरीद कर अधिक राशि का भुगतान किया गया।

4. अवैध रूप से लाखों रुपये की बजरी मिट्टी ठेकेदारों से खरीद ली गयी जबकि फैमिन कोड के अन्तर्गत बजरी मिट्टी मजदूरों से निकलवायी जाती है, ठेकेदारों से खरीदी नहीं जाती।

5. ठेकेदारों को गलत लीड देकर अधिक भुगतान दिया गया। भीलवाड़ा में कांश्या खाना मांडलगढ़ से पट्टियों के कातले आदि लाये गये और जोधपुर को लीड दे दी। इस प्रकार गलत लीड देकर 1 लाख 77 हजार रुपये का अधिक भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया।

6. ब्लास्टिंग मशीन वालों को बिना ब्लास्टिंग किये भुगतान किया गया और इसका 1 लाख 10 हजार का अधिक भुगतान हुआ।

7. कई कार्य बिना स्वीकृति के सिंचाई विभाग ने ऐसे ले लिये जो अभावग्रस्त क्षेत्र में नहीं थे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

8. स्वीकृत राशि से अधिक राशि राहत कार्यों पर खर्च की गयी। जांच दल ने दो अधिशासी अभियन्ता, दस सहायक अभियन्ताओं को तथा 16 ओवरसियरों को दोषी ठहराया है। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई।

तीसरा आपको और बताता हूं। वह है जैसलमेर जिले का।

(व्यवधान)

सब आगे बता दूंगा।

नोआ-भदेसर सड़क, जिला जैसलमेर

यह कार्य 1969-70 में शुरू किया गया था। इस सड़क पर 6 लाख 7 हजार का भुगतान किया गया जब कि कलेक्टर की जांच के अनुसार कार्य 60,000 रुपयों से अधिक का नहीं हुआ है। मस्टर रोल फर्जी बनाये गये। जिन व्यक्तियों के नाम मस्टर रोल में दर्ज हैं उनके कहीं रहने का पता नहीं लगा। कलेक्टर ने गांव वालों के बयान लिये। जांच अधिकारी की रिपोर्ट नवम्बर, 1970 में राज्य सरकार को मिली थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। उसको दबा कर बैठ गये।

मेजा डेम राहत कार्य, जिला भीलवाड़ा

मेजा डेम का, माननीय मनोहरसिंहजी, परिचित हैं, सवाल हमने इसी सदन में उठाया था। परसरामजी आपको भी याद होगा।

श्री परसराम मदेरणा : जो भी रिपोर्ट आयी है टैक्निकल आधार पर है। एडमिनिस्ट्रेटिव, जांच अधिकारियों ने क्यों नहीं एक्शन लिया? छिपाने का कोई सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1969-70 में अकाल राहत के अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ।

6 लाख का गबन हुआ और कोई काम नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेजा डेम का अकाल राहत का काम 1969-70 में हुआ।

श्री मदनसिंह दाँता : सुस्ती तो आपने भी दिखायी है। अब तक जेल में होना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कार्य वर्ष 1969-70 में जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा एक लाख रुपये की स्वीकृति से प्रारम्भ हुआ। इस स्वीकृति का दुरुपयोग हुआ। इस स्वीकृति के विरुद्ध सिंचाई विभाग ने 10,10,946) रु० 42 पै० की राशि का अनधिकृत व्यय किया। केवल एक लाख की स्वीकृति के अगेंस्ट। मेजा डेम पर सौंदर्यकरण (ब्युटिफिकेशन) हुआ मेजा डेम पर अकाल राहत का काम नहीं हुआ। ब्युटिफिकेशन हेतु ऐसा काम किया गया जिसका राहत कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पर भी अधिक धनराशि खर्च की गयी। मेजा डेम पर स्वीमिंग पूल तथा रेस्ट हाउस भी अनधिकृत रूप से निर्मित किये गये। अकाल राहत कार्यों के बजाय रेस्ट हाउस बना रहे हैं। मेजा डेम का रेस्ट हाउस देखें तो अन्दाजा लगा सकेंगे कि समाजवादी कहलाने वाली भूतपूर्व सरकार के मंत्री का रेस्ट हाउस है या अमेरिकन सरकार का यह रेस्ट हाउस है।

एक माननीय सदस्य : यहां मथुरादासजी की विजिट का कुछ ब्यौरा है क्या आपके पास?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : रात की रंगरेलियों के लिए हैं ये सब चीजें ।

श्री मूलचन्द डागा : आपके मंत्री जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं आपको दो छोटे-छोटे क़िस्से और बताता हूं ।

(व्यवधान)

डागाजी, कभी तो सीरियस होओ ।

जोधपुर की एक फर्जी फर्म आशा ओटोमोबाइल्स को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैकेनिकल डिविजन ने 2 लाख 26 हजार रुपये का फर्जी भुगतान गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के नाम पर किया । यह मामला 1974 में सामने आया । अधीक्षण अभियन्ता ने तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने इस बात की जांच की और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इसमें घोटाला स्पष्ट है । लेकिन परसराम जी, आज तक आपकी सरकार ने एक्शन नहीं लिया । मैं फिर बताना चाहूंगा.....

श्री परसराम मदेरणा: मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है । न तो यह प्रश्न कभी मेरे सामने आया है और न याद आने का प्रश्न है । किसी तरह की कोई जांच हुई होगी या आदेश दिये होंगे इसका मुझे पता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा है, हमारी शिकायत केवल यही है कि इस मामले की जांच कराने के लिए सब की स्मरण शक्ति नष्ट हो गयी । आपको और सब बातें याद रहती थीं लेकिन भ्रष्टाचार हो गया उसकी याद नहीं रहती थीं, । भगवान जाने कौन से तन्तु आपके मस्तिष्क में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार को देखते ही ठंडे हो जाते हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : कल ही मुख्य मंत्री महोदय, मैंने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला पंचायत समिति मकराना का रखा है उसके ऊपर आपने क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ? आप बतायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा ।

चूरू जिले की सड़कों के बारे में आपको जानकारी है । वह तो शायद आप भूले नहीं होंगे । 1 करोड़ 69 लाख रुपये का खर्चा हुआ । आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि जिन्होंने जांच की है उन्होंने कहा है कि इसमें 49 लाख रुपये से ज्यादा का खर्चा नहीं हुआ है । कहां 1 करोड़ 69 लाख रुपये और कहां यह 49 लाख ! मौके पर काम मिला है वह तो 38 का ही है । लेकिन उन्होंने कुछ हिसाब लगाकर 11 लाख उसमें और जोड़ कर कहा कि कुल खर्च 49 लाख का हुआ ।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बड़े जोर-शोर से मांग की थी कि अकाल राहत कार्य खोले जायें । मैं भी जोर-शोर से कहता हूं कि अकाल राहत के कार्य खोलूंगा लेकिन इसी जोर-शोर के साथ आपको और सरकार के अधिकारियों को सावधान करना चाहता हूं कि पिछले दिनों का खाया हुआ नाक से निकलवाऊंगा और आगे नहीं खाने दूंगा ।

इस सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैंने कल ही 23 गजैटेड आफिसर्स को सस्पेण्ड किया है । उसमें आर० ए० एस० भी हैं और एस०ई० भी हैं, इन्जीनियर भी है, ओवरसियर भी हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह राजाखेड़ा : नाम बता दें ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : आप बैठिये, आप भी आ जाओगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नाम बता दो ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आई०ए०एस० आफिसर्स को आप इसमें भी बचा गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बजरंगलाल जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिमाग में आई०ए०एस० और आर०ए०एस०का कोई भेद-भाव नहीं है । आप शायद सब नाराज हुए होंगे, मैं सत्र में इसलिए नहीं था कि काम के कारण न मुझे समय मिला और समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी मामला, कहीं भी भ्रष्टाचार का किसी ने किया तो राजस्थान की जनता पार्टी उसको बक्शने वाली नहीं है । प्रश्न केवल समय का है कई आप लोग सब नाराज हुए होंगे और टेलीफोन पर कइयों ने काफी नाराजगी भी प्रकट की कि तुम विधान सभा में नहीं बैठकर सचिवालय में क्यों बैठे हो । मैं सचिवालय में इनकी सेवा करने के लिए बैठा हूं । ज्यों-ज्यों समय मिलेगा और इस सदन की कार्यवाही जब तक समाप्त होगी और मुझे समय होगा तब तक कई मामले आप ऐसे सुनेंगे जिनको सुनकर मैं समझता हूं कि गरीबों का खून खौलेगा और विधायकों को परेशानी होगी और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को मैं समझता हूं कि कई दिनों तक नींद नहीं आयेगी ।...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप नाम बता दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके साथ ही साथ एक फैसला राज्य सरकार ने किया है। आप जानते हैं कि कई बार सरकारी अधिकारियों को सरकार डिसमिस करने का निर्णय ले लेती है लेकिन निर्णय उस समय तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक पब्लिक सर्विस कमिशन से उसकी एप्रूवल न हो जाय। मेरा, मेरे बाकी के मित्रों का और हमारा सब का ही मानना है कि जिस आदमी को पता है कि ज्यों ही पब्लिक सर्विस कमिशन से लैटर आया कि मुझे घर जाना है, इतने दिनों में जो कमाई करनी हो कर लो, आगे कुछ नहीं होगा । इसलिए उन सब चीजों की गतिविधियों को रोकने के लिए हमने फैसला लिया है कि जो एक-एक साल से बरखास्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने थे और नहीं लिये जा सके उन सारे अधिकारियों को सस्पेण्ड कर दिया जाये ताकि इस पीरियड में वह किसी प्रकार का और भ्रष्टाचार नहीं कर सकें । उसमें हमने 8 आदमियों को सस्पेण्ड किया है । उनके नाम बता रहा हूं:

श्री गंगासहाय – आर० ए० एस०

डा. अकलेश विष्णु गुप्ता–सी० ए०एस०

डा० एच० सी० रामदेव

श्री एस० एन कपूर०

श्री धर्मेन्द्र सिंह

श्री सुरेश्वरा नन्द

श्री जे० एस० सिन्हा

श्री आर० एन० सिंघल, सी०ए०एस०

भीलवाड़ा के मामले में इनको सस्पेण्ड किया गया है :

श्री एस०सी०राजवंशी,–एस०ई०इरिगेशन

श्री भंवरलाल जैन–एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर इरिगेशन ।

Page No. 71

(श्रीभैरोंसिंह शेखावत)

डूंगरपुर :

श्री एस० एस० माथुर-एग्जीक्यूटिव इंन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०

जैसलमेर :

श्री एच० पी० व्यास-एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर

श्री जी० सी० माथुर-ए० ई० एन०

श्री के० सी० बोहरा-ए० ई० एन०

आशा आटोमोबाइल,

श्री एम० एम० माथुर-एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, मैकेनिकल डिविजन, उदयपुर

श्री बी० डी० शर्मा-ए० ई० एन० मैकेनिकल डिविजन, उदयपुर

श्री कृष्णा नन्द-अकाउन्ट्स क्लर्क

श्री एस० के० छंगाणी-ए० ई० एन०

श्री टी० आर० सोनी- ए० ई० एन०

श्री एन०एस० परिहार-यू०डी०सी०

श्री बी० के० गुप्ता-सब-इन्जीनियर

श्री सुमेरमल- एल० डी० सी०

और मैं जिक्र करना भूल गया जो जयसमन्द झील पर आपने देखा होगा कि अकाल राहत के नाम पर कैसा कितना बड़ा विशाल भवन बनाया है। उसकी भी मेरे पास डिटेल हैं। उसमें भी श्री जगदीश गहलोत, एस०ई० इरिगेशन, आर०सी०पी० बीकानेर को सस्पेण्ड किया गया। इतना मैं और बता दूं कि मैं भी सन्तुष्ट नहीं हूं इस लिस्ट से। मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं लेकिन इतने बड़े मामले में रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स-अप की जाये वह किस प्रकार से की जाये उस संबंध में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को मैंने लगा दिया है।....

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं मुख्य मंत्रीजी दो बातें निवेदन करूंगा कि एक तो आपने बताया कि इनको सस्पेण्ड किया गया है, तो इन्होंने कितना रुपया खाया है? रुपया सिर्फ नौकरशाही ही खा गयी या इसमें राजनैतिक नेताओं का, विधायकों का और मंत्रियों का कितना लेना देना या हिस्सागिरी रही है? मेहरबानी करके इस बात पर भी प्रकाश डालें।

श्री मूलचन्द डागा : पहले पूरा भाषण होने दें।

श्री रतनलाल वर्मा : बिना राजनैतिक नेताओं के संरक्षण के इतनी बेईमानी नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्यों को केवल यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी पहली मिली जांच से जो दोषी पाये गये उनको सस्पेण्ड किया और कार्यवाही चालू है। यह एक आम चर्चा जरूर है कि क्या सरकारी अधिकारी अकेले इतनी गफलत कर सकते हैं? इस बात की जांच की आवश्यकता है। इसकी जांच करेंगे हम।....

श्री बजरंगलाल शर्मा : उसमें देर क्यों हो रही है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको बताया कि मैंने इस काम का श्रीगणेश कल से किया है और कल से इसलिए किया है कि आज से सात दिन पहले शायद माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी ने मेरे ऊपर एक ताना मारा था और यह कहा था कि आप उन कागजों को दबाकर क्यों बैठे हैं। मैं कागजों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को दबा कर नहीं बैठा था। मुझे समय नहीं था। दो दिन मैंने समय की चोरी की और दफ्तर में बैठा और कागज देखें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों समय मिलेगा और विधान सभा की कार्यवाही बढ़ती जायेगी, आप हर रोज सुनेंगे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राजस्थान की जनता पार्टी यह काम कर रही है। अब मैं अन्त में माननीय सदस्यों को यही निवेदन करना चाहूंगा और राज्य सरकार के सरकारी अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह पहले के इतिहास को भूल जावें और वे पहले की घटनाओं को याद करें और याद करके उनसे सबक लें। यह राजस्थान के खजाने का पैसा यह राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का है यह किन्ही भ्रष्ट व्यक्तियों का नहीं है। हम सब लोग मिल कर इसके ट्रस्टी हैं। यदि हम अयोग्य हैं तो उस ट्रस्टीशिप में से कोई पैसा खा जायगा। अगर हमें अपनी योग्यता का प्रमाण देना है तो मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से जो भी मामले आपके सामने भ्रष्टाचार के आते हैं और मैं कांग्रेस के बन्धुओं से भी अपील करना चाहूंगा कि मेरे खिलाफ, मेरे साथियों के खिलाफ आप निश्चित रूप से आरोप लगायें, मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि पूरा समाप्त कर दूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों की परेड करवा कर दुनिया को मैं बता दूंगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। माननीय सदस्यों से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैं विण्डिक्टिवनेस से काम करने वाला नहीं हूं इससे आप आश्वस्त रहें। राजनैतिक विद्वेष से मैं काम नहीं करता, मैं विण्डिक्टिवनेस से काम नहीं करूंगा, लेकिन जो तथ्यों के आधार पर बातें सामने आयेंगी उनके लिए इतना ही कह सकता हूं कि उनको भगवान ही बचा सकता है मैं नहीं बचा सकूंगा।...

श्री मूलचन्द डागा : उनको तो भगवान भी नहीं बचाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ठीक ऐसी स्थिति में मैं सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि पिछले दो-तीन महीनों में हम बजट में जिस प्रकार का परिवर्तन ला सकें हमने लाने का प्रयत्न किया है। आज मैं इस बात को नहीं कहता और न ही इस बात का दावा करता हूं कि हमने बजट को खूबसूरत बना लिया है। बजट में खामियां होंगी, वह खामियां हमारे ध्यान में लाई गई, हम खामियों से सबक लेंगे, खामियों से चिढ़ कर दूर नहीं भागेंगे। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी होऊंगा यदि आप अपने अनुभव के आधार पर इस प्रशासन में किस प्रकार का सुधार करना है, प्रशासन की खामियों को किस प्रकार से दूर करना है इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देंगे। मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं राजनैतिक कि विद्वेष से न पहले काम करता था और न आज राजनैतिक विद्वेष से काम करना चाहता हूं। मेरी और हमारे दल की यही इच्छा होगी कि हम सब मिल कर राजस्थान के विकास की गति में एकरस होकर इस राजस्थान से गरीबी, बेकारी, भुखमरी को भगायें। हम सब का यह प्रयत्न सफल हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरे भाषण को सुना उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजनैतिक बंदियों

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

के ऊपर चलने वाले मुकदमों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पेरसों राजनैतिक बंदियों के सम्बन्ध में मामला उठाया और बजरंगलाल जी ने बीज-खाद की खरीद के सम्बन्ध में मामला उठाया और भी कई मामले यहां पर उठाये गये हैं। मैं सदन को अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता। अभी मैं जानकारी एकत्रित कर रहा हूं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि डिमाण्ड के समय जब इस प्रकार के प्रश्न सामने आयेंगे, इस सम्बन्धी जब डिमाण्ड होगी उस समय सारे मसलों को सदन के सामने रखूंगा।

श्री मंजूर अली (सवाई-माधोपुर) : जिन अफसरान को आपने सस्पेन्ड किया है वे अपनी प्रोपर्टी को डिस्वर्स नहीं कर दें। ताकि उनको केवल सजा ही नहीं दिला सकें बल्कि उनकी प्रापर्टी भी सीज हो इसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्रीजी।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद मेरा बोझ काफी हल्का हो गया। उन्होंने सभी विषयों पर अपने विचार रखे परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों पर कुछ और बातें कहना जरूरी है। जहां तक परिवर्तित बजट अनुमानों का सवाल है, सभी ने उसकी सराहना की है और स्वागत भी किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचनायें भी की हैं और कुछ सुझाव भी दिये हैं। एक बात जो विशेष है वह यह है, यह कहा गया है कि यह बजट थोथा है। इस बजट में वास्तविकता नहीं है, और आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर रखा गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में पूरी तौर से ध्यान रखा गया है और जमा की ओर केवल वही राशियां रखी गई हैं जिनका रखा जाना जरूरी था और जिनका ठोस आधार था या जिनका पूरा आश्वासन था। फिर भी यह बताया, यह कहा गया है कि यह बजट है और जो पहला बजट मार्च में रखा गया था इसमें अन्तर है। जो 30 मार्च, सन् 1977 को बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए थे उनमें 31 करोड़ का घाटा दिखाया गया था और अब वही घाटा परिवर्तित बजट अनुमानों के रखते समय 75 करोड़ का बताया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जो 75 करोड़ का घाटा दिखाया गया है इस बजट में वह बिल्कुल ठीक है। उसको मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा। सन् 76-77 के संशोधित बजट अनुमानों में 75-76 के 7.73 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे को सम्मिलित करते हुए 21.57 करोड़ रुपयों का घाटा आंका गया था। इसकी तुलना में वास्तविक घाटा 7.48 करोड़ रुपयों का ही रहा। वर्ष 1977-78 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय भूतपूर्व सरकार ने वर्ष के अन्त तक घाटा 24.22 करोड़ रुपये आंका था इसमें वर्ष 76–77 के 7.48 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे को जोड़ने से वर्ष 77-78 का कुल घाटा 31.70 करोड़ रुपये होता। पिछली सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये के नए कर लगाने से यह घाटा कम होकर 28.70 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। 21 करोड़ रुपयों की प्राप्ति ऐसी दिखाई गई थी जिसका कोई ठोस आधार नहीं था, और न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आश्वासन ही था। इनमें से 8 करोड़ रुपयों की प्राप्ति तो अग्रिम योजना सहायता के

Page No. 74

(श्री आदित्येन्द्र)

रूप में मानी गई जिसके लिए कोई आश्वासन अभी तक भी नहीं है । योजना आयोग ने 51.52 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता ही 77-78 के लिए मानी थी जब कि बजट अनुमानों में इसे बढ़ा कर 59.52 करोड़ रुपये दिखाया गया था । अब इस राशि को परिवर्तित अनुमानों में सम्मिलित नहीं किया गया है । इसी प्रकार पांचवी योजना अवधि में दिये गये ऋणों पर ब्याज की देयता के लिये 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान की राशि को भी सम्मिलित कर लिया गया था । यही नहीं घाटा कम करने के प्रयास में 12.59 करोड़ रुपये इस मद के पेटे प्राप्ति भी मानी गई थी । इसको आप प्रमाणित करना चाहते हैं तो प्रमाणित हो जायगा जो कि हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण दिया था उसमें पैरा संख्या 60 में यह उल्लिखित है । इस राशि के बारे में भी उस समय न तो कोई स्पष्ट निर्णय ही केन्द्रीय सरकार ने लिया था और न ही कोई पक्का आश्वासन इस राशि के बारे में दिया गया था । इस प्रकार जो पहले घाटा दिखाया गया था, 28.70 करोड़ का था । उसमें 21.57 करोड़ जोड़े और फिर उसके बाद 11.04 करोड़ अतिरिक्त व्यय जिसका प्रावधान बजट अनुमानों में शामिल नहीं था । अतः बजट घाटे के आधार पर कुल घाटा ...

(3-12 म० प०)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

7.74 करोड़ रुपये का हो गया ।

30 मार्च, 1977 को बजट प्रस्तुत करने के पश्चात भी भूतपूर्व सरकार ने अनेकों छूटें व व्यय सम्बन्धी घोषणायें कीं । उदाहरण के लिये केवल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि, बिजली दरों में कमी आदि में करीब 8 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है । इसके अलावा भूमि कर की समाप्ति ट्रेक्टर ट्रोली पर वाहन कर, कंकर-बजरी आदि पर बिक्री कर की वापसी आदि की छूट, सिंचाई की दरों में छूट, कॉलेजों के प्राध्यापकों को यू० जी० सी० वेतनमान देना, अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों की बहाली, 50 पशु चिकित्सालय खोलने पर व्यय और बाद में विधान सभा चुनावों पर लगभग 6.50 करोड़ का वित्तीय भार और पड़ा । इस प्रकार कुल घाटा मिलाकर 75.26 करोड़ रुपये का हो जाता है ।

इस सम्बन्ध में कुछ वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं जिनके बारे में भी उल्लेख करना आवश्यक है । संसदीय प्रणाली का यह एक मुख्य सिद्धान्त है कि सार्वजनिक कोष से सरकार जो भी व्यय करे, उसकी विधान सभा द्वारा विधिवत् स्वीकृति हो । निर्धारित जन-प्रतिनिधियों द्वारा गठित विधान सभा की संवैधानिक स्वीकृति के अभाव में सरकार कोई व्यय नहीं कर सकती ।

भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में विभिन्न कार्यक्रमों पर 11.04 करोड़ के खर्च करने की घोषणा की थी किन्तु संविधान की धारा 202 के अनुसरण में 30 मार्च, 1977 को अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण-पत्र जो विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया उस वार्षिक वित्तीय विवरण में इन प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया जो कि संवैधानिक दृष्टि से अनुचित था । बजट भाषण में सिर्फ घोषणा मात्र करने से बजट में प्रावधान नहीं हो जाता है बल्कि उसे वार्षिक वित्तीय विवरण

(श्री आदित्येन्द्र)
में सम्मिलित करने के बाद ही विनियोग विधेयक के माध्यम से राज्य की संचित निधि में से विभिन्न प्रयोजनों पर व्यय की स्वीकृति विधान सभा द्वारा ही दी जाती है। चूंकि यह राशि विनियोग विधेयक में सम्मिलित नहीं की गई, अतः राज्य सरकार इस व्यय को करते हेतु प्राधिकृत नहीं थी।

श्री मूलचन्द डागा : जवाब आप तो पढ़ रहे हो। वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहे हो।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : क्योंकि आय-व्ययों के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः चुनावों में लाभ लेने की दृष्टि से आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति कराकर इन कार्यक्रमों पर व्यय किया गया जो कि वित्तीय दृष्टि से अवाछंनीय, अनुचित था। आकस्मिकता निधि से साधारणतया इस प्रकार का खर्चा किया जाता है जो अप्रत्याशित व अत्यावश्यक हो जिसके लिये स्वीकृत बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। भूतपूर्व सरकार द्वारा यह जानते हुये भी विभिन्न कार्यक्रमों का 11.04 करोड़ रुपय अतिरिक्त व्यय होगा उसे वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित न करना और कुछ मदों पर आकस्मिकता निधि द्वारा खर्च करना संवैधानिक एवं वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं था।

तो मैंने आपको यह बताया कि बजट जो पहले सन् 1977 में 30 मार्च को पेश किया गया था वह घाटे का बजट था। आपने यह कहा है कि यह जो घाटे का बजट पेश किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है इसमें सन्तुलित बजट होना चाहिये था। मेरा कहना यह है कि यह इस कारण से हुआ कि पहले ही बजट में काफी घाटा था। इसके बाद ....

श्री मथुरा दास माथुर : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। यह तो वित्त मंत्रीजी लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या कुछ स्पष्टीकरण कर रहे हैं.....

श्री सभापति : आप उनका जवाब हो जाने दे, उसके बाद में कुछ कहें।

श्री मथुरा दास माथुर : वित्त मंत्रीजी जवाब देते वक्त कोई राइटिंग में स्टेटमेंट पढ़े। बजट स्पीच नहीं है, आज तक सदन की परम्परा के खिलाफ रहा है ....

श्री सभापति : मैं मालूम करूंगा।

श्री मथुरा दास माथुर : रूल्स में पर्मिशिबिल नहीं है, फिर भी उन्होंने पढ़ दिया, कोई आपत्ति नहीं करता, पढ़ दिया। उनकी पुख्ता उम्र को देखते हुये और शरीफ आदमी देखते हुये कोई एतराज नहीं करता, कोई खास नहीं है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी आफिसरों ने लिख कर दिया, उन्होंने बिना माइन्ड एप्लाई करके पढ़ दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, I take serious objection to it यह कैसे कह दिया कि आफिसरों ने लिख कर दिया है।

श्री मथुरा दास माथुर : वे बोले हैं अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोले हैं तो खुद नहीं लिख सकते हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : मैंने कहा नहीं..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पहले नहीं कहा कि आफिसरों ने लिख कर दिया जो बोल दिया। Are we not competent to write ourselves ?

ये शब्द प्रोसिडिंग्ज से निकाल दिये जायं, यह कोई बात हुई।

श्री मथुरा दास माथुर : कोई प्रोसिडिंग्स में से नहीं निकाले जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या बात हुई। मैं भी आपको कह सकता हूं कि किसी क्लर्क ने सिखा दिया और आपने भाषण दे दिया।

श्री मथुरा दास माथुर : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डेरोगेटरी लेंग्वेज यूज कर रहे हैं यहां।

श्री मथुरा दास माथुर : माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तेजित होने की आवश्यकता इसलिये है कि किसी पर चार्जेज लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरा दास माथुर : उन्होंने जो सदन में पढ़ा है उसका अवलोकन करें, अनदेखा करके न चलें। उस पर उन्होंने आब्जेक्शन उठाया, हम बोलेंगे....

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : मुख्य मंत्री जी इनकी छोटी मोटी बातों पर....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत बड़ी बातें आयेंगी।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना बजट-भाषण समाप्त कर दें, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूछ लेना, मैंने कब मना किया।

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि यह बजट अनुमान परिवर्तित रूप में जो पेश किये गये हैं, इनमें बजट में व्यय के लिये काफी प्रावधान है। जितनी भी मदें हैं उनमें काफी धनराशि और खर्च करने के लिये प्रावधान रखा गया है। अभी आज भी और उससे पहले भी जो इस सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं या एतराजात किये गये हैं उसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य माथुर साहब ने एक शंका प्रकट की, यह जो अन्त्योदय की योजना है, यह एक तरह से पूरी हो नहीं सकती हैं। यद्यपि वे इसका स्वागत करते हैं और अच्छी योजना है लेकिन इसके लिये केवल २५ लाख रुपये का प्रावधान है जैसा मुख्य मंत्री जी ने अभी मेरे से पूर्व में कहा था कि यह योजना केवल २५ लाख रुपयों से पूरी नहीं होगी बल्कि जो और योजनायें हैं जैसे पशुपालन की योजना है, या संभावित सूखा के संबंध में जो योजना है, दूसरी और भी कई योजनाएं हैं लघु कृषक के संबंध में और सीमान्त कृषकों के सम्बन्धी जो योजनाएं हैं उनमें प्रावधान काफी रखा गया है और उस तमाम प्रावधान में वह राशि 10 करोड़ से ऊपर बैठती है। तो इस प्रकार से उनमें भी जो-जो काम किये जायेंगे उनसे जो निर्धन से

(श्री आदित्येन्द्र)

निर्धन व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचेगा। इस बजट की विशेषता यही है कि इस बजट में पूरा ध्यान इस बात का रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से हो। अब तक इससे पहले जो भी बजट रखे गये थे उन बजटों में ध्यान शहरों की ओर था और शहरों के रहने वालों की ओर था, लेकिन गांवों की ओर कभी भी अब तक ध्यान नहीं गया। यह पहली बार है जब कि गाँव के रहने वालों की ओर ध्यान सरकार का गया है।

श्री मदनसिंह दांता : और मंत्रिमण्डल बनाते वक्त भी गाँव की तरफ ही ज्यादा ध्यान रखा

श्री आदित्येन्द्र : इस बजट में और उस बजट में एक बेरोजगारों की संख्या के बारे में भी काफी अन्तर है। उस समय जो 30 मार्च को बजट रखा गया था उसमें केवल 2,96,000 लोगों को रोजगार मिलता। अब जो बजट रखा गया है इसमें 5,36,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से संख्या लगभग पहले से दुगुनी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इस बजट की यह है कि जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको ऊपर उठाया जायेगा और जब उनको ऊपर उठाया जायगा तभी यह विषमता दूर हो सकेगी। अभी तक जो भी काम किये गये हैं, उनमें अगर निर्धनतम व्यक्तियों पर एक पैसा खर्च किया गया है तो उससे ऊपर की श्रेणी के जो लोग हैं उन पर कहीं उससे ज्यादा और उच्चतम लोग हैं उन पर राशि सबसे ज्यादा। अगर इस प्रकार से खर्चा होता है तो कभी भी विषमता मिट नहीं सकती और अभी भी जो कुछ भी बेकारी है, बेरोजगारी है वह भी कभी समाप्त हो नहीं सकती। तो जो अन्त्योदय का सिद्धान्त है उसमें खाली आँकड़ों से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मनोवृत्ति का प्रश्न है। इससे एक नई प्रकार की मनोवृत्ति का जन्म होगा। गाँवों में जब इस प्रकार के व्यक्ति छांटे जायेंगे और वह भी व्यक्ति छाटेंगे कौन? ग्राम सभा। जब ग्राम सभा के ऊपर बोझ पड़ेगा इस बात का तो ग्राम सभा के जितने भी आदमी हैं या उस गाँव के जितने भी आदमी हैं वे भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे कि इन व्यक्तियों को ऊपर उठाया जाय। इस तरह आपस में भाई चारा और प्रेम पैदा होगा। भाई चारा और प्रेम पैदा होने से उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा होगी और उनमें यह भावना पैदा होगी कि हम लोग मिलकर के, अपनी ही मदद से गाँव वाले अपना निर्वाह कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। तो यह जो भावना पिछले दिनों में पैदा हुई है कि हरएक काम सरकार करेगी और सरकार ही नहीं बल्कि सरकार में जो व्यक्ति हैं, प्रशासक हैं, वे करेंगे, इस भावना का लुप्त होना अति-आवश्यक है। जब तक यह भावना पैदा नहीं होती है तब तक देश किसी प्रकार से भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसीलिये इस बजट में यह प्रयास किया गया है। लेकिन जैसा कि आपके सामने बताया गया कि यह बजट बीच में बनाने का हमें अवसर मिला। अब लगभग छः महीने खतम होने को आ रहे हैं तो इन छः महीनों के बाद जो बजट बनाया जा रहा है उस बजट में हमारे सामने कई कठिनाइयाँ थीं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि जो काम उस समय निर्धारित कर दिये गये थे और जो रुपया भी उनके लिये रख दिया गया था उस रुपये को तो देना ही था, क्योंकि वह काम पूरा नहीं किया जाता तो वह काम एक तरह से जो हमारे सामने जो मौजूद है

(श्री आदित्येन्द्र)

और जो विकास की परिस्थितियाँ हैं और नई समस्या पैदा हो जातीं। तो इन तमाम परिस्थितियों में भी उनके रहते हुए भी जो कुछ बजट सामने आया है उसमें भी इस बात की कोशिश की गई है कि बजट में काफी वृद्धि की गई है और यह इन आँकड़ों से आपके सामने प्रकट हो जायेगीं।

जो विकास का व्यय पहले बजट में 415.36 करोड़ रुपये रखा गया था और अब विकास के व्यय में 450.93 करोड़ रुपया रखे गये हैं। इस प्रकार से वृद्धि लगभग 35 करोड़ की होगी। लेकिन विशेषता इस वृद्धि की यह है कि इन 35 करोड़ में 32 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्चा होगा। केवल 3 करोड़ ऐसा है जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कस्बे में यानि कि अर्बन एरिया में खर्चा किया जायेगा। कुल खर्चा जो बजट में पहले 30 मार्च को रखा गया था वह 608.77 करोड़ का था और अब वही खर्चा 649.32 करोड़ का है। तो मेरा यह कहना है कि यह वृद्धि आज की परिस्थिति में काफी है।

इसमें भी सामाजिक सेवाओं में भी काफी वृद्धि की गई है जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि। इस में पूर्व में 226 करोड़ रुपये के लगभग रखा गया था जो अब 249 करोड़ के करीब है। इस तरह से वृद्धि २३ करोड़ की है। बहुत से माननीय सदस्य शायद भूल से कह गये कि समाज कल्याण का कोई जिक्र नहीं किया गया है बजट में। न कोई आदिवासियों के लिये या कोई हरिजनों के लिए कोई हास्पिटल वगैरह खोले गये हैं। समाज कल्याण में भी वृद्धि 80 लाख रुपये की की गई है। इस प्रकार से यह जो कुछ भी बजट आपके सामने है इसमें और चीजों के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार जिन जगहों पर ज्यादा पैसा खर्च करना था उन्हीं में ज्यादा खर्चा बताया गया है। यह हमारी प्राथमिकता है क्योंकि समाज कल्याण में अगर खर्चा नहीं होता या वृद्धि नहीं की जाती तो ठीक नहीं था। स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा खर्चा किया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में असन्तोष व्यक्त किया है कि मद्य-निषेध के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया है, वह अपर्याप्त है। जो कुछ भी बजट में मैंने कहा है, उसमें अपनी सरकार का उद्देश्य यह बताया गया है कि हम पूर्ण नशाबंदी राजस्थान में चाहते हैं इसके हम समर्थक हैं और इस सम्बन्ध में हमने कुछ और क्षेत्र का भी विस्तार किया है। पहले से 8 जिलों में नशाबंदी चल रही थी। नशाबंदी चल रही थी लेकिन साथ-साथ दूसरी बात और भी चल रही थी। जो 18 जिले थे, उन 18 जिलों में शराब से और दूसरी नशीली चीजों से आमदनी भी बढ़ाई जा रही थी। मुझे याद है, आज से दस वर्ष पहले सन् 67 में या 68 में हमें यह बताया गया था कि शराब और नशीली चीजों से राज्य को जो आमदनी होती थी वह लगभग नौ या साढ़े नौ करोड़ रुपये थी। उस समय और अब 8-9 वर्ष में वही आमदनी लगभग 26 करोड़, 27 करोड़ के लगभग है। इस प्रकार यह आमदनी इन 9 वर्षों में करीब तीन गुना ज्यादा हो गई है। आगे चल कर यही आमदनी शायद 32 या 33 करोड़ रुपये हो जाएगी। इस तरह हम मद्य-निषेध करते जा रहे हैं, उसके क्षेत्र का विस्तार करते जा रहे

(श्री आदित्येन्द्र)

दूसरी ओर जो बाकी के जिले हैं, जिनमें मद्य निषेध लागू नहीं है, उनसे हम आमदनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। यह समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार से मद्य-निषेध लागू करने से क्या लाभ है ? लेकिन आप आगे देखेंगे कि दूसरे जिलों में भी अब यह बात नहीं होगी कि वहाँ पर जो आज की आमदनी है, उससे ज्यादा आमदनी हों। आमदनी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मद्य-निषेध कभी भी सफल नहीं हो सकता। मद्य-निषेध के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, मुझे भी उससे पूरा सन्तोष नहीं है। लेकिन आप देखेंगे अगले 6 महीने के बाद, शायद जिन भाइयों को इस समय सन्तोष नहीं है, उन्हें भी सन्तोष होगा। हम यही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अपने पूरे देश में इसका क्या असर होता है ? दूसरी बात यह भी है कि अगर इन 8 जिलों में जहाँ पर पहले से नशाबंदी है, और दो जिले अब लिए गए हैं, इन दस जिलों में और चार तहसीलों में हम अगर मद्य-निषेध को पूरी तरह से कामयाब करना चाहते हैं तो वातावरण भी हमें इसी तौर का बनाना होगा। वातावरण बनाने के पहले यह जरूरी है कि जो मद्य-निषेध कराना चाहते हैं, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, चाहे वह जनता पार्टी के माननीय सदस्य हों, चाहे जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के सदस्य हों, जिनमें कांग्रेस दल भी सम्मिलित हैं, उनके सदस्य हों, जब तक पूरी तौर से इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से यह पूर्ण नशाबंदी का अभियान सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी आप से भी अपील है कि इसे पूरा करना है तो हम सभी को इस ओर चलना होगा और सबसे पहले हमें यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम आज से नशा, नशीली चीजों का व्यवहार करना छोड़ दें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, इसे पूरा भी नहीं कर सकते।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी शुरू कर दें।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में माननीय सदस्य पुस्तकें बता रहे हैं।

श्री आदित्येन्द्र : दूसरी विशेषता अपने बजट की ओर भी है कि अब की बार बजट में लॉटरी खत्म कर दी गई है। किसी समय लॉटरी को प्रारंभ करने के लिये आतुर थे और हमने लॉटरी को प्रारम्भ किया और लॉटरी का यह काम बहुत दिनों तक चला। लेकिन लॉटरी से जो आमदनी होती है, वह आमदनी भी किसी प्रकार से ठीक नहीं कही जा सकती। वैसे लॉटरी से आमदनी 15 लाख रुपये की होती है। शुद्ध आमदनी 15 लाख रुपये की है। यह कोई खास आमदनी नहीं है। इसलिए सरकार ने यही निर्णय किया है कि लॉटरी को समाप्त किया जाय और स्माल सेविंग्स की ओर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाय। अगर स्माल सेविंग्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है तो यह जो कुछ भी लोग लॉटरी में लगे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, वे स्माल सेविंग्स में लगाए जाते हैं या दूसरी जगह लगाए जाते हैं तो स्माल सेविंग्स की आमदनी भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस आमदनी के बढ़ने से राज्य सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट दो तिहाई हिस्सा देगी। इस प्रकार बजट में जो घाटा दिखाया गया है, वह घाटा भी बाद में कम हो जाएगा।

श्रीमन्, यहाँ मैं एक बात और बताना आवश्यक समझता हूं। पाँचवीं योजना-काल

(श्री ग्रादित्येन्द्र)
में जो कर्जा लिया गया है या जो कर्जा लिया जाएगा, उसको पूरे तौर पर केलकुलेट किया गया है और उस पर ब्याज की राशि लगभग 43 करोड़ रुपये आँकी गई थी। इस 43 करोड़ के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी की। अभी हाल ही में जुलाई के महीने में एक वहाँ पर कान्फ्रेन्स हुई थी। उस कान्फ्रेन्स में मुख्य मंत्रीजी के अलावा मैं भी था। हमारे वित्त विभाग के उच्च अधिकारी भी थे। इन सभी ने भाग लिया। केन्द्र के वित्त मंत्री जी से हमारी बातें हुई और उनके सामने यह बात रखी कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार या जो गाइड लाइन्स दी थीं, उसके अनुसार 43 करोड़ रुपये ब्याज के बदले में मिलने चाहिए। ४३ करोड़ के बदले में उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से यह राशि 25 करोड़ रुपये ही आपको मिलेगी। बाद में काफी विचार होने के बाद, वैसे वे मौन हो गये, लेकिन फिर भी उन्होंने यह कहा कि इस सम्बन्ध में आप रुकिए। हमने फिर लिखा-पढ़ी की है और हमें विश्वास है कि 18 करोड़ रुपये छठे फाइनेन्स कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जो थे, वह 18 करोड़ रुपये अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारा जो घाटा है, वह और भी कम हो जाएगा। वैसे घाटे का हमारा ही राज्य नहीं है। इससे भी बड़ा घाटा शायद सभी राज्यों ने बताया है। दूसरे राज्यों में इससे भी ज्यादा घाटे की रकम है। यह केन्द्रीय सरकार अच्छी तरह से जानती है। यह पूरे देश का सवाल है। पूरे देश का सवाल होने के कारण सभी इस ओर सजग हैं और इस घाटे की पूर्ति किसी न किसी प्रकार की जायेगी।

एक सवाल और है, जिसको कहना मैं जरूरी समझता हूं। बजट भाषण में, यह ठीक है, परिवार नियोजन के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि देश में और हमारे राजस्थान में निरन्तर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ेगी, भुखमरी भी बढ़ेगी। इस ओर यह सरकार क्या कर रही है? मैं मानता हूं कि जनसंख्या की वृद्धि की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी इस ओर पूरा ध्यान देगी। लेकिन यह जो कुछ भी आपातकाल की अवधि में हुआ है और आपातकाल की अवधि के कारण एक प्रकार से अगर देखा जाये तो इस अभियान को, जो चल रहा था, एक बड़ा शॉक लगा है और इसमें एक प्रकार का अवरोध हो गया है। लोगों में अविश्वास हो गया है और इस अविश्वास के कारण जब तक कि हम पूरी तौर से लोगों को समझा बुझा कर काम नहीं करेंगे तब तक इस काम में जो प्रगति हम चाहते हैं वह प्रगति नहीं हो सकेगी। यह प्रगति होना आवश्यक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर आप करना चाहते हैं तो करें। हमको तो कोई हक नहीं है आपरेशन करने के।

श्री ग्रादित्येन्द्र : नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह जो कुछ भी काम समझाने बुझाने से हो रहा है, इसमें हमारी सरकार की नीति यह है कि इस काम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जावेगी।

श्री मदनसिंह दांता : इसमें कितना समय लगेगा ?

Page No. 81

श्री आदित्येन्द्र : इमर्जेन्सी से पहले जिस प्रकार से होता था, यह काम उसी तरह से होता रहेगा और इस काम के लिए ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपने सम्भाला तब से लेकर अब तक क्या प्रगति है ?

एक माननीय सदस्य : अभी यह सवाल बाद में लें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, बोलने दीजिए।

श्री आदित्येन्द्र : तो यह मैंने आपके सामने बताया।

दूसरी बात, जो अंतिम है वह प्राइसेज के बारे में है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह ज्यादातर तेल, दाल और कुछ हद तक खाद्य सामग्री में हुई है। लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि सन् 76-77 में मुद्रा प्रसार में काफी वृद्धि हुई। 17.01 के करीब वृद्धि हुई और इस वृद्धि के कारण इसका असर 77-78 में पड़ना स्वाभाविक था। दूसरी बात यह भी है कि 76-77 में दालों का उत्पादन कम रहा। ऑइल सीड्स का भी उत्पादन कम रहा है लेकिन यह चीज फिर भी ऐसी है कि जिसकी ओर हर एक का ध्यान देना स्वाभाविक है। इसकी ओर राजस्थान सरकार पूरी तौर से सजग है। अभी दो रोज पहले मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में खाद्य कमिश्नर और दूसरे जो खाद्य अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें भी यही बात बताई गई थी। इससे पहले भी दो बार मिल चुके हैं। मैं भी एक-दो बार उनसे अलग से बातचीत कर चुका हूं। उनको इस संबंध में यह कहा गया है कि पूरी सजगता बरती जायगी और जहां कहीं पर आप देखें महंगाई और कीमतों में वृद्धि हो रही है उसको मजबूती के साथ रोका जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मीटिंगों में वृद्धि हो रही है अपीलें हो रही हैं।

श्री आदित्येन्द्र : यह चीज यहां पर भी आई, जैसे अभी तेल का सवाल था, रेपसीड का सवाल था, रेपसीड के बारे में हमने एक नई नीति अपनाई है कि रेपसीड अब किसी भी प्राइवेट लोगों के लिए नहीं दिया जाएगा, पहले उपभोक्ता भंडारों के जरिये से ही उसका वितरण होगा। अभी इस गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, इससे पहले की गवर्नमेंट जहां रेपसीड मंगा रही थी वहां प्राइवेट लोगों को भी इम्पोर्ट लाइसेंस दिये गये थे। इस संबंध में भी लिखा-पढ़ी होगी कि जो भी काम किये जावें वे राज्य स्तर पर किये जावें।

तो ये तमाम जो बातें हैं, ऐसी बात नहीं कि उनकी हम कोई उपेक्षा कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ पूरा ध्यान है। सिर्फ जरूरत जो कुछ भी इस समय बजट भाषण में थी वह इस बात की थी कि नई दिशा देंगे, और हमने एक नया मोड़ दिया है। पहले बजट भाषणों में हमेशा पहले उपलब्धियों के बारे में कहा जाता था और यही कहा जाता था कि इतने काम हमने किये, इतने हमने कामों में पहले उपलब्धियां कीं। इसी तरह से जहां तक अनुसूचित जाति, जन-जाति या हरिजनों की समस्याओं का सवाल था उसमें यहां कहा जाता था, हमारे राजस्थान में इतने छात्रावास हैं, इतनी संख्या है लेकिन इसको बार-बार कहने से कोई लाभ नहीं था।

Page No. 82

(श्री आदित्येन्द्र)

केवल हमने बजट में इसका प्रावधान रखा है और बजट में भी वह प्रावधान पहले से कहीं ज्यादा रखा है। तो यह तमाम बातें बजट में आपके सामने सभी रखी गई हैं।

इसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि वैसे तो सामान्यतः सभी ने इस बजट का स्वागत किया है और सराहना की है, लेकिन जो कमियाँ हैं उन कमियों की ओर आपका ध्यान दिलाना बहुत जरूरी था क्योंकि कोई भी चीज कमी पूरी नहीं होती है, कमियाँ रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा हमें समय नहीं मिलता, छः महीने का बजट बनाया है, जो कुछ भी किया है, मैं समझता हूं आप उसकी सराहना ही करेंगे, स्वागत करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ यह बजट के जो परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत किये थे 6 तारीख को मैं आपसे उस बजट को पारित करने के लिए एक प्रकार से सिफारिश करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरा एक निवेदन यह है कि आपने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है। आमदनी पर प्रकाश डाला है। कई मदों पर प्रकाश डाला है। मैं कुछ मदों पर निवेदन करूंगा। पेंशन के बारे में आपने जो यह किया है कि 500 रु० और उससे अधिक पाने वाले को पन्द्रह रु० 120 और रु० वालों को 5 रु० ही दिये जाये। इसी प्रकार से ट्रेलर के बारे में · · ·

श्री मूलचन्द डागा : 15 रु० तक की कीमत के रेडीमेड कपड़े कर-मुक्त थे। आपने सभी पर 5 प्रतिशत कर दिया है। मेहरबानी करके आप 15 रुपये की कीमत के रेडीमेड कपड़े को कर-मुक्त रखते हुए पहले की तरह कर को भले ही 7 प्रतिशत कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनेन्स बिल आ रहा है। उस समय विचार कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य : बजट के द्वारा किसानों की सभी आशायें पूरी होती हैं। लेकिन जहाँ नदी है वहाँ से किसान लोग अपने उपयोग के लिए कंकर और बजरी भी लेंगे तो उनको तंग किया जा सकता है। इसलिए मेरा वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि यह जो सीमा रखी गई है वह उन लोगों पर रखी जाये जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं। इस प्रकार का जो आदमी नदी से बजरी लाये उस पर कर लगाया जाये।

श्री शीशराम ओला : गाँवों में स्कूल बिल्डिंग बनाने में बजरी लगती है। इस कारण से किसानों को भी इस कर से मुक्त रखा जाय। किसानों को वैसे ही ठेकेदार लोग तंग करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को बजरी और पत्थर, कंकर के कर से मुक्त रखा जाय।

एक माननीय सदस्य : राज्य के भाषा विभाग को अलग रखा जाये ताकि अच्छी तरह से उसका विकास हो सके।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपने भाषण में 45वें पैरा में यह कहा है, "शिक्षा के मद में 99.08 करोड़ रुपये के स्थान पर परिवर्तित अनुमानों के अनुसार 102.81 करोड़ रु० व्यय होंगे"।

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : आपने पहले से रुपया बढ़ा दिया है। यह पहले की बजट की

(श्री मूलचन्द डागा)

स्पीच में आया है, श्रीमन, पहले से ही प्रोग्राम 77 का था, "शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार आवश्यक सुधार एवं समुचित विकास के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है" । यह पहले के बजट भाषण में है । तो क्या, श्रीमन, आपने इस फैक्ट को सप्रेस किया या आपको इस फैक्ट का पता नहीं था ? यह कृपा करके बतायें । दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि 58 करोड़ का घाटा होगा और केन्द्र के राज्य मंत्री वित्त ने उसकी पूर्ति का आश्वासन भी दे दिया है, यह आपने भाषण में कहा है । लेकिन दूसरे दिन प्रेस विज्ञप्ति निकली है कि केन्द्रीय राज्य मंत्री वित्त ने कोई आश्वासन नहीं दिया । इसलिए, श्रीमानजी, आप दूसरे की बातों को बिना विश्वास किये मत रखिये । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 58 करोड़ का जो घाटा · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये, आप तो बहुत अनुभवी हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, मेरे प्रश्न तो रह गये हैं ।

श्री सभापति : आप बाद में पूछ लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : बाद में कब पूछूं । अगर मुख्य मंत्रीजी एम्ब्रेसिंग फील करते हों तो फिर · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल इतना ही है, समय का खयाल रखें ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन करना है कि वित्त मंत्रीजी ने पहले यह कहा था, दो-तीन डिस्क्रिपेन्सीज हैं । मेरा निवेदन यह था कि जब वह भाषण पढ़ने लगे तो ऐसा अन्दाज हो रहा था कि विदाउट एप्लाइंग माइन्ड पढ़ते जा रहे हैं । यह बार-बार कहा गया और इस बात को वित्त मंत्रीजी ने गौर देकर कहा, मुख्य मंत्रीजी ने या तो सुना नहीं इसलिए · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी चाल चलने वाली नहीं हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : जो बातें आपने कहीं, आपने दो बार बजट भाषण के अन्दर डिस्क्रिपेन्सीज आंकी । मैं दो-तीन सवाल पूछ लेता हूं जिससे बार-बार नहीं पूछना पड़े । आपने कहा, 14.52 करोड़ के कांग्रेस सरकार ने कन्सेशन्स दिये हैं । यह फिगर कहाँ से आया ? श्रीमन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट दूसरा होता है और उसका इसमें समावेश नहीं होता है । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर आपने 8 करोड रुपये थोप दिये हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है । न इसमें उसकी रेवेन्यू आती है और न लॉसेज । आप मुझे फुरसत में जवाब दे दीजिये—एक बात ।

दूसरी बात यह है कि आप 6.50 करोड़ के वित्तीय व्यय-भार का फिगर कहाँ से लाये ? जो आपने बजट में आकड़े दिये, कंकरी-बजरी को कर-मुक्त करने से आपने बताया कि 40 लाख का घाटा हो गया । आपने कॉमर्शियल क्राप बेस को लिया, लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स को भी लिया । इस टैक्स में 75 लाख का घाटा मान लिया, यह सब मिलाकर 1.75 करोड़ का हुआ, वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स पर 25 लाख मान लिया । इस प्रकार से आपने 11 करोड़ कर दिया । इसलिए मैं यह निवेदन

(श्री मथुरादास माथुर)

करना चाहता हूं कि इसको आप स्पष्ट करें। आपने विभाग के लोगों के कहने से कह दिया। वित्त मंत्रीजी, यह 8 करोड़ इसमें इन्क्लूड ही नहीं होता, इसको मैं चेलेन्ज करता हूं। दूसरी बात यह है कि 8 करोड़ के कन्सेशन्स मुख्य मंत्रीजी ने भी दिखाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्टिकल 202 कोट किया। वित्त मंत्रीजी के भाषण में जो कन्सेशन्स बताये गये हैं the figures are not there. उनको मालूम नहीं कर सका। इस प्रिन्सिपल को मान लें तो बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो जायगी। आप बजट में कोई कन्सेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि वित्त मंत्रीजी का भाषण है, मुख्य मंत्रिजी मुझे बिठाना चाहते हैं, और मैं भी बैठना चाहता हूं। लेकिन हम लोग परेशान होते हैं। आपने कहा, घाटा 75 करोड़ का मिला, यह एक गलत फिगर है। आपके डिपार्टमेन्ट के किसी भी आदमी से इस सदन के बाहर मैं बात कर सकता हूं। चन्दनमल जी के बजट में 75 करोड़ का घाटा हो तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : सभापति महोदय, लॉटरीज के संबंध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि 15 लाख की आमदनी है। पिछले साल की इन्कम जो प्रतिवेदन में बताई गई है वह 20-24 लाख की शुद्ध आय बताई गई। जो कैपिटल फार्मूलेशन (Formulation) होता था, वह डाइरेक्ट बैंक में जमा होता था। एक साल में 2 करोड़ की ग्रोस इन्कम होती थी। इनाम, जो कि डाइरेक्ट बैंक ड्राफ्ट से दिया जाता था, देने के बाद भी धनराशि बैंक में ही जमा रहती थी। आप अन्दाज लगाइये, इसमें दस हजार आदमियों, जिनमें स्कूल स्टूडेन्ट वगैरह भी थे, को डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली, काम मिला हुआ था, वे लोग इससे अपना गुजारा करते थे। टिकिट बेचकर अपना काम चलाते थे। सारे स्टाफ के लोग उसमें लगे हुए थे। कुल मिलाकर दस हजार आदमियों के एम्प्लायमेंट का सवाल है जिनकी जीविका इसी से ही चलती थी। दो करोड़ की ग्रॉस इन्कम बैंक में जमा होती थी जिससे कई इन्डस्ट्रीज लग सकती थीं, काफी प्रोडक्शन हो सकता था और इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता था। वह अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जो आदमी इसमें लगे हुए थे उनके एम्प्लायमेंट के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। वे राज्य सरकार के लिए अलग से भार हो जायेंगे।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दूसरे राज्यों की सरकारों की जो लाटरीज हैं उनके टिकट हमारे यहाँ बिक रहे हैं उन पर आपने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया और राजस्थान की लाटरी बन्द कर दी। उनका पैसा कमाने का तरीका तो आपने चालू रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान का आदमी इन्वेस्ट तो करता रहेगा पर उसका एडवान्टेज दूसरी स्टेट को मिलेगा। इसलिये आप यह स्पष्ट करें कि दूसरे राज्यों की लॉटरीज के बारे में आप क्या करेंगे। क्या उनके टिकट राजस्थान में बिकना बन्द करेंगे–यह आपने नहीं बताया। दूसरी बात एम्प्लायमेंट के बारे में भी आपने नहीं बताई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा है कि बजट के ऊपर जो आम बहस हो चुकी है उसमें यह सारी बातें कही जा चुकी हैं। उनको अब दोहराने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

Page No. 85

श्री मूलचन्द डागा : दोहरा नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : कॉटरीज के बारे में जो दलीलें दी गई हैं वह पहले दी जा चुकी हैं, इस बारे में मैं दुबारा इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

दुबारा बहस नहीं होगी, यह मेरा निवेदन है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कोई दुबारा बहस नहीं करना चाहते और न हमारा इरादा ही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई खास बात नहीं कही, कुछ आफिसर्स को सस्पेन्ड करके हैडलाइन कवर कर ली है।

श्री सभापति : इस बारे में जब आपको मौका मिले तब बोल दें। आगे का आइटम..

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : वित्त मंत्री उत्तर दे दें।

कई माननीय सदस्य : जवाब आने दें।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मंत्री जवाब नहीं देंगे ?

श्री सभापति : ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया है जिसका मंत्रीजी को जवाब देना जरूरी हो।

(व्यवधान)

बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : माथुर साहब ने मुद्दे उठाये हैं, चेलेंज किया है, उसका जवाब आने दीजिए।

श्री सभापति : मथुरादास जी बोल नहीं रहे हैं। आप क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं ?

श्री शीशराम ओला : कोई भी बोल सकता है।

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। मैं निवेदन करता हूं कि बैठ जाइए।

श्री मथुरा दास माथुर : मैं आग्रह नहीं कर सकता कि वित्त मंत्री जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने खुद कहा है कि एप्रोप्रियेशन बिल के समय जवाब दिया जाए।

श्री सभापति : अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद के संबंध में प्रक्रिया।

विभागों के प्रगति विवरण को समय पर प्रस्तुति

श्री मूलचन्द डागा : मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। आज सुबह 9 बजे आपने इतना लिट्रेचर दिया, प्रगति विवरण भी दिया। आज ही डिबेट है और आज ही उत्तर है। इतना कम समय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग आज ही पास होगी।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो आपकी मर्जी है। हर जगह तीन-तीन दिन मिलते हैं।..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रिपोर्ट तो आपकी सरकार को मार्च में देनी चाहिए थी। हमने आकर दे दी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इस बारे में मैं बोल रहा हूं। रिपोर्ट्स देरी से आई है सचिवालय में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विधान सभा में देरी से आई, तो सरकार को आप ताकीद नहीं कर सकते? माफी मांगें।

श्री सभापति : आइंदा के लिए कह दूंगा कि जल्दी भेजा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने आपके बिना कहे माफी मांगी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वित्त मंत्री को ताड़ना दी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : इतना लिट्रेचर भेज दिया आज, अब 4 बज गए, रात को 12 बजे तक बोलते रहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : यह सही है कि नई सरकार बनी है, सब बातें हैं, इसलिए रिपोर्ट्स देरी से आई, मगर जो रिपोर्ट्स भेजी जायं वह प्रिण्टेड हों। मुख्य मंत्री को तो समय नहीं मिला होगा क्योंकि वह सस्पेन्शन और दूसरे कामों में व्यस्त रहे, इसलिए वह इन रिपोर्ट्स को पढ़ नहीं सके होंगे। कुछ विभागों की तो छपी हुई रिपोर्ट्स हैं, कुछ की साइक्लोस्टाइल्ड हैं। मैंने 2-4 विभागों की रिपोर्ट्स को पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं सका। ऐसी रद्दी साइक्लोस्टाइल की हुई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे एक पेज की रिपोर्ट हो लेकिन वह प्रिंटेड हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे और भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रिपोर्ट्स ज्यादा विस्तृत लिखी जायं, अच्छी तरह से पढ़ी जा सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा मैटेरियल मिले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और समय पर मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आश्वासन देने में तो आप हमसे भी आगे हैं।

सदन की कार्यवाही
अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद सम्बन्धी प्रक्रिया

श्री सभापति : अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जायेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होता है कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसी कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिए गए कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा, और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना

Page No. 87

(श्री सभापति)

चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतना समय होता ही नहीं है।

श्री सभापति : सुनिये, सुनिये।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सकें तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जायें ऐसा मेरा निवेदन है। मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 3 घंटे का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिये समय विभाजन निम्न प्रकार होगा :—

कांग्रेस पार्टी	1 घंटा
सी.पी.एम.	10 मिनट
सी.पी.आई.	10 मिनट
प्रगतिशील मोर्चा	30 मिनट
निर्दलीय	5 मिनट प्रति वक्ता

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जो भी मांग पेश होती है उस पर जो कटौती प्रस्ताव आते हैं उन पर बोलने का हर माननीय सदस्य को पूरा मौका मिलता है। यह सही है कि अगर 10 कटौती प्रस्ताव दिए हुए थे तो एक साथ मूव कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि एक घंटे का समय पार्टी को दिया हो। इसका मतलब कटौती प्रस्ताव देने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछले वर्षों में ऐसी प्रक्रिया नहीं रही इसलिए आज हम इस प्रक्रिया को स्वीकार करने में असमर्थ होंगे। हमेशा यह परम्परा रही है कि अगर मांग पेश हुई है तो रात को 10 बजे, 12 बजे तक 11 बजे तक सदन चला है और उसी दिन मांग पास हुई है। इस प्रोसीजर में आपको चेंज नहीं करनी चाहिए। खास तौर से मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि हम आपके साथ सहयोग करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा रिपीटीशन हो और जो मुद्दे की बातें हैं वे ही कही जायं। आम तौर पर मांगों के दिनों में रात के 9-10 बज जाते हैं। बाकी आप चाहेंगे कि 4 बजे शुरू करके 5 बजे खतम करें और 15 मिनट के समय में मांग पास करवा लें तो कह दीजिए, हम रवाना हो जाते हैं।

श्री सभापति : समयाभाव को देखते हुए समय का विभाजन किया गया है। यह परिपाटी पहले भी रही है उसी के अनुसार यह किया गया है।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : आप हमारी भी सुन रहे हैं या नहीं। हमको एक लाख व्यक्तियों ने चुनकर भेजा है, हम बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, ठीक है संख्या की दृष्टि से आप किसी का मुख बंद कर दें ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यदि सत्ता पक्ष के लोगों ने इतने कटौती प्रस्ताव ही नहीं रखे हों तो उनको 3 घंटे किस बात के लिए? कइयों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ने कटौती प्रस्ताव दिया ही नहीं, कोई बोलना नहीं चाहेगा, आप केवल उनकी संख्या देखकर उनको 3 घंटे दे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बात से सभी सहमत हैं। जो लोग आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं यानी हमें तो इसका तजुर्बा कम है लेकिन सत्ता पक्ष वाले, जो कि पहले विरोधी पक्ष में बैठते थे, डिमान्ड्स के समय में काफी समय लेते थे। डिमान्ड का ऐसा सवाल है कि कट मोशन के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह तो एक तरह से सदस्य का प्रिविलेज है। वैसे सत्ता रूढ़ दल वाले सदस्य को तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज होता है। वह तो जब कभी भी मुख्य मंत्री या कोई मंत्री के पास जाता है तो कोई भी बात या अपनी डिमान्ड उनके कान में डाल देता है। लेकिन दूसरे जो सदस्य विपक्ष में बैठते हैं उनके लिये यह एक प्रिविलेज अपनी बात, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का होता है जो कि काफी इफैक्टिव होता है। तो वैसे तो हम लोग आपका यहां पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको मालूम होगा कि डिमान्ड्स के समय में सदस्यों की मांग पर रात को 9-9 और दस-दस और बारह-बारह बजे तक भी सदन का समय बढ़ाया गया है। इसलिये अगर दो-तीन घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आज की कुछ परिस्थितियां विशेष हैं इसलिये आज डिमान्ड्स के लिये थोड़ा समय का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि कल डिमान्ड्स के लिये हम किस प्रकार पार्टीवाइज समय तय करें यह आपके चेम्बर में बात कर लेंगे और वहीं पर तय कर लेंगे। वैसे अगर समय सदन का बढ़ाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 8-9 बजे तक आप समय बढ़ा लें। हमें तो 30 तारीख तक बजट पास करना है आप चाहें तो एक डिमान्ड पर पांच दिन रख लें या एक दिन में पांच डिमान्ड पास कर दें। समय बढ़ाने में मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बजट तो पास होगा ही 30 तारीख को। अब मूव करो मांगों को, मंत्री महोदय। अब आपके मिनिस्टर साहब डिमान्ड्स को मूव ही नहीं कर रहे हैं।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 36 (कृषि) व 38 (पशु-पालन) की प्रस्तुती

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : अभी मूव कर रहा हूं, उस्ताद! आप सुनिये।

सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,81,71,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरी भी मूव कर दो।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38 पशु-पालन के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,85,14,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री सभापति : इन मांगों को मूव किया हुआ मान लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अब यह भी मान लीजिये कि जिन्होंने भी अपने कट मोशन्स दिये हैं वह भी मूव हुए मान लिये जायं। यह कहिये।

श्री सभापति : इसके बारे में कट मोशन्स के प्रस्ताव जो भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सभी को मूव हुआ मान लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : बहुत है।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 व 38 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की ग्रामों में नियुक्तियाँ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के एग्रो इन्डस्ट्रीज में डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर देने के मामले पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

4. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305––कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को विभाग द्वारा समय पर खाद व बीज उपलब्ध नहीं कराने एवं कीटाणुनाशक औषधियों की जानकारी नहीं देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

5. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310––पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्यतः कृषकों द्वारा ही अधिकतर पशुओं को पाला जाता है किन्तु सरकार द्वारा गांवों में पशु चिकित्सालय नहीं खोलने से पशु नस्लों के निरंतर ह्रास पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

6. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि कार्यालय स्थापित करने में विभाग की उदासीनता की नीति पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ऊंटों में गलतिया की बीमारी अधिक फैली हुई है, जिसके बारे में पशुपालन विभाग द्वारा माकूल व्यवस्था नहीं करने के कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बैसाला एवं वाटाडू ग्राम में पशु चिकित्सालय खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No. 90

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कम कर दिया जाय (वाड़मेर जिले में थरपारकर ब्रीड का राजकीय केटल ब्रीड फार्म खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा पशु मेले में पशुपालन विभाग द्वारा स्वच्छ जल, रोशनी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था न कराने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये]।

11. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बालोतरा नगर में ग्राम आधार योजना (की विलेज स्कीम) को बन्द करने के निर्णय पर असंतोष व्यक्त करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में फोडर बैंकों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के विकास में राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

14. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि मण्डियों के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में फसलों में बीमारियों के बारे में कृषि अनुसंधान एवं उपचार करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि शिक्षा एवं कृषि इंजीनियरिंग की सरकार द्वारा घोर उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यों के लिये सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में विभाग की तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पौध संरक्षण कार्य के लिये सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

21. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पूल उर्वरकों के रिजर्व कोटे हेतु भण्डार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जिला जालोर में खाद उर्वरक की इस रबी फसल के लिए उपयुक्त व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर के विभागीय कृषि फार्मों में होने वाले व्यय के अनुपात में लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर के नैपड़ क्षेत्र में पिछली रबी फसल में काश्तकारों को बेहद हानि होते हुए भी काश्तकारों को बीज आदि की राहत देने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर के नैपड़ क्षेत्र में पिछली रबी फसल में गेहूं के सरकारी बीज अनिवार्य रूप से काश्तकारों को वितरण करने से हानि होने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पशुपालन के लिये चारा विकास योजनाओं के बारे में विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में भेड़ व ऊन विकास योजनाओं एवं ऊन के व्यापार की योजना की क्रियान्विति में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

29. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा संचालित कृषि फार्मों से होने वाले घाटे पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के कार्य की द्वैधता और इस कारण होने वाली फिजूलखर्ची पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग का अंधाधुंध खर्चा अनुपयोगी कामों में करने के बावत चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान सरकार

(श्री मूलचन्द डागा)
छोटे काश्तकारों को यानी मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स को बीज खाद व अन्य कीटाणुनाशक दवाइयाँ देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि नीति बनाने में राजस्थान सरकार बिल्कुल असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों व बकरियों के चराने की व्यवस्था नहीं होने से पशुपालक बड़े संकट की स्थिति में हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गहन पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे-छोटे काश्तकारों को पशुओं के खरीदने के लिये ऋण उपलब्ध नहीं होता, इस पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों के लिये ऋण सुविधा दिलाने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

37. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामसेवकों के द्वारा नयी कृषि विस्तार योजना की क्रियान्विति में उत्पन्न दिक्कतों पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की बीमारियों की रोकथाम व उपचार हेतु पर्याप्त व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पाली जिले में पशुपालन विभाग द्वारा चलाये जाने वाली ग्रामीण चिकित्सा एवं इकाई (की विलेज स्कीम) की कार्यान्विति में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये]।

41. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पशुपालकों की चराई की समस्या का निवारण करने में विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

42. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना में कृषि उपज मण्डी खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकावी ऋण समय पर न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

44. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कातरे व सफेद लट की रोक-थाम में सरकार की निष्क्रियता-क्योंकि इसके लिये आय-व्ययक में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कम्पोस्ट मेन्योर व गोबर गैस के विस्तार व प्रचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में कृषि शिक्षा को अनिवार्य किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के पशु मेलों के सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौरी नस्ल के पशुओं के सुधार के प्रति विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालय खोलने में पशुओं की गणना को मद्देनजर न रखा गया, इस पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीकों से पशुओं के रख-रखाव की शिक्षा व ट्रेनिंग देने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा नस्ल सुधारने के लिये उचित मात्रा में पशुपालकों को सांड उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी के लिए भैंसों का प्रचलन अधिक होने से अच्छे नर भैंसे हरियाणा नस्ल के दूध उत्पादक पशुपालकों को उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भेड़पालकों को भेड़ों के चरागाह उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़पालकों के बच्चों के लिए भेड़ों के सम्बन्ध में उच्च टेक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुर्गी विकास के योजनाबद्ध विकास के सम्बन्ध में विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

56. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (ऊंट सुधार योजना की ओर सरकार को अधिक सतर्क होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मत्स्य पालन व मत्स्य उद्योग के उचित प्रशिक्षण के व्यापक प्रसार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री उमरावसिंह ढाबरियां (बनेड़ा):

58. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के लिये खाद-बीज के वितरण की उचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के लिये जमिनों को समतल करने तथा उसके विकास हेतु विभाग द्वारा कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालय एवं पशु मेलों की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

61. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा कृषि उन्नति की तरफ पूरा ध्यान न दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले में पशुओं में बीमारी की रोकथाम न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

63. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विस्तार योजना की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को बीज वितरण में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों के लिये ऋण सुविधा दिलाने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु बीमा योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों की नस्ल सुधारने एवं भेड़ों के चरने के लिये

(श्री जीतसिंह)

भूमि उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री माधव सिंह (सोजत) :

68. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा बिजली विभाग से समन्वय नहीं रखने से उत्पादन में कमी पर चर्चा के लिय) ।

69. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सकों को बाहर घूमने एवं गांव-गांव जाकर पशुओं को देखने हेतु मोबाइल पशु चिकित्सालयों के प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

70. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कातरे से हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने एवं अच्छी नस्ल के सांडों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

72. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— कृषि के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जालोर-सिरोही क्षेत्र के कृषकों को समय पर खाद, बीज, क्रूड तेल आदि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर–सिरोही में पंचायत समितियों में पशुपालन के निमित्त रखे गए स्टाफ के पास औषधियों का अभाव तथा गांवों में पशुओं के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

74. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले के कृषकों को दिये गये तकावी ऋण को माफ कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

75. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम उत्थान योजना के अन्तर्गत चालू किये गये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

76. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में भूमि समतल कराने में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

77. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि उत्पादन की योजनाओं को व्यापक बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

78. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No. 96

(श्री सूरजपालसिंह)

रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में उन्नत किस्म की फसलों में भयंकर बीमारियों की रोकथाम के बारे में चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में पशु नस्ल सुधारने की योजनाओं एवम् पशु चिकित्सा के बारे में सरकार की उदासीन नीतियों पर चर्चा के लिये)।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना):

80. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों का कृषि उत्पादन में योगदान प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय, उदयपुर को कृषि अनुसंधान हेतु प्रदान की गई राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरु भूमि विकास बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की विभाग द्वारा क्रियान्विति कराने हेतु चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़पालक व पशुपालकों की समस्याओं का विभाग द्वारा समाधान नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शीशराम ओला (पिलानी):

84. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों का कृषि उत्पादन में योगदान प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन, नस्ल सुधार एवं पशु चिकित्सा के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़):

86. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकावी ऋण उन्हीं कृषकों को दिया जाये जो शराब न पीते हों तथा सामाजिक कुरीतियों में खर्च न करें, इस पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा डेअरी पशुओं के संकरण द्वारा सुधार सहकारिता के आधार पर नहीं कराये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु विकास हेतु ऋण, जलवायु और घास की स्थिति को देखकर ही गायों के लिये देना चाहिये, भैंसों के लिये नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

89. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सिरोही में पशुपालन विकास व पशु चिकित्सा में सुधार की योजनाओं के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

90. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को कृषि सम्बन्धी उचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

91. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

92. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत किस्म के बीज विभाग द्वारा कृषकों को समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन का ग्रामों में विकास हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली):

94. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराने में उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

95. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर खाद-बीज न देने; लागत पर खाद उपलब्ध नहीं कराने, लागत के हिसाब से क़ीमत तय करने पर चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में आजादी के 30 वर्षों में भी एक पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये) ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

97. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना तहसील व भरतपुर जिले में विभाग की लापरवाही से खेती में हुए नुकसान पर चर्चा के लिये) ।

98. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–शुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में पशुओं की बीमारी की रोकथाम करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामनारायण (विलाड़ा) :

99. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग एवं बिजली विभाग में समन्वय नहीं रखने से उत्पादन में कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

100. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि उत्पादन की योजनाओं के प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में बाजरे की फसल में अरगट रोग की बीमारी से फसल नष्ट होने के बारे में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पशुओं की नस्ल सुधार और अन्य पशुओं के इलाज के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

103. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन एवं कृषि अनुसंधान के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुपालन एवं चिकित्सा के विस्तार के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

106. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [विभाग द्वारा फसलों पर कातरे (एक प्रकार का कीड़ा) के आक्रमण को नहीं रोक सकने पर चर्चा के लिये]।

107. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुनी हुई कृषि उपजमंडी समितियों की मयाद न बढ़ाकर प्रशासक लगाने व नोमीनेट की गई समितियों में अभी तक प्रशासक नहीं लगाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषि उपजमंडी समितियों का चुनाव समय पर नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न कृषकों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मण्डी समिति झालरापाटन के सचिव द्वारा की जा रही मनमानी व घोटालों पर अभी तक कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बी

(श्री हरजीराम बुरड़क)
मोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर में आवश्यकता होने पर भी पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जिला पशुपालन अधिकारी भरतपुर ने सन् 71-72 में जो फर्जी बिल उठाये उस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इस पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-निदेशक मत्स्य के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की कार्यवाही चल रही है उस पर कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा दवाइयों के लिये सहायता जो पंचायत समितियों को दी जाती थी वह नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू):

115. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग से वितरित बाजरे के बीज में अरगट की बीमारी लगने एवं उस कड़वी को पशुओं को खिलाने से मर जाने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाजरे, मूंग व ग्वार की फसल कातरे से नष्ट होने पर विभाग द्वारा नहीं बचाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाजरे की फसल अधिक बारिश से तथा मूंग और ग्वार की फसल कातरे से चौपट हो जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान डेयरी कार्पोरेशन के निर्माण के बाद पशुपालकों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अति वृष्टि के बाद फैली पशुओं की भयंकर महामारी के फलस्वरूप हजारों की तादाद में पशुधन के ह्रास पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां):

120. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कीटनाशक दवा के वितरण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प तथा अति-वृष्टि से फसल को बीमारियों से रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No. 100

(श्री रणजीत सिंह राठौड़)

कम कर दिया जाय (कातरे द्वारा बाजरे की फसल को भारी क्षति को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशुपालकों को इस संबंधी उचित शिक्षा एवं सुविधा दी जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) :

124. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार कृषकों को कृषि के विकास हेतु साधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामदेव (मूण्डवा) :

125. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (की विलेज स्कीम को नागौर जिले से हटाने पर उत्पन्न होने वाले कष्टों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) :

126. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौकड़ी पुरानी बस्ती के नदी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 36 व 38 पर विचार

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि बोलने वालों की संख्या जो है वह 33 है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला प्रिन्सिपल रखना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 36 पर तो 67 कट मोशन्स हैं और मांग संख्या 38 पर 58 कट मोशन्स हैं। इनमें 70 प्रतिशत कट मोशन्स विपक्षी दल के सदस्यों के हैं। जो समय आपने पहले निर्धारित किया उसके बजाय जिस पार्टी के सदस्यों के कट मोशन अधिक हैं उनको ज्यादा समय मिलना चाहिये। समय का बंटवारा आप कैसे कर रहे हैं ?

श्री सभापति : मैं नाम बोलता जाता हूं उसके अनुसार माननीय सदस्य बोलना शुरू कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, यह क्या बात है ? पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह बोलते थे और अब जनता पार्टी की सरकार है तब भी यह पहले बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप सिर्फ दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : सभापति महोदय, दो मिनट के समय में मैं क्या बोल सकता हूं ? दो मिनट के लिये मैं कैसे बोलूंगा ? मुझे बोलना नहीं। यह आपकी समय की पाबन्दी नहीं चलेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके पक्ष को तो ज्यादा समय मिला है। खैर आप शुरू तो कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, कृषि के बारे में और पशुपालन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विभाग की मांगों के बारे में आज संदन में चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, कृषि के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने कृषि-प्रसार योजना चालू की है, और करीब यह योजना 12-13 जिलों के अन्दर प्रारम्भ की है। संभापति महोदय, यह कृषि-प्रसार योजना कृषि विभाग द्वारा चालू की गयी है। वह हमारे देश में हमारी भारत सरकार की सबसे प्रथम योजना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे जो उपलब्धियां हमारी होनी चाहिये थीं वह हम इस योजना के चालू होने के बाद अभी तक प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसलिये कृषि मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि हमारे यहां पर इजराइल के साथ में राजस्थान के रेगिस्तान को हराभरा करने के लिये जो तकनीकी योजना बनाई गई थी उसको चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? किन कारणों से वह योजना अभी तक चालू नहीं हो सकी है? राज्य सरकार जल्दी से जल्दी उस योजना को चालू करे ताकि राजस्थान का रेगिस्तान हराभरा क्षेत्र हो जावे।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पिछली सरकार ने कुछ कृषि फसलों पर जो पहले सेस लगाया था वह इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। उसके लिये मैं जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इससे किसानों को मूंगफली वगैरह की जो फसलें हैं उनकी खेती करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके बाद मैं, सभापति महोदय, कृषि मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले हरिजनों और कमजोर वर्ग के नाम पर गरीब लोगों को कमान्ड एरिया में जमीनें कृषि करने के लिये अलॉट की थीं लेकिन अभी तक वह जमीनें उन लोगों के हाथ में नहीं आईं। वह उनको दिलवाई जावें। साथ ही जो जमीन समतल नहीं है उस जमीन को समतल कराया जाय। जहां अभी तक किन्हीं कारणों से खेती नहीं हो पायी है वहां पर अब खेती शुरू कराई जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार के कृषि मन्त्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां राजस्थान में 81 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। उसमें से 58 प्रतिशत लोग सामान्य स्तर से नीचे हैं, गरीबी के स्तर से भी नीचे हैं, उन लोगों के विकास के लिये राज्य सरकार को अच्छी किस्म के बीज, उन्नत बीज कहिये, उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो गेहूं के बीज हमारे यहां पर दिये जाते हैं उनका स्तर कम है। हमारे यहां पर जो बीज दिये जाते हैं उनमें उन्नत किस्म के बीज का 50.07 प्रतिशत है और पंजाब में 62.02 प्रतिशत है, तथा हरियाणा में 88 प्रतिशत है। इसी प्रकार राजस्थान में जो बाजरे के बीज दिये जाते हैं, वैसे राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक पैदा किया जाता है पर उसमें उन्नत किस्म का जो बीज है वह सिर्फ 7 प्रतिशत है प्रति रकबा। भारत सरकार की जो औसत है वह प्रति रकबा 22 प्रतिशत है। इस पर कृषि मन्त्रीजी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जून, 75 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के जो बैंक्स हैं उसमें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विकास कार्यों के लिये जो धन राशि है वह 67 प्रतिशत है और 72 प्रतिशत पंजाब में धनराशि है, हरियाणा में 76.5 प्रतिशत है और वेस्ट बंगाल में 95.3 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जो बैंक्स हैं उनका विकास कार्यों में जो पैसा खर्च होता है, और खेती के काम में जो पैसा खर्च होता है वह कम है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कृषि मन्त्रीजी को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा करें। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करते हैं वह साल में ज्यादातर एक फसल पैदा करते हैं उनके लिये कोई साइड बिजनेस होना चाहिए ताकि वह लोग खेती के साथ-साथ साइड बिजनेस कर सकें।

राज्य सरकार को चाहिये कि खेतिहर लोगों के काम में आने वाली सभी चीजें सस्ती और अच्छी मुहैया करायें। उसकी आवश्यकता है।

इसी तरह ग्राम विकास केन्द्र खोलने की आवश्यकता है जिसके द्वारा खेतिहर लोगों को सस्ती वस्तुओं की उपलब्धि हो। इसके साथ ही जो उनकी पैदावार है उसका उनको उचित मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिये।

इसी तरह आज सीलिंग के व अन्य मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं उनका भी फैसला किया जाकर सीलिंग में आने वाली जमीन को लेकर हरिजनों व गरीब लोगों में बांटी जानी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राजस्थान कैनाल एरिया में जमीन दी जावे। जहां जमीनें समतल नहीं हैं उन्हें समतल करा दिया जावे। जनता पार्टी की सरकार ने ढाई हैक्टेयर तक की जमीन पर टैक्स नहीं लगाया है, लगान माफी की है, उसमें भी जैसी कि यहां पर पहले किताबें किसानों को दी जाने की घोषणा की थी वह किताबें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी तक नहीं दी गयी हैं। वह किताबें दी जानी चाहियें जिससे उन्हें यह पता रहे कि उनकी इतनी जमीन है और वह उसके मालिक हैं। सभापति महोदय, जो किताबें उन्हें अभी तक नहीं मिली हैं वह उन्हें मिलनी चाहियें।

जयपुर जिले के बारे में मैं विशेष कर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि 26 जिलों में से कहीं पर लगान ज्यादा है तो जयपुर जिले में है। राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिये और उसमें कमी करने पर विचार करना चाहिये।

गांवों में चर्मकार हैं, बढ़ई हैं, बुनकर हैं, कुम्हार हैं, ये वंश-परम्परा से काम करते आ रहे हैं। यदि उनके कामों का, धन्धों का उत्पादन बढ़ायेंगे तो एक तरफ उनको रोजगार मिलेगा और दूसरी ओर गांवों में सामान आसानी से उपलब्ध हो जावेगा।

कृषि के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा। कृषि विभाग ने एग्रो इन्डस्ट्रीज बोर्ड में कुछ लोगों को भेज दिया था। वहां से उनको हटा दिया तो कृषि विभाग ने उनको वापस नहीं लिया। परिणाम यह हुआ कि जूनियर लोगों को प्रमोशन देकर रख लिया और उनको हटा दिया। वे हैं श्री नेमीचन्द जैन, श्री महादेव प्रसाद, हमीद खाँ, सुधीर शर्मा और वली खाँ। इनको नौकरी से निकाल दिया गया।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कृषि विभाग के लिये कुछ और बातें निवेदन करना चाहता हूं। आशा है, उन पर राज्य सरकार जरूर ध्यान देगी। कृषि विभाग में ही एक व्यक्ति है श्री रघुवीरसिंह, जिला अधिकारी। उसने फर्जी मस्टर रोल बनाया और सामान खरीद किया हुआ बताया जबकि सामान नहीं आया। हमने भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प किया है तो राज्य सरकार, जिस व्यक्ति ने गबन किया है, उसकी ओर समुचित रूप से ध्यान दे।

पशुपालन विभाग की मांग के सिलसिले में, कृषि मंत्रीजी, आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुग्ध देने वाले पशुओं की संख्या घट रही है। इस प्रकार के दुग्ध देने वाले जानवरों की गणना की जानी चाहिये। मुख्य मंत्रीजी ने पीने के पानी की व्यवस्था करने की बात कही। मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां मनुष्यों के पीने के पानी की मांग पूरी करना जरूरी है, वहां पर जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था करना भी मुख्य कार्य है। वे पानी के अभाव में मर जाते हैं। वे मूक हैं, चिल्ला नहीं सकते हैं। पशुओं के लिये भी पानी उपलब्ध हो जाय इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सेवल घास जैसलमेर में प्रचुर मात्रा में होता है और इस साल भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसके भंडारण की समुचित व्यवस्था करें। सारे के सारे चारे के भंडारण की सुविधा रहेगी तो राजस्थान में यदि अकाल जहां भी होता है और घास की आवश्यकता होती है वहां उपलब्ध कराया जा सकेगा।

रेगिस्तानी इलाकों में जिन लोगों का पशुपालन ही आधार है उनको प्रोत्साहन देना चाहिये।

जयपुर के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि डेयरी चलाते हैं एक ही स्थान पर राज्य सरकार किसी प्रकार से उनके लिये व्यवस्था कर दे तो दूध का धन्धा करने वाले लोगों को सुविधा हो जाय। पशुओं के लिये आप शेड की व्यवस्था कर दें। सड़कें खराब होती हैं उसके कारण दूध ढोने का काम करने वालों को तथा यातायात में भी दुर्व्यवस्था होती है। सड़के ठीक हों वह दूर हो जावेगी।

अधिक समय न लेकर मैं निवेदन करता हूं कि जो मैंने मांगे पशुपालन के सम्बन्ध में और कृषि के सम्बन्ध में रखी हैं उन पर विचार करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा !

(अनुपस्थित)

श्री औंकारलाल चौहान !

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान अपने दो कटौती प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार शुरुआत में बारिश अच्छी हुई तो सब ने सोचा कि खरीफ की फसल अच्छी हो जावेगी खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन ज्यों ही फसल ऊंची बढ़नी शुरू हुई उस फसल में कातरा नाम का कीड़ा इतना ज्यादा लग गया कि जिसके फलस्वरूप एक आध खेत ही नहीं पूरे के पूरे खेत, पूरी की पूरी खेती, जो लोगों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ने की थी, बरबाद हो गयी और खेजड़ी की जड़ को भी कीड़ा खा गया। इस साल बरसात कम होने से शेरगढ़, बाड़मेर का इलाका, जालोर का इलाका, भयंकर अकाल की चपेट में आ गये। इसी प्रकार से राजस्थान के पूर्वी भाग में भरतपुर, अलवर आते हैं वहां पर अतिवृष्टि से अकाल हो गया है। हम लोग रहते हैं वहां अनावृष्टि से और इस तरफ अतिवृष्टि से अकाल हो गया है। हम यह सोचते थे कि यह वर्ष अच्छा गुजरेगा। गंगानगर के सिवाय कहीं फसल अच्छी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो नुकसान हुआ है, प्रश्न के दौरान में यह उत्तर दिया गया था कि इस नुकसान की अक्टूबर महीने में रिपोर्ट मांग ली है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मांगेंगे और फिर कार्यवाही करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारी बड़ी बदकिस्मती है, इतने बड़े इलाके में फसल बोते हैं लेकिन आपका विभाग कुछ भी सहायता नहीं कर पाता है। कई बार शिकायतें कीं, और आपके विभाग को मालूम था कि कातरे की बीमारी से, जोधपुर के उस इलाके में ही नहीं किन्तु चूरू, नागौर, बाड़मेर, शेरगढ़, जालोर के पूरे इलाकों में इतना नुकसान हुआ है, लेकिन आपका विभाग रोकथाम की कोई भी कार्यवाही नहीं कर सका। मोठ-बाजरी की फसलों को नुकसान हुआ उसकी रोकथाम में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।

आज विश्व के कोने-कोने में फसलों का इन्श्योरेंस होता है लेकिन हमारे यहां इन्श्योरेन्स की कोई पॉलिसी नहीं है। इस साल काश्तकार को खुशी हो रही थी कि अच्छी फसल होगी लेकिन उसको बेहद नुकसान उठाना पड़ा।

यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई ब्रीड बीज समय पर देना चाहिये लेकिन आम तौर पर शिकायतें रही हैं और अब भी वही शिकायत है कि बीज समय पर नहीं मिलता। खरीफ की फसल बोने से एक महीने पहले ग्राम सेवकों के पास उनके हैडक्वार्टर पर बीज पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि समय पर वितरण कर सकें और काश्तकार बो सकें, लेकिन किसी भी हिस्से में, कस्बे में जितना बीज दिया गया वह समय पर नहीं दिया गया न वह समय पर बांटा गया। नतीजा यह हुआ कि लोगों को देशी बीज बोना पड़ा और जितना फायदा उठाना चाहिये था वह नहीं उठा सके।

सीड मल्टीफिकेशन फार्म्स सारे एग्रो इन्डस्ट्रीज को सुपुर्द कर दिये गये हैं। उनके पास जाने के बाद हालत बिगड़ी ही है, सुधरी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जब डिपार्टमेन्ट के पास फार्म रहते थे तब ज्यादा बेटर थे। एग्रो इन्डस्ट्रीज को सौंपने के बाद जो बीज पैदा किया है न तो वह बीज बढ़िया है, न जितना बीज हासिल करना चाहिये व हुआ है और न उनके रिजल्ट्स अच्छे निकले हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर भी विचार करें।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव पशुपालन के बारे में है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ और ऊंट में भी कई बीमारियां हैं। मैंने मेरे इलाके का दौरा किया है और मुझे मालूम हुआ कि इस साल जितनी भेड़-बकरी बीमारी से मरी हैं उतनी कभी नहीं मरीं। बकनिया और गलकिया दो रोग ज्यादा फैले हुए हैं। ऊंट में पीपरसा की बीमारी फैली है। गाय और भैंस में भी बीमारी है। पश्चिमी राजस्थान में काफी तादाद में मवेशी रखते हैं।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पशुपालकों का गुजारा पशुपालन से होता है। इन बीमारियों के कारण पशुओं का भयंकर नुकसान हुआ है। समय पर दवाइयां मुहैया नहीं होती और राम भरोसे काश्तकार अपनी भेड़-बकरियों को रखता है। आजादी के इतने वर्ष के बाद भी अगर बीमारियों की रोकथाम का हम इन्तजाम नहीं कर पायें तो यह हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। निश्चित तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस ओर प्रयत्न करना चाहिए। जब कभी इस तरह की शिकायत मिले तो तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मैंने स्वयं यह लिखित में जिला कलेक्टर को शिकायत की और जोधपुर कलेक्टर को लिखा है कि आप हिदायत दें कि इन्जेक्शन लेकर टीमें पहुंचें। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि एक एक गांव में तीन-तीन सौ और चार-चार सौ मवेशी बीमारी के कारण से मरे हैं। इसलिए मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर अपना ध्यान निश्चित रूप से दें।

अन्त में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहां भेड़पालक काफी तादाद में हैं ......

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने काफी इम्पोर्टेन्ट बात कही है और ध्यान दिलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बीमारियों के लिए आपके पास इन्जेक्शन हैं। आपके पशुपालन अधिकारी श्री चारण जोधपुर में हैं। उनसे पूछा था तो मालूम हुआ कि ऊंटों में पीपरसा की बीमारी होती है उसके लिए काफी कम मात्रा में इन्जेक्शन आते हैं। यह इन्जेक्शन भूत ब्रदर्स नाम की एक फर्म से आते हैं। यह फर्म खुद ब्लैक करती है और बड़ी मुश्किल से इन्जेक्शन देती है। इसकी सुविधा कर दी जायें तो उनका मानना था कि एक इन्जेक्शन यदि ऊंट के लग जाये तो यह बीमारी फिर से कभी नहीं होती। तो इस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसी तरह से भेड़ और बकरियों में भी बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज हो सकता है। गायों की भी बीमारियां हैं, उसके लिए कहा गया कि उसका भी उपचार हो सकता है, लेकिन जितनी अहमियत मवेशियों की समझी जानी चाहिए उतनी नहीं समझी गयी है। काश्तकारों की अच्छी हालत नहीं होने से वह इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं कि वह डॉक्टरों की पूरी फीस देकर जोधपुर से वहां ले जायें। इसलिए मैं खास तौर से कहूंगा कि जो एनीमल हस्बेन्ड्री ब्लाक्स हैं वहां जानवरों के डॉक्टर ही विकास अधिकारी लगे हुए हैं। इन बीमारियों को दूर करने की उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी जानवरों के अस्पताल हैं वहां आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए इन्जेक्शन वगैरह की जिससे उन लोगों को कभी सूचना मिले तो वह उनको फौरन इन्जेक्शन दे दें तो इससे भी उनको काफी मदद मिल सकती है।

आखिर में मैं यह निवेदन करूंगा कि आजकल सऊदी अरेबिया में, दुबई में और अबू-धाबी में अपने यहां से शीप और गोट बहुत जाती हैं। थोड़े दिन पहले ही मैं बम्बई गया तो मालूम पड़ा कि जो बकरा अपने यहां 70 रुपये में मिलता है वह वहां 450 रुपये में बिकता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि इसमें इतने बिचौलिये पड़ गये हैं कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जो भेड़ पालक हैं उनको सही दाम नहीं मिल पाते हैं और बीच के लोग फायदा उठाते हैं। इसलिये इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

तेंदू पत्ते का भी आपने राष्ट्रीयकरण किया है। आपको इस सिलसिले में भी स्टेट ट्रेडिंग करना चाहिए।

श्री सम्पतराम : यह राष्ट्रीयकरण कब हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : राष्ट्रीयकरण हुए ही तीन-चार साल हो गए। यह फॉरेस्ट मिनिस्टर जानते हैं। आपका इससे ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप नहीं जानते लेकिन वह जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसका भी आप राष्ट्रीयकरण कर दें तो निश्चित रूप से भेड़ पालकों को इससे सहायता मिलेगी और उनको सही कीमत मिल जायेगी और आपके डिपार्टमेंट में भी लोगों को एम्पलॉयमेंट मिल जायेगा। यह मेरे कुछ सुझाव थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि और पशुपालन दोनों विभागों की मांगों के ऊपर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं पहले कृषि के संबंध में मेरे विचार प्रकट करूंगा।

बाड़मेर जिले में अभी तक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिस था। यह जो डिस्ट्रिक्ट है इसका क्षेत्रफल 27172 वर्ग किलोमीटर का है और आबादी भी 8 लाख की है। यह मैंने प्रश्न उठाया था, मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने भी यह सहमति प्रकट की थी कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर का ऑफिस बाड़मेर में स्थापित होना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि वह अपने जवाब में स्पष्टीकरण करें कि उसके बारे में क्या प्रगति हुई। उसके बारे में क्या फाइनेन्स की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं ? इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस स्थापित कर सकेंगे या नहीं ? इस संबंध में मैं जानकारी चाहता हूं और यह कहता हूं कि मंत्री महोदय अपने जवाब में इसके सम्बन्ध में घोषणा करें। बाड़मेर काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की काफी अच्छी संभावनायें भी हैं। बालोतरा के एरिया, सिवाना के एरिया, गुडा के एरिया और लूनी नदी आती उस एरिया में सिंचाई के काफी साधन हैं और दूसरा एरिया, जो कि डेजर्ट है, को भी विकसित करना है। उस एरिया में जब अच्छी बरसात हो जाती है तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। यह स्थिति भी वहां पैदा हुई थी कि जब लेवी का समय आया तो बाड़मेर जिले ने सबसे ज्यादा लेवी दी। इसलिए यह नहीं सोचें कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र है और इसमें विकास की गुंजाइश नहीं है और वहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस स्थापित नहीं करें। मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर का ऑफिस इसी वर्ष स्थापित किया जाये।

दूसरे नयी कृषि विस्तार योजना ली गयी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

संक्षेप में ही कहूंगा।

श्री सभापति : मैंने एक घन्टे का समय निर्धारित किया है आपकी पार्टी के लिये और 15–16 बोलने वाले हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने तो अभी बोलना शुरू ही किया है ।

श्री सभापति : मैंने कहा है कि काफी बोलने वाले हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं संक्षेप में ही बोलूंगा ।

आपने कृषि विस्तार की नयी योजना 17 डिस्ट्रिक्ट में लागू की है । इसमें भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है । जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है । सिवाणा का एरिया है, बालोतरा का एरिया है, इन एरियाज जो ड्राट प्रोन प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के साथ साथ इस योजना को हाथ में लिया जा सकता है । दोनों स्कीमें होंगी तो विस्तार योजना से भी लाभ हो सकेगा । इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जाये ।

अब मैं पशुपालन विभाग के संबंध में मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा । अभी पशुओं की बीमारियों के बारे में माननीय सदस्य, जो शेरगढ़ से आते हैं श्री खेतसिंह जी, ने अपने विचार रखे थे । ऊंट के गलकिया की बीमारी होती है । उसके जो इन्जेक्शन होते हैं वह एन्टीपोल और एन्टी–साइट इन्जेक्शन होते हैं । यह इन्जेक्शन जोधपुर में पोरवाल ब्रदर्स के पास होते हैं, वह डील करते हैं और वह बम्बई की फर्म के सोल एजेन्ट हैं । वह खुद बहुत ज्यादा ब्लैक करते हैं । यह इन्जेक्शन बहुत ही कास्टली होते हैं और ब्लैक में मिलते हैं । यहां तक कि जो इसकी कीमत है उससे दुगुना और चौगुना कीमत चार्ज करते हैं । यदि ऊंट को बीमारी होती है तो इस इन्जेक्शन से ऊंट को बचाया जा सकता है और भेड़ें भी बच सकती हैं । लेकिन इसके लिए उनके पास में जितनी दवाइयां होनी चाहिएं उतनी नहीं हैं और न बजट है । इसलिए मवेशी मर जाती है और ऊंट भी मर जाते हैं । एक ऊंट की कीमत दो हजार होती है । गलतिया की बीमारी से ऊंट मर जाते हैं क्योंकि इन्जेक्शन की व्यवस्था नहीं हो पाती है । तो इस संबंध में जो कीमती इन्जेक्शन हैं उनकी ऐसे स्थान पर व्यवस्था करें जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर है, वहां डिस्पेन्सरी में इसकी व्यवस्था अधिक करें । साथ ही जो दवा विक्रेता हैं वे इसका ब्लेक नहीं करें और जो इसकी कन्ट्रोल रेट है वह चार्ज कर लें । वह कन्ट्रोल रेट देने के लिए भी तैयार हैं । हम नहीं चाहते कि फ्री में आप उनको दें । आप उनसे कन्ट्रोल की कीमत ले लें तो वह इसके लिए भी तैयार हैं ।

दूसरी चीज जो है फोडर बैंक के बारे में है । अभी इसकी बहुत आवश्यकता है । राजस्थान में प्रायः अकाल पड़ता है । अकाल के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति हो जाती है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । सन् 1966 में, 1967-68 में अकाल पड़ा था, बाड़मेर में केटल की संख्या 6,33,992 थी और 1971 की सेन्स में यह संख्या केवल 1,17,625 रह गई । राजस्थान में सब से कम केटल जैसलमेर और बाड़मेर में है जब कि किसी समय में सबसे अधिक होते थे । इस प्रकार के अकाल जब पड़ते हैं तो केटल की संख्या कम हो जाती है । मैंने हिसाब लगाया कि 5,15,367 केटल शांत हो गये 1967-68 के अकाल के अन्दर । अगर 500 रुपये की केटल के हिसाब से हिसाब लगाया जावे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

तो 25 करोड़ का घाटा हो गया और इकानामी में भी फर्क पड़ा। इस इकानामी को ठीक करने के लिये अकाल के समय के लिये आप फोडर बैंक की व्यवस्था करें। फोडर बैंक की योजना बनायें। जब जमाना अच्छा आता है जैसलमेर और बाड़मेर में घास ज्यादा होती है लेकिन उसे फारेस्ट डिपार्टमेंट इकट्ठा नहीं करता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इकट्ठा नहीं करता। इस संबंध में राज्य सरकार को सोचना चाहिये। यह एक प्रकार से इसका एक हल है। अगर घास एकत्रित करेंगे और ट्यूब वैल्स की स्थापना करेंगे तो ट्यूब वैल्स होने पर पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है और अकाल के समय पशुओं को बचाया जा सकता है। इस प्रकार की योजनायें बनाई जानी चाहियें। अकाल में पशु न मरें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। बाड़मेर जिले में एक ब्रीडिंग फार्म है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं।

यह ब्रीडिंग फार्म मृतप्राय है। यह ब्रीडिंग फार्म चौहटन में स्थापित किया जा सकता है, जैसलमेर में ब्रीडिंग फार्म स्थापित हो तो सांड अच्छे बनेंगे और उससे वहां की गाय की नस्ल, जिसका हिन्दुस्तान में किसी भी किस्म की नस्ल से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सुधरेगी। इस ब्रीड के पूरे सांड पाकिस्तान चले गये हैं। जो थोड़े से रहे हैं इनको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे कटौती प्रस्ताव ज्यादा हैं, मुझे कुछ ज्यादा समय दिया जाये।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर चुका हूं कि एक घंटे का समय कांग्रेस पार्टी के लिये निर्धारित किया गया है।

(व्यवधान)

एक मिनट के लिये आप बैठिये, आप मेरी बात सुनिये। ऐसा है पहले भी सन् 1976 में 13-3-76 को जो मीटिंग हुई, उस मौके के ऊपर भी इसी तरह का समय निर्धारित किया गया था। वह मेरे पास मौजूद है। सरकारी पक्ष को तीन घंटे और जनता मोर्चे को एक घंटा। निर्धारित समय में ही बोलें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जो समय निश्चित करने की बात थी वह ठीक है। कट मोशन्स जिन लोगों के होते हैं उनको बोलने का हक है। अगर जनता पार्टी का कट मोशन है ही नहीं तो वे क्या बोलेंगे। इसलिये जिनके कट मोशन्स हैं उनको समय देना ही पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : सभापतिजी, मैं यह जानना चाहूंगा कि कौनसे नियम के अन्तर्गत आपने यह समय निर्धारित किया है ?

श्री सभापति : मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी व्यवस्था विरोधीय होगी। कट मोशन्स की स्ट्रैन्थ के आधार पर आप टाइम निर्धारित करें। अगर एक भी कट मोशन नहीं है तो इन चार घंटे के वेक्यूम में क्या करेंगे? कट मोशन्स के परव्यू से बाहर मैं नहीं जा सकता। I can not make a single statement on agriculture if my cut

(श्री मथुरादास माथुर)

motion is on Animal Husbandry. मैंने लिखा है कि मेरा कट मोशन शीप एण्ड वूल में यह है कि कुछ भेड़ें, राजस्थान से मध्य प्रदेश चली गईं तो मैं मध्य प्रदेश और भेड़ों वाली बात से आगे नहीं जा सकता। अगर कट मोशन्स रखे ही नहीं हैं तो वे क्या बोल सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि टाइम का अलॉटमेंट स्ट्रैंथ ऑफ कट मोशन्स पर रखा जाय not on the party strength.

श्री सभापति : यहां जनता पार्टी का सवाल उठाना गलत है। जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी कट मोशन्स रखे हैं और उसी हिसाब से यह टाइम निर्धारित किया गया है। यह निवेदन कर दूं, मैं यह नहीं कहता कि उनको बोलने नहीं दिया जायेगा लेकिन मेरा निवेदन यह है कि समय का ध्यान रखते हुए अपने कट मोशन्स पर बोलें। लम्बा न करके पाइन्टवाइज आप कट मोशन्स पर बोल लें।

श्री शंकरलाल : आपकी व्यवस्था यह होनी चाहिये

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवस्था क्या होनी चाहिये यह मैंने निवेदन कर दिया। प्रक्रिया पढ़कर सुना दी। आप लोग मिलकर बैठकर बात करें।

श्री मथुरादास माथुर : एक रास्ता निकाल लें। आपकी डिफीकल्टी को मैं समझता हूं। एक कट मोशन के लिये समय निर्धारित कर दें। जिसके जितने कट मोशन्स उसके हिसाब से बोल लें।

श्री सभापति : यह पहले प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। आइन्दा क्या होगी यह तय कर लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : You are right, Sir.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सभापतिजी, मैंने कृषि के ऊपर 12 कट मोशन्स रखे हैं। एक-एक मिनट तो लूंगा।

सभापतिजी, जिला जालोर के अन्दर कृषि विभाग द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालोर जिला कृषि की दृष्टि से बहुत ही पीछे है। पिछले 10-12 वर्षों में काश्तकारों ने अपने खुद के साधनों से प्रगति की है परन्तु कृषि विभाग की ओर से आज दिन तक काश्तकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। न ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, न एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन तकनीकी सहायता दी है, न एग्रीकल्चर सर्विस सेन्टर है उनको कोई सहायता प्रदान की जाती है। अगर सर्विस सेन्टर खुले भी हैं कहीं जोधपुर में तो वहां कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। इसलिये, सभापति जी, आपके जरिये माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हाई ईल्डिंग वेराइटीज बीज को देखकर जो लोग उसको काम में लेना चाहते हैं तो उनको उसकी सुविधा नहीं मिलती है। आपको [illegible] के अन्दर कई तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं। उससे सारी की सारी फसलें बेकार हो गई हैं। वहां के एग्रीकल्चर आफिसर नाममात्र का आफिस खोलते हों तो पता नहीं। काश्तकार आकर पूछें कि इस बीमारी के लिये कौनसी दवा लेवें, तो पहले तो दवा मिलती नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लेकिन अगर दवा के लिये पूछें तो उनको दवा का भी ज्ञान नहीं । ऐसे नये-नये पढ़े-लिखे छोरों को भेज दिया जिनको कृषि का ज्ञान नहीं है । सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जालोर जिले में काश्तकारों ने प्रगति की है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया है, उनकी कृषि विभाग सहायता करे । मैं उदाहरण के तौर पर संकर बाजरा के उत्पादन को लेता हूं । आज सेन्ट पर्सेन्ट काश्तकार संकर बाजरा का उत्पादन करने लग गये हैं, लेकिन, सभापति जी, आपको सुनकर परेशानी होगी कि सारी फसल पिछले साल नष्ट हो गई । बैंकों ने जो 10 पर्सेन्ट पर लोन दिया था वह सारे का सारा उसी में खत्म हो गया । जो बाजरा खड़ा है, उसमें सिट्टा नहीं है। जब दाना पड़ने लगा तब बीमारी हो गई और सेन्ट पर्सेन्ट फसल नष्ट हो गई । मैंने अखबार में पढ़ा था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एडवाइस दी है कि ये-ये उपचार कीजिये । मेरा निवेदन है कि जब सारी फसल नष्ट हो गई तब आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एडवाइस देता है । दूसरी तरफ सारे के सारे काश्तकार अनपढ़ होने से उस सारी आपकी जानकारी से अवगत नहीं हो सकते हैं । शुरू से ही किस समय क्या करना है, यह भी उनको मालूम नहीं है । तो, सभापतिजी, आप इस बारे में जालोर जिले में खास तौर से कृषि का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, और जो भी एग्रीकल्चर सर्विस सेन्टर्स हैं, उन पर यह सुविधा प्रदान करें ।

सभापति जी, इसके अलावा पिछले साल जालोर जिले में एक हाई ब्रीड गेहूं को कम्पलसरी राज्य सरकार ने बोने के आदेश दिये थे कि पर्टीक्यूलर एरिया में हाई ब्रीड का जो बीज है वही उगाया जाय और बाकी जगह दूसरे ब्रीड का गेहूं उगाया जाये । इसका कारण एक फसल में बीमारी हो जाती है तो उसके कारण आस-पास की फसल को नुकसान होता है । इस दृष्टि से एग्रीकल्चर आफिसर्स की रिपोर्ट पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया था कि यही बीज बोवें । वह बीज 2।। और 3) रु० किलो के हिसाब से वितरण किया । उसका नतीजा यह हुआ कि बिलकुल आधा भी नहीं हुआ । बरसात से नष्ट हो गया और चार आना फसल भी नहीं हुई । हजारों काश्तकार बरबाद हो गये । राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि मंहगा बीज भी दिया और फसल नष्ट हो गई । राज्य सरकार के कम्पलसरी आदेश निकालने से हानि हुई है इसलिये कम से कम 50 पर्सेन्ट तो सब्सिडी दिलायें, लेकिन आपने एक पैसा भी सब्सिडी का नहीं दिलाया । जो एक साथ लोन मंजूर किया उसका गरीब काश्तकारों को ज्ञान ही नहीं था । बिलकुल एक दाना भी गेहूं का उगा नहीं और उधर उन पर कर्जा हो गया ।

मैं निवेदन करूंगा कृषि मंत्रीजी से कि वे जाकर देखें । जबरदस्ती खेत नीलाम करके वसूली कर रहे हैं । जब पैदा ही नहीं हुई तो वसूली कैसे कर रहे हैं ? उनके खेत नीलाम हो गये, ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री को निवेदन करूंगा कि कोई कम्पलसरी स्कीम चालू करें तो गवर्नमेंट को काश्तकारों को कम्पेनसेट भी करना चाहिये, और दूसरी जो फसल नष्ट हुई है उसका कम्पेन्सेशन दिलाना चाहिये । साथ ही फसल का इन्श्योरेन्स भी करना चाहिये । वह आप करते नहीं है इसलिये काश्तकार तो किसी भी तरह का फायदा नहीं उठा सकता है । राज्य सरकार का कृषि विभाग कोई सहायता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं देता है। जो नई नई बीमारियां निकली हैं, उनको रोकने का प्रोग्राम बनाकर उनका ट्रीटमेंट निकालिये। जो आपकी उदयपुर युनिवर्सिटी है, वह क्या कर रही है? विभाग की तरफ से या गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : एक पॉइन्ट पर चार मिनट लगें तो 12 पॉइन्ट पर 48 मिनट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति जी, अभी तो मेरा टाइम ही नहीं हुआ है......

श्री सभापति : एक मोशन पर 9 मिनट हो गये आपको।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो कट मोशन भी 15 हैं।

श्री सभापति : इसका मतलब आपको 60 मिनट चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाँ, 60 मिनट चाहिये ही।

इसलिये मेरा निवेदन है, सभापतिजी, हाई ब्रीड में जो बीमारी है, उसकी रोकथाम के लिये उदयपुर युनिवर्सिटी को निर्देशन दें कि इसका क्या इलाज है। उसमें कुछ कदम उठाये जाने चाहिये ताकि काश्तकारों को उचित समय पर एडवाइस मिल सके। नहीं तो जो प्रोग्राम आये हैं, उनसे काश्तकार हताश हो गया है। टेम्प्रेरी जो फायदा देते उससे भी वह वंचित रह जाता है......

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पत राम (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि मांगें पारित नहीं हो जाती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत बढ़िया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो कहूंगा 10-11 बजे जाये तो भोजन का प्रबन्ध भी करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि मांगें पारित नहीं हो जायं।

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

लेकिन निर्धारित समय तक ही माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री मथुरा दास माथुर : प्रस्ताव समय बढ़ाने का है, भोजन का क्या होगा?

श्री मूलचन्द डागा : वे मौन कैसे हो गये?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अतः इस ब्रीड से जो काश्तकार बरबाद हो गया है उसको 60 पर्सेन्ट रिकवरीज से छूट दीजिये, यह मैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी कुछ कहेंगे कि इस बारे में क्या करना चाहते हैं ....

(विराम)

सभापति जी, मंत्री महोदय तो चले गये सुनायें किसको ?

एक माननीय सदस्य : वे तो आपके पास आ गये......।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो, सभापतिजी, पशुपालन विभाग के लिए मंत्रीजी को तीन कट मोशन पेश किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक तो पशुओं में जो बीमारी होती है गायों में, भैंसों में, भेड़ों में, बकरियों में, और ऊंटों में जो बीमारी होती है उनसे हजारों मवेशी मर गये । एक-एक हजार की गायें साँचोरी नस्ल की होती हैं, काँकरेज नस्ल की गाय आदि का बहुत नुकसान हुआ है। दूध के पॉइन्ट ऑफ व्यू से यह बहुत अच्छी नस्ल की गायें होती हैं। तो, सभापति महोदय, इस प्रकार की ऐपेडेमिक बीमारी फैली है कि दुधारु गाय चलती चलती मर जाय । मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा पुराना बजट जो जिले में दे रखा है, बहुत थोड़ा है। अतः निवेदन है कि कुछ ज्यादा बजट प्रावधान करें और जो मोबाइल यूनिट दिये हैं उनमें यह व्यवस्था होनी चाहियें कि जहाँ बीमारी की सूचना मिले तो तुरन्त उपचार की व्यवस्था करें। सभापतिजी, जालोर जिले की ब्रीड हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और उस जिले में ज्यादा आमदनी पशुओं से ही है। तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान दें।

दूसरे शीप और वूल के बारे में भी कृषि विभाग की डिमांड है। हमारे जालोर जिले में भेड़ें हैं। उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको बिचौलियों के जरिए नुकसान होता है । उनको डाइरेक्ट पैसा मिलना चाहिए। डाइरेक्ट पैसा नहीं मिलता है इस बारे में भी राज्य सरकार सोचे। इस सम्बन्ध में जो स्कीम लागू करने जा रहे हैं, विशेष रूप से जालोर जिले की जो स्कीम है, उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा । वहाँ पर पशुओं के चरने का भी सवाल है। यह बड़ी विकट समस्या है । जो फैमीन होता है तो पशु मर जाते हैं। इसलिए फैमीन के समय घास का इन्तजाम होना चाहिए ताकि फैमीन में पशुओं को बचाया जा सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पशुओं में फैल रही बीमारियों को देखते हुए कितना बजट बढ़ाया गया है, इनकी रोक-थाम के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि विशाल पैमाने पर गरीबी नियति के रूप में साबित नहीं हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : इनका बोलना जरूरी है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी भी राजस्थान सरकार की लघु सीमान्त कृषक का उत्थान करने की नीति है। सारे कृषि के महकमे बन्द कर दीजिए और कृषि विभाग का सारा पैसा काश्तकारों को बाँट दीजिए, उनका उत्थान अपने आप हो जाएगा। यह कहने में मुझे बड़ा दुःख होता है, मैं भी एक गाँव में

(श्री मूलचन्द डागा)

रहता हूं। मेरे उस गाँव में एक वेटेरिनरी का डॉक्टर है, एक डेयरी में वेटेरिनरी का डॉक्टर है, एक नई स्कीम में वेटेरिनरी का डॉक्टर है। इस प्रकार 6-6 वेटेरिनरी डॉक्टर एक जगह पर हैं। परन्तु इन 6 वेटेरिनरी के डॉक्टरों के पास कोई साधन नहीं हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि एक गाँव में 6-6 वेटेरिनरी के डॉक्टर बैठ गये और उस एरिया का डवलपमेंट नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : कोई डॉक्टर गाय का नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : समय कम है। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लघु सीमान्त कृषक की दुहाई देते हैं। जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता पार्टी के मुख्य मंत्री बने हैं, वे भी इन गरीबों की दुहाई देते हैं। परन्तु ये जितने लघु सीमान्त कृषक हैं, उनको लोन, कर्जा एक जगह से नहीं मिल पाता है। एक जगह से पानी, बीज उपलब्ध नहीं होता है। 165 रुपये में बीज आप खरीदते हैं और उनको यह बीज किस भाव में देते हैं? जो धनवान काश्तकार हैं, उनको धनवान बनाने की आपकी नीति है और जो गरीब काश्तकार हैं, उनको रसातल में पहुंचाने की आपकी नीति है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपका कृषि विभाग 165 में यह बीज खरीदता है। मेरे गाँव के काश्तकारों से आपका यह एग्रीकलचर डिपार्टमेंट 165 में यह बीज खरीदता है और वही बीज किसानों को 265/-, 302/- रुपये के भाव से बेचता है। यह सारी बात आप करते हैं। आप कहते हैं हम बिचौलियों को खत्म करेंगे, परन्तु यहाँ तो बिचौलिए आप बन कर बैठ गये हैं। यह विभाग में आप इतना खर्चा क्यों करते हैं? 3 लाख 33 हजार रुपये का यह टेलिफोन का खर्चा, 2 लाख के करीब विभाग की गाड़ी रिपेयर का खर्चा। यह रिपोर्ट जो आपने दी वह बता रही है। यह रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? रिपेयर का खर्चा जाने दें। अब आपकी ये कृषि उपज मंडी को लीजिए। सारे बनिये मिल करके इन कृषि उपज मंडियों पर छा गये हैं। आप कहते हैं, इससे काश्तकारों का भला करेंगे? ये सब मिलकर के काश्तकार का अनाज खरीद लेते हैं। यह एक चक्कर है। जो कृषि मंडी बना रहे हैं वह आप काश्तकारों के हित की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं परन्तु हो रहा है इसका उल्टा। इसी प्रकार से आपका यह स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। मेरे एरिया में पाली में कृषि उपज मंडी है। वह शहर से चार मील की दूरी पर है। काश्तकारों को वहाँ पर जाकर अपना माल बेचना पड़ता है। कन्ज्यूमर को वहाँ जाकर शहर से चार मील दूर जाकर अनाज खरीदना पड़ता है....

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : यह नवनीत पालीवाल मोटा ताजा है, नाथद्वारा में मुफ्त का माल खाता है। इसको कुछ मालूम नहीं, गाँवों में क्या हो रहा है?

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो कृषि उपज मंडियाँ हैं, इनमें 16-16 जगह प्रशासक बैठे हुए हैं। यह तो आपकी कृषि मंडियों की हालत है। दूध की डेयरी को ले लीजिए, बाप रे बाप, यह डेयरी विकास

(श्री मूलचन्द डागा)
योजना भी बड़ा भारी चक्कर है। किन-किन गरीब आदमियों को आपने भैंसे दी हैं....

श्री सम्पतराम : प्रशासक लगाने के लिए वहाँ पर किसने कहा था ? आपने ही कहा था।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो मजबूर करेंगे परन्तु आपने क्यों लगा दिये ?

श्री मूलचन्द डागा : पिछले गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की आदतें आपने सीख रखी हैं। आप अपनी कमजोरियाँ छिपाने के लिये पिछली बातें कहते हैं। यह गलत है। रोज नया सवेरा होता है। रोज नया सूरज उगता है। परन्तु आप तो पिछली बातों से ही अपने पापों को ढक रहे हैं।

यह दूध की डेयरी का फार्म है। हमसे यह कहा गया कि जो छोटे-छोटे काश्तकार गाँवों में रहते हैं, उनकी भलाई के लिए यह योजना बनाई गई है....

श्री सम्पतराम : मैं यहाँ पर पार्टी या गैर पार्टी की बात में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु मैं यह चाहता हूं कि आप कोई सजेशन दें। आपका कोई सजेशन एक्सेप्ट करने लायक होगा तो मैं गंभीरता से उस पर विचार करूंगा। मैं यह चाहता हूं कि आप यहाँ पर कन्स्ट्रक्टिव सजेशन दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दस मिनट में क्या सजेशन दे सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : आपको यह तो मालूम है कि सरकार को बने कितने दिन हुए हैं। आप यह बता दें ये कृषि उपज मंडियाँ किसने बनाई हैं। माननीय सदस्य जानते हैं। आप कोई नया सजेशन दें तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको यह सजेशन देना चाहता हूं कि जो कृषि उपज मंडियाँ हों, वे शहर के नजदीक होनी चाहिये। पाली में आपने शहर से तीन-चार मील की दूरी पर यह मंडी बना दी है.....

श्री सम्पतराम : यह किसने बनाई है। मैं यह जानना चाहता हूं। सरकार ने यह कृषि उपज मण्डी वहाँ के व्यापारियों, किसानों की माँग पर बनायी है। इसमें गलती किस की है ? सारा दोष आप हम पर लाद रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी तो आदत गड़े मुर्दे खोदने की हो गई है। हम तो यहाँ पर अपनी बात कहने को आये हैं। मुख्य मंत्री-जी ने जो कह दिया, उसी लाइन पर मत चलो।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : ये बीच में बोल कर व्यवधान कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपके जो कट मोशन हैं, उन्हीं पर कहिये। आप तो यह जनरल भाषण दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कोई जनरल बात नहीं कह रहा हूं। इन्हीं पर मेरे कट मोशन हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य, बेकार में समय नष्ट कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह जानना चाहती हूं कि उस समय क्या इनकी जुबान पर ताला पड़ा हुआ था !

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बैंक से जो कर्जा दिया जाता है, उसको सारे काश्तकार नहीं पा सकते। महाजन ने कर्जा देना बंद कर दिया। बीस सूत्री प्रोग्राम के अंदर महाजन से किसानों को कर्जा मिलना बिलकुल बंद हो गया। काश्तकारों को बैंक से लोन लेने के लिए सात-सात जगह से सर्टिफिकेट लेने होते हैं। तहसीलदारों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कौआपरेटिव विभाग से सर्टिफिकेट लेना होता है। इस तरह कई जगह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद उसको बैंक से कर्जा मिलता है। जिस काश्तकार को बीज चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, तो ये सब चीजें उसको एक ही जगह से मुहैया होनी चाहिए। छोटे काश्तकार को आगे बढ़ाने की आपने जिम्मेदारी ली है, क्या आपने सोचा है, समाज की आखरी पंक्ति को ऊंचा लाया जाए? काश्तकारों को, विशेष कर छोटे काश्तकारों को ये सब चीजें एक जगह से मुहैया कराई जाएं ताकि वह काश्तकार आत्मनिर्भर बन सकें। मैंने ये बातें आपकी सेवा में रखी हैं।

श्री सभापति : दस मिनट हो गए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, चार मिनट तो इन्होंने ले लिए, दो मिनट मंत्रीजी ने ले लिए। छः मिनट तो ऐसे ही चले गए।

श्री सभापति : दस मिनट हो गए हैं आपके।

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं अब एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

पशुपालकों के सम्बन्ध में निवेदन कर देता हूं। पशुपालकों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि आपके डॉक्टर हैं भेड़ों के लिए, अब की बार प्रश्न भी आया था, वेटेरिनरी हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन दवाइयां कम हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ज्यादा है, दवाइयों का खर्चा कम है। एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा तीस हजार है तो दवाइयों का खर्चा केवल पांच हजार ही है। डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन उनके पास दवाई नहीं है, औजार नहीं है, डॉक्टर के पास साधन नहीं हैं। आप डॉक्टर रख रहे हैं लेकिन साधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इसलिए यह बात कही है।

एक बात और कह देता हूं। जो लघु काश्तकार हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्माल फार्मर्स हैं आप उनको साधन उपलब्ध नहीं करा पाते क्योंकि बड़े जो काश्तकार हैं वह बीज ले सकते हैं, बड़ा जो काश्तकार है वह अन्य साधन ले सकता है लेकिन ये नहीं ले सकते। आज गांव के अन्दर कॉओपरेटिव बनी हुई है उसमें मालदार लोग ही डोमीनेट करते हैं। गांव में ही बीज मिल सके, गांव में ही हर चीज उपलब्ध हो सके गांव में ट्रेक्टर हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ताकि वह अपनी जमीन को जोत सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये सारे साधन मुहैया करेंगे तभी लघु काश्तकार या सीमान्त काश्तकार को आप अपने पांवों पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि राजस्थान भूखा और नंगा है। भूखा नंगा राजस्थान कहने की तो उनकी आदत ही पड़ गई है, यह उनकी आदत छूटने वाली नहीं है और यह कहने से ही भुखमरी मिटने वाली नहीं है।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, आपके बार-बार घंटी बजाने के पहले ही मैं संक्षेप में अपनी बातें कह देना चाहूंगा। वैसे कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, किसानों की दिक्कतों के बारे में काफी मुद्दे उठाने के लिए, सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव रखे थे, लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने यह कहा कि कोई भी विभाग हो उसमें जब तक शुद्धिकरण नहीं होता तब तक विभाग आगे नहीं बढ़ सकता। कृषि विभाग के अन्दर भी, मैं समझता हूं, शुद्धिकरण होना आवश्यक है। इसलिए कुछ जो मेरे सामने उदाहरण आये हैं मैं वह माननीय कृषि मंत्रीजी के समक्ष पेश करूंगा इन कटौती प्रस्तावों के जरिये।

प्रथम तो यह ज्ञात हुआ था कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रणवीरसिंह जब वाइस चांसलर बने, उनके वाइस चांसलर होने के साथ ही साथ यहां के डायरेक्टर पद के लिए भी ऑर्डर निकलने थे। उस ऑर्डर का अभी तक पता नहीं है और ऑफिशियेट जोधसिंहजी कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि उस फाइल का ही पता नहीं है। मुझे पता नहीं, इसमें कहां तक सत्यता है माननीय कृषि मंत्रीजी बतायें....

श्री सम्पतराम : एक सैकिंड।

श्री शंकरलाल : अभी मैं सारी बात कह देता हूं।

श्री सम्पतराम : फाइल के बारे में I simply want reference.

श्री शंकरलाल : यह पता लगा है कि डॉक्टर रणवीरसिंहजी के वाइस चांसलर के ऑर्डर के साथ-साथ ही जोधसिंहजी के डायरेक्टर होने के ऑर्डर भी उसी फाइल में थे या दूसरी फाइल साथ ही थी लेकिन उस फाइल का पता ही नहीं है। आप इस बात को बतायें कि उनके ऑर्डर हो चुके हैं या नहीं हुए? अगर ऑर्डर नहीं हुआ तो वे ऑफिशियेट कैसे कर रहे हैं? उस फाइल का पता नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली है वह मैंने आपको बताई है।

दूसरा, सभापति महोदय, कृषि विभाग के अन्दर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री महावीरसिंह मेहता के बारे में बड़ी बातें हैं। उनके भ्रष्टाचार की जांच हुई, छापा मारा एक किसान की शिकायत के आधार पर। एक मेवाराम काश्तकार की शिकायत थी कि उसको सब्सिडी का रुपया नहीं मिला। उसके बारे में जांच हुई और यह पता लगा कि फर्जी अंगूठा लगा कर कागज बना लिए और सब्सिडी की राशि उठा ली गई थी। यह मामला नई सरकार के आने के बाद दब गया। ऐसा बताया गया है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि जो यह महावीरसिंह मेहता हैं उनका संबंध एक लाला श्यामसिंहजी से है जो मुख्य मंत्री के निवास पर ही रहते हैं और उनकी वजह से ही यह मामला दब गया है। वे यह कहते हैं कि मुख्य मंत्री का मैं खास आदमी हूं। वे कहते हैं कि महावीरसिंह मेहता का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। यह बात कहां तक सच है, मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा है कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को कोई भी दल के सदस्य यहां कह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वे बतावें कि यह बात कहां तक सही है?

इसके अलावा झालरापाटन के कृषि विपणन बोर्ड के अन्दर जो चन्द्रप्रकाश जैन सेक्रेटरी हैं उसके अध्यक्ष पद पर श्री रामप्रसादजी बोहरा भूतपूर्व विधायक थे। उनका एक फर्जी इस्तीफा बना कर मंजूर

(श्री शंकरलाल)

करवा लिया। उसके बाद कई चीजों में फर्जी गड़बड़ियां कीं, टेलीफोन के बारे में, दूसरे मामलों में कागजों में गड़बडियां कीं। उसकी जांच भी 3-9-77 को उनके खिलाफ हो गई है। चन्द्रप्रकाश जैन, सचिव के खिलाफ मामला बन गया है। उसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं, यह बतावें। यह मामला मेरे सामने आया तो मैंने आपके सामने रख दिया।

मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उत्पादन में आप तरक्की चाहते हैं, जिस प्रकार कि मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे, कृषि उत्पादन करने वालों को एक जगह सारी चीजें मिल जायं, उद्योगों में सारी चीजें एक जगह मिल जायं उसी प्रकार कृषि विभाग की चीजें भी लोगों को एक जगह मिल जायं। बीज है, खाद है, दवाइयां हैं वह पंचायत समिति में पहले मिला करती थीं। बाद में भी कभी पंचायतों में, कभी एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास, कभी सहकार समिति में मिलने लगीं। पंचायत समिति में और तो कोई काम है नहीं, पंचायत समितियों को आप कृषि उत्पादन के काम में लगा दें, बिल्कुल उनको जिम्मेदार बना दें और उनके पास ही सारी चीजें उपलब्ध करा दें ताकि वह सारी चीजें एक जगह काश्तकार को मिल सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बिजली की बड़ी समस्या है। आपके कृषि के उत्पादन से बिजली का बहुत सम्बन्ध हो गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में बाबरा गांव में एक रामगढ़ ढाणी है। वहां के किसान का बिजली का कनेक्शन काट देने के कारण उसके चालीस वर्ग मील क्षेत्र में जो छोटे-छोटे 19 परिवार थे उन सारे परिवारों को नुकसान हो गया। कनेक्शन बिजली वालों ने काट दिया। बिजली के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार होता है, ऐसी काश्तकारों की शिकायतें हैं। बिजली का महकमा भी आपके पास है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन के अन्दर आप तरक्की लाना चाहते हैं और काश्तकारों को राहत देना चाहते हैं तो जब तक आप बिजली के मामलों को नहीं सुधारेंगे, काश्तकारों को राहत नहीं मिलने वाली है। काश्तकारों की सबसे बड़ी शिकायत बिजली की है।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करूंगा कि पाली जिले में कृषि विस्तार योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत क्या होता है कि केवल ग्राम सेवक को प्रोग्राम दिया होता है। ग्राम सेवक एक प्रोग्राम लेकर गांव में काश्तकार के पास जाता है। उनको प्रोग्राम दिया जाता है कि इतने बजे इस गांव में जाकर इस किसान को टेक्निकल गाइडेंस दे दें। इसके बाद उसके पास कोई काम नहीं है। एक ग्राम सेवक से बात हुई तो कह रहा था कि वास्तव में हम बिल्कुल फोकट की तनख्वाह पाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुए, सभापति महोदय।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रोग्राम ग्राम सेवक को दिया है। अभी मान लीजिए कि ग्राम सेवक काश्तकार के पास जाकर कहे कि आप इस फसल के लिए इतने पौंड दवाई का छिड़काव कर दें। अब आधा पौंड दवाई को लेने के लिए वह ब्यावर जायेगा या अजमेर जायेगा तो कितना खर्चा होगा। दवाई तो

(श्री शंकरलाल)
दो चार रुपये की और उसको लाने के लिए बीस रुपये का खर्चा होगा जिसको करना उसके लिए संभव नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि विस्तार योजना के अन्दर ग्राम सेवक के पास प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। अगर आप गाइडेंस देने का प्रोग्राम रखते हैं तो साथ-साथ में सप्लाई लाइन भी होनी चाहिए। पंचायत समिति के पास आप सारी चीजें रख दीजिये जो काश्तकार को चाहिए। अगर वह चीज काश्तकार को नहीं मिलेगी तो केवल गाइडेंस देने से उसका कोई काम चलने वाला नहीं है। गाइडेंस तो वह किताबों से, भाषणों को सुन कर ही मालूम कर सकता है। बैठे-बैठे ही ग्राम सेवक अपनी डायरी भर देता है। तो यह आपका कृषि विस्तार योजना का जो कार्यक्रम है इसके साथ जब तक सप्लाई लाइन नहीं होगी, सुपरविजन नहीं होगा तब तक कोई फायदा देने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको कृषि विस्तार में कोई सफलता नहीं मिलेगी।

मैं, सभापति महोदय, अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

कृषि विपणन बोर्ड के अन्दर काफी समय पहले राजस्थान में चर्चा हो रही थी कि सौ सुपरवाइजर ले रहे हैं। उनकी मांग निकली थी और सुपरवाइजरी की परीक्षा भी हुई थी लेकिन इतने दिन हो गए उसका कोई पता नहीं कि अपोइन्टमेण्ट कब होंगे ? अगर उनको नहीं लेना है तो ऐसा ही कह दें कि अपाइन्टमेंट नहीं होंगे, हम इसको नहीं मानते। हमसे आकर के पूछते हैं, चिट्ठियां देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब इम्तिहान हुआ, इन्टरव्यू हुए तो फिर उसको दबा कर क्यों बैठ गए ? यह तो कह दीजिए कि हम नहीं मानते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करूंगा, सभापति महोदय…

श्री **सभापति** : दस मिनट हो गए हैं।

श्री शंकरलाल : पशुपालकों के बारे में इतनी सी बात कहनी है कि पहले मोबाइल यूनिट गांवों के अन्दर जाती थी, छोटे-छोटे गांवों के अन्दर। कम से कम आप इसका परीक्षण करें कि उनको दवाइयां मिलें। जो दूर-दूर गांवों में रहते हैं मोबाइल यूनिट के जरिये उनको दवाइयां मिल सकें, इसकी व्यवस्था करें।

इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान से पाली, नागौर, जोधपुर, सिरोही से लाखों भेड़ें लेकर जो पूर्व की तरफ पशुपालक जाते हैं उनके सामने उनको चराने की समस्या आती है वहां उनके सामने चराई की समस्या आती है। पशुपालकों के लिए यह चराई की समस्या हल कर दें। आप उनसे पैसा लेकर चराने की इजाजत दे दें। इससे उनको राहत मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : श्री रामरघुनाथ !

श्री **रामरघुनाथ** (डेगाना) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करूंगा। फिर भी आपसे निवेदन है कि मेरे पन्द्रह कटोती प्रस्ताव हैं अतः जल्दी घंटी न बजाते हुए विशेष समय देने की कृपा करें।

(श्री रामरघुनाथ)

आज, सभापति महोदय, लोग इस बात को समझने लगे हैं कि कृषि चाहे इन्टेंसिव करें अथवा एक्सटेंसिव, पर इसे पूरे वैज्ञानिक तरीकों से ही करना होगा, अगर उन्हें अपनी व अपने देश की पैदावार को बढ़ाना है तो मैं माननीय कृषि महोदय को कुछ विशेष समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के विभिन्न भागों में पिछले तीन चार वर्षों से अतिवृष्टि का दौर चला है। कहीं-कहीं इससे बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुई। अगर आपने ध्यान से वर्षा के आकंड़ों को देखा हो तो पता लगेगा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में रेनफाल बढ़ गया है। इस कारण वहां पर बोई जाने वाली बाजरे जैसे मोटे अनाज की फसल खराब होती जा रही है। कभी इसे अरगट हो जाता है तो कभी वितिया या रूखड़ी की बीमारी हो जाती है। इस अतिवृष्टि व अधिक रेनफाल के कारण आपको क्रॉप पैटर्न की तरफ भी ध्यान देना होगा। जो बराबर बाजरा कम वर्षा से ठीक होता था वह अब क्या बोया जावे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में? इसकी जगह कौनसी फसल हो सकती है? किसान अपने प्रयास से आलटरनेटिव फसलें जैसे कि मूंगफली, मक्की वगैरह बोने तो लगा है, पर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अनुसंधान करके बताये कि किन-किन जगहों पर अब उन्हें अधिक वर्षा के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब कौन-कौनसी फसलें बोनी चाहिए। किसान को तेल वाली फसलों की ओर आकर्षित करना भी हितकर होगा, जैसे कि मूंगफली, सूरजमुखी व सोयाबीन आदि। जहां मूंगफली, जिसे किसान काफी मात्रा में बोने लगा है, से चालीस प्रतिशत तेल और 27 प्रतिशत खली होती हैं वहां सूरजमुखी में 50 प्रतिशत तेल एवं 20 प्रतिशत प्रोटीन होता है तथा प्रति एकड़ फसल भी अधिक होती है। इसकी जानकारी किसान को देनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में होने वाले सभी राजकीय पशु मेलों में प्रदर्शनी में इसका पूरा प्रचार हो जिससे अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। किसानों को बताया जाना चाहिए कि कैसा बीज हो, कैसे औजार हों, कीटनाशक दवाइयां कब व कैसे प्रयोग में लाई जावें। बीमारी व कीड़ों से किसान किस प्रकार पूर्ण सावधान रह कर फसल को बचायें।

अब मैं, सभापति महोदय, रसायनिक खाद के लिए कहना चाहूंगा। यूरिया, डी ए पी पोटाश के भावों को देखिये। क्यों कर किसान इतना महंगा खाद खरीद कर सस्ता अनाज पैदा कर सकता है।

श्री सभापति : एक घण्टा निर्धारित किया है। एक घण्टे में 57 मिनट ले लिये हैं।

श्री रामरघुनाथ : मैं बोल रहा हूं, सभापति महोदय.....

श्री सभापति : एक घण्टा निर्धारित किया था। 57 मिनट हो गये हैं। अपने सुझाव सीमित रूप में रखें।

श्री मदनसिंह दांता : सारी समस्या हल हो सकती है अगर ईमानदार किसान है तो।

श्री रामरघुनाथ : श्रीमन्, रसायनिक खाद ने किसान की भूमि को ऊसर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि किसान बिना सोचे समझे इसका प्रयोग करने लगा है। होना

(श्री रामरघनाथ)

यह चाहिए कि इनकी मिट्टी व पानी की जांच हो और फिर खाद का प्रयोग किया जाय ताकि उन्हें ध्यान रहे कि कौन सी खाद कितनी काम में लायी जाय। इससे खाद की बचत व जमीन ऊसर होने से बचती है। मेरा निवेदन है, श्रीमन्, किसान गोबर के कण्डे बना कर घरेलू जलाने के काम में बड़ी मात्रा में लाता है। सभापति महोदय, गोबर का खाद फसल के लिये जादू का सा असर करने वाला है। किन्तु राज्य सरकार का कोई प्रयास नहीं है, कि लोगों को, किसानों को, समझाया जावे कि काम्पोस्ट खाद का प्रयोग करें जो साधारण खाद से दुगुना-तिगुना फायदा करती है।

इसके साथ ही मंत्री महोदय, मैं आपका गोबर गैस की तरफ भी ध्यान ले जाना चाहूंगा। इसके लिये पहले पंचायत समितियों के द्वारा प्रचार किया जाता था। पर फिर इसके लिये सभी क्षेत्रों में चुप्पी धारण कर ली गयी। मेरा निवेदन है कि गोबर गैस के कार्यक्रम को युद्धस्तर पर क्रियान्वित किया जाय। आपके ग्राम सेवक व कृषि प्रसार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं आप उनसे कार्य लें। मंत्री महोदय, एक सुझाव है। क्यों नहीं आप कोई बड़ा प्लान्ट लगाने की योजना बनवाते जिससे गोबर गैस से इन्डेन गैस की तरह सिलेन्डर भरने का कार्य शुरू हो सके तथा इन सिलेन्डरों की सप्लाई घरेलू कार्य के लिये की जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कटौती प्रस्ताव पर जो बात एक बार कह दी गई है, उसको दुबारा नहीं दुहरायें।

श्री रामरघुनाथ : मैं दुबारा नहीं दुहरा रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अभी और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामरघुनाथ : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री महोदय से एक बात बिजली के संबंध में कहना चाहूंगा। इस विभाग का कृषि से संबंध तो है पर समन्वय नहीं। इससे किसानों की फसलें बिना बिजली की सप्लाई से खड़ी-खड़ी जल जाती हैं। वैसे किसान का भगवान ही मालिक है, फिर भी आप कृषि मंत्री हैं, आपकी कृपा से किसान वर्ग का भला हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रबी की फसलों की ओर भी दिलाना चाहूंगा क्योंकि एक-डेढ़ माह में रबी की फसल बोने का समय आने वाला है। गेहूं का बीज सरकार किसान को देते समय 250 से 350 रुपये में देती है जो कतई अमानवीय है। कृपया इस ओर ध्यान दें कि किसान को बीज सस्ता मिले।

गेहूं का श्रीमन, बड़ी मात्रा में रोली व डसवा रस्ट एवं फ्रॉस्ट लगती है जब यह बीमारी लगती है तो खड़ी की खड़ी फसलें सूख जाती हैं। मान्यवर, इसके लिए राज्य सरकार को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिये।

मैं, श्रीमन्, कुछ फसलों के ऋण के लिये भी कहना चाहूंगा। इस वर्ष राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में फसलों के बोने के लिए ऋण दिया पर ऋण उस समय

(श्री रामरघुनाथ)

दिया जब फसलें बोने का समय ही निकल गया। मेरे क्षेत्र में ही लोन 20 अगस्त के लगभग दिया गया। मान्यवर, इस प्रकार के लोन से किसान को कोई फायदा नहीं और जो लोन लेंगे वे इसका दुरुपयोग ही करेंगे। माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आगे से ध्यान रखें कि ऐसा ऋण कभी भी दें लेकिन किसान को समय पर मिले? बैंक से दिये जाने वाले ऋण का तो भगवान ही मालिक है। इसमें भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि बस कुछ नहीं कह सकता। मेरे यहां बीकानेर एवं जयपुर बैंक व ग्रामीण बैंक दोनों में होड़ लगी है कि किसान को कितना तंग कर कितना धन कमाया जा सकता है? मैंने आगे भी राज्य सरकार को निवेदन किया था, तथा आज फिर सदन के प्रांगण पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनसे, इन भ्रष्ट लोगों से किसानों का पीछा छुड़वायें तो आपकी कृपा होगी।

अब, श्रीमान, कृषि के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जो कीटाणु फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका लाइफ सर्किल जानने हेतु अनुसन्धान किया जावे, तथा किसानों को इसके लिये प्रशिक्षित किया जावे कि यह कैसे पैदा होते हैं और किस स्टेज पर आसानी से व कम कीमत पर इसे मार कर फसल को बचाया जा सकता है। जिस प्रकार कि कातरे के लिये है कि कातरा फफूंदी से बनता है, फफूंदी को वर्षा में पैदा होते ही खेतों में रोशनी कर खत्म किया जा सकता है।

श्री सभापति : यह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप महरबानी करें। इस प्रकार तो 12 बजेंगे। समय निर्धारित हो गया है। बैंक और भूमि के बारे में शंकरलाल जी बोल चुके हैं।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, समय तो आगे बढ़ाया गया है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री रामरघुनाथ : माननीय सभापति महोदय, कुछ समय मैं पशुपालन के कटौती प्रस्तावों के लिए लेना चाहूंगा। नागौर जिला, जिस जिले से मैं आता हूं, नागौरी नस्ल के लिये पूरे भारत एवं विश्व में मशहूर है। इस नस्ल के प्रति सरकार निरन्तर उदासीन होती जा रही है। मेरा निवेदन है, श्रीमान, इस नस्ल को सुधारने के लिये अच्छे सांडों का प्रबन्ध हो तथा गांवों में उपलब्ध कराये जायं। श्रीमान, इस नस्ल के बैलों से नागौर के पशु मेलों द्वारा सरकार को प्रति वर्ष पशु टैक्स व सेल्स टैक्स द्वारा करीब 50 लाख की शुद्ध आय होती है।

इसी प्रकार दुधारू पशुओं की ओर भी ध्यान देना होगा। राजस्थान में कई बड़े स्थानों पर होल्सटीन, जर्सी व रेड डेन नस्ल के विदेशी सांडों से हमारे यहां की दूध देने वाली गायों को क्रास कराने की सुविधा है पर इससे कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आया है, क्योंकि इसका फायदा शहर वाले या शहर के आस-पास रहने वाले लोगों को ही मिला है, दूर दराज देहात में रहने वाले किसानों को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि यह कहना उचित होगा कि देहात का किसान तो इन नस्लों के बारे में जानता ही नहीं है। इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि विदेशी नस्ल से देशी

(श्री रामरघुनाथ)
गायों के क्रास ब्रीड से पैदा होने वाले बछड़े व बछड़ी 50 से 20 प्रतिशत तक सुधर जाती हैं। तो क्या उन बछड़ों को सांड बनाकर प्रयोग में लाने से सुधार नहीं किया जा सकता ?

इसी प्रकार, श्रीमान, भैंसों के संबंध में निवेदन है कि भैंसों के दूध में फैट ज्यादा होती है अतः किसानों को पैसा अधिक मिलता है। राज्य सरकार भी किसानों को भैंस के लिए लोन दिलाने में प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिये निवेदन है कि अगर पूर्ण नस्ल के अच्छी भैंसें किसानों को उपलब्ध करायें तो भैंसें हरियाणा व पंजाब से नहीं लानी पड़ेगी एवं नस्ल धीरे-धीरे यहीं सुधर जावेगी। इसके साथ ही निवेदन है कि किसान को इस सबके लिए प्रशिक्षित किया जाये जिसमें पशुओं को रखने से लेकर उनका इलाज आदि तक का प्रावधान हो।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ डेअरी के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में मेड़ता सिटी में चिलिंग प्लांट लगा हुआ है जिसकी क्षमता 10 हजार लीटर दूध की है पर एवरेज दूध प्रति दिन आता है 4 हजार लीटर क्योंकि, श्रीमान, प्रशासन ठीक नहीं है। वे खुद कई प्रकार की गड़बड़ियों में लगे हैं। उन्होंने आस-पास के गाँवों में दूध समितियाँ न बना कर दूर-दूर बनाई हैं जहाँ से दूध समय पर नहीं आता। आस-पास के लोग भी महसूस करते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वह पास में हैं पर अधिकारी लोग वहाँ दूध सहकारी समिति नहीं बनाते इसका क्या कारण है ? मन्त्री महोदय कृपया इसकी तरफ ध्यान दें।

सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं ऊंट पालने के लिये भी कहना चाहता हूं : ऊंट आजकल किसान के लिए काश्त व अन्य कार्यों का मुख्य अंग बनता जा रहा है। अतः इसके विकास की ओर भी ध्यान दिया जावे।

अब मैं अन्त में, सभापति महोदय, भेड़-पालन के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। भेड़ पालन में राजस्थान पशु-पालकों का एक बड़ा तबका लगा हुआ है तथा मेरा जिला राजस्थान में भेड़-पालकों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक भेड़ों वाला क्षेत्र है। पर राज्य सरकार का रुख बहुत उदासीन है। मुख्य मंत्रीजी ने कुछ दिन पूर्व एक ऊन मील की घोषणा की थी। पर उस घोषणा से भेड़-पालकों को उनकी भेड़ों के लिये कोई सुविधा अथवा प्रसन्नता हुई हो ऐसी बात तो है नहीं। कृपया उन पर दया कर उनके लिए उचित चरागाहों का प्रबन्ध करें। इसके साथ ही जो भेड़ें राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकारी वनों में फीस जमा कराकर चरने जाती हैं वहाँ भी बहुत झगड़े टन्टे होते रहते हैं। उस ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर वे फीस जमा करा कर वनों में चराते हैं तो फिर झगड़ा क्यों? इसी प्रकार जो भेड़पालक यू० पी० अथवा मध्य प्रदेश जाते हैं वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भेड़पालकों को मध्य प्रदेश की सरकार ने फीस लेकर भी वहाँ भेड़ों को चराने से रोक दिया। मुख्य मंत्री श्री शेखावतजी खुद इस समस्या के जानकार हैं। उन्होंने एक पत्र मध्य प्रदेश राज्य सरकार को इस आशय का लिखा है कि भेड़पालकों के साथ हमदर्दी बरतते

(श्री रामरघुनाथ)

हुये फीस लेकर चरने दिया जाय । तो, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समस्या को हमेशा के लिये सुलझाने के उपाय निकालें ।

मेरा आपसे निवेदन है कि भेड़पालकों के बच्चे लिख-पढ़ कर अपने धन्धे से अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि भेड़पालने का धन्धा वह पढ़ जाने के बाद छोटे स्तर का समझने लगते हैं । मेरा निवेदन है उनमें अपने धन्धे से लगाव पैदा करने के लिये योजना बनावें । उन्हें भेड़ पालने की शिक्षा देने का प्रबन्ध करें । उन्हें विदेशों में आगे की शिक्षा व ट्रेनिंग के लिये भेजें जहाँ भेड़-पालन का धन्धा वैज्ञानिक तरीकों से पढ़े-लिखे लोग करते हैं ताकि वह बच्चे अपने खुद के धन्धे से अलग होकर एम्पलायमेंट की समस्या की ओर न बढ़ें ।

मैं, सभापति महोदय, इसके सिवाय मत्स्य पालन व मुर्गीपालन के लिये भी कहना चाहता था । पर समय नहीं है अतः अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए इन कटौती प्रस्तावों के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इन समस्याओं पर गहराई से विचार करें ।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): सभापति महोदय, कृषि के बारे में जो मेरे कट मोशन्स हैं, उनमें दो-तीन बातें मैंने कही हैं । पहली बात तो मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से बहुत ही स्पष्ट रूप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी कृषि के लिए बीज उगाने के स्थान हैं वह सारे के सारे नहीं तो 80 प्रतिशत कांग्रेस के भूतपूर्व मिनिस्टर्स और नेताओं के फार्म्स हैं । सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के फार्म का गेहूं का बीज 6 रुपया किलो में दिल्ली में बेच दिया गया । उनसे जब पूछा गया तो कह दिया कि मुझे मालूम ही नहीं । अभी भी मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री मोहन-लालजी सुखाड़िया भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और राज्यपाल के फार्म का बीज 60 रुपये किलो में बिका है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आपका कृषि विभाग इन बड़े-बड़े नेताओं के फार्म से या भूतपूर्व मिनिस्टरों के फार्म से, जो कि कृषि का बीज उत्पन्न करते हैं, बीज खरीदता है ? उनको लाभ पहुंचाने के लिए ही यह काम किया जाता है या फिर दो नम्बर के पैसे को एक नम्बर का करने के लिए ऐसा किया जाता है ? कृषि विभाग के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं वे यही काम करते हैं, इसलिए इसका उत्तर दिया जाय ।

मन्त्री महोदय इस बात का भी स्पष्टी-करण करें कि लाल बहादुर शास्त्री गेहूं के बीज का प्रचलन राजस्थान में बहुत हुआ था । जिन्होंने इसका प्रचलन किया वह ऑफिसर थे दुर्गापुरा फार्म पर । इस बीज की वजह से उनको फॉरिन में जगह मिली । जब वह बीज वहाँ पर फेल हो गया, जब फॉरिन वालों को पता चला कि वह बीज फेल्योर है इसमें रोशी लग जाती है और जमीन खराब हो जाती है तो उसको कैन्सिल कर दिया, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार उन महाशय को अभी ऑफिसर बनाकर रखे हुए है । इसलिए मैं कहना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहता हूं कि जो ऐसे, बड़े आदमियों के फार्म से काश्त करने के लिये बीज लेते हैं और काश्तकार की जमीन से नहीं लेते, क्या उनका बीज बीज नहीं होता ? इसलिए आप उनकी ओर ध्यान दीजिये। उनका बीज गेहूं का बिकता है आठ-दस रुपये किलो और कपास का बिकता है 60 रुपये किलो, यह अच्छी बात नहीं है। अभी माननीय सदस्य विश्नोईजी बोल रहे थे, संकर बाजरा के लिए वह कह रहे थे कि उसमें कीड़ा लग गया है। यह सब इसलिए होता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है केवल मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए ही यह किया जाता है। क्योंकि बीज बड़े नेताओं की जमीन में पैदा हुआ है इसलिए उसका ज्यादा मूल्य देना चाहिए, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो बीज की खरीद करता है वह छोटे काश्तकार के यहाँ से खरीदे तो ज्यादा अच्छा बीज मिल सकता है। बड़े लोग बीज को पैदा नहीं कर सकते। केवल उनको फायदा ही पहुंचाना हो तो दूसरी बात है। इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान ही शायद ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर फर्टीलाइजर के ऊपर सेल्स टैक्स और चुंगी दोनों लगाये जाते हैं। हमारे आस-पास के जितने भी प्रान्त हैं उन्होंने फर्टीलाइजर के ऊपर कभी भी न तो सेल्स टैक्स लगाया और न चुंगी लगाई, पर राजस्थान सरकार दोनों चीजें लगाकर जो खाद पहले ही मंहगा थी उसको और मंहगा करती चली जा रही है। इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक-दो एजेन्सीज होती थीं, लेकिन आज कल घर-घर में एजेन्सी हैं, कहीं पर फूड कॉर्पोरेशन के जरिये, कहीं पर पंचायत समिति के जरिये और कहीं पर एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के जरिये खाद बेची जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में जितने लोगों को पकड़ा जो कि खाद में मिलावट करते हैं उनमें से एक को भी आपने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। वे लोग आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर ऐसी चीजों के अन्दर मिलावट हो जिससे पैदावार बढ़ती न हो तो उस खाद को बेचने से क्या लाभ जिससे जमीन भी खराब होती हो।

इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर खाद की रेट को कम किया, इसी तरह यूरिया का भाव आपने 105 रु० से 55 रु० कर दिया। जिन व्यापारियों के पास स्टॉक में माल था और सरकार ने जिन व्यापारियों का पैसा जमा कर लिया, तीन-चार करोड़ रुपया व्यापारियों का जमा है, जब भाव घट गये हैं तो सरकार ने उनको क्यों नहीं डिफरेन्स दिया ? आज दिन तक जो पैसा सरकार ने लिया है, जो जमा है, बड़े-बड़े आदमियों ने तो जमा ही नहीं कराया लेकिन छोटे व्यापारियों और सहकारी समितियों ने स्पष्ट रूप से हुक्म का पालन किया और पैसा जमा कराया, फिर सरकार इस बारे में आज तक चुप क्यों है ? चार-पांच साल हो गये, करोड़ों रुपया व्यापारियों का आज भी सरकार के पास जमा है। उसको लौटाने की व्यवस्था की जाय। अगर आप उनको नहीं लौटाना चाहते तो कम से कम जो उनको नुकसान हुआ है उसको बराबर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
कर दीजिये । दोनों में से कोई व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी । चित भी आपकी और पुट भी आपकी, यह तो नहीं करनी चाहिए, यह खत्म होनी चाहिए ।

भैंस खरीदने के लिये पैसा दिया जाता है, नागौर से लाओ और हरियाणा से भैंस लाओ । मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नस्ल भीलवाड़ा में आती हैं, तो वहां का कैटल फूड मंगाकर आप दीजिये । 6 महीने में भैंस मर जाती है क्योंकि जैसा घास और वाटर उसको चाहिए वह नहीं दिया जा सकता है । उसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती, हरी घास वहां पर नहीं हो सकती तो यह जितना भी पैसा सरकार भैंस खरीदने के लिये देती है उसके लिये आखिर में जाकर लोग कहते हैं कि भैंस 6 महीने में ही मर गई, हम क्या करें, और वह पैसा नहीं देना चाहते । तो आपका दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है । इसलिए ऐसी नस्ल की मवेशी काश्तकारों को लेने के लिए जो भी पैसा दें उसके साथ-साथ मवेशियों का बीमा भी करवायें ताकि आपका पैसा डूब नहीं पाए और काश्तकार भी न मारा जाय । इसलिए अच्छी नस्ल की मवेशियों के लिए जो पैसा देते हैं उसके साथ-साथ उन मवेशियों के लिए बीमा करवाने का कष्ट करें ताकि वे लोग बच सकें ।

आपने हर पंचायत समिति में ग्राम सेवक दिया है । कृषि अधिकारी कहता है कि मैं उससे इसलिए काम नहीं ले सकता क्योंकि वह मेरे अंडर में नहीं है । पंचायत समिति के पास कोई काम नहीं है । तो आप हर जिले से सूची मंगा लें कि वहां पर जितने ग्राम सेवक हैं उन्होंने कितनी-कितनी जमीन पर काश्त कराना शुरू किया, कितनी जमीन एलॉट करवा ली है । उन्होंने अपने कुए बनवा लिए, पम्पिंग सेट्स लगवा लिए और पैदावार कर रहे हैं परन्तु उनकी जो ड्यूटी है गरीबों के यहां जाकर शिक्षा देने की उससे वे लोग वंचित हैं, और ग्राम सेवक अपना काम नहीं कर रहे हैं । अगर उनके पास काम नहीं है तो उनकी छंटनी की जाय या उनसे वह काम करवायें जिसके लिए आपने उनको नियुक्त कर रखा है ।

इसके अलावा बीज और खाद काश्त के लिए बहुत जरूरी है । उसके अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार अब तक चलता आया है उसको रोकने के लिए जो आदमी बीज पैदा करते हैं उसकी जांच करें कि वास्तव में वह काश्तकार हैं या नहीं । मोहनलाल सुखाड़िया कोई काश्तकार नहीं हैं । जब उनको यह मालूम हुआ कि बीज के 60-70 रुपए मिलने लगे तो वह अंगूर की बेलों के बजाय यह बीज लगाने लगे क्योंकि अंगूर की बेलों से नुकसान होता था । इसलिए जितने बड़े एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं और जिनका दूसरा भी धंधा है वे बराबर इन्कम टैक्स पे करते हैं या नहीं, रिटर्न्स भरते हैं या नहीं, इसका खयाल रखें । इस सदन में हमने सुना है, नाथूराम मिर्धा ने कहा था कि 1.20 लाख के अंगूर मेरे यहां पैदा हुए, मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा मेरे यहां एक लाख के पैदा हुए । आप इस बात की जांच करें कि जब से कृषि आयकर लगा है तब से ऐसे लोगों को लाखों की आमदनी हो रही है, उसका आयकर देते हैं या नहीं, इसकी छानबीन करायें । वरना इन लोगों ने जो कुर्सी पर बैठ कर पैसा डकारा है सारे का सारा दो नंबर का एक नंबर हो जाएगा ।

इसके अलावा आपने सीलिंग की जमीन दी । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
इस बंटवारे में गरीब किसानों को जमीन मिली, वह आज भी झगड़े में हैं.....

श्री सभापति : यह रेवेन्यू का विषय है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कृषि का थोड़ा ताल्लुक है। उस जमीन पर लोग उन्हें काश्त करने नहीं देते। जैसा आज मुख्य मंत्री ने फर्माया, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिन हरिजनों को यह जमीन दी गई, मेरे जिले के लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि 1970-71 में जिन हरिजनों को खेती की जमीन अलॉट हुई है आज दिन तक भी उस जमीन पर 80 प्रतिशत काश्तकार काश्त नहीं कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी उनको काश्त नही करने देते हैं। मैंने खुद जिलाधीश के सामने 5-6 जगह के लोगों को पेश किया है, दरख्वास्तें दी है। उल्टे उन्होंने यह कह दिया, जिनको जमीन अलॉट की गई हैं उनसे लिखवा लिया कि इस पर अब की फसल पर मैं काश्त करूंगा और जो रोक रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा। जिनका कब्जा नहीं, लगान जरूर उनके नाम से भरा जा रहा है, उनसे लिखवा दिया कि मैं काश्त करूंगा। परन्तु जो बदमाशी करके काश्त करने नहीं दे रहे हैं उनके विरुद्ध न तहसीलदार ने और न कलेक्टर ने कोई कार्यवाही की है। यह भी कृषि का ही एक पार्ट है। आप हरिजनों को खेती करने के लिए जमीन मुहैया करें, ज्यादतियों को रोकें। बड़े-बड़े सफेद कपड़े वालों के फार्म्स से जो उनको फायदा पहुंचाने के लिए बीज खरीदते हैं उसको छान कर लें। फाकड़े का बीज 6 रुपए में लेकर बोया है। मैं भी भुक्तभोगी हूं। मैंने भीलवाड़ा में 50 किलो गेहूं का बीज लेकर बोया था, जितना गेहूं मैंने खेत में डाला उतना भी मुझे वापस नहीं मिला। यह मेरी खुद की बीती हुई बात है। इसलिए बीज को छान कर लें तो अच्छा होगा। किसान ने बाजार से खरीद लिया है, ट्रक आये उनसे खरीद लिया लेकिन जब हमने छान कर देखा तो बहुत रद्दी है। जो आपका गेहूं खड़ा हुआ है बीज देने के लिए उसका नमूना मंगाकर देखेंगे तो 50-60 प्रतिशत टुकड़े हैं। कई बदमाश लोगों की अग्रिम जमानतें हुई हैं जिन्होंने 11-11 लाख रुपए का गबन किया। एक-एक क्रय-विक्रय संघ के अंदर हो रहा है उन लोगों का पुलिस द्वारा जब चालान किया जाता है तो उनकी अग्रिम जमानत दी जाती है। कृषि को यदि आपको सुधारना है तो आप अपने विभाग को सुधारिये। वे लोगों को ओवलाइज करने के लिए बीज नहीं खरीदें, वास्तव में अच्छा बीज खरीदें, अच्छा खाद उन लोगों को दें, जितनी बीच की एजेन्सीज हैं उनको खत्म करें, मिलावट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। अभी बजट फाइनली पास नहीं हुआ है। जब एप्रोप्रिएशन बिल व वित्त बिल आएगा उस समय मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि खाद पर जो चुंगी और बिक्री कर राजस्थान में है उसको हटाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो।

मुझे एक बात और कहनी है। इण्डस्ट्रियल आफिस कोटा में छोटे बुल-डोजर्स पड़े हैं। मैंने चिट्ठी भी लिखवाई थी कि वे बुल-डोजर्स भीलवाड़ा भेज दें। वहां पर समान जमीन नहीं है, उसको समतल करने के लिए अगर किसी ट्रैक्टर से काम लेते हैं तो 10 गुना ज्यादा रुपया लेते हैं और छोटा बुल-डोजर आ जाय, वह एक साल भी काम करे तो भी काफी फायदा होगा। मैंने शिवचरण माथुर के सामने भी प्रश्न रखा था तो मांडलगढ़ के प्रधान ने कहा कि 6 महीने की गारंटी मैं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

देता हूं। तो भीलवाड़ा में दो साल भी एक बुल-डोजर काम करे तो आपकी आमदनी हो सकती है। उसके बजाय आपने फालतू कोटा में डाल रखा है। इसलिए ऐसी चीजें, जिनकी आवश्यकता है, को कम रेट पर अपनी भूमि समान करने के लिए किसान को दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार व कृषि मंत्रीजी के सामने कृषि संबंधी कुछ मुद्दे रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज काश्तकारों को जिस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उसके कई कारण हैं। सभापति महोदय, वैसे तो श्रीमन् जनता पार्टी की सरकार ने कृषि-प्रसार की योजना चालू की है। आप काश्तकार को कृषि संबंधी सुविधायें देकर उसका विकास करना चाहते हैं। इसके लिये आपने कृषि प्रसार अधिकारी रखे हैं। आप ग्राम सेवकों को भी इसके साथ में रख कर मदद करना चाहते हैं। लेकिन आज वहां स्थिति दूसरी ही हो रही है, क्योंकि ग्राम सेवक तो डवलपमेन्ट विभाग के नीचे आते हैं और कृषि प्रसार अधिकारी कृषि विभाग के नीचे आते हैं। इन दोनों के जो प्रशासनिक विभाग हैं वह अलग-अलग हैं। इससे वहां पर ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात पैदा हो जाती है। वहां पर किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन दोनों में सामन्जस्य नहीं है।

(5.51 म० प०)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समाप्त कीजिये। ग्राम सेवक और कृषि प्रसार अधिकारियों को आप एक ही विभाग के नीचे रखें। इसके लिये पिछली सरकार ने भी काफी बार सोचा था पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आज भी काश्तकारों को इस योजना से लाभ नहीं हो सका है। आपकी जो यह योजना है वह एक कागजी योजना बन कर रह गयी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि काश्तकारों का भला हो।

इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं वह है गेहूं की फसल अच्छी होने के लिये आपने जो गेहूं के बीज ईजाद किये हैं उनसे आपकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, और आपको फायदा हुआ है। उसी प्रकार क्या आप तिलहन के लिये या दालों के लिये करेंगे ताकि फसल ज्यादा बढ़े ? साथ ही आज दालों के भाव जो आज आकाश छू रहे हैं वह ज्यादा फसल होने से कम हों, इसके लिये क्या आप कोई रिसर्च कार्य शुरू कर रहे हैं या किया है या आप कोई रिसर्च कराने की योजना बना रहे हैं ? सभापति महोदय, आज ही सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि दालों के भाव 3 या 4 रुपये किलो तक हो गये हैं। इसलिये अगर आपने कोई कार्यवाही इस बारे में की हो तो हमें अवगत करावें। क्या आपने इसमें भी कोई पहल की है या करना चाहते हैं ?

इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज जो किसानों के लिये बहुत ही जरूरी चीज है खाद उसकी कीमत में बहुत वृद्धि हुई है। आप, खैर, उनके दामों में तो कमी कर नहीं सकते क्योंकि वह तो भारत सरकार के हाथ में है लेकिन आज आपने जो यूरिया खाद की कीमत 87.50 रुपये प्रति बोरा रखी है उसमें जो राज्य सरकार सेल्स टैक्स लगाती है वह अगर नहीं लगावें, जो ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उसको देने पड़ते हैं उनमें कमी कर दें या जो चुंगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर लगती है, उसे माफ कर दें तो उसको राहत मिल सकती है। यह राहत भी चार-पांच रुपये प्रति खाद के बोरे में दे सकते हैं। या आप किसानों को सब्सिडी दें तो अच्छा रहेगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सेलाइन लैण्ड है। हजारों एकड़ भूमि आपके राजस्थान में बेकार पड़ी है उसको आप ठीक कराकर काम में ले सकते हैं। इसको जिप्सम मिलाकर ठीक किया जा सकता है। इसको आप चाहें तो अपने स्तर पर या सब्सिडी देकर ठीक करा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप आधी सब्सिडी दें और बाकी आधे पैसे के लिये यह कहें कि काश्तकार अपने पास से मिला करके उस जमीन को ठीक करावे तो काश्तकार के पास तो ट्रान्सपोर्टेशन की कॉस्ट के पैसे भी नहीं हैं। इस तरह तो आप उस जमीन का विकास नहीं कर सकते हैं। यह, सभापति महोदय, सेलाइन लैण्ड की समस्या हमारे राजस्थान में बहुत है, यह बहुत अहमियत रखती है। इसकी ओर कृषि मन्त्री जी को विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा आपने ग्रान्ड प्रोडक्शन की भी योजना शुरू की है। इसमें आम वगैरह की पैदावार की जाती है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर धौलपुर में पिछले साल आमों के पेड़ों में बीमारी हो गयी थी। उससे हमारे इलाके में जिन लोगों के पास दो-चार बीघा में आम के बागात थे वह सारे बरबाद हो गये थे और उन बेचारे काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ था। आपने उसके लिये कोई दवाई नहीं निकाली। पिछले साल तो आमों की फसल बरबाद हुई थी बीमारी के कारण। अब इस साल भी अगर आपने कोई कार्यवाही दवाई वगैरह छिड़कने की नहीं की तो आगे आने वाले साल में आमों की फसल और बरबाद हो जायेगी। सभापति महोदय, मेरे भी एक छोटा सा आमों का बाग है, उसकी भी यही हालत है। अब आपके जो कृषि विभाग से दवाइयों के स्प्रे करने का होता है, वह स्प्रे करने की मशीनें ही खराब पड़ी हैं। आज तीन-चार साल हो गये वह ठीक नहीं हो रही हैं। इसके अलावा अब आप कहते हैं कि हाथ से स्प्रे करिये तो वह पेड़ कम से कम 15-20 फीट ऊंचे होते हैं उन पर हाथ से स्प्रे करना कैसे पॉसिबल है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कृषि मन्त्रीजी इस ओर विशेष ध्यान दें।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है। अलवर और भरतपुर में अभी बाढ़ के कारण काफी फसल नष्ट हो गयी है। अगर वहां पर ठीक तरह से कार्यवाही नहीं की गयीं तो आने वाली फसल, जो कड़वे तेलों के लिये तिलहन, सरसों वगैरह की होती है, खराब हो जायेगी। आज बाजार में 13-14 रुपये तेल का भाव है। आपने अभी बाहर से तेल मंगाया है उसके लिये आपको बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेन्ज देना पड़ रहा है। तो यह मेरा निवेदन है कि आप यहीं पर अगर ध्यान दें तो आपका फॉरेन एक्सचेन्ज भी बच जायेगा और जो सरसों की फसल नैक्स्ट होने वाली है वह भी ठीक हो जायेगी। अगर इन फसलों को खराब होने से बचाने के लिए आप कोई दवा निकालने की रिसर्च करायें तो यह आपका लिनसीड आइल जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसके लिये कोई दवा आपको मालूम हो तो बतायें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कोई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थोड़े ही हूं जिसको कि इन बीमारियों की दवा मालूम हो ।

सभापति महोदय, इसके अलावा आज कई जगह पर खाली रेवेन्यू लैंड पड़ी है । यह जो चम्बल के रेविन्स हैं वहां पर हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है । जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक करके कृषि करने के लिये कार्यवाही की है उसी तरह चम्बल एरिया और आपके अलवर और भरतपुर में काफी जमीन पड़ी है उसका आप भी लेवलिंग करके उसे एग्रीकल्चरल लैंड बना कर काम में ले सकते हैं । इसके लिये एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से बुल-डोजर लेकर काम कर सकते हैं । इधर एक बात मैं और खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, यह एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो बुल-डोजर किराये पर देता है वह सौ रुपये प्रति घन्टा के हिसाब से देता है । वह खराब हो जाता है और बिना काम पड़ा रहता है तो भी किराया लेते हैं । साथ में खराब बुल-डोजर को ठीक कराने के पैसे भी काश्तकार से वसूल करते हैं । अभी भी कई बुल-डोजर आइडल पड़े हुए हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि काश्तकार को लाभ मिले तथा प्रोडक्शन भी बढ़े ।

एक बात, सभापति महोदय, मैं भूल गया यह जो सैलाईन लैंड का आप जिप्सम से ट्रीटमेन्ट करने की बात कर रहे हैं ......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, हमें 20 मिनट मिले हैं ।

श्री सभापति : वह ठीक है आप धीरे-धीरे बोलिये । आपका समय है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, आप सैलाईन लैंड को ठीक करने के लिये काश्तकार को जिप्सम दें ।

इसके साथ में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है कि जहां पर राजस्थान सरकार की जनता पार्टी दूसरी कई चीजों में पहल कर रही है और खास तौर से कृषि में तो क्यों नहीं आप राजस्थान में क्रॉप इन्श्योरेन्स चालू कर दें ? इससे भी आपको काफी लाभ हो सकता है । वैसे इसके बारे में कई बार सोचा गया है पर अभी तक किसी भी स्टेट में चालू नहीं हुई है । अगर आप पूरे राजस्थान में चालू नहीं करना चाहें तो पहले आप एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर किसी इलाके को ले लें, कोई तहसील या जिला ले लें फिर आप देखें कि यह स्कीम कैसे चलती है । मैं समझता हूं कि इससे भी काश्तकार को काफी लाभ पहुंचेगा । मैं समझता हूं कृषि मन्त्रीजी इस ओर ध्यान देंगे ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे यहां पर खास तौर से अलवर, भरतपुर और धौलपुर के इलाकों में एक बीमारी पशुओं के लग जाती है जिसको हम हमारी तरफ तो गलसूजा की बीमारी कहते हैं । वह बहुत मात्रा में फैल रही है, पर आज तक कोई भी उपाय राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया । इसके लिये मैंने हाउस में स्थगन प्रस्ताव भी रखे पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । अगर आप प्रिवेन्टिव मेजर्स काम में लेते तो आज पशुपालकों के पास हजार-हजार और डेढ़-डेढ़ हजार के मवेशी तथा कई पशुपालकों के पास दो-दो हजार तक के मवेशी हैं इन बीमारियों के लग जाने से बेचारे पशु मर जाते हैं वह नहीं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मरते । आज पशुपालकों को बहुत भारी नुकसान होता है। लेकिन आपके पशुपालन विभाग के अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ पशुपालकों के हजार-हजार और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के मवेशी मर गये। एक बेचारे की तो दो हजार रुपये की गाय इस बीमारी से मर गई। दो-दो हजार के मवेशी पशुपालकों के मर गये। वे बरबाद हो गये। मेरा निवेदन है कि जिन्होंने समय पर रोकथाम की कार्यवाही नहीं की उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रिपोर्ट आती है। दवाई नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक-एक डॉक्टर 20)-20) रु० लेता है तब जाकर काश्तकार के साथ जाता है। बिना 20) रुपये लिये डॉक्टर जाता नहीं है। एक तरफ मवेशी मर रहा है, उसको मरने से बचाने के लिये काश्तकार को मदद देने की बात करते हैं, दूसरी ओर अमानवीय व्यवहार होता है, तब भी कार्यवाही नहीं होती है। मेरा एड-जोर्नमेंट मोशन था। उसको 50 रोज होने आये, धौलपुर डिविजन के बारे में कहा था कि एक तहसील को भी कवर नहीं किया है। अब भी पशु मर रहे हैं। आप तो बड़े इफेक्टिव मंत्री है, काबिल मंत्री हैं, आपको अनुभव भी है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं यदि आप ही डिपार्टमेन्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है।

श्री सभापति : आप और हम सब ही मालिक हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भगवान् आप हम सब का मालिक है।

विद्युत् की डिमाण्ड आयेगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जो रिपोर्ट आवेगी वह भी सदन के अन्दर नहीं आवेगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दल को 20 मिनट दिये गये हैं।

श्री सभापति : Are you the only speaker ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : Yes Sir. सभापति महोदय, माफ करिये ऐसी बात कह दी।

श्री सभापति : Correct.

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो रिपोर्ट रखेंगे नहीं यहां पर। डिस्कशन का मौका नहीं मिलेगा। गृह मंत्रीजी ने गंगानगर में स्टेटमेंट दे दिया कि मिनिमम रेट वसूल कर रहे हैं। जब एग्री-कल्चरल डवलपमेन्ट की बात करते हैं तो उस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। आप इस महकमे के वजीर भी हैं। पुरानी सरकार ने ऐसा किया कि तीन-तीन हजार, चार-चार हजार मिनिमम चार्जेज लगा दिये, छः महीने का एवरेज निकाल कर वह वसूल कर लिया। आप काश्तकारों के हितों के संरक्षक बनते हैं, आपकी सरकार काश्तकारों की हितैषी है, उनकी पैरोकारी करती है। कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने सर्क्यूलर निकाला। तीन-तीन, चार-चार हजार का मिनिमम चार्ज रहा होगा, छः महीने का एवरेज निकाल कर वसूल कर लिया जाय और बाकी का माफ कर दिया। आपने उस सर्क्यूलर को वापस लिया है। उसको पुनः प्रसारित करें जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके। बिजली की एश्योर्ड सप्लाई है नहीं। माननीय मंत्री-जी ने भाषण दिया और गृह मंत्रीजी ने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

गंगानगर में भाषण दिया। मैं साइड ट्रेक हो रहा हूं फिर भी बता दूं कि उन्होंने यह कहा, बिजली कन्ज्यूम करेंगे उसके आधार पर बिल दिया जावेगा। 5-6 करोड़ का बोर्ड में घाटा है। सस्ती लोकप्रियता गले में पड़ जाती है। चारों तरफ से यह मांग हो रही है कि मिनिमम चार्जेज खत्म करिये। क्या यह सम्भव है? आपने इसका बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। आपने कहा, मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है। छोटे-छोटे मामले हैं। उनको आप तूल दे देते हैं। आप घोषणा कर दीजिये कि हम मिनिमम चार्जेज खत्म नहीं करने जा रहे हैं और न करने की स्थिति में ही हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि 56 पर्सेन्ट लोग पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनको ऊपर लाना है दूसरी तरफ उत्पादन नहीं बढ़ेगा, खर्चे की लागत कम नहीं आवेगी तो उसकी स्थिति क्या होगी? मिनिमम चार्जेज का एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसके मंत्री भी आप ही हैं इसलिये इस विषय में भी आपको विचार करना चाहिये। इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : Thank you.

माननीय श्री शिवचरणसिंह!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अजीतसिंह!

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान देश है। कृषि विभाग की मांग पर कम समय देना और डिबेट को इतना जल्दी खत्म करवाना मैं उचित नहीं समझता हूं। काफी डिबेट होनी चाहिये। हम सरकार के सामने काफी समस्याएं रखते हैं। यदि मांग को जल्दी पारित करवाते हैं तो इससे स्पष्ट महसूस होता है कि सरकार की कृषि पर विशेष कृपा नहीं है और टालने की दृष्टि से सारे का सारा काम हो रहा है।

कृषि का डिपार्टमेंट इतना निष्क्रिय होता चला जा रहा है कि ग्राम गांव के आदमी को कृषि और पशुपालन विभाग से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि विभाग पर काफी खर्चा होता है लेकिन इसके पास न कोई योजना है न कुछ, न बीज है और न ही ज्यादा उत्पादन का कोई तरीका है। जो सुविधा गांव में बैठे काश्तकार को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। पहले ग्राम पंचायतें और सरपंच ग्राम के काश्तकार की मदद किया करते थे लेकिन जब से वर्ल्ड बैंक की योजना लागू की है डिपार्टमेंट का ढांचा ही चरमरा गया है।

काश्तकार को ग्राम सेवक सलाह नहीं देते हैं और जो देते हैं काश्तकार उसका लाभ नहीं उठा सकते। काश्तकार को न बीज देते हैं और न पानी। न उसको काश्त करने का ऐसा तरीका ही बताते हैं जिससे कि काश्तकार अपनाने में अपने को समर्थ पाता हो। वह समझता है कि यह सब फालतू है। जो सम्पर्क अधिकारी हैं उनकी भी उसमें रुचि नहीं रही है। न तो बीज सप्लाई होता है समय पर न पानी मिलता है। मैं इन सब बातों को देखते हुए मंत्रीजी से कहूंगा कि सारे डिपार्टमेंट को एक्जामिन करें। इसका लाभ छोटे से छोटे और गरीब आदमी को मिल सके इस ओर ध्यान दें तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा।

सहकारिता के आधार पर बीज के वितरण की बात कर रहे हैं। कई सहकारी

(श्री प्रजीतसिंह)

समितियां एक प्रकार से बन्द हो गई हैं। वे काम नहीं कर रही हैं। लेकिन खर्चा हो रहा है। सहकारी समिति बन्द होने से काश्तकारों को बीज आदि के लिये कर्ज मिलने का तरीका था वह बन्द हो गया।

इसके साथ ही पंचायत समितियां बीज का वितरण करती थीं आपने वह सारे का सारा तरीका बदल कर केवल सहकारिता का ही माध्यम कर दिया जो बीज ले जाये और काश्तकारों को दे। सहकारी समितियां भी आपने कई जगह तोड़ दीं इसलिए पंचायत समितियों को भी दिक्कतें हो गयीं। तो बीज वितरण की समूची व्यवस्था ही गड़बड़ा गयी है। इसको आप रि-एग्जामिन करें और देखें कि किस तरह से बीज आप काश्तकारों को दे सकते हैं। इसके अन्दर बड़ी भारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सारी व्यवस्था पर पुनः विचार करें। बीज की कीमत के बारे में जैसा ढाबरियाजी ने कहा, काफी मंहगा बीज है। बीज मनमाने भाव पर आपको देते हैं और उसका सारा भार गरीबों के ऊपर पड़ता है। तो आप इसको रि-एग्जामिन करें कि बीज का क्या भाव होना चाहिए। अगर पैदावार होगी तो, माननीय मंत्रीजी, काश्तकार उसकी कीमत पे करने की हैसियत में रहेगा। यदि पैदावार ही बिगड़ गयी तो वह पे नहीं कर सकेगा। आप इसको बहुत गम्भीरता से लें। ऐसा मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर आप विचार कीजिए। दूसरी बातें तो माननीय सदस्यों ने कह दीं मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह बहुत गड़बड़ बात है। इसके ऊपर आपको बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आज फलों के ऊपर अन्वेषण हो रहा है। हमारे यहां बनास नदी, जो टोंक में है, में खरबूजे की बहुत काश्त होती है। इसका वितरण सारे उत्तरी और पूर्वी भारत में होता है। मेरी समझ में नहीं आता, इसके अनुसंधान के ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? इससे काफी गरीबों को लाभ मिलता है क्योंकि बहुत गरीब किसान ही नदी में जाकर काम करते हैं। मेरा मानना है कि आप इसके बारे में कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करें।

इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि जो खाद की व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है। खाद का समय पर वितरण नहीं होता है। उसमें मिलावट होती है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा जो खाद का वितरण होता था वह बन्द करके उसको नयी योजना के तहत कर दिया। इससे सारी वितरण व्यवस्था ही गड़बड़ा गयी है। जब काश्त का टाइम होता है तो खाद बहुत मंहगा मिलता है और ब्लैक में मिलता है। तो ब्लैक में मिलने की परम्परा जो चल रही है इसको आप रि-एग्जामिन करें और आइन्दा कोई खाद ब्लैक में नहीं मिले इसकी व्यवस्था करें। फैक्ट्रीज खाद का काफी प्रोडक्शन करती है। काश्तकार इसको हर महीने तो खरीदता नहीं, छः महीने के बाद जब समय आता है तब वह खरीदता है। जो इसके लिए ऋण-व्यवस्था है वह भी दोषपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि आप अपनी खाद की वितरण व्यवस्था को ठीक करें।

सभापतिजी, मेरी समझ में नहीं आता कि भूमि सुधार योजना कृषि विभाग के अधीन क्यों है। जमीन के संबंध के सारे काम इसमें होते हैं जैसे जमीन को सुधारने, उसको लेवल करने और उसको बारे में अनुसन्धान करने के इन कामों के लिये कृषि विभाग

(श्री अजीतसिंह)

के अधिकारी लगाये जाते हैं लेकिन उनको अनुभव नहीं होता है। जिन जिलों के अन्दर काम हो रहा है, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं आप उनको ही लगायें। आपने टोंक के अन्दर तीन-चार जिला अधिकारी भूमि सुधार के काम में लगा रखे हैं। अब उनको न तो काम करने का ज्ञान है, न कोई स्कीम है और न पैसा है, इससे तो अच्छा है कि इस डिपार्टमेन्ट को आप बन्द कर दें। जहां उन कर्मचारियों की आवश्यकता हो वहां उनसे काम करायें। इस तरह से पैसा बरबाद करने से क्या लाभ? तो आप इसके ऊपर भी विचार करके देखें कि कहां तक इसको लागू रखा जाये। मेरी समझ में इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि न तो योजना है, न काम है। कर्मचारी निष्क्रिय बैठे-बैठे कुर्सियां तोड़ते हैं।

दूसरे, सभापति महोदय, मण्डियों के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में कृषि मण्डी है, लेकिन आप उसको अभी तक जमीन नहीं दे सके। नयी सरकार बनी है तो आप जमीन सम्बन्धी मामले निपटायें। टोंक के अन्दर मण्डी समिति के पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। मण्डी की सारी सुविधायें वहां उपलब्ध करायें ताकि सारी व्यवस्था ठीक तरह से चले। इसके साथ ही साथ इनमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भी आप देखें। आपने दुनियां भर के तो वहां बाबू बना दिये। इससे कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, बल्कि इससे और ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलता है और सिवाय चोरियों के कुछ नहीं होता है। मण्डी समितियों में ऐसा तरीका वसूलियों का बनाना चाहिए ताकि जो टैक्स है वह सही ढंग से वसूल हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री माधवसिंह !

श्री माधवसिंह (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, पता नहीं आपके कृषि विभाग में सिंचाई की रेट पर कभी ध्यान दिया गया या नहीं। क्या बात है कि कुओं के द्वारा जो सिंचाई करते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? नहरों से सिंचाई होती है इसकी तुलना में कुओं से जो सिंचाई होती है उसमें 8 गुना खर्चा ज्यादा आता है। जमीन बिगड़ती है वह तो बात भी छोड़िये। कुओं के अन्दर बिजली की मोटरों का खर्चा होता है वह भी छोड़िये। मुझे आशा है कि कृषि मंत्रीजी विचार करेंगे और इसका जवाब देंगे।

दूसरी बात यह है, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि गांवों में रहने वाले आज तक नहीं समझ पाये कि आपका कृषि विभाग क्या काम कर रहा है? कृषि मंत्रीजी, आपको इस डिपार्टमेन्ट को रिआर्गेनाइज़ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस डिपार्टमेन्ट को बन्द कर दीजिए ताकि टैक्स पेयर का पैसा बरबाद होने से बच जाये।

तीसरी बात यह है कि जितनी भी आजकल योजनायें बनाई गई हैं वह ऊपर से थोपी गयी हैं। यही कारण है कि कोई स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो रही है। हम कृषि विभाग की रिपोर्ट देखते हैं तो सारा का सारा क्रेडिट वह अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि हमने यह सुधार करवाया और हमने यह सुधार करवाया। असल में यह तो किसान की सूझबूझ थी कि उसने समय पर जो उन्नत बीज था और खाद था उसका प्रयोग किया। इसमें

(श्री माधवसिंह)

कृषि विभाग का कोई सहयोग नहीं है और वह फालतू क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है।

चौथी बात बिजली की है। जो छोटे काश्तकार होते हैं वह कभी-कभी समय पर बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। इससे उसकी खड़ी फसल खराब हो जाती है। इसके लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर किसी की खड़ी फसल हो तो बिजली डिपार्टमेंट जब तक फसल तैयार नहीं हो जाये उसका कनेक्शन नहीं काटे। फसल तैयार होते ही किसान बिजली का बिल चुका देगा।

अब पशुपालन की बात है। माननीय कृषि मंत्रीजी, जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसके अन्दर यह बताया है कि 360 अस्पतालों में कुल इतने पशुओं का उपचार किया। अगर उसका हिसाब लगायें तो प्रत्येक अस्पताल में प्रत्येक दिन 11 पशु आते हैं। आपने अस्पताल खोल रखे हैं उनमें हर अस्पताल में 6 और 7 आदमियों का स्टॉफ है। एक अस्पताल 11 जानवरों का उपचार कर रहा है तो फिर क्यों यह फालतू अस्पताल खोल रखे हैं? मेरा यही कहना है कि आप अस्पतालों को बन्द कर दें और आपके जो डॉक्टर हैं, कम्पाउन्डर्स हैं वह चार-चार और पांच-पांच गांवों को डिस्ट्रिब्यूट कर लें ताकि वह काश्तकारों के खेतों पर और उनके गांवों में जाकर पशुओं का उपचार कर सकें। एक बीमारी के लिए पशु को अस्पताल में लाने में काश्तकार को काफी तकलीफ होती है फिर भी एक दिन में सिर्फ 11 पशुओं का ही इलाज किया जाता है। पता नहीं यह डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? महरबानी करके इसके ऊपर आप सोचिये और इनको आप गांवों में डेप्यूट कर दीजिये।

फिर आपके कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं। पता नहीं यह आज तक क्या करते रहे हैं? यह प्रोग्राम बिल्कुल फैल हुआ है और सारा पैसा बरबाद हुआ है। इसको आप सुधारिये। अगर नहीं सुधार पाये तो जो इतनी बढ़िया नस्ल है वह भी समाप्त हो जायेगी। तो पशुपालन के लिये, खास करके डेयरी के लिये और दूध के लिये जो सांड चाहते हैं, आजकल गांवों की जो मांग है वह दूध पर निर्भर हैं इसलिये जितने अच्छे सांड हैं, उनको गांवों में भेजने की योजना बनायें।

श्री सभापति : माननीय श्री रामसिंह विश्नोई!

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय सभापतिजी, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके द्वारा मेरे सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगा।

आदरणीय सभापतिजी, राजस्थान कृषि प्रधान प्रांत है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होते हुए भी आमदनी की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के अन्दर आज से दो वर्ष पहले या पांच वर्ष पहले लाखों मन अनाज बाहर से आता था। यही हाल हमारे पशुओं की दृष्टि से था मान्यवर India is a rich country inhabited by poor people. यह अगर कहावत सही रूप में लागू होती है तो राजस्थान में होतीहै। राजस्थान इतना बड़ा विशाल प्रांत होने के बावजूद पशुपालन के अन्दर अच्छी किस्म की गाय,

(श्री रामसिंह बिश्नोई)
भेड़, बकरी, ऊंट होने के उपरांत भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी वजह केवल एक है वह यह है कि हमारे इलाके के अन्दर जहां एक ओर अतिवृष्टि से बाढ़ आती है व फसल नहीं हो पाती वहां दूसरी ओर अकाल के कारण लोगों की माली हालत हमेशा-हमेशा के लिये खराब होती जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, मद्रास में जहां एक किसान को एक क्विंटल अनाज पैदा करने के लिये कम खर्च करना पड़ता है वहां राजस्थान के किसान को उससे दुगना और तिगुना खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद आमदनी पंजाब और राजस्थान के किसान को प्रति क्विंटल बराबर मिलती है। जहां पर नदियां और नहरें बहती हैं, जहां पर चारे की व्यवस्था है वहां किसान की और पैदावार की स्थिति अच्छी होगी बनिस्बत जहां पर अकाल पड़ता है, चारे की व्यवस्था नहीं है। तो फिर हमारे राजस्थान का किसान दूसरे प्रांतों के किसानों के मुकाबले किस प्रकार खड़ा होगा, यह हमारी सरकार के सोचने की बात है।

मान्यवर, एक और विशेष बात आपके सामने रखूंगा। डेयरी डवलपमेंट कान्फ्रेन्स हो रही है लेकिन वहां पर आपके राजस्थान की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं जा सका। इससे कितना भारी राजस्थान की जनता को नुकसान हुआ। केवल आपके अधिकारियों की हठधर्मी के कारण कोई व्यक्ति नहीं जा सका। आखिर कोई भी व्यक्ति जाता तो वहां के अनुभव से राजस्थान को लाभ मिलता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये न जा सका। वहां पर एक्सपर्ट को भेजा जाना चाहिये था। लेकिन उससे राजस्थान को महरूम रहना पड़ेगा। मेरा इतना ही निवेदन है, मान्यवर, पशु की दृष्टि से जब हमारा राजस्थान इतना धनी है तो आप डेयरी उद्योग हमारे प्रांत के अन्दर जगह-जगह डालें। इससे बड़ा कोई हित हो नहीं सकता। आपने पश्चिमी राजस्थान, व उत्तरी राजस्थान में डेयरी उद्योग लगाया, वह धन्यवाद की बात है लेकिन इसी व्यवस्था को रखना उचित नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके के अन्दर जो लाखों मन दूध है, जो किसान लाखों मन दूध पैदा करते हैं उनके पशु जिन्दा रहें, उनको मुनाफा हो, उनकी आमदनी हो इसका ध्यान रखा जाये। मैं नहीं कहता कि पूर्वी क्षेत्र का डेयरी विकास न हो लेकिन उस क्षेत्र में दूसरे प्रकार के विशेष कार्य खोले जावें, जो दूध इकट्ठा करने का मामला है, डेयरी उद्योग लगाने का मामला है उस में आपको संरक्षण उन इलाकों को देना चाहिये जहां पर दूध बहुत है और पशु-पालन के अलावा कोई आमदनी का जरिया नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय और विशेषकर मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भविष्य में डेयरी का प्रोग्राम उसी जगह पर रखें जहां सदैव अकाल की स्थिति रहती हो ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो ही बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

मैं जोधपुर डेयरी के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। जहां पर 5 साल के अन्दर हमने एक लाख लीटर यूनिट दूध इकट्ठा करने का प्रावधान किया था, वहां पर जोधपुर डेयरी ने पिछले एक वर्ष के अन्दर एक लाख लीटर दूध इकट्ठा किया। डेयरी के सामने समस्या यह रही

Page No. 136

(श्री राम सिंह विश्नोई)
कि वह दूध जो गांवों से आता था उसका क्या करें ? प्लान्ट में हफ्ते में दो बार दूध लेने के प्रोग्राम में नागा रखनी पड़ती थी, इसकी वजह यह थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर मार्केट उपलब्ध नहीं था । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में डेयरी फैडरेशन स्थापित किया जाये । जब तक डेयरी फैडरेशन नहीं होगा तब तक लोगों के दूध को पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर व दूसरे देशों के अन्दर भेजने की व्यवस्था नहीं हो सकती ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमें पिछले वर्ष एक कठिनाई का सामना करना पड़ा । हमारे जोधपुर में विशेषकर सर्दियों में पशु आहार की ज्यादा मांग थी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर गवार की अच्छी पैदावार होती है और बीकानेर और जोधपुर के अन्दर बहुत बड़ा प्लांट या कारखाना पशु आहार का लगाया जा सकता है। यहां 15 प्रतिशत सब्सिडी भी उद्योग लगाने में राज्य सरकार से मिलती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

धन्यवाद ।

श्री सभापति : आपने 9 मिनट ले लिये हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापतिजी, मैं आपके सामने कुछ मांगों, जो कृषि और पशुपालन से सम्बन्धित हैं, पर कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिये कुछ समय चाहूंगा । निवेदन यह है कि जो कृषि विभाग की मांग को बजट में रखा है उसमें 14 मांगें हैं । बजट में वेतन, भत्ता, तनख्वाहें, टी. ए., डी. ए. की मांग है । इसके अतिरिक्त गहराई में जायें तो कुछ भी नहीं मिलता है । मैं कह सकता हूं कि कृषि विभाग और पशुपालन विभाग का आज दिन तक जो ढर्रा रहा है वह किसान विरोधी रहा है । भविष्य में बनने वाले बजट में हमें आमूल-चूल परिवर्तन की पद्धति को अपनाना चाहियें ।

अब दूसरी बात बीज की बात है, किसान को समय पर बीज नहीं मिलता है । संकर बाजरा, गेहूं, मूंगफली, कपास-इन सारे बीजों का जो अनुसन्धान हुआ और जिन्हें पिछले पांच वर्षों में अपनाया उनमें अधिकांश में असफलता ही मिली है, घाटा मिला है । कपास असफल गया, संकर बाजरे का बीज असफल गया । गेहूं का बीज सांचौर में दिया गया उससे कम से कम 50 हजार एकड़ गेहूं की फसल नष्ट हुई है । यह बीज कम्पलसरी रूप से दिया गया और यह कह कर दिया गया कि इस गेहूं में रोली नहीं लगेगी । लेकिन, सभापतिजी, किसान बरबाद हो गया क्योंकि गेहूं पैदा नहीं हुआ। तो यह मेरा नम्र निवेदन है कि जो अनुसन्धान चल रहा है उस अनुसन्धान में कहीं न कहीं गलती है, कहीं न कहीं खामी है । उस अनुसन्धान की खामी के कारण जो सर्टिफाइड बीज आप देते हैं वह असफल जाता है । किसान बरबाद होता है । संकर बाजरे की यह स्थिति है कि सारा संकर बाजरा खराब हो जाता है और जहर बन जाता है । बाजरे की पैदावार की बात दूर की है उसकी घास को पशु खाते हैं तो वह भी मर जाते हैं । तो मेरा ख्याल है कि अनुसन्धान पर जो विचार हुआ है उसमें कृषि अधिकारियों ने गांवों में जाकर पूरी जानकारी हासिल

(श्री रघुनन्दन व्यास)

नहीं की और विदेशों के आधार पर चले। मैं जिस इलाके में जन्मा हूं सांचौर में वहां पहले 100 वर्ष पुराना बाजरा मिलता था तो भी खराब नहीं होता था। आज दो साल में खराब होता है। या तो अनुसन्धान-कर्ता गांव वालों को मूर्ख मानकर चलते हैं या फिर वे कृषि के बारे में कुछ समझते ही नहीं हैं।

आज खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दूसरे चले विदेशी खाद पर। ऊंट जिस खेत में बैठ जाय और रात भर उस खेत में बैठा रहे तो जो खेत में रद्दी घास पैदा होती है वह भी ऊंट के पेशाब से जल जाती है। क्या अनुसन्धानकर्ताओं ने इस प्रकार की चीज पैदा की है जिससे घास का नुकसान होने से बच जाय। उन्होंने एक चीज पैदा की, मैं भी खेती करता हूं आज तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। गेहूं नष्ट हो जाता है और परजन नष्ट नहीं हुई। आज के कृषि अधिकारी प्याज के पौधे में और परजन के पौधे में अन्तर नहीं समझते हैं। उन कृषि अधिकारियों के भरोसे हमारे सम्पूर्ण किसान के जीवन को छोड़ रखा है, जिससे हमें रोटी मिलती है, अनाज मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि उनके शिक्षण-प्रशिक्षण में कहीं न कहीं गड़बड़ है। वह आज साधारण किसान के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। ए० इ० ओ० को लें वह कृषकों को जानता तक नहीं है कि कृषक क्या होता है। आज भी स्थिति ऐसी है कि सिरोही के सारे जिले में कोई उसे जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है। उसका काम केवल शिकार खेलने का होता है, उसकी जीप में शराब आती है। तो कहने का मतलब यह है कि किसान के साथ न बैठने वाले अधिकारी सच्चे किसान के मार्गदर्शक नहीं हैं। किसान को कोई चीज सिखाने वाले नहीं है। जो सूटेड-बूटेड अधिकारी होगा वह केवल किसान से पार्टी लेने आ जायेगा, उसके साथ खेत पर जाने को तैयार नहीं होगा। मेरा निवेदन है इस पर विचार करें।

बीज उपलब्ध नहीं मूंगफली, तिलहन और गेहूं के। खाद के डिपो अलग-अलग हैं। हमारे जिले में दो केन्द्र हैं। किसान को यह भी मालूम नहीं कि किस चीज का खाद किस जगह से मिलेगा।

फिर बिजली की स्थिति खराब है। सिरोही-जालोर में 30 हजार ऑइल इंजिन लगे हुये हैं। खाद की स्पेशल ट्रेन भीनमाल में हर सप्ताह आती है लेकिन सांचौर में नहीं। इसका भी उचित प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं है ताकि किसानों को समय पर तेल मिल सके, मोबिल ऑइल मिल सके। ये चीजें भी किसान को समय पर नहीं मिलती हैं, आप इस पर विचार करें।

धौलपुर वाले कहते हैं राईडा की खेती हमारे यहां होती है। मैं कहता हूं भादरा से कच्छ के बोर्डर पर चले जायं तो सड़क के दोनों ओर सरसों की खूब खेती मिलेगी। पिछले साल सारी खेती नष्ट हो गई। हम कृषि अधिकारियों से कह-कह कर थक गये लेकिन कोई उपचार नहीं हुआ। हम कहते हैं तेल मंहगा हो गया। जिस समय तिलहन की फसल नष्ट हो गई उस समय हम सरकार में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की जानबूझकर। जानबूझकर तेल पैदा करने वाली फसलों को नष्ट किया गया और इसीलिये आज तेल के भाव मंहगे हैं। फिर कहते हैं कि तेल मंहगा है।

आज 15 दिन के बाद राईडे की बुआई शुरू हो जायगी। अब कहीं ऐसा न हो कि सरकार को इसकी भी बदनामी मिल जाय।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

इस प्रकार के निदेश कृषि अधिकारियों को मिलने चाहियें कि वे स्थान-स्थान पर जाकर किसान को पूरी जानकारी दें। प्रोजेक्ट खोल दिये। सिरोही जिले में आज तीन प्रोजेक्ट हैं। जो पैसा बांटने का काम है उसका हैड क्वार्टर पिण्डवाड़ा में है वहां वे रहते नहीं। परिणामतः लोगों को ऑइल इंजिन मिलते नहीं। वसूली हुई नहीं। इस कारण से ऑइल मिलें नहीं हैं। साथ में भूमि विकास बैंक ने कर्जा देना बन्द कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ तो आपके प्रोजेक्ट फैल होंगे और दूसरी ओर किसानों का भी बुरा होगा। अभी राजस्थान सरकार के भनोत साहब सिरोही गये तो उन्होंने प्रोजेक्ट ऑफिसर को सिरोही भूमि विकास बैंक के ऑफिसर का भी चार्ज दिया। अब भूमि विकास बैंक पैसा नहीं बांटेगी, क्योंकि पुरानी वकाया की वसूली नहीं हुई है। वसूली नहीं हुई है तो कर्जा नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट ऑफिसर सिरोही में बैठकर सारा कर्जा बांट गये, इसीलिये ऐसा हुआ। यदि मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता तो यह नहीं होता........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, क्षमा कीजिये पार्टी के नाम तीन घंटे का समय है। मैं 5-7 मिनट अभी और लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : एक और मांग संख्या 38 भी है।

श्री रघुनन्दन व्यास : दोनों ही मांगों पर बोल रहा हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम लोग इस पर विचार करें और काफी सोच समझ कर चलें।

किसान की दूसरी समस्या कृषि उपज मण्डी है। इससे किसान को कोई लाभ नहीं हुआ है। उस सारे क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है। आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिला। कृषि उपज मण्डी के नाम से भारी भरकम टैक्स किसान पर लगा दिया गया है। एक-एक जगह को देखें। आबू में क्या कोई चीज पैदा होती है लेकिन टैक्स लगा रखा है। सिरोही में कृषि उपज मण्डी ने टैक्स लगा दिया। सुमेरपुर और शिवगंज में 500 गज का अन्तर है और दोनों मण्डियों ने टैक्स लगा रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कृषि उपज मण्डी किसान के हित के लिये बनाई गई है या किसान के शोषण के लिये बनाई गई है? जब उसकी सीमा में गये तो सरकार ने मल्टी-पर्पज टैक्स के नाम से एक चीज और जोड़ दी। 74 में सीमायें तय कर दीं, और वसूली करने का तरीका लगा दिया। नये-नये तरीके निकाल दिए। मैंने आज ही किताब में पढ़ा कि इसके लिए कुर्की की जा सकती है किसान पर। कृषि उपज मण्डी के टैक्स की वसूली के लिए सजाएं हो सकती हैं, जेल हो सकती है। इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है तो जो गांवों में किसान रहते हैं वे क्या करेंगे? दस-दस तरह के टैक्स लगा दिए। क्या कृषि उपज करने वाला व्यक्ति एक गांव से जाकर बीस जगह टैक्स देगा या जगह-जगह जाकर टैक्स जमा कराएगा? यह जोधपुर डिविजन की समस्या है। छोटे व्यापारी कृषि उपज खरीदते हैं उनको तरह-तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं। उन पर यह भार पड़ गया तो दूसरी बार कोई व्यापारी कृषि की उपज को खरीदेगा नहीं। इससे किसान दुखी होगा और दूसरी ओर किसान की चीजें हैं वे उपभोक्ता तक पहुंचेंगी नहीं। इस मामले में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस बारे में मैंने जानकारी की तो पता लगा कि कृषि विपणन बोर्ड के

(श्री रघुनन्दन व्यास)
जो चैयरमेन हैं वे चैयरमेन महोदय खेती नहीं करते, खेती का व्यवसाय करते हैं। किसान के बारे में उनका कोई चिंतन नहीं है, इस कारण गलत कानून बन गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इस बारे में सोचें और विचार करें।

अब मैं पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। पंचायत समितियों में डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास दवा नहीं है। पिछले चार महीनों में जालोर, सिरोही ज़िलों के हर गांव में भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस मर गईं और कई गरीब पशुपालक बरबाद हो गए। कोई दवा नहीं मिल सकी उनको। यह स्थिति वहां की है, लेकिन कोई संभाल नहीं। मैंने इसकी जांच की तो पता चला कि पंचायत समिति में डॉक्टर तो है लेकिन दवा नहीं है। डॉक्टर के पास साधन नहीं हैं। स्टॉकमैन तो है, लेकिन स्टाक में दवा नहीं। पशु बीमार हो जाता तो ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ढंग से जिस दवा पर विश्वास था, वह दवाई देते थे, नाल देते थे, उनके खुर में देते थे। अब उनको औषधियां देते हैं और पहले के इलाज के तरीके के बारे में प्रचार कर दिया कि वह सब दकियानूसी तरीका है। उस ओर हमारे डॉक्टरों ने और हमारे अनुसंधानकर्त्ताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुंह बन्द होने की, खुर में रोग लगने की जो बीमारी होती है उसके बारे में उनके पास कोई उत्तर नहीं, कोई अनुसंधान नहीं है। अगर कोई इंजेक्शन चाहिए तो उसको लेने जयपुर आएं। रामसीण में एक गाय के बीमारी हो गई तो रामसीण से दवा लेने आदमी जयपुर आया। जालोर से जयपुर आने में बारह घण्टे लगते हैं। बारह घण्टे वापस जाने में, फिर जब दवाई की दुकान खुलेगी तब दवाई लेकर वह जाएगा। तो जब वह जयपुर से दवाई लेकर गया तो उधर गाय मर गई। इतनी देरी से अगर दवाई मिलेगी तो क्या होगा? इसके लिए हमारी व्यवस्था क्या है? ये सारी बातें हैं जिनके बारे में मेरा निवेदन है कि आप इन पर विचार करें।

इस पशुपालन विभाग की स्थिति यह है कि जालोर में एक अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है जिला पशुपालन चिकित्सालय की। दस वर्ष हो गए लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। दस वर्ष से काम चल रहा है। हर साल दो हजार ढाई हजार रुपये सेंक्शन होते हैं जो टी. ए., डी. ए. में खत्म हो जाते हैं। इस स्थिति की डिपार्टमेन्ट को जांच करनी चाहिए और इसका कुछ न कुछ इलाज ढूंढना चाहिए ताकि पशुपालकों की मदद कर सकें, किसानों की मदद कर सकें और जो कठिनाई है उसके बारे में सोच सकें।

तीसरी बात जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं। उनका काम है या तो शिकार करना या अफीम का धन्धा करवाना। सारे अधिकारियों की हमारे जालोर सिरोही जिले में यही स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यही कह कर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे सुनेंगे और इन पर विचार करेंगे।

श्री **सभापति** : श्री **रामनारायण** !

(अनुपस्थित)

श्री कौशलकिशोर जैन !

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि और पशुपालन पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। भीलवाड़ा तहसील और जिले के अन्दर पहले अधिक वर्षा के कारण फसलें गल गईं, उसके पश्चात् बीच में वर्षा के न होने के कारण जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी बल गई। इस कारण मेरा निवेदन है कि जितनी तकाबी बाकी है, चाहे वह भूमि विकास बैंक ने दी हो, चाहे वह कोऑपरेटिव बैंक ने दी हो उनको वसूल करने का यह समय नहीं है। अभी तकावी की वसूलियां चल रही हैं। मेरा निवेदन है कि उनको स्थगित कर किसानों को राहत दी जाय ताकि अगली फसल पर किसान वसूलियों को चुका सकें। भीलवाड़ा जिले के अन्दर गन्ने की बहुत बड़ी खेती होती है। अभी भी मांडल तहसील के अन्दर बीस लाख का गन्ना खड़ा है किन्तु गन्ने के अन्दर बीमारी, महामारी फैल गई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस विषय में कार्यवाही करें। उनको सब्सिडी दे, और तुरन्त इस बीमारी को रोका जाय अन्यथा भीलवाड़ा जिले के अन्दर मांडल तहसील में जो गन्ना खड़ा हुआ है उसका भविष्य क्या होगा यह आप समझ सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा तहसील और भीलवाड़ा जिला गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है लेकिन गन्ने को बेचने के लिए उनको भोपालसागर जाना पड़ता है, केशोरायपाटन जाना पड़ता है। हर तहसील या जिले के अन्दर सहकारिता के आधार पर शुगर मिल डाली जाय, ऐसा मेरा निवेदन है।

पशुपालन के बारे में भीलवाड़ा तहसील के अन्दर एक ग्राम आधार योजना चलती थी। वह योजना अब डेयरी को दे दी। ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत पशुपालकों के लिए पशुपालन विभाग के ट्रेंड कम्पाउण्डर भीलवाड़ा तहसील में सात ग्रामों में थे और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चलते थे। वह योजना बन्द हो गई तो पशुपालन विभाग ने कम्पाउण्डर जिला केन्द्र पर बुला लिए या दूसरी जगह उनका ट्रांसफर कर दिया। डेयरी के सचिव भेड़ प्रजनन केन्द्र चला रहे हैं, दूसरे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चला रहे हैं। इस कारण भीलवाड़ा तहसील के सात स्थानों पर जो पशु चिकित्सालय के कम्पाउण्डर थे उनकी कमी के कारण यह समस्या खड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री महोदय इस पर विचार करें। इस बार पचास पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है। तो या तो इन पशु चिकित्सालयों को खोला जाय अन्यथा वही व्यवस्था की जाय जो पहले थी। पशु चिकित्सालय के ट्रेण्ड कम्पाउण्डर रखे जायं ताकि सारे जिले के अन्दर, सारी तहसील के अन्दर पशु चिकित्सा की व्यवस्था हो सके।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। थोड़े दिनों पहले भीलवाड़ा में ऊंटों की बीमारी फैली, ताण की बीमारी। किसान लोग उस ताण का इंजेक्शन लेने के लिये भीलवाड़ा के अन्दर आते थे। एक नाहर मेडिकल स्टोर भीलवाड़ा में है, उस इंजेक्शन की कीमत 9 रुपया 67 पैसे उस इंजेक्शन पर लिखी हुई थी, लेकिन उसकी कीमत 22) रुपये, 24) रुपये, 25) रुपये तक वसूल की गई। इस कारण मेरा निवेदन है कि यहां जो इंजेक्शन है, एण्टीसाईन का इंजेक्शन, अगर यह समय पर नहीं दिया जाय तो ताण की बीमारी होने के कारण ऊंट समाप्त हो जाता है, ऊंट मर जाता है। इस कारण किसान को विवश होकर 9.67 रुपये का इंजेक्शन तीस रुपये में खरीदना पड़ता है, 25) रुपये

(श्री कौशल किशोर जैन)

में खरीदना पड़ता है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समय पर पशुधन समाप्त न हो सके।

श्री सभापति : माननीय श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैं कृषि की मांग के जरिये जालोर जिले की कुछ समस्यायें कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। जालोर जिला कृषि क्षेत्र में बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि वर्ल्ड बैंक के तहत जो जिले लिए गए उनमें इस जिले की उपेक्षा क्यों की गई? इस जिले के अन्दर कम से कम चालीस हजार पम्पिंग सैट लगे हुए हैं। राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा अगर कहीं क्रूड का कंजम्पशन है तो वह जालोर जिले में है। ऐसी स्थिति के होते हुए और इतना पोटेंशियल होते हुए भी इस जिले की उपेक्षा की गई और इसे वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत नहीं लिया गया। इस जिले की घोर उपेक्षा हुई है। मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि भविष्य में इस तरह की उपेक्षा इस जिले के साथ न हो।

दूसरा सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि जालोर जिले के अन्दर भूमि-कटाव की समस्या इतनी जबरदस्त बनी हुई है, सभापति महोदय, कि लाखों बीघा भूमि जो बहुत उपजाऊ भूमि थी, उसका कटाव हो रहा है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊं कि दामन से गांधव तक बेल्ट है, यह सारी भूमि बहुत उपजाऊ भूमि थी। वहां के कुछ पुराने लोगों से और उस क्षेत्र के लोगों से पूछा जाय तो मालूम पड़ेगा कि काफी उपजाऊ जमीन थी। वह लाखों बीघा जमीन नदी के कटाव के कारण बरबाद हो गई है। वे भू-राजस्व दे रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का ध्यान उस तरफ नहीं दिया गया।

तीसरा मेरा सुझाव है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। यह जो बाजरे के अंदर कातरे की बीमारी फैली उस तरफ कृषि विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाजरे में पोलियो की बीमारी का पूर्व संकेत कृषि विभाग को होना चाहिए। जो हाइब्रीड सीड काम में लिया जाता है उसके अंदर भी खराबी की संभावना का संकेत है। परन्तु कृषि विभाग द्वारा किसी प्रकार ध्यान नहीं दिया जाता। अगर स्प्रे होता तो इसकी रोकथाम हो सकती थी। मगर स्प्रे महंगा पड़ता है इसलिए स्प्रे नहीं करवाते हैं। इसलिए कृषि विशेषज्ञ इसके बारे में पूरा विचार करते और अनुदान के रूप में किसानों को रकम दी जाती तो इस क्षति को रोक सकते थे।

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इस क्षेत्र में हमारे काफी पम्पिंग सैट्स लगे हुए हैं। गत भयंकर बरसात की वजह से खरीफ की फसल करीब-करीब नष्ट हो चुकी है, और अकाल की स्थिति बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि अगर राज्य सरकार वास्तव में किसानों को कुछ राहत देना चाहती है जो अभी बिजली की मद के अंदर आपने ज्यादा प्रावधान रखा है, रबी की फसल बोने से पहले अधिक से अधिक विद्युत् कनेक्शन्स काश्तकारों को अगर दिये जायें तो हर काश्तकार को कम से कम 4-5 हजार रुपए का लाभ होगा। इस तरह से आप काश्तकारों को एक अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं। अगर सही मायने में सहायता

(श्री सूरजपाल सिंह)
देना चाहते हैं तो हर दृष्टिकोण से आप सोचिए कि किस तरह से इस पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सकता है। अगर आप उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं तो क्योंकि खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है इसलिये जितने भी बिजली के कनेक्शन्स आप देना चाहते हैं वे इस रबी की बुवाई से पहले अधिक से अधिक देने की व्यवस्था करें।

कृषि विभाग के बारे में यही कहूंगा कि यह निष्क्रिय हो गया है। कृषि विभाग अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता है। खाद कोई बांटता है, बीज कोई बांटता है, दवाइयां कोई बांटता है, इसमें सामंजस्य नहीं है, यह बड़ी ही दुखद बात है ......

एक माननीय सदस्य : यह कब से हो गया ?

श्री सूरजपाल सिंह : उत्तरदायित्व आपका है। बाकी गढ़े हुए मुर्दे खोदते रहेंगे तो आपके दिन भी नजदीक हैं।

पशुपालन के बारे में मेरा सुझाव था कि गलक्रिया के लिए इन्जेक्शन्स दुगने-तिगुने भाव में मिलते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि कृषि विभाग अधिक से अधिक इंजेक्शन उपलब्ध कराने की कोशिश करे या राज्य सरकार इंजेक्शन खरीद कर पशुपालकों को उपलब्ध कराये जिससे व्यर्थ में पैसा काश्तकारों से लूटा जा रहा है, उससे वे बच सकें।

इसी प्रकार, अभी जो गायों और भैंसों में बीमारी फैल रही है, इसके लिए वैक्सीन देनी चाहिए थी। मगर वैक्सीन की कमी होने से वैक्सीनेशन नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि जो बीमारी फैल रही है उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध की जाय।

प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में मेरा एक और सुझाव है कि जितनी प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण की दवाइयां दी जाती हैं वे केवल आई. एस. आई. मार्क ही खरीदी जायं। कई बार ऐसा होता है कि कृषि विभाग द्वारा आई. एस. आई. मार्क न खरीद कर छोटे छोटे फार्मास्युटिस्ट्स, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, जिनको औषधियों का ज्ञान नहीं, से खरीदी जाती हैं जिससे प्लांट प्रोटेक्शन सही रूप से नहीं हो सकता है।

एग्रो सर्विस सेन्टर्स आपने खोल दिए, मगर बैंकों वाले उनको किसी तरह का सहयोग नहीं देते हैं। उन्हें पैसा नहीं मिलने से एग्रो सेंटर्स सुचारु रूप से नहीं चल पाते हैं, इसी कारण काश्तकारों को एग्रो सेंटर्स के माध्यम से जो दवाइयां, बीज व खाद उपलब्ध होने चाहिए थे वह समय पर नहीं हो पाते हैं।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतनाराम !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मथुरादास माथुर !

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव बहुत ही सूक्ष्म हैं, और मैं बहुत ही थोड़े समय में निवेदन करूंगा।

सदन में बजट रखते समय या राज्यपाल के अभिभाषण के समय और उसके बाद जो भाषण हुए, उनमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे यहां पर कृषि उत्पादन बढ़ना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री व कृषि मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री मथुरादास माथुर)

कि कुछ नखलिस्तान बनाने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा । कुछ गंगानगर में, कुछ कोटा में, कुछ जयपुर में, बड़े-बड़े फार्म्स हैं उन्हें पूरी सेंट पर्सेंट क्रेडिट फैसिलिटीज देने से वे बड़े आदमी बन सकते हैं, परन्तु प्रांत का कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। देश का जो किसान है खास तौर से लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी संख्या बहुत है, उनको जब तक कृषि उत्पादन के प्रोसेस में इन्वाल्व नहीं किया जाएगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा । मैंने कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत पोथी को पढ़ लिया । वैसे विभाग की रिपोर्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, यह 22-23 पेज की रिपोर्ट है। इसके अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं, वह स्टेटिस्टिक्स विभाग भी दे सकता है । मेरे जो कट मोशन्स थे उनमें था कि लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स को कितनी क्रेडिट फैसेलिटीज दी हैं ? जिनके बारे में हम घोषणा करते रहे हैं, उनको कितनी फैसेलिटीज मिली हैं ? लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स को जो जमीनें मिल गई उनको कितना क्रेडिट, बीज, टूल्स और फर्टीलाइजर्स मिले ? किसान को सशक्त करने के लिए क्या किया ताकि देश और प्रांत के कृषि उत्पादन में वह हिस्सा ले सकें और उत्पादन बढ़ा सकें ? इसका उल्लेख सभी योजनाओं में होता रहा है । यहां पर किसी तरह से उसके आंकड़े नहीं मिलते क्योंकि कृषि विभाग प्रमोशनल विभाग है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन नेशनलाइज्ड बैंक्स और कोऑपरेटिव्स ने किया है, सीड्स का वितरण एग्रो इंडस्ट्रीज निगम करता है, खाद का वितरण मार्केटिंग सोसाइटीज और एग्रो इंडस्ट्रीज निगम करता है, प्लांट प्रोटेक्शन का काम एग्रो इंडस्ट्रीज निगम करता है । अब इन सब कामों को आपने यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया है तो फिर विभाग क्या चीज है ? यह क्या चीज प्रमोट कर रहा है ? सफेद हाथी क्यों रखे जा रहे हैं ? जब सारा काम वितरित हो गया निगमों को तो वे निगम तो कामर्शियल दृष्टि से ही काम करेंगे । मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस को क्रेडिट फैसिलिटीज निल मिली हैं । जिलों में एक पैसा नहीं दिया गया । उनकी सिक्योरिटी कौन दे ? बैंक्स नहीं दे रहे हैं । जो किसान जमीन पर हल चलाने वाला है उसको आपने कब्जा भी दे दिया है लेकिन उसके पास बैल नहीं है इसलिये वह हल नहीं चला सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है जो लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए एक स्कीम बनायें ।

(व्यवधान)

आप बीच में क्यों बोलते हैं ? हमें अपनी बात कहने दीजिए ।

आप डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन....

श्री सम्पत राम : लैंडलेस का एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट डवलपमेन्ट कैसे करें ?

श्री मथुरादास माथुर : गांव में जो जमीन पड़ी हुई है वह उनको देनी चाहिए । सम्पतरामजी, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं जमीन के बिना ही लैंडलेस के डवलपमेन्ट की बात कह रहा हूं ? बिना जमीन के ही खेती करवाना चाहता हूं ? अभी इस मामले को समझने में काफी समय लगता नजर आता है । किसी के पास जमीन है, उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए । आप कोऑपरेटिव के द्वारा सुविधा दीजिए । इस बारे में आप पूरी योजना बना सकते हैं । इसीलिये मैंने कहा है कि मैं लैंडलेस की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

Page No. 144

श्री सभापति : Ladies ! Please don't disturb.

श्री मथुरादास माथुर : यूनिवर्सिटी फण्डामेण्टल रिसर्च करें । इसमें उन्हें इन्वाल्व करें । आज कई बीमारियों का कोई इलाज नहीं है । जो दवाई देते हैं, वह काफी मंहगी है । यह बहुत पहले से सुनते आये हैं । आखिर यह डिपार्टमेन्ट किस मर्ज की दवा है । यूनिवर्सिटी उदयपुर की है उसकी वह रिपोर्ट भी सदन में आनी चाहिए जो रिसर्च से सम्बन्ध रखती है । यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के अन्दर क्या उपलब्धियां की हैं ? एक्सटेंशन में क्या उपलब्धि रही है ? यह वही यूनिवर्सिटी है, मुख्य मन्त्री महोदय, आप जानते हैं जो रिसर्च का काम नहीं करती है । अगर कुछ किया होता तो उसके बारे में अखबारों में पढ़ते । इससे तो अच्छा हो कि आप यूनिवर्सिटी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को दीजिए । यह यूनिवर्सिटी क्या करती है ? सभी काम तो बांट दिये गये हैं । इसलिए मेरा यह सुझाव है । खास तौर से मैंने दो कटमोशन रखे हैं, लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में । मैंने रिसर्च के बारे में कहा है । यूनिवर्सिटी फण्डामेण्टल रिसर्च करे । डिपार्टमेन्ट यह तो कर सकता है कि हमने यह पैदा किया है । यह नाम तो ले सकता है । मैं तो समझता हूं कि रिसर्च करने का क्लाइमेट ही यूनिवर्सिटी में नहीं है । मैंने कभी वहां बारह बारह बजे तक काम करते नहीं देखा है । रिसर्च दो प्रकार की होती है । फण्डामेण्टल रिसर्च और एप्लाइड रिसर्च । बहुत सा काम आपने कॉर्पोरेशन को दे दिया है । इसलिये एग्रीकल्चर का काम ठप्प हो गया है । कृषि मन्त्रीजी, इसका कोई रास्ता निकालिएगा ।

दूसरा मेरा मांग संख्या 38 पर सुझाव है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । डेजर्ट एरिया डवलपमेन्ट बोर्ड के बारे में कहा था, इसकी रिपोर्ट आजाएगी ऐसी मुझे उम्मीद थी । डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड का काम दो साल से हो रहा है । उसकी रिपोर्ट दो साल से नहीं आई है । मेहरबानी करके वह रिपोर्ट मंगायें । वह आती तो आपका ध्यान डेजर्ट की ओर आकर्षित करता । आप ऐसा समझें कि राजस्थान का यह एक अंग है । आप डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड की रिपोर्ट सदन में रखिएगा । फिर मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा ताकि डेजर्ट के बारे में पता चल सके कि उसके विकास के बारे में क्या हो रहा है ।

दूसरा मैंने, मुख्य मन्त्रीजी, भेड़ों के बारे में निवेदन किया था । भेड़ों की पापूलेशन अब एक करोड़ हो गई होगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत सी बीमारी में मर जाती हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : पैदा भी तो हुई होंगी । 1971 में 85,56,000 थीं अब दो-चार साल में एक करोड़ हो गई होंगी । उनकी चराई की समस्या है । अगर कोई योजना होती गांवों में जो चराने की जमीन थी उसमें तार बांधकर भेड़ों को रखकर एक्सपेरीमेन्ट कर सकते थे । ब्रीडिंग हो सकता है और कुछ प्रगति हो सकती थी । जो भेड़ पालने वाले रेबारी हैं, वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए मध्य प्रदेश की तरफ ले जाते हैं, हरियाणा ले जाते हैं, पंजाब ले जाते हैं । आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में बेरियर लगा दिया है । वह घुसने नहीं देते हैं । अखबारों में मैंने पढ़ा है । मैंने वेरिफाई करके मुख्य मन्त्री को चिट्ठी लिखी है । वह भेड़ों को घुसने

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं देते हैं । 45 प्रतिशत वूल जो आप पैदा करते हैं अगर यही हाल रहा तो इसका क्या होगा ? यह बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है । भेड़ों को खेतों या घरों में तो चराते नहीं हैं । पहले समय में तो भैड़ों को छोड़ देते थे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह एक समस्या है, कृषि मन्त्रीजी । भेड़ों से आमदनी आप करते हैं इसलिये उम्मीद है कि भेड़ों की चराई का कोई रास्ता निकालेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री परसराम मदेरणा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरजीराम बुरड़क !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शीशराम ओला !

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, एक कृषि पर एवं दूसरा पशु-पालन पर।

आज कृषि विभाग की यह हालत है कि गांवों में अच्छा बीज मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता । जो अच्छा बीज होता है वह शहरों में उच्च अधिकारी या अपने-अपने लोगों को कृषि विभाग उपलब्ध कराता है । काश्तकार के पास तो वह बीज चार-पांच साल के बाद में पहुंचता है । जब उस बीज से तीन-चार फसलें ली जा चुकी होती हैं, जब कि उस बीज की असलियत ही खत्म हो चुकी होती है तब वह बीज काश्तकार के पास पहुंचता है । इसलिए उस उन्नत बीज के प्रति काश्तकार बिल्कुल उदासीन हो चुका है, उसकी उसमें वापस रुचि पैदा करना असम्भव लगता है । इसका कारण यह है कि अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग तहसीलों में अलग-अलग किस्म की भूमि है । सारे राजस्थान में एक प्रकार की भूमि नहीं है । मेरा एक यह सुझाव है कि प्रत्येक गांव के अन्दर, पंचायत लेवल पर या विलेज लेवल वर्कर हैडक्वार्टर पर एक बीज सुधार केन्द्र होना चाहिए । उस भूमि में किस प्रकार का बीज सफल हो सकता है, वैसा बीज तैयार करके उसका परीक्षण किया जाय और वही बीज वहां के काश्तकार को उपलब्ध कराया जाय, ताकि वहां के लोगों को उस बीज से लाभ मिल सके और अपनी पैदावार को बढ़ा सके । इसके अलावा प्रत्येक गांव, तहसील और जिले की भूमि का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और उसकी एक विस्तृत रूप में रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए । वह रिपोर्ट प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर उपलब्ध होनी चाहिए कि इस प्रकार की भूमि में इस-इस प्रकार की फसलें सफल हो सकती हैं । इससे काश्तकार को लाभ मिलेगा और वह उसका ठीक उपयोग कर सकेगा । आज के आधुनिक युग में आधुनिक खेती कर सकेगा । लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है । काश्तकार जो पहले अपने प्रकार से काश्त करता था उसकी बात तो छुड़ा दी गई । रेडियो से और समाचार-पत्रों से प्रचार किया जाता है कि आधुनिक खेती करने से अधिक अन्न पैदा होगा । इस भुलावे में आकर वह अपनी पुस्तैनी खेती करना भूल गया और नये प्रकार से, आधुनिक ढंग से खेती करने के उसके पास साधन नहीं हैं इसलिए काश्तकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है । इसका नतीजा

(श्री शीशराम ग्रोला)

यह हुग्रा है कि ग्राधुनिक प्रकार की खेती से उसको लाभ हुग्रा या नहीं हुग्रा, लेकिन हमारे यहां पर जो बाजरा होता था उसको रुकड़ी नाम के कीड़े ने नष्ट कर दिया। ग्रब पहले के मुकाबले में 25 प्रतिशत भी बाजरा नहीं होता है। इसके ग्रलावा एक सफेद कीड़ा ग्रौर पैदा हो गया है, ज्वार, बाजरा, मूंग ग्रौर मोठ को यह नष्ट कर देता है। मूंग-मोठ की हमारे यहां इतनी ग्रच्छी फसल होती है कि मद्रास तक उसकी दालें जाती हैं। वहां के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सबका सब नष्ट हो गया। उन फसलों को भी इन सफेद कीटाणुग्रों ने एवं दूसरे कीटाणुग्रों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसलिए काश्तकार को लाभ देने के बजाय उसको बरबाद किया जा रहा है ग्रौर उसका नुकसान किया जा रहा है। कृषि विभाग काश्तकार के प्रति उदासीन है। गांवों में दूर-दूर ढाणियों की बात तो छोड़िये, पर गांवों में जहां ग्राबादी ग्रच्छी है जहां काश्तकार रहते हैं, जहां पर ग्रावागमन के साधन नहीं हैं, जहां पर रास्ते सड़कों से जुड़े हुए नहीं ग्रौर पहुंचने के कोई साधन नहीं हैं, उनके प्रति कृषि विभाग घोर उपेक्षा बरत रहा है ग्रौर उनके प्रति घोर ग्रन्याय कर रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि काश्तकार को ठीक प्रकार की खाद, बीज ग्रौर भूमि की सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय। वह रिपोर्ट ग्राम पंचायत लेवल पर मिलनी चाहिए जिससे कि किस प्रकार का प्रयोग वहां पर सफल हो सकता है, उसकी जानकारी प्रत्येक काश्तकार को हो।

ग्रब मैं थोड़ी देर में पशुपालन विभाग की मांगों पर कुछ बातें रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, प्रगति रिपोर्ट जो 1976-77 की हमारे समक्ष प्रस्तुत है इसमें लिखा गया है कि 1975-76 के ग्रंत तक 309 पशु चिकित्सालय एवं 46 पशु ग्रौषधालय कार्य कर रहे थे। वर्ष 1976-77 के दौरान पांच नये पशु चिकित्सालय ग्रारम्भ किये गये ग्रौर 3 ग्रौषधालयों को क्रमोन्नत कर चिकित्सालय में परिवर्तित किया गया। कुल मिलाकर 360 चिकित्सालय एवं ग्रौषधालय कार्यरत थे। पशुग्रों की देखभाल के लिए 8,35,231 पशुग्रों को दवा वितरित की गई। 3,70,964 पशुग्रों का बधियाकरण किया गया ग्रौर 14,44,315 पशुग्रों का उपचार पिछली बार किया गया। कुल मिलाकर यह जो ग्रांकड़े दिखा रहे हैं, एक जिले में इससे ग्रधिक पशु हो सकते हैं ग्रौर राजस्थान में तो इससे कहीं ग्रधिक पशु हैं, यानी जो ग्रांकड़े दिखाये गये हैं, उस हिसाब से पशु चिकित्सा की व्यवस्था तो नाममात्र की है। ग्राज पशुग्रों की चिकित्सा के प्रति हमारी सरकार उदासीन है। कितनी उदासीनता बरती जा रही है, वह यह ग्रांकड़े बता रहे हैं। सरकार की उदासीनता काश्तकार के प्रति ग्रौर पशुधन के प्रति इससे जाहिर हो सकती है कि जो पशुधन राजस्थान की ग्रर्थव्यवस्था का एक साधन है, ग्रार्थिक दृष्टिकोण से उसकी रीढ की हड्डी है, उसके लिये काश्तकार को कितनी सुविधा पशुपालन विभाग दे रहा है।

ग्रब मैं कुछ उदाहरण ग्रापके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। चिड़ावा तहसील में 1959 में 'की विलेज स्कीम' प्रारम्भ की गई थी। वहां की गायें बड़ी ग्रच्छी हैं, हरियाणवी नस्ल की होती हैं, वे 8-9 किलो

(श्री शीशराम ओला)

दूध देती थीं। इस योजना के लागू होने के बाद 10-12 किलो दूध देने लगीं। उनकी बछेड़ी सौ डेढ़ सौ में बिकती थी, 3500 तक उसकी कीमत चढ़ गई, सुधरी हुई नस्ल होने की वजह से। लेकिन एक तरफ तो सरकार विकास करने जा रही है औषधालय और डिस्पैन्सरीज खोलकर और दूसरी तरफ जो 1959 में एक योजना शुरू की थी उसको आप वाइन्ड अप कर रहे हो, बन्द कर रहे हो। वहां के लोग अब कहां इलाज करवायेंगे ?

एक छोटा-सा चिलिंग प्लान्ट झुन्झुनू में लगा दिया। उसके तहत कुछ गांव चिड़ावा तहसील के भी हैं। बड़ी मुश्किल से तीन-चार प्रतिशत गांवों से दूध लेते हैं, कहते हैं कि जो गांव डेयरी फार्म के तहत आते हैं और चिलिंग प्लान्ट को दूध देते हैं, उन्हीं के जानवरों का इलाज किया जायगा। अगर किसी की एक गाय दूध देती है तो उसका इलाज तो कर दिया जायगा लेकिन उसकी जो बछियां, पाड़ा या बछेड़ी है उसका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि उनका दूध चिलिंग प्लान्ट वाले नहीं खरीद रहे हैं। जहां पर एक काश्तकार की आदत पड़ गई थी चिकित्सा कराने की अपने जानवरों की, वह आज इस बात से असन्तुष्ट है। इसका नतीजा यह होगा कि काश्तकार की जो इलाज कराने की आदत पड़ गई थी यह स्कीम हटा देने से वह अब पशु चिकित्सा कराने एवं नस्ल सुधार से वंचित रह जायेगा। आखिर काश्तकार को कितना नुकसान हो रहा है, इस ओर भी हमारी सरकार को और पशुपालन विभाग को ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपको दस मिनट का समय दिया गया था वह आपको मिल गया है। आपने पूरा समय ले लिया है।

श्री शीशराम ओला : सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट में ही एक बात कह कर अभी समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे पशुपालन विभाग में पहले एक मिस्टर भसीन, डिप्टी डायरेक्टर के समकक्ष पद पर थे, वे अपने प्रमोशन के लिये काफी कोशिश करते रहे लेकिन पशुपालन विभाग में उन्हें एडिशनल डायरेक्टर के पद के योग्य भी नहीं समझा। बाद में वह खुशामद करके या और किसी तरह चापलूसी करके या कोई और सांठ-गांठ करके आई. ए. एस. बन बैठे। यह उनकी चतुराई है कि जिसको एडिशनल डायरेक्टर, एनीमल हसबैण्ड्री नहीं बनाया गया था, जो योग्य नहीं था उसको आई० ए० एस० बना दिया गया। आज वही व्यक्ति पशुपालन विभाग में उच्च पद पर आसीन है। इसलिये पशुपालन डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों से ईर्ष्या है। वे पशुपालन विभाग की हर योजना को असफल करने में जुटे हुये हैं। आज मैं जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आज-आप कांग्रेस की आलोचना तो करते हैं पर माननीय सदस्यों, इस प्रकार के अयोग्य अधिकारी रहे एवं लाल फीताशाही हावी रही इस विभाग में और अगर आपकी यही सरकारी मशीनरी इसी तरह काम करती रही, तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस तरह कांग्रेस को सरकार से हटना पड़ा उसी तरह आप को भी जल्दी ही सरकार

(श्री शीशराम ओला)
से हटना पड़ जायेगा। यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मिस्टर भसीन हैं उनको पशुपालन विभाग अगर कोई भी पशुओं के फायदे की स्कीम पेश कर दे तो उसको वह किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देते हैं। यह जो सरकार ने डेयरी की स्कीम काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिये शुरू की है वह उसको बरबाद कर देंगे। यह कभी भी किसी भी स्कीम को सफल नहीं होने देंगे। वह काश्तकार को लाभ नहीं बल्कि बहुत भारी धक्का पहुंचायेंगे तथा साथ में पशुपालन विभाग को भी बरबाद कर देंगे। वह पशुपालन विभाग को भी बरबाद करने पर तुले हुए हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1959 में चिड़ावा में जो 'की विलेज स्कीम' शुरू की थी और जो स्कीम सन् 1959 से चिड़ावा में चल रही थी उसको वहां से हटा लिया गया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जनता पार्टी की सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि इससे आपने उस क्षेत्र के किसानों को बहुत भारी धक्का पहुंचाया है। यह एक बहुत बड़ा काश्तकारों के अधिकारों पर सरकार कुठाराघात कर रही है। यह सरकार एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अगर कोई वहां के किसानों को दूसरी सुविधायें दे रही है तो उसका स्वागत है लेकिन सरकार द्वारा जो सुविधायें पहले दी हुई हैं और काश्तकार अपने जानवरों को वहां पर ले जाने भी लगे हैं, थोड़ी उनमें समझ आई है, आप भगवान के लिये उस सुविधा को हटाकर उनके साथ यह अन्याय मत करिये। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां जो 'की विलेज स्कीम' है, उसको न हटायें।

बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सम्पतराम : आप, शीशरामजी कौनसी स्कीम की बात कर रहे थे ?

श्री शीशराम ओला : 'की विलेज स्कीम' चिड़ावा से हटा ली गयी है, उसकी बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रासिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, आज सदन में कृषि और पशुपालन विभाग की मांगों पर......

श्री माधवसिंह : आप तो दारूबन्दी के ऊपर बोलेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हां, अगर दारूबन्दी नहीं होगी तो हमारे देश का विकास नहीं होगा।

सभापतिजी, कृषि और पशुपालन एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं। एक ही चीज के दो पहलू हैं। दोनों ही साथ-साथ चलेंगे तो ही कल्याण होगा अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, मेरे यहां पर गायों के विकास के अन्दर सबसे बड़ी बाधक हैं तो वे हैं भेड़ें। यह जो मारवाड़

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

की भेड़ें आती हैं, वह हमारे यहां पर आती हैं और बहुत भारी नुकसान हमारे यहां पर पहुंचाती हैं। उनसे बड़ा नुकसान हमारे यहां की गायों को होता है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको तो उदयपुर के हाथी से लाभ अच्छा होता है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, जब मैंने ओथ नहीं ली थी उस वक्त मुझे मेरे यहां के, उमरपाल के, लोगों ने पत्र लिखा। उसमें यह कहा कि भेड़ों ने बहुत नुकसान किया है। आप अगर उन भेड़ों का आना-जाना बन्द नहीं करा सकते तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सभापति महोदय, मैंने उनको लिखा कि अभी तो मैंने ओथ भी नहीं ली है। ओथ लेने के बाद मैं विधान सभा में जाऊंगा और इसके लिये वहां पर पैरवी करूंगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समस्या पर ध्यान दें। जो भेड़ें वहां आती हैं उनसे हमारे यहां करीब सौ गांवों के पशुओं को नुकसान पहुंचता है। इसलिये भेड़ों का आना वहां बन्द करावें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आपने जो कृषि उपज मण्डी समिति बनायी है उसने नये-नये टैक्स लगाये हैं। उससे व्यापारी और जनता बहुत दुखी है। मेरे क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने टैक्स भी वसूल कर लिये, पर कोई भी काम वहां पर सड़कें बनाने का नहीं कराया। एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अब तो ऐसा सुना है कि उन्हें हटा दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : उन्हें नहीं हटाया है। यशवन्तसिंहजी नाहर अभी तक भी कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं यशवन्तसिंहजी नाहर के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो मेरे क्षेत्र माण्डलगढ़ की कृषि उपज मण्डी समिति है, उसके बारे में कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, तो मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खेती और पशुपालन आप सहकारी समितियों के मार्फत न करावें तो उचित होगा। सहकारिता का नारा है "सब एक के लिये और एक सब के लिये" पर अब वह नारा नहीं रहा। अब नारा है "मैं मेरे लिये और सब मेरे लिये"। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप खेती का विकास करना चाहते हैं और गाय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो आप इन सहकारी समितियों के अध्यक्षों से और सचिवों से गायों को बचावें।

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें कर्ज माफ करने की भी कोई व्यवस्था नहीं रखें तो उचित रहेगा। आप पूरा कर्जा वसूल करिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि आप गाय और पशुपालन के विकास का कार्य पंचायत समितियों के माध्यम से करावें। शिक्षा का काम आपने पंचायत समितियों को दे रखा है, वह काम उनसे लेकर आप वापस शिक्षा विभाग को दे दें तो उचित रहेगा। पंचायत समितियों के माध्यम से पशुओं का अधिक

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
अच्छा विकास हो सकेगा ।

सभापति महोदय, आज सदन में मुख्य मन्त्रीजी ने भ्रष्टाचार के लिये कुछ एक्शन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ में लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । भ्रष्टाचार के बारे में मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि वह और एक्शन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में लेने जा रहे हैं । मुख्य मन्त्रीजी के इस एक्शन का काफी लोगों पर असर पड़ेगा । इससे कई लोगों को नसीहत मिलेगी और भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना बन्द कर देंगे । कांग्रेस के राज्य में यह दोहा चरितार्थ हो गया था:--

काम सरे नी बात सूं, सरे न करिया रीस,
काम सरे ये दो जदी बिना रसीदी फीस ।

इसलिये ऐसे लोग, जो भ्रष्टाचारी थे, अब सम्भलेंगे और रिश्वतखोरी बन्द होगी । अब लोग चौकन्ना होंगे । मुख्य मन्त्रीजी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस निष्ठा से लगे हैं कि "राज काज साधे बिना मोही नहीं विश्राम" ।

आमेर में जो दुर्घटना हुई थी, उसमें काफी बच्चियां मर गयी थीं और एक लड़के की टांग टूट गयी थी । वह बेचारा अस्पताल में है । उसके लिये मैंने सदन में यह कहा था कि सभी माननीय सदस्य अपना एक दिन का दैनिक भत्ता उसकी मदद के लिये दें । इसके लिये मेरे पास एक बच्चे ने पत्र लिख कर 21 रुपये भिजवाये हैं । उसने उसमें लिखा कि ये 21 रुपये मैंने जो मुझे मेरे घर से तीन रुपये प्रति माह हाथ खर्च मिलता था उसमें से बचत किये हुए भेज रहा हूं । वैसे माननीय सदस्यों ने भी कोई मना नहीं किया था । वह भी देंगे । पर हम जिस तेजी से पहल करेंगे, उतनी ही भ्रष्टाचार मिटाने में सफलता मिलेगी ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं । अगर आप गांवों में पंचायत और पंचायत समिति में गायों का विकास करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि हर गांव में अच्छे किस्म के सांड और बैल भिजवा दें ताकि वहां की नस्ल में सुधार हो और थोड़े दिन बाद में आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलें ।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भैंसों का नहीं, आप गायों का विकास करिये । आप जो आज बाहर से भैंसें लेकर आते हैं, वह यहां की जलवायु के अनुसार नहीं होने से मर जाती हैं । इस प्रकार से भैंसों का विकास नहीं हो पा रहा है । आप गायों का विकास कीजिये । इससे राष्ट्र को लाभ होगा ।

श्री माधोसिंह : आपको तो भेड़ों और भैंसों दोनों से ही एलर्जी है ।

श्री सभापति : नहीं, इनको तो दारू से एलर्जी है, भैंसों से नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेयरी विकास को प्रोत्साहन देने के अन्दर आप यह नहीं भूल जायं कि सारा दूध गांवों से चला जाये और गांवों में दूध तो दूर लोगों को पीने को छाछ तक नसीब नहीं हो । घी की तो बात ही आप जाने दीजिये वह तो कोसों दूर हो गई है ।

"दाल परी गी तेल ग्यो, घी तो कोसों दूर, नाले मते खाले परी रोटी जल में चूर ।"

मेरा यह निवेदन है कि इस जनता पार्टी

(श्री **मनोहरसिंह मेहता**)
के राज्य में गांवों में गायों का विकास होगा और दूध होगा, घी होगा-यह धारणा जनता में होनी चाहिये। वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, दारू नहीं होगी और गांवों का चहुंमुखी विकास होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रणजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भैरवलाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मूलचन्द !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री माधोसिंह ! (119)

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामदेव !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री माधोसिंह !

Well done Congress Party.

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में श्वेत–क्रान्ति करके योजनाओं में सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का जो आह्वान किया है, उस सन्दर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि पशुपालन विभाग के पास केवल पट्टी बांधने का काम रह गया है। चिकित्सालयों में पट्टी बांधी जाती है। उनमें न दवाइयां हैं और न ही एक्सटेन्शन का कार्य है। पहले एक्सटेन्शन ऑफिसर्स के रूप में डॉक्टर साहबानों को पंचायत समितियों में रखा गया था और एक्सटेन्शन को गति दी गई थी। अब वह कार्य बन्द हो गया है। केवल मात्र पशु चिकित्सक रह गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि यह कार्य फिर से शुरू करना चाहिये, एक्सटेन्शन का कार्य नहीं होगा तो श्वेत-क्रान्ति समाप्त हो जावेगी।

रेबारी पशुपालन का काम करते हैं। उनकी भी अपनी समस्यायें हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यह है कि उनके पास भेड़, बकरी, गाय, ऊंट को चराने के लिये जमीन नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप पहले बोल चुके हैं।

श्री माधोसिंह : नहीं साहब।

श्री सभापति : आपकी विभाजन संख्या कौनसी है ?

श्री माधोसिंह : 113

पशुपालकों के सामने एक समस्या खड़ी हो गयी है। खेती का एक्सटेन्शन हो रहा है और काश्तकार खेतों की रक्षा के लिये एक्सटेन्शन कर रहे हैं इस कारण गोचर की भूमि इतनी कम है कि पशुओं को चराने के लिये चरागाह उपलब्ध नहीं हो सकता है। भूतपूर्व जागीरदारों ने अपने खुद के मुआवजे के लिये इतनी कम गोचर भूमि छोड़ी थी कि मवेशी को वहां पूर्ण तरीके से सेटिस्फैक्ट्री घास उपलब्ध नहीं हो सकती है।

सिरोही जिले के अन्दर ज्यादा पशुपालक पहाड़ों और जंगलों पर निर्भर करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां वनों में मवेशी चराये जाते थे आज वनों के विकास को लेकर उन मवेशियों को रोका जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो जानवर पालने वाले हैं उनका जीवन ही मवेशी पर निर्भर है। उनके मवेशी उन जंगलों में नहीं जावेंगे

(श्री माधो सिंह)
तो उनका पेट नहीं भरेगा। साथ ही उनके उत्थान और दूध का जो लक्ष्य है उसमें आप सफल नहीं हो सकेंगे।

नस्ल सुधार के लिये भी मेरा निवेदन है। डेयरी की स्कीम चलायीं तो दूध के लिये केवल गायों से ही काम नहीं चलेगा। कृषि प्रधान देश के लिये बैलों की भी आवश्यकता होती है। रद्दी सांडों से बछड़े पैदा होंगे वे खेती के काम में नहीं आ सकते हैं, इसलिये जो नस्लें हैं—जर्सी, काकरेज, हरियाणा ब्रीड, जो खेती के काम आते हैं, जिनके द्वारा किसान हल जोतता है उसकी उन्नति करना भी बड़ा आवश्यक है। दूध की क्रान्ति के लिये, जर्सी ब्रीड के साथ-साथ दूसरी ब्रीड्स हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे आगे जाकर बैलों की समस्या सामने नहीं आवे और खेती में किसानों को मदद मिले।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी सिरोही जिले की जो समस्या है वह आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सिरोही जिला गुजरात के बोर्डर पर है। वहां से इतना माइग्रेशन होता है कि लाखों भेड़, बकरियां, गायें आती हैं। पूरे एरिया में वे छा जाती हैं। जो कुछ भी घास थोड़ी बहुत होती है उस घास को गुजरात से जो मवेशी माइग्रेट होता है वह चर जाता है। वहां के लोगों के लिये बड़ी भारी समस्या घास की मौजूद की रहती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इतना जबरदस्त माइग्रेशन नहीं रोका गया तो वहां के पशुपालकों के लिये भयंकर समस्या पैदा हो जावेगी।

मैं आपसे एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि मारवाड़ ग्रामीण बैंक गांवों में खोले गये जिनके द्वारा कर्जा आप देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं सोचता हूं कि लोगों को कर्जा उपलब्ध कराया जाना चाहिये उसमें कमी महसूस करता हूं। ब्याज की रेट का सहकारी बैंकों में और ग्रामीण बैंकों में फर्क है जिससे लोग उसको प्राप्त करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। मेरा कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन है कि सहकारी बैंकों की ओर से दस पर्सेंट पर लोन उपलब्ध कराया जाता है जब कि मारवाड़ ग्रामीण बैंकों की ओर से 13 पर्सेन्ट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस फर्क को आप जब तक नहीं मिटायेंगे न तो मारवाड़ ग्रामीण बैंक सफल हो सकेंगे कर्ज देने में और न काश्तकार पशुपालक जो भी कर्जा प्राप्त करना चाहते हैं वे ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि बैंकों का आपस में समन्वय बिठायें।

दूसरी बात सिरोही जिले के लिये कहूंगा। सिरोही जिले के पास ही रानीवाड़ा पंचायत समिति है उसके अन्दर दुग्ध उत्पादन का कारखाना खोला है। लेकिन चार साल से जितना कार्य करना चाहिये था वह नहीं कर पाये हैं। रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र है वह उसके दायरे में आता है। वहां चिलिंग प्लान्ट के लिये सब-सेन्टर बनाने के लिये उन्होंने कार्य पूर्ण कर लिया है, टैंकर बेकार पड़े हुए हैं और योजना शुरू नहीं की है। मेरा अनुरोध है कि इस कारखाने की कण्डीशन की ओर सरकार ध्यान दे। यह कारखाना अच्छे तरीके से रन करे। किसानों ने उसके शेयर्स खरीदे हैं लेकिन उस रुपये का अब तक सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह के घोटाले न हों कि जनता का पैसा उसमें फंस जाय। इस चीज को ध्यान

(श्री माधोसिंह)
में लाकर उसको कुछ राहत दें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, कृषि महकमा एक ऐसा महकमा है जिसका बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है । इसकी बहुत बड़ी अहमियत है । मंत्री महोदय, इस बारे में कितने संजीदा हैं, मैं कह नहीं सकता । अभी आपके ऊपर महकमों का इतना बोझ है कि शायद आपके पास यह महकमा रहे या न रहे, इसलिए शायद आपको कम दिलचस्पी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका कटौती प्रस्ताव किस संबंध में है ?

(विराम)

सब बोल चुके हैं इसलिए आपको बोलने का अधिकार है, बोलें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो मैं कह रहा था कि कृषि का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है । इसका संबंध खाद और दवा से है, इसका संबंध बिजली से है, इसका संबंध अच्छे बीज से है, इसका संबंध बाजार भाव से है, इसका संबंध पशुधन से है, इसका करों से संबंध है, इसका संबंध मैकेनाइज्ड खेती से है और इसके साथ ही साथ इसका आवागमन से भी संबंध है । अगर इनमें से एक चीज की कमी हो जाये, आपकी फसल अच्छी है और समय पर खाद नहीं मिले तो सारी की सारी व्यवस्था आपकी खत्म हो जायगी । अगर खेती बढ़िया है और पानी की व्यवस्था नहीं हो तो आपकी सारी योजना धरी की धरी रह जायेगी । अगर कीड़ा लग जाये और दवाई नहीं मिले तो आपकी सारी व्यवस्था खत्म हो जायगी । अगर अतिवृष्टि हो जाये तो खत्म हो जायगी और ओलावृष्टि हो जाये तो खत्म हो जायगी । तो इसमें जितने भयंकर रोड़े हैं उतने ही सामन्जस्य की भी जरूरत है । माननीय सभापति महोदय, यह एक रिवाज है कि इस तरह के सवाल पर सिर्फ हम विधान सभा में बहस कर लें, इससे काम चलने वाला नहीं है । तमाम संबंधित महकमों का जब तक कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कृषि का विकास नहीं होगा, देश के अन्दर और खास तौर से राजस्थान के अन्दर । हमारा जो भू भाग है यह बहुत फैला हुआ है । यहां अलग-अलग तरह की जलवायु है । गंगानगर में कपास की फसल अच्छी होती है तो दूसरे क्षेत्र में बाजरा खूब होता है । एक क्षेत्र में मूंगफली होती है तो दूसरे क्षेत्र में सरसों की फसल होती है । इसलिये हमारे प्रदेश के अन्दर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक खेती के अन्दर कितना भी आप पैसा लगा दें, कितने भी बड़े अधिकारी नियुक्त कर दें लेकिन उसके नतीजे अच्छे निकलने वाले नहीं हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि सबसे पहले तमाम खेती से संबंधित लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाये और उस कमेटी द्वारा विचार किया जाये । सिर्फ बहस ही नहीं बल्कि अलग-अलग बैठकर सुझाव लिये जायें और विचार-विमर्श किया जाये । उनके विचार-विमर्श के नतीजों को हम प्रैक्टिकल रूप में लागू करें ।

(श्रीश्योपतसिंह मकासर)

खेती के बारे में जब हम बात करते हैं तो किसान का संबंध जमीन से है। रिश्ता क्या है किसान का ? अगर धरती का बेटा धरती को काश्त करता है तो निश्चित रूप से उसमें पैदावार बढ़ेगी। अगर धरती का बेटा उसको काश्त नहीं करता है, वह उसका मालिक नहीं होता है और गैर खेती पेशा लोग ज़मीन के मालिक होते हैं तो आपकी कृषि की पैदावार नहीं बढ़ेगी चाहे आप कुछ भी कर लें। यह नीति संबंधी मामला है। धरती के बेटे के पास धरती नहीं रहेगी तब तक कृषि की उन्नति नहीं होगी। राजस्थान में बदकिस्मती से 30 साल से समाजवाद का नारा दिया जा रहा है लेकिन देश की 50 प्रतिशत धरती ऐसे 5 प्रतिशत लोगों के पास है जिनका धरती से कोई संबंध नहीं है। 95 प्रतिशत लोगों के पास या तो जमीन थोड़ी है या जमीन है ही नहीं। इसलिए दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो जमीन से संबंधित लोगों का कोआर्डिनेशन किया जाये और दूसरे खेती का रिश्ता धरती के बेटे से जोड़ा जाय। जब तक आप इस रिश्ते को नहीं जोड़ेंगे देश के अन्दर भुखमरी रहेगी और देश में कृषि तरक्की नहीं करेगी।

इसके साथ ही साथ क्योंकि समय थोड़ा है मैं डेयरी के संबंध में संक्षेप में कहूंगा। यह डेयरी क्या है ? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान में किसान उस दूध को नहीं पीयेगा और उस दूध को वह लोग पीयेंगे जो कि दिल्ली में बैठे हैं, कोठियों में बैठे हैं, यह दुर्भाग्य है। हमारा किसान आज घी बेचता है जब कि हम बात करते थे कि इस देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं। कहां है आज वह दूध और क्यों बिक रहा है दूध ? यह किस बात का द्योतक है ? यह इस बात का द्योतक है कि आपने किसान को इस लायक नहीं छोड़ा कि वह दूध पीये। दो किलो दूध होता है। भैंस उसके घर बंधी है, लेकिन दूध और माल दिल्ली में बैठे हुए लोग खा रहे हैं। तो फिर किसान का भैंस से क्या संबंध है ? सिर्फ वह चारा चराने वाला है। वह भैंस का मालिक नहीं है। बहुत व्यवहारिक बात है। भैंस का मालिक है वह जो कि मक्खन और दूध खाता है। किसान उसका मालिक नहीं रहा। केवल चारा खिलाने वाली मशीन बना दी किसान को आपने। मैं कहूंगा कि जो दूध आपकी डेयरी में आ रहा है वह किस तरह से आ रहा है आप क्षेत्रों में जाकर देखिये। बीकानेर डेयरी के संबंध में मैं जानता हूं। पहले वहां दिल्ली डेयरी स्कीम थी और वह बहुत अच्छा पैसा देते थे, वक्त पर दूध उठता था। अब वहां पर अपना एक और डेयरी विभाग खुल गया है। दूध को गावों में नहीं तोलते हैं, डेयरी में आकर वह तुलेगा। कम कर दे, पर्सेंटेज कम कर दे, उसके लिये गांव में कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ड्राइवर जाता है, कन्डक्टर जाता है और पीछे से चाहे कुछ मिला दे उसको चैक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। डेयरी के अन्दर घोर अव्यवस्था है।

इसी के साथ-साथ मैं एक सुझाव दूंगा। डेयरी के संबंध में मेरा सुझाव यह है कि डेयरी का दूध आप नहीं खरीदें। मुझे इस बात का अहसास है। मैं जानता हूं कि शहरों के अन्दर कुछ गरीब लोग रहते हैं। उनको भी दूध की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दूध के बजाय आप गांवों से छाछ लाइये। दूध फटेगा भी नहीं। जब दूध फट जायेगा तो बरबाद हो जायेगा।

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

और महंगा बिकेगा। किसान को घी खाने दीजिए और छाछ शहर के गरीबों को दीजिए और बीस पैसे किलो दीजिए। इसमें प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी। यहां हमारे वैज्ञानिक लोग बैठे हैं उनसे पूछें कि कितना फर्क होता है। दूध एक आदमी पीता है और छाछ भी एक आदमी पीता है उसमें कितने प्रोटीन की कमी होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दूध की जगह छाछ लोगों को दी जाये। दूध बिलकुल नहीं बेचा जाये ताकि गांवों में घी निकल जाये जिससे घी किसान को खाने को मिल जाये और उसके बच्चों को भी मिल जाये, उनके जिस्म में ताकत आ जाये ताकि वह अपनी शक्ति खेती करने में लगा सके और पैदावार बढ़ा सके। यह हमारे लिए शर्म की बात है, यह कोई शोभा की बात नहीं है कि राजस्थान का दूध, जोधपुर, बीकानेर का दूध दिल्ली जाये। जब कि पड़ोस में हरियाणा और पंजाब के लोग हैं वहां से दूध क्यों नहीं जाता है? यह हमारे लिए शर्म की बात है कि पंजाब और हरियाणा का किसान अपना दूध अपने जिस्म को पिलाता है और सबसे ज्यादा पैदावार वहां का किसान करता है। हमारे बीकानेर का दूध दिल्ली की कोठियों में जाये और उन बाबू लोगों, जो 9·9 बजे तक सोकर उठते हैं, की सेवा में आप हाजिर कर दें। किसानों को कम पैसा मिले और आप उनसे ज्यादा वसूल कर लें। इस सारी व्यवस्था पर विचार कीजिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप शहरों को सिर्फ छाछ बेचें न प्रोटीन का झगड़ा, न महंगे का झगड़ा और न सस्ते का झगड़ा। घी किसान खायेगा और छाछ आपको देगा ....

श्री सम्पतराम : क्या माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं करते कि डेयरी एग्रीकल्चर डवलपमेंट का एक अंग है? आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कृषि मंत्री-जी, मैं गांव से आता हूं। आप गांव में जनमें होंगे लेकिन बहुत अर्से से शहर में रह रहे हैं। अगर आप छाछ गांवों से लाना शुरू कर दें तो किसान के लिए घी मिल जायेगा और खेती करने के लिए उसके जिस्म में ताकत आयेगी। अगर आप दूध ही ले आयेंगे तो कौन करेगा खेती? बिना ताकत के खेती नहीं होती। सारा मामला ही डूब जायेगा। आप यह चाहते हैं, आपको फिक्र है इस बात की कि उन कालोनियों में दूध पहुंचना चाहिये। मैं समझता हूं आप डवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। दरअसल फिक्र आपको उन साहब लोगों की है। आखिर कौन दूध पीता है?

श्री विजयेन्द्रपाल (आसीन्द) : छाछ लाने के अन्दर इतना खर्चा पड़ेगा कि उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा।

श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : माननीय सदस्य, जयपुर में चाय पीते हैं या नहीं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : Any how, डेयरी की व्यवस्था हो।

दूसरी बात मैं रखूंगा खेती के बीमें के बारे में। खेती के बीमें के बारे में सरकार क्या विचार रखती है? पंजाब ने किया है, हरियाणा ने किया है, दूसरी कई स्टेट्स ने किया है। किसान ने सारी तैयारी कर दी, खेती बो दी और उसके बाद ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से अगर उसकी फसल बरबाद हो गई तो कितनी मुश्किल पड़ेगी। आपने

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
उसकी खेती के बोने की कोई व्यवस्था नहीं की। ओलावृष्टि से लोगों की मेच्योर्ड फसल कटाई से दो दिन पहले, कटाई से पांच दिन पहले, कटाई से दस दिन पहले सारी फसल तबाह हो गई। इसके साथ-साथ खलिहान जल गये उसके लिये आपने क्या प्रावधान रखा है? आपने कोई कम्पनसेशन नहीं रखा उस किसान के लिये। उससे कर वसूल होता है, उससे रेवेन्यू टैक्स, वाटर टैक्स वसूल होता है। उसकी सारी फसल खराब हो गई वह गरीब हो गया फिर भी आपने उसका वाटर टैक्स माफ नहीं किया, लगान माफ नहीं किया। आप कृषि की बात करते हैं लेकिन आपको कोई लगाव नहीं है कृषि से। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय जवाब दें कि जब किसान की खेती ओलावृष्टि से खराब हो गई तो क्या आपने पैसा दिया?

श्री सम्पतराम: यह पहले की बात है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: यह अभी की बात है। रबी की फसल तबाह हुई। गेहूं और सरसों की फसल आपकी हुकूमत आने के बाद तबाह हुई।

एक माननीय सदस्य: गेहूं तो पहले हो चुके थे।

श्री **श्योपतसिंह मकासर:** पार्लियामेंट में किसकी हुकूमत थी? यहां आपकी हुकूमत न हो, थोड़ी देर के लिये मैं मान लेता हूं। कितनी फसल तबाह हो गई? आपने क्या किया? जिस किसान का खलिहान जल गया.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **सभापति:** आपको दस मिनट अलॉट किये थे, आपने 15 मिनट ले लिये।

श्री **श्योपतसिंह मकासर:** दरअसल किसान के साथ मुझे दिलचस्पी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने वाटर टैक्स वसूल किया। रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं। जिसके खलिहान जल गये उनका क्या किया? शहर में झोंपड़ी जल जायें तो कम्पनसेशन देते हैं। पांच सौ की झोंपड़ी जल गई तो तीन सौ कम्पेनसेशन दिया। लेकिन हजारों, लाखों रुपयों की फसल बरबाद हो गई तो आपने कोई कम्पेन-सेशन नहीं दिया।

इसके साथ-साथ मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। आपने अन्त्योदय योजना में गांव के पांच परिवारों को लेने वाली बात की है। जिनके पास जमीन नहीं है उसको आप भैंस और गाय देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप छोटे किसान को मेहरबानी करके भैंस के बजाय भेड़ और बकरी दे दें। मेहता साहब के यहां भेड़ होगी नहीं तो उनको अख-रेगा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में भेड़ आये। मेहता साहब की जानकारी के लिये बता दूं पंजाब में भेड़ घर-घर में रखते हैं। उसके रहने से खाद हो जाती है, पैदावार अच्छी होती है, हमारे यहां उल्टा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। आप कोआर्डिनेशन कीजिये। अगर आप चाहते हैं कि खेती के अन्दर तरक्की हो तो विचार-विमर्श कीजिये, भाषण नहीं। अधिकारियों को बुलाइये, हमारे सदस्यों को लीजिये 5-5, 7-7 जिनको ठीक

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
समझते हैं। आपके विभाग के मंत्री बैठें और विचार-विमर्श के बाद जो भी नतीजा अच्छा निकले उनको लागू करें।

आखिर में, एक बात और कहना चाहूंगा कर्ज के बारे में। साहब, आपने यह क्यों बन्द कर दिया कि वे किसी बनिये से कर्ज नहीं ले सकते। उनको चार रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज देना पड़ता है अगर किसान शहर में आढ़तिये के पास जाता है क्योंकि बनिये से कर्जा लेना तो आपने रोक दिया, इन्दिरा गाँधी की मेहरबानी हो गई। उससे पाँच-सात लोगों को फायदा हुआ हो तो मालूम नहीं। सरकार ने अपना कर्जा माफ नहीं किया। लेकिन हुआ क्या? जमीन पर कोई कर्जा नहीं मिला। बैंक से कर्जा मिला नहीं। सूदखोर 2 पर्सेन्ट ब्याज लेता है और ऊपर से कहता है कपड़ा भी हमारी दुकान से लो, बीज भी हमारी दुकान से लो और सारी चीजें हमारी दुकान से लो। 20 पर्सेन्ट मुनाफा अलग, 2 पर्सेन्ट ब्याज अलग। बैंक से क्यों नहीं दे दिया? किसान कहता है कि फसल के बाद दे दूंगा। छः महीने बाद जितना चाहें पैसा ले लें। शराब के संबंध में निवेदन करूंगा हमारे सर्वोदय नेता से अपील है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शराबबन्दी कर दें तो भी शराब पीने वाला शराब ले आयेगा, रुकेगा नहीं। यह सोसायटी की अलामत है। सिगरेटों के ऊपर लिखा है जहर है फिर भी पीते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृषि मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा निवेदन है कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उन पर सरकार ध्यान दे।

श्री सभापति : कृषि मंत्रीजी?

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : माननीय सभापतिजी, सदन में कृषि और पशुपालन के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो प्रगतिशील विचार रखे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा अपना दृष्टिकोण जवाब देने का थोड़ा पहले जैसा नहीं रहेगा। आंकड़े कम होंगे, नीति संबंधी बात ज्यादा होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो साल पहले जैसा।

श्री सम्पतराम : इस साल जब गर्मी का मौसम था देश में असेम्बली के चुनाव हुए उसी समय इन्द्र भगवान की महरबानी हुई। जो बारिश देर से हुआ करती थी वह समय से पहले हुई। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश के लिये समय से पहले बारिश होना बहुत शुभ और उत्तम माना जाता है। किसान के दिमाग में कितनी खुशी हुई होगी, यह हम जानते हैं। लेकिन दैवी प्रकोप से उसकी जरूरत से ज्यादा महरबानी हो गई। हम सभी जानते हैं बहुत से जिलों में अधिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। वर्षा कहीं-कहीं पर इतनी हो गई कि 50 साल का रिकार्ड भी तोड़ दिया। वर्षा ज्यादा होना नुकसानदेह है, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे राजस्थान जैसे प्रदेश के लिये अच्छे होंगे। उसके नतीजे अगली आने वाली फसल में सामने आयेंगे। फसलों की बुआई समय पर हुई। उसके बाद दैवी प्रकोप से कुछ बीमारियाँ भी शामिल हो गई। कातरे की बीमारी आई और उसके कारण फसल को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान

(श्री सम्पतराम)

हुआ। खास तौर से इन जिलों में नुकसान हुआ है सीकर, झुंझनू, नागौर, जोधपुर। राज्य सरकार को जब इस बात की जानकारी हुई तो अपने प्रचार के साधनों के जरिये यथासम्भव प्रयत्न किया गया और किसान को जागरूक किया गया। यह कहा गया कि किसान अपने स्वयं के साधनों से जो कुछ कर सकता है करे और यथासम्भव सरकार की भी मदद ले।

सभापतिजी, यह बात सच है कि किसान खेती करता है, अनाज पैदा करता है। मेरे खयाल से वह सबसे कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरता है। इण्डस्ट्री और उद्योगधन्धे जितने देश में हैं उनकी आमदनी के स्रोत शायद निश्चित हो सकते हैं, लेकिन किसान की आमदनी अन्तिम क्षण तक जब तक कि वह अपनी फसल को बाजार में ले न जाय तब तक निश्चित नहीं कही जा सकती है। जो माननीय सदस्य ने फसलों के लिये बीमा की योजना की बात कही है वह अच्छी है और अपनाई भी जानी चाहिये। उसके लिये जनता पार्टी ने कहा भी है, लेकिन अभी उसका गहराई से चिन्तन नहीं हुआ। अभी जिन सूबों का जिक्र किया है उनमें बीमा नहीं हुआ है। हाँ, गुजरात में पाइलेट स्कीम थी लेकिन वह भी दब गई। फसल के बीमे की बात साधारण तौर पर हर इन्सान को और हर सरकार को माननी चाहिये, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या कठिनाइयां आती हैं उन सबको तो देखना होगा ·····

श्री श्योपतसिंह मकासर: ज्यादा नहीं तो ओले और बाढ़ से प्रभावित होने वाली फसल का तो कर दीजिये।

श्री सम्पतराम : जहाँ तक ओले का सवाल है, बाढ़ का सवाल है, बारिश से फैमिन का सवाल है उसके अपने कायदे कानून हैं····

(8.05 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

राजस्व अधिकारी जो फसलों का मापदण्ड बनाते हैं·········

श्री श्योपतसिंह मकासर : ओला वृष्टि से फसल नष्ट हो जाय या खलिहान जल जाय उसके लिये तो आप कुछ करिये।

श्री सम्पतराम : और जब गिरदावरी होती है, उसके आधार पर जो नतीजे आते हैं, सरकार उन पर ध्यान देती है। किस-किस को क्या-क्या नुकसान होता है, स्थानीय अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर और वहाँ के हालात के मुताबिक सरकार सहायता देती है। अब मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य का जिला·······

श्री श्योपतसिंह मकासर : गंगानगर जिले की बात कर रहा हूं········

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : उन सबके कायदे कानून बने हुये हैं। मैं उनकी तरफ माननीय सदस्य का ध्यान दिलाऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं जानकारी के तौर पर बताऊंगा, केवल बारानी क्षेत्र में है, सिंचित क्षेत्र में नहीं है। कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बार-बार कायदे कानून की तरफ ध्यान

(श्री **सम्पतराम**)

दिलाने की बात की है। यदि और कोई बात है तो मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। मैंने इशारा किया है, आप जानकारी कर लें। मैं बुनियादी तौर पर स्वीकार करता हूं कि किसान की फसल का नुकसान होता है तो उसको फायदा मिलना ही चाहिये, लगान माफ होना चाहिये लगान सस्पैन्ड होना चाहिये, तो उसके कायदे कानून बने हुये हैं। गरीब हैं तो लोन आदि की भी व्यवस्था है।

बाढ़ है, अतिवृष्टि है ये सब नेचरल केलेमिटीज हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि बारिश ज्यादा हुई है और उससे फसलें नष्ट हुई हैं। उसके बाद राजस्थान की जो पैदावार का चित्र लेकर चलते थे वह कुछ धूमिल रहा। कातरे के बाद कुदरत ने मदद नहीं की लेकिन राजस्थान के पश्चिमी जिलों में काफी बुआई की गई है। मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार मेरे खयाल से लाभ होगा और कुछ फसल आगे बढ़ेगी। अभी मैं जोधपुर गया था तो वहाँ देखा कि खेती को लाभ मिला है और जितनी धूमिल तस्वीर हम लेकर चलते थे, उतनी नहीं है। यह हो सकता है कि पिछले सालों से कम उत्पादन हो।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती क्षेत्र सारे राजस्थान को मक्का, ज्वार फीड करता है, इस बार सारी फसल नष्ट हो गई है, उसके बारे में भी बतायें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं सिरोही में 80 प्रतिशत तो बुआई ही नहीं हुई और 20 पर्सेन्ट में बाजरा बोया गया वह भी नष्ट हो गया। कलेक्टर महोदय के पास इसकी रिपोर्ट पहुंची या नहीं पहुंची लेकिन यह तय हो गया था कि 100 पर्सेन्ट सिरोही में फसल नष्ट हो गई है। मैं आपका उस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। गवर्नर साहब के भाषण के समय भी ध्यान दिलाया था। डबल वर्षा हुई है इसलिये इस को भी मद्देनजर रखें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 30 साल में कांग्रेस के राज्य में लगान माफ नहीं हुआ। अकाल के कानून में तीन साल का प्रावधान है। तीन साल बराबर अकाल पड़ जाय तो कलेक्टर की रिपोर्ट पर लगान माफ होता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में, आज तक कलेक्टर की रिपोर्ट को उठाकर देख लें, कभी लगान माफ नहीं किया गया है। अब जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है कि अकाल के समय का लगान तो कम से कम माफ करें।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल कहाँ पर है, कितना है और क्या इन्तजाम करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये यह तो मैंने आज ही प्रश्न के उत्तर में सुबह अर्ज किया था। मेरा निवेदन है कि अकाल की स्थिति जब भयंकर रूप धारण करती है उस समय अनाज चाहे न हो लेकिन यदि चारा खत्म हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि अकाल भयंकरता धारण करता है। पश्चिमी राजस्थान में चारे और पानी की व्यवस्था न होने से भयंकरता बढ़ सकती है, लेकिन अनाज की कमी से भयंकरता नहीं बढ़ सकती है। अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू इन जिलों में चारे की कमी है। सरकार कोशिश करेगी और अपने फोडर स्टॉक से इन्तजाम करेगी। अभी जो फोडर को बाहर भेजने की बात है उस पर भी विचार

(श्री सम्पतराम)
किया जायगा कि वह बन्द हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पानी और घास हो जाता है तो अकाल की स्थिति इतनी भयंकर नहीं होती है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जिन जिलों का नाम लिया है उनमें सिरोही जिला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां 50 इंच वर्षा हो गई है। बाढ़ से ही नुकसान नहीं होता है अतिवृष्टि से भी नुकसान होता है। मेरे क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा रहते हैं, उनको आज खाने को दाना भी उपलब्ध नहीं है और न उनको कोई रोजगार ही उपलब्ध है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया सिरोही जिले की ओर भी ध्यान दें। आपने पश्चिमी जिलों के लिये फर्माया है उसमें अगर सिरोही जिले को भी ले लेंगे तो सिरोही की जनता के साथ न्याय होगा।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य के साथ मेरी सद्भावना है, लेकिन जिस पहलू पर आप फर्मा रहे हैं वह फ्लड से ताल्लुक रखता है, कृषि से ताल्लुक नहीं रखता है। अभी कोई आवश्यकता होगी तो उसके लिये रिलीफ देकर मदद कर सकते हैं। उस पर विचार किया जा सकता है। इस समय एग्रीकल्चर की जो सम्भावनायें हैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। इसके बावजूद कोई कमी होगी तो अकाल का महकमा है, रिलीफ का महकमा है वे आपकी मदद करेंगे। इस समय तो मैं आपकी जो फसलें हैं, जो पैदावार है उसका एक चित्र जो हमारे सामने आ रहा है, क्या सम्भावनायें हैं, क्या आशा कर सकते हैं, कैसी आशा और दृष्टिकोण लेकर चल सकते हैं इस पर सिर्फ मैं संकेत कर रहा हूं। तो इन जिलों में अतिवृष्टि से अलवर और भरतपुर में काफी नुकसान हुआ है और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में 70 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण राजस्थान के बहुत से जिलों में, करीब-करीब एक-दो जिलों को छोड़ कर सभी तालाब पानी से भरे हुए हैं। क्योंकि बारिश काफी हुई है। इसलिये जितने तालाब, कुएं हैं सभी में पानी आया है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने से उसका पर्सेंटेज ज्यादा होगा, उससे पैदावार भी ज्यादा बढ़ेगी। अलवर, भरतपुर में काफी बाढ़ का प्रकोप हुआ है। मैं समझता हूं कि भरतपुर की कुछ तहसीलों को छोड़ कर बाकी हिस्से में रबी की फसल काफी बड़े पैमाने पर होगी। जो सूखा इलाका है, सेमी-डेजर्ट इलाका है वहाँ पर चना और सरसों की पैदावार अब की बार ज्यादा बढ़ने की सम्भावना है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि कीड़ों से बचाव के लिए और पौध-संरक्षण की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस साल सरसों और चने में बहुत संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। इस मामले में सरकार और महकमा बिल्कुल सजग है, बिल्कुल सतर्क है और जितना प्रयत्न हो सकता है वह किया जावेगा।

अब यहाँ पर यह भी सवाल उठाया गया कि बाढ़ की वजह से किसानों की माली हालत बहुत खराब हो गई है, खरीफ की पैदावार नहीं होने के कारण छोटे किसानों की जेब में पैसा नहीं है। बड़े किसानों का तो जिक्र ही क्या, वह तो अपनी जमीन पर किसी प्रकार से पैदावार कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान क्या करेंगे ? कहाँ से फर्टीलाइजर आयेगा, कहाँ से बीज आयेगा,

(श्री सम्पतराम)

कहां से और दूसरी चीजें आयेंगी ? सरकार इस मामले में भी सजग है। अभी सारे जिलाधीशों की मीटिंग हुई थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सभी स्तर के, सभी विभागों के मौजूद थे, उनको साफ तौर से कह दिया गया है कि जिस जिले में भी सीड की, फर्टीलाइजर की या और किसी चीज की कमी रही तो वह ऑफिसर्स की नेग्लीजेंस की वजह से होगी, सरकार की असावधानी की वजह से नहीं, पैसे की कमी की वजह से नहीं होगी। इस लिए मैं यह स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि इस साल जहाँ पर बाढ़ आई है, फसल नष्ट हो गई है वहाँ पर रबी की फसल बढ़ने की सम्भावना है। वहाँ के हालात के मुताबिक उस फसल को बढ़ाने के लिये, किसानों की मदद करने के लिए जो भी सम्भव प्रयत्न होगा वह सरकार करेगी। अभी भारत सरकार से दो करोड़ रुपया लिया है। दो करोड़ और आने वाला है, और इसके अलावा छः करोड़ की और मांग की है। अगर वहाँ से मिल जाता है तो दस करोड़ की व्यवस्था होगी और काफी काम-काज कर सकेंगे। यह मैंने खरीफ और रबी की फसल के बारे में बताया।

इसी तरह से चार-पांच बुनियादी बातों की तरफ आपने ध्यान दिलाया। उनमें एक यह है कि रिसर्च का प्रोग्राम है, रिसर्च का कार्यक्रम है वह काफी स्ट्रोंग होना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए। उसके बगैर हम खेती की तरक्की नहीं कर सकते। एक सीड उत्तम मिले, अच्छा मिले इसकी व्यवस्था करें। ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : सस्ता भी मिले।

श्री सम्पतराम : यह दो-तीन बातें खेती के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान प्रदेश में सिंचित एरिया बहुत कम है और बारानी एरिया बहुत है। खेती की पैदावार अधिक नहीं बढ़ सकती जब तक कि बारानी इलाके का विकास नहीं हो, ठोस कार्यक्रम नहीं बने। बहुत बड़ा बारानी एरिया राजस्थान में है। जब बारानी एरिया की पैदावार फैल हो जाती है, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारा पर्सेन्टेज गिर जाता है। एक सूखे की स्थिति बन जाती है जिसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रश्न के लिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि जो डेजर्ट एरिया है या सूखे इलाके हैं जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी कम है उन इलाकों के विकास के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए और करेगी।

अभी वर्ल्ड बैंक ने करीब 17 जिले हमारे राजस्थान के लिए हैं। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं, जिन के बारे में माननीय सदस्यों ने भी यहाँ पर जिक्र किया, मैं समझता हूं कि उन जिलों के लिए सरकार प्रयत्न करेगी कि वे वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत आ जावें और वहाँ कृषि और एनीमल हस्बेंड्री की कम्बाइन्ड स्कीम बने। अभी फार्मल तरीके से विचार-विमर्श चल रहा है, वाद-विवाद चल रहा है, हमारे सीनियर अधिकारी ने वर्ल्ड बैंक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से कुछ बातचीत की है। मैं समझता हूं कि उनकी योजना लागू होने से काफी काम होगा। इस योजना में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सेलीयेंट फीचर्स हैं वर्ल्ड बैंक योजना के उसमें दो-तीन

(श्री सम्पतराम)
बातें मुख्य रूप से हमारे सामने आ जाती हैं।

अभी एक्सटेंशन स्कीम की तरफ, एक्सटेंशन कार्यक्रम की तरफ काफी माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं ही नहीं जिस किसी को कृषि का मामूली-सा, जरा-सा भी ज्ञान है उसको यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि खेती की तरक्की करना तब तक असम्भव है जब तक कि एक्सटेंशन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ायें। जब एक्सटेंशन प्रोग्राम की कुछ बातें कहने की शुरुआत करता हूं तो मेरा ध्यान पीछे की तरफ जाता है, कुछ जिलों की तरफ जाता है जहाँ कि राजस्थान के कृषि जिलों का रि-आर्गनाइजेशन किया गया है। जब कभी कटौती का प्रश्न आता है तो किसी भी सरकार को कटौती करनी पड़ती है लेकिन वह कटौती ऐसी न हो कि किसानों के हितों पर कुठाराघात होता हो। 26 जिलों में हरित-क्रान्ति हुई, खेती की तरक्की हुई, किसान आगे बढ़ा, इम्प्रूव्ड वैराइटी आफ सीड्स आए, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रेक्टिसेज आईं, बहुत कुछ विकास और तरक्की हुई, अनुसंधान हुए, रिसर्च का काम हुआ, लेकिन राजस्थान के कृषि के जिलों को तोड़ कर काफी प्राब्लम क्रियेट कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाड़मेर, जालोर को मिला दिया। बीकानेर को दूसरे से मिला दिया। सीकर और झुंझुनू को मिला दिया। इस तरह से मिलाना, मैं समझता हूं, सही दिशा नहीं है। आज हम छः महीने का बजट पेश कर रहे हैं। मैं इस समय कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं, लेकिन व्यक्तिशः मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के जिन जिलों की इतनी बड़ी लम्बाई-चौड़ाई है, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बारानी इलाका है, आने-जाने के साधन नहीं हैं उन जिलों का निश्चित तौर से रि-आर्गनाइजेशन करना पड़ेगा ताकि खेती की तरक्की का प्रोग्राम आगे जा सके। जोधपुर और जैसलमेर जिले को एक कर दिया। जोधपुर जिले में कुछ सेमी-डेजर्ट है, कुछ डेजर्ट है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से पाकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। उसके लिए इम्प्रूव्ड वैराइटी आॅफ सीड चाहिए, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रेक्टिस चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर का आॅफिस ही नहीं है। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं क्योंकि उसके लिए पैसे की व्यवस्था चाहिए। सरकार आगे विचार करेगी और अपने साधनों के मुताबिक जितना भी कार्यक्रम बढ़ा सकती है, बढ़ायेगी।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम क्या है? वे लोग यहाँ आए, उन्होंने महसूस किया और 23 करोड़ रुपया वह पाँच सालों में खर्च करेंगे। भारत सरकार को देंगे और फिर वह हमको मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात की ओर ध्यान दिलाया कि हमारा जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है, उसमें काम करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उन बेनीफिशियरीज के पास जो दूर दराज में रहते हैं, अथवा जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, क्या पहुंच सकेंगे? आज के दिन आप ग्रामसेवक की बात लीजिये......

(व्यवधान)

किसानों के डे टू डे की जरूरत की चीजें हैं, क्या उनको समय पर वहाँ पहुंचा सकते हैं............

श्री विजयेन्द्रपाल : हाइड्रोपोनिक्स के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या बला है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थानी में इसका कोई शब्द हो तो राजस्थानी में ही बतला दीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल : यह जो टैक्निकल शब्द यहाँ पर काम में आया है उसके बारे में कह रहा हूं। यह 'हाइड्रोपोनिक्स' का वर्ड आया है उसके बारे में क्या विचार किया है, यह बतायें ?

श्री सम्पतराम : मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अभी ऐसे एब्नार्मल टैक्निकल वर्ड को काम में लिया, मैं समझता हूं कि इसकी भावना भी इसी प्रकार की होगी। मैं स्वयं माननीय सदस्य के सामने जाऊंगा और उनसे ट्रेनिंग लूंगा, सीखूंगा। यदि उससे कोई लाभ प्राप्त होता होगा तो मैं मंत्रिमण्डल को भी सजेस्ट करूंगा कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लें और खेती की तरक्की के काम में लिया जावे।

अभी मैं दो-तीन बातों की तरफ, वर्ल्ड बैंक की स्कीम की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा। था यह स्कीम है, इसमें एक्सटेंसिव स्कीम पर ध्यान दिया है। केवल 17 जिलों पर ध्यान दिया है। मैं निवेदन चाहूंगा करना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़े महत्व का काम है। राजस्थान सरकार ने 17 जिलों को स्वीकार करके बड़ा काम किया है। आगे जो बातें कही गई हैं जिसमें इरिगेशन पोटेंशियल की बात भी है। हमको निश्चित रूप से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बैण्ड्री की स्कीम को लेकर चलना होगा। वैसे डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम आपके यहाँ चलते हैं।

इसके अलावा माननीय माथुर साहब ने भाषण दिया है। भाषण अच्छा था। उन्होंने सरकार को कुछ ऐसे निदेशक तत्व देने की कोशिश की है जैसे कि हमने स्माल फार्मर और मार्जिनल फार्मर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारे वित्त मंत्रीजी ने जो भाषण प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने यह कहा था कि इस स्कीम को आगे ले जाकर दस जिलों में और ले जाना चाहते हैं। यह स्कीम छोटे जिलों में है जैसे हमारे अलवर जिले में है। 8 करोड़ रुपये के ऋण दिलाने की बात है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो काश्तकार है उसको लोन मिलता है। समझता हूं कि वह इसको देख लेते। वह कम से कम इस बात को स्वीकार करते कि इस सरकार ने.......

श्री बजरंगलाल शर्मा : कृषि मंत्री होकर आपको सिर्फ अपने जिले की ही जानकारी है और जिलों की जानकारी नहीं है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपकी तरफ भी दृष्टि आ जाएगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत से ऐसे ग्राम सेवक हैं जिन्होंने खाद बेचने की दुकानें लगा रखी हैं।

श्री सम्पतराम : उनका भी बाद में इलाज होगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उनका क्या इलाज होगा ?

श्री विजयेन्दपाल : मैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बता रहा हूं।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सदस्य समझे नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कहीं डेजर्ट है, कहीं सेमी-डेजर्ट है। मैं अलवर के बारे में जानता हूं। इसलिए अलवर के बारे में बताया है। इसके अलावा डी०पी० ए०पी० में जो जिले नहीं लिए गये हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : जो 17 जिले लिए गये वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में वह कौन-कौन-से हैं ?

श्री सम्पतराम : वह हैं—अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुन, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, गंगानगर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ, भीलवाडा, और सिरोही। इसके अलावा 15 जिले लिये गये हैं, स्माल फार्मर स्कीम के तहत। इसके अलावा जो नहीं लिये गये हैं उनके बारे में सोचा जाएगा।

इसके अलावा रिसर्च के बारे में माथुर साहब कह रहे थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फर्टीलाइजर किसी को दे दिया। सीड किसी को दे दिया। मैं नहीं समझ सका कि इसके पीछे उनका क्या आइडिया है ? लेकिन वह सबकी दुकान एक खोलते हैं। परमिट लिख दिया। लिखने के बाद जहां पर दुकान होती है, वहां से खरीद लो। अगर ब्लैक होता है तो सरकार देखेगी। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यह सारा काम करे या खुद सीड और खाद की दुकान खोलकर बैठ जाये, यह सही एप्रोच नहीं है।

अभी जैसा कि माननीय खेतसिंहजी ने कहा है कि बहुत से सीड फार्म हैं। तो मैंने कहा था, वर्ल्ड बैंक के हमारे पास 11 फार्म हैं, गवर्नमेंट ने लिये, चार फार्म और एक फार्म कार्पोरेशन को दिया है। इन फार्मों पर अलग-अलग प्रोडक्शन किया जाएगा। इसमें जो सबसे महत्व का है वह है सीड प्रोजेक्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन अच्छी है। समय पर जुताई की जाय और उसके बाद उसमें अच्छा बीज डाला जाय—इन तीन चीजों से खेती की प्रगति होगी। किसानों की पैदावार रुक जाएगी, मैं ऐसी आशा नहीं करता हूं, वह नहीं होगा। इसलिए सीड के डवलपमेंट के बारे में आवश्यक हो जाता है कि सीड अच्छा मिले। यह दुर्भाग्य की बात है कि पहले अच्छा पैदा किया। बाजरे का सीड पैदा किया वह बहुत अच्छा था। किसी न किसी जगह गलती जरूर हुई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपका ध्यान दिलाया कि जो बड़े-बड़े निजी फार्म हैं, उनके यहां गलती है।

श्री सम्पतराम : मैं स्वीकार करता हूं। मुझे कृषि के संबंध में एक घटना याद आई, मैं उसे दुहराना चाहूंगा। एक साहब ने अपने फार्म में भिण्डी बोई। उन्होंने भिण्डी का सीड तैयार करने की योजना बनाई। भिण्डी के सीड तैयार करने के बारे में यह कहा गया था कि इतने रेडियस में कोई दूसरा भिण्डी नहीं बोयेगा। लेकिन उनके कुछ दूरी पर ही किसी और किसान ने भी भिण्डी अपने खेत में बोई। एक्सपर्ट आये उन्होंने कहा कि इतने रेडियस के अन्दर भिण्डी की फसल है। इसलिए वह रिजेक्ट कर आये। वह इस मामले को ऊपर तक ले गये। वह तो

Page No. 165

(श्री सम्पतराम)

अच्छा हुआ कि मिण्डी के कुछ पौधे मिल गये तो उन लोगों से पीछा छूटा । आज तो यह स्थिति है कि जहर भी शुद्ध नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि हर क्षेत्र की तरफ ध्यान रहे । किसानों को शुद्ध बीज मिलें । यह हमारा कर्तव्य होगा । अगर किसान मर गया तो क्या होगा ? आपकी मण्डियों का व्यापार बन्द हो जाएगा । मिलें और कारखानें बन्द हो जायेंगे । इसके अलावा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी भी देश से अधिक मानवशक्ति लगी हुई है । लेकिन हम उतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं ला सकते हैं। इसलिए मैं स्वयं जानता हूं कि बीज के अप्रूवल में क्या बात होती है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप क्या करना चाहते हो यह बता दें ।

श्री सम्पतराम : आप सुनिये । सीड्स के मामले में एक फेज्ड प्रोग्राम बनाया जाना था लेकिन खुदा न ख्वास्ता नहीं बना सके । अब हम वर्ल्ड बैंक की जो योजना है उसके तहत माँग कर रहे हैं कि हमको 9 करोड़ रुपया दिया जाय और हम यहाँ पर सीड कार्पोरेशन की स्थापना करना चाहेंगे । ऐसे बहुत से प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत अपने यहाँ पर स्टेट सीड कार्पोरेशन कायम कर चुके हैं हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी कार्पोरेशन कायम हो । इसमें किसानों का शेयर भी होगा, यूनिवर्सिटीज का शेयर होगा ओर स्टेट का भी होगा । इसी प्रकार से अगर हम इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सेज प्राप्त कर सकते हैं तो वह भी प्राप्त करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह प्रत्येक जिले के विकास के लिये होगा, क्या सरकार इसके लिए विचार कर रही है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी ।

श्री सम्पतराम : नहीं, पूरे राजस्थान के लिए ।

सभापति महोदय, यूनिवर्सिटीज का काम है रिसर्च करने का, अभी जैसा कि माथुर साहब ने कहा दो प्रकार की रिसर्च होती हैं, फण्डामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च । आज हर आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि यूनिवर्सिटीज का काम फण्डामेंटल रिसर्च करने का है और अप्लाइड रिसर्च का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का । इसी प्रकार से कोशिश की जायगी कि खेती में रिसर्च करने के लिए फण्डामेंटल रिसर्च को ज्यादा सशक्त बनाया जाय । इसके लिये एग्रीकल्चर विंग, जो यूनिवर्सिटी का है, को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सके । तो यह एक्टेन्शन की स्कीम है।

एक माननीय सदस्य : सामान्य शिक्षा के साथ एग्रीकल्चर की शिक्षा जरूरी हो, इसके लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री सम्पतराम : इसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि खेती की शिक्षा भी दी जानी चाहिए लेकिन इस विषय में इस समय कोई निश्चित घोषणा करने में मैं असमर्थ हूं । इसमें रिसर्च करने के लिए मैंने वर्ल्ड बैंक की स्कीम की तरफ ध्यान दिलाया है । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है । इसको कार्यान्वित करेंगे तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा,

(श्री सम्पतराम)

खेती की तरक्की के लिए और देश की समृद्धि के लिए । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दोनों डिमाण्ड्स को पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कोई वाद-विवाद नहीं होगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर और जोधपुर जिलों को सेमी-डेजर्ट जिला घोषित किया है और कोटा जिले को फर्टिलाइज्ड एरिया घोषित किया है । कोटा जिले को भी बैकवर्ड जिला घोषित किया जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है और कहते हैं कि दोनों मांगों को पास कर दो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,81,71,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 36 स्वीकार की गई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पशुपालन के बारे में मंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं कहा ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38—पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,85,14,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 38 स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14-9-77 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.35 बजे बुधवार दिनांक 14 सितम्बर, 1977 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट संख्या 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची)

राजकीय अस्पताल बाड़मेर व विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पद एवं रिक्त पदों की संख्या

क्रमांक	रिक्त पदों के नाम	राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम							
			सिंदड़ी	समदड़ी	बायतू	रामसर	चौहटन	गुणां	गुडामालानी	मांडली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	पोस्ट ग्रेजुएट सी० ए० एस०	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	सी० ए० एस०	3	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	औषध निरीक्षक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	स्वास्थ्य निरीक्षक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	मैकेनिक	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	—	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	डेन्टल टेक्नीशियन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	मेल नर्स प्रथम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	मेल नर्स द्वितीय	15	1	—	1	1	1	1	1	1
11.	प्रसारिका	—	—	—	—	—	—	1	—	—
12.	वाहन चालक	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्र०स०	संस्थाओं का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक जब से रिक्त है	रिक्त पद का कारण
1.	राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर	कनिष्ठ लिपिक (बरथली)	1	21-6-76	योग्य महिला चिकित्सक उपलब्ध न होना।
		पोस्ट ग्रेजुएट, सी०ए०एस०	1	दिसम्बर, 1976	कार्यभार न संभालने के कारण।
		सी० ए० एस०	3 2 पद	दिसम्बर, 1976	कार्यभार न संभालने के कारण।
		मेल नर्स श्रेणी II	15 1 पद	अप्रेल, 1977	प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण
		मैकेनिक	1 12 पद	दि० 9-9-76	राज्य सरकार से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त
			3 पद	दि० अगस्त, 1977	न होने के कारण
				13-10-71	
2.	प्रा० स्वा० केन्द्र, तिवरी	महिला स्वा० दर्शिका	1	1970	प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण
3.	प्रा० स्वा० केन्द्र, बायतू	महिला स्वा० दर्शिका	1	1970	" " "
		मेल नर्स श्रेणी II	1	9-9-76	" " "
4.	प्रा० स्वा० केन्द्र, सिन्दरी	मेल नर्स श्रेणी II	1	9-9-76	" " "
5	प्रा० स्वा० केन्द्र, समदड़ी	महिला स्वा० दर्शिका	1	8-9-70	" " "
6.	प्रा० स्वा० केन्द्र, रामसर	महिला स्वा० दर्शिका	1	1970	" " "
		मेल नर्स श्रेणी II	1	9-9-76	" " "
7.	प्रा० स्वा० केन्द्र, चौहटन	महिला स्वा० दर्शिका	1	1970	" " "
		मेल नर्स श्रेणी II	1	9-9-76	" " "
8.	प्रा० स्वा० केन्द्र, गुड़ा	महिला स्वा० दर्शिका	1	1970	" " "
		मेल नर्स श्रेणी II	1	19-9-76	" " "
9.	प्रा० स्वा० केन्द्र, गुडामालानी	महिला स्वा० दर्शिका	1	18-12-75	" " "
		मेल नर्स श्रेणी II	1	9-9-76	" " "
10.	प्रा० स्वा० केन्द्र, माण्डली	महिला स्वा० दर्शिका	1	1970	" " "
		मेल नर्स श्रेणी II	1	19-9-76	" " "
11.	प्रा० स्वा० केन्द्र, गुड़ा	प्रसाविका	1	9-9-76	" " "

परिशिष्ट संख्या 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 131 की सूची)

क्र० सं० 1	शाला का नाम 2		छात्र संख्या 3	क्रम संख्या 1		शाला का नाम 2	छात्र संख्या 3
1.	प्राथमिक विद्यालय,	गोविन्दपुरा	20	30	प्राथमिक विद्यालय,	पीपल्दा	21
				31.	"	खाचोर	51
2.	"	टहुला	22	32.	"	रलायता	46
3.	"	फुलजी की खेड़ी	53	33.	"	खाचरोल	51
4.	"	अमवासा	16	34.	"	बा० महुवा	57
5.	"	मोहनपुरा	54	35.	"	बा० मोनपुरा	52
6.	"	बालादपुरा	42	36.	"	काछौला	155
7.	"	विगोद	311	37.	"	जाल का खेड़ा	24
8.	"	नाहरगढ़	21	38.	"	थलाकला	52
9.	"	रानी खेड़ा	25	39.	"	जासुजी का खेड़ा	21
10.	"	महता जी का खेड़ा	22	40.	"	राजगढ़	62
11.	"	सुरास	51	41.	"	राजपुरा	22
12.	"	बड़ला	23	42.	"	हरपुरा	25
13.	"	मालीखेड़ा	22	43.	"	लटाला	21
14.	"	जालिया	28	44.	"	माल का खेड़ा	52
15.	"	ब्राखटवाड़ा	..	45.	"	सुन्दारों का खेड़ा	28
16.	"	धाकड़ खेड़ी	97	46.	"	जलोन्द्री	23
17.	"	विठ्ठलपुरा	21	47.	"	जंजौना	18
18.	"	बिलोड़	20	48.	"	मागटला	23
19.	"	मान्हों का खेड़ा	20	49.	"	जालम की झोंपड़ी	15
20.	"	बरुन्दनी	156	50.	"	धनवाड़ा	23
21.	"	लोठीयाना	20	51.	"	विकरण	15
22.	"	बरून्दनो	58	52.	"	रामपुरिया	21
23.	"	सिगौली	30	53.	"	राला वटिया	77
24.	"	जांजवा	..	54.	"	वैरीसाल	36
25.	"	बस्तीयों की झोंपड़ी	18	55.	"	सुखपुरा	96
26.	"	बोड़ का खेड़ा	51	56.	"	कल्याणपुरा	36
27.	"	हाडा का खेड़ा	29	57.	"	लक्ष्मी विलास	25
28.	"	श्रीनगर	20	58.	"	आरोलो	47
29.	"	दौलपुरा	21	59.	"	इन्दपुरा	30

Page No. 170

1	2	3	1	2	3
60.	प्राथमिक विद्यालय कास्या	40	71.	प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा	90
61.	,, माटखरला	53	72.	,, विक्रमपुरा	52
62.	,, रांणियां का तालाब	27	73.	,, सदाराम जी का खेड़ा	84
63.	,, बिजोलिया बड़ा दरवाजा	253	74.	,, मकरेडी	24
64.	,, थड़ौदा	63	75.	,, रेसुन्दा	28
65.	,, जांवदा	46	76.	,, सूरज विलास	22
66.	,, नया गांव	32	77.	,, लक्ष्मी खेड़ा	54
67.	,, माजी का खेड़ा	60	78.	,, भोपत पुरा	33
68.	,, पुरोहिता का खेड़ा	23	79.	,, छोटी बिजोलिया बालिका	30
69.	,, गोविन्द निवास	27			
70.	,, उमाजी का खेड़ा	28	80.	,, बांका	15

पंचायत समिति माण्डलगढ़ के 5 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर रह रहे अध्यापकों की सूची

क्र०सं०	शाला का नाम	अध्यापकों के नाम
1.	प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा	श्री श्याम सुन्दर श्रोत्रिय
2.	,, ,, विगोद	,, सत्यनारायण श्रोझा
3.	,, ,, पीपल्दा	,, मानसिंह राजावत
4.	,, ,, लिया जी का खेडा	,, भंवरलाल श्रोत्रिय
5.	,, ,, बाछोला	,, घनश्याम शर्मा
		,, बंशीलाल शर्मा
		,, हुसामुद्दीन रंगरेज
		,, शिवचन्द सिंह
6.	,, ,, जाल का खेड़ा	,, मोहन लाल शर्मा
7.	,, ,, राजगढ़	,, रामेश्वर प्रसाद सुखवाल
8.	,, ,, थड़ौदा	,, प्रभुलाल स्वर्णकार
		,, रूपलाल धाकड़
9.	,, ,, सलावटियां	,, रतन लाल असावा
10.	,, ,, जावदा	,, भंवर लाल तिवाड़ी
11.	,, ,, उमाजी का खेड़ा	,, गणपत लाल व्यास
12.	,, ,, रैसुन्दा	,, गणेशलाल शर्मा

परिशिष्ट संख्या 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 136 की सूची)

तहसील बाड़मेर

1. तारातारा
2. उन्दरवा
3. निमला
4. दांता
5. लिलसर
6. जूना पतरासर
7. गब्जाला
8. बासेड़ा
9. गिराव
10. सवाई पदमसिंह
11. धुन्धा
12. उन्डू
13. भाडका
14. खारवा
15. सोभाला
16. मान्जता
17. सिन्दडी
18. अमरपुरा
19. भूखाभगत
20. सरनाऊधनजी
21. पादरू
22. भाटाला
23. कोलियाना
24. बेरी
25. धीमड़ी
26. सिन्दासावा चौहान
27. रोहिला
28. बिसरानियां
29. बामनोर
30. लोहरवा

तहसील पचपदरा

31. चारीयारा
32. कनावा
33. पाटोदी
34. धूमली
35. आसोत्तरा
36. पारलू

परिशिष्ट संख्या 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

गिरधारीलाल व्यास समिति की रिपोर्ट

138. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार ने सामुदायिक विकास व पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गिरधारी-लाल व्यास कमेटी गठित की थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट थी ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट पर पूर्व की राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान राज्य सरकार इस पर विचार करेगी या कोई नई समिति गठित करने का विचार रखती है ?

(3) गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को कब दे दी थी ? क्या रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों को बड़ा बनाया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्या स्वरूप होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 22-6-73 को प्रस्तुत की थी। जहां तक ग्राम पंचायतों को बड़ा बनाये जाने एवं स्वरूप का प्रश्न है, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सेपऊ सब-तहसील में बाढ़ से क्षति

139. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर उप-जिले की सेपऊ सब-तहसील में इस साल बाढ़ से कुल कितना नुकसान हुआ, कितने मकान नष्ट हुए तथा कितने क्षेत्रफल की फसल नष्ट हुई ?

(2) राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को किस प्रकार की कितनी रकम की सहायता दी ?

(3) क्या यह सही है कि इसी इलाके में पिछले साल भी बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस समस्या को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) धौलपुर उप-जिले की सेपऊ सब तहसील में अति वर्षा एवं बाढ़ से फसल

(अकाल सहायता मंत्री)

व मकानों की भारी क्षति हुई है। लगभग 2000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 4289 हैक्टर भूमि में फसल भी नष्ट होने की आशंका है।

जिलाधीश द्वारा मकानों के नुकसान की हानि का अनुमान 9,52,000/–रुपये का आंका गया है तथा फसल के नुकसान का अनुमान 6,86,240/- रुपये का है।

(2) राज्य सरकार ने तत्काल पीड़ितों की सहायता का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और अब तक 497 परिवारों को मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु 35,000/- रुपये की निःशुल्क सहायता बांटी जा चुकी है। इसी प्रकार धौलपुर तहसील के लिए जिलाधीश भरतपुर ने तकावी वितरण हेतु 75,000/- रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहायता और तकावी के वितरण का कार्य चल रहा है।

(3) जी हां। पिछले वर्ष पानी को निकालने के लिए अस्थाई नाले खुदवाये गये थे। इस क्षेत्र व राज्य के अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की बाढ़ समस्या के स्थाई निदान हेतु योजना बनाने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

राज्य में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षिकाएं

140. श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार नियोजन निदेशालय के अधीनस्थ नर्सिंग अधीक्षिकाओं के लिए विभागीय पदोन्नति समिति कब तक बैठेगी? गत सालों में क्यों नहीं बैठी?

(2) वर्तमान समय में चिकित्सा विभाग के अधीनस्थ राजस्थान में कितनी नर्सिंग अधीक्षिकाएं कार्यरत हैं? उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7(6) कार्मिक क-11/75 दिनांक 4-6-77 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई थी अतः इन आदेशों के वापस होने पर ही पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जावेगी।

गत वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने का कारण यह था कि सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 29-1-75 के द्वारा सुझाव दिया था कि वर्तमान में राजस्थान सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) में आवश्यक संशोधन होने के बाद ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की आज्ञा संभव होगी इस कारण उसके सुझाव अनुसार राज्य सरकार को सेवा नियम में संशोधन करने के लिए निवेदन किया गया और वह राज्य सरकार ने सेवा नियम को संशोधन कर दिया है तथा संशोधन कर लेने के पश्चात् लोक सेवा आयोग को पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की सूची निदेशालय के पत्र दिनांक 21-7-75 के द्वारा भेजी जा चुकी है। लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त बैठक के लिए 5-6-76 की तिथि तय कर ली थी परन्तु पुनः

(चिकित्सा मंत्री)

लोक सेवा आयोग ने अवगत कराया कि कानूनी अड़चन के कारण बैठक बुलाना संभव नहीं हुआ।

लोक सेवा आयोग के सुझाव के अनुसार नियमों में राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 11-3-77 के द्वारा आवश्यक संशोधन कर दिया है परन्तु राज्य सरकार ने उक्त बैठक को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है।

(2) वर्तमान समय में विभाग के अधीनस्थ कार्यरत नर्सिंग अधीक्षिकाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(1) नर्सिंग अधीक्षिकाएं श्रेणी प्रथम 14

(2) नर्सिंग अधीक्षिकाएं श्रेणी दो 11

सूची संलग्न है।

वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार नियोजन निदेशालय अधीनस्थ कार्यरत नर्सिंग अधीक्षिकाओं की सूची

नर्सिंग अधीक्षिकाएं श्रेणी प्रथम

अस्पताल का नाम	अधीक्षिकाओं का नाम
1. पी०बी०एम० मैन्स चिकित्सालय, बीकानेर	सुश्री एम० आइजक
2. जे०एल०एन० चिकित्सालय, अजमेर	श्रीमती एस० बापिस्ट, सहा० नर्सिंग अधीक्षिका
3. सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर	श्रीमती जी० सी० विलसन नर्सिंग श्रेणी दो
4. एम० जी० चिकित्सालय, जोधपुर	श्रीमती सी० आई० अलक्जैन्डर
5. एम० जी० चिकित्सालय, जोधपुर	श्रीमती एस० पी० टुक्की, सहा० नर्सिंग अधीक्षिका
6. एम०बी०एस० चिकित्सालय, कोटा	सुश्री सरला स्वरूप, नर्सिंग अधीक्षिका श्रेणी 2
7. एस० एम० एस० हॉस्पिटल, जयपुर	श्रीमती कमला शर्मा
8. उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	सुश्री ई० नाम सिंह
9. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर	श्रीमती एल० सिंह
10. जनरल चिकित्सालय, भरतपुर	श्रीमती एस० वाजपेयी
11. सामान्य चिकित्सालय, अलवर	श्रीमती ज० जी० वाकर
12. जनाना चिकित्सालय, जयपुर	श्रीमती एम० एल० सिंह
13. सामान्य चिकित्सालय, बांसवाड़ा	श्रीमती आर० एल० वशिष्ठ, सहा० नर्सिंग श्रेणी 2
14. मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, जयपुर	श्रीमती वी० आई० वशिष्ठ, सहायक नर्सिंग अधीक्षिका (उपस्थित सूचना प्राप्त नहीं हुई)

(चिकित्सा मंत्री)

नर्सिंग अधीक्षिकाएं श्रेणी द्वितीय

1	2
1. ई०एस०आई० हॉस्पिटल, जयपुर	श्रीमती पी० डी० गुप्ता, सहा० नर्सिंग अधिक्षिका
2. सामान्य चिकित्सालय, गगांनगर	श्रीमती एम० वैनिया, सहा० नर्सिंग अधीक्षिका
3. टी०बी० चिकित्सालय, बाड़ी	श्रीमती एम० सेम्सन, नर्सिंग अधीक्षिका श्रेणी 2
4. टी०बी० चिकित्सालय, जयपुर	श्रीमती पी.के.पीटर्स, सहा. नर्सिंग अधीक्षिका
5. पाली चिकित्सालय	श्रीमती एम० एल० सिंह ,,
6. धोलपुर चिकित्सालय	श्रीमती जेड़० एस० दास ,,
7. डूंगरपुर चिकित्सालय	एस० मोहन ,,
8. पी०वी०एम० जनाना अस्प०, बीकानेर	श्रीमती प० यादव ,,
9. टी० बी० चिकित्सालय, बीकानेर	श्रीमती एस० गुमानसिंह ,,
10. सीकर चिकित्सालय	श्रीमती जी० के० जेकब ,,
11. ब्यावर चिकित्सालय	सुश्री इ० डी० मागेस्टस ,,

अटरू क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

141. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू क्षेत्र (जिला कोटा) के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और किन-किन गांवों का विद्युतीकरण करना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र के शेष गांवों का विद्युतीकरण करने की कार्यवाही किस-किस स्टेज पर किन-किन गांवों के लिये चल रही है और उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(3) इन शेष गांवों का अब विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) अटरू पंचायत समिति में मार्च, 1977 तक 64 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष 66 ग्राम अविद्युतीकृत हैं। इनमें से 5 और ग्राम, जो इस पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं, का विद्युतीकरण वर्ष 1977-78 में पूरा हो जायगा। सूची 'अ' व 'ब' संलग्न है।

(2) इस पंचायत समिति के शेष गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

(3) शेष गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

सूची 'अ'

तहसील अटरू, जिला कोटा में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
1.	अटरू	33.	कन्डी
2.	खेडलीगंज	34.	बैडक्या
3.	कुंजीर	35.	भरडांद
4.	अटोन	36.	मेरमाचाह
5.	अन्ताना	37.	उग्रपुरा
6.	मूंडला	38.	बरावटी
7.	डेहवाड़ा	39.	कासमपुरा
8.	खेडली नाहारया	40.	गन्डोलिया
9.	बमोरी	41.	आमली
10.	भैंसड़ा	42.	बगली
11.	मायथा	43.	अरडाना
12.	पटना	44.	चरडाना
13.	वानपुरा	45.	छाजवा
14.	खरखड़ा रामलोगान	46.	मेरमा तालाब
15.	धारनखेड़ी	47.	हारीखे हेडा
16.	ब्यास खेड़ी	48.	टिगरी
17.	मुसेन माता	49.	मुंडला
18.	कवाई	50.	हरनावदा
19.	गोरधनपुरा	51.	पिपलोद
20.	अमृतखेड़ी	52.	मोतीपुरा
21.	कंवरपुरा	53.	केखाल्या
22.	उदयपुरिया	54.	गोरढी
23.	मुसई गूजरान	55.	अचरावा
24.	पांडूहेली	56.	करजूना
25.	हुसमत खेड़ा	57.	बडोरा
26.	पांडल्या	58.	कनवाडिया
27.	दीलोद हाथी	59.	वरखेड़ी
28.	सोडल हेडी	60.	रघनाथपुरा
29.	लोलाहेडी मजरा	61.	कनोटिया
30.	ननावता	62.	सकतपुर
31.	दिवाली	63.	झांडोता
32.	भखरावदा	64.	मोठपुर

सूची 'ब'

तहसील अटरू, जिला कोटा में अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	आमली जागीर	34.	खडीला
2.	आमली खालसा	35.	खानपुरया
3.	अरणश	36.	खारखेड़ा
4.	आसन	37.	खेड़ली बांसला
5.	बहलवान	38.	खेड़ली डबका
6.	बैरपुर	39.	खेड़ली गदियान
7.	बलदेवपुरा	40.	खेड़ली माजरा
8.	बरापाटी	41.	खेड़ली रावान
9.	बरला	42.	किशनपुरा
10.	बडोदिया	43.	किशनपुरा मसाल दराम
11.	भवानीपुरा	44.	खुरी
12.	भोजखड़ी	45.	कोटडा
13.	मोहरा ❀	46.	महेला
14.	बिछालस	47.	महेशपुरा
15.	बोकड़ा	48.	मनोहरपुरा
16.	चैनपुरिया	49.	मन्यागण
17.	चोथ्या	50.	मोतीपुरा
18.	छत्रपुरा	51.	मोटुका
19.	छैलाबेल	52.	नरसिंहपुरा
20.	देगनी	53.	नरसिंहपुरा मजरा उम्मेदगंज
21.	दड़ा ❀	54.	निमोदा
22.	डाबडया	55.	निमोदा
23.	देवलीरावां	56.	पतल्यां
24.	देवपुरा	57.	पत्तू खेड़ी
25.	ढोटी	58.	रहलाई
26.	घुमेन ❀	59	रामनिवास
27.	गोबिन्दपुरा	60.	रतनपुरा
28.	जीरोद	61.	रीछन्दे ❀
29.	काचरा	62.	सहरोद
30.	काचरी	63.	सालपुरा
31.	कराड़या गुलजी	64.	सरसोदिया
32.	कराड़या हाडा	65.	सींधनी
33.	कटावर ❀	66.	शेरगढ़

❀ पंचायत समिति, अटरू की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में स्वीकृत ग्राम।

शास्त्री सदन छात्रावास, सांचोर की मरम्मत का कार्य

142. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर कस्बे में अनुसूचित जाति का 'शास्त्री सदन' नामक एक अनुदानित छात्रावास चल रहा है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास भवन हाल ही में अत्यधिक वर्षा से काफी गिर गया एवं सारा भवन गिरने की हालत में होने के कारण छात्रों को वहां से हटवा दिया गया ? अगर हां, तो कब एवं उन छात्रों को रहने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) उक्त छात्रावास भवन की शीघ्र मरम्मत करवाई जाकर छात्रों को वापस उसी स्थान पर कब तक भिजवा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास की विभाग द्वारा विशेष मरम्मत करवाने हेतु कुछ रकम मंजूर की गई थी ? अगर हां, तो कब एवं उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई ?

(5) क्या यह भी सही हैं कि उक्त छात्रावास की सीटें बढ़ाने की मांग की गई है ? अगर हां, तो कब एवं कितनी सीटों की ? उक्त छात्रावास में वांछित सीटें कब तक बढ़वा दी जावेंगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुदानित छात्रावास को पूरा राजकीय छात्रावास में परिणित करने की मांग जिला सलाहकार समिति की ओर से काफी अर्से पहले की जा चुकी है ? अगर हां, तो उक्त छात्रावास को पूरा राजकीय छात्रावास कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1968 69 से ।

(2) जी हां, यह सही है कि हाल ही में अत्यधिक वर्षा से उक्त छात्रावास भवन के दो कमरे गिर गये हैं । भवन गिरने की हालत में होने के कारण यद्यपि छात्रों के भोजन की व्यवस्था छात्रावास के भवन में ही की जा रही है तथा सामान भी भवन के एक कमरे में ही रखा है, लेकिन व्यवस्थापक ने रात्रि को छात्रों के सोने की व्यवस्था पास ही में एक स्कूल भवन में कर रखी है । भविष्य में छात्रों के रहने की समुचित व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्वयं सेवी संस्था पर ही है, क्योंकि राज्य सरकार छात्रावास को चलाने के लिये संस्था को अनुदान स्वीकृत करती है ।

(3) उक्त छात्रावास की मरम्मत करवाकर अथवा नये भवन को किराये पर लेकर छात्रावास चलाने की व्यवस्था करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का है ।

(4) जी नहीं ।

(5) इस वर्ष उक्त छात्रावास में सीटें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव संस्था की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है । यदि संस्था से प्रस्ताव प्राप्त हुए तो अन्य संस्थाओं के प्रस्तावों के साथ उपलब्ध प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए इस पर भी विचार किया जावेगा ।

(समाज कल्याण मंत्री)

(6) जी हां। जिला समाज कल्याण बोर्ड जालोर की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त अनुदानित छात्रावास को राजकीय छात्रावास में परिणित करने के लिये जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सिरोही से प्रस्ताव जनवरी, 1976 में प्राप्त हुए थे। इस वर्ष नये राजकीय छात्रावास प्रारम्भ करने के लिये प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

जेतपुरा बांध के डूब में आई भूमि का मुआवजा

143. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडलगढ़ तहसील के जेतपुरा बांध में कितने काश्तकारों की जमीन डूब में आई है ?

(2) भीलवाड़ा तहसील के गवारड़ी बांध में कितने काश्तकारों की जमीन डूब में आई है ?

(3) क्या उक्त बांधों में जिन काश्तकारों की जमीन डूब में आई है उनको जमीन के स्थान पर जमीन या कोई मुआवजा दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो मुआवजा कितने काश्तकारों को दिया गया है ? जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) मांडलगढ़ तहसील के जेतपुरा बांध के डूब में 187 काश्तकारों की 2167 बीघा जमीन डूब में आई है।

(2) भीलवाड़ा तहसील के गवारड़ी बांध के डूब में 166 काश्तकारों की 265 बीघा भूमि आई है।

(3) जी हां।

(क) जैतपुरा बांध की डूब से प्रभावित काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि दे दी गई है।

(ख) गवारड़ी बांध की डूब से प्रभावित काश्तकारों का नकद मुआवजा दिया गया है।

(4) (क) जैतपुरा बांध की डूब से प्रभावित 157 काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि दी जा चुकी है व 30 को दी जानी शेष है जिसकी कार्यवाही जारी है।

(ख) गवारड़ी बांध की डूब से प्रभावित 98 काश्तकारों को 961 बीघा भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है, 39 काश्तकारों की 220 बीघा भूमि का अवार्ड जारी किया जा चुका है, परन्तु सम्बन्धित काश्तकार मुआवजा लेने उपस्थित नहीं होते हैं। सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया कि वे काश्तकार मुआवजा लेना नहीं चाहते हैं। वे मुआवजा बढ़ी दरों पर लेना चाहते हैं। 29 काश्तकारों की 250 बीघा जमीन का अभी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड दिया जाना शेष है। शेष 1220 बीघा भूमि बिलानाम है।

ग्राम हूडू में पानी की व्यवस्था

144. श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है भटाला-हूडू जल योजना का निर्माण पूर्ण होने के

(श्री गंगाराम चौधरी)
उपरान्त भी अभी तक ग्राम हूडू तक जल नहीं पहुंचा है ?

(2) यदि हां, तो इस ग्राम को नियमित रूप से कब तक जल मिलने लग जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसके लिये योजना में सुधार करने के लिये जांच करवाई जा रही है व उसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

चूरू जिले में विद्युतीकरण

145. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अब तक कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कितने ग्रामों की विद्युत् योजना सरकार के विचाराधीन एवं योजना में है ?

(2) आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत कितनी पंचायत समिति क्षेत्रों को लिया गया है और कितनी पंचायत समिति क्षेत्रों को इस योजना में नहीं लिए जाने का निश्चय किया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन पंचायत समिति क्षेत्रों को आर० ई० सी० स्कीम में नहीं लिया जा सकता, क्या उन देहातों के विद्युतीकरण करने की किसी प्रकार की योजना सरकार द्वारा निश्चित की गई है ?

(4) इस वर्ष चूरू जिले के कितने देहातों का विद्युतीकरण करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्या इन देहातों का विद्युतीकरण नहीं करने का निर्णय सरकार कर चुकी है ?

(5) रतनगढ़ तहसील के कुल कितने देहातों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितने देहात बिना विद्युतीकरण के हैं ? क्या इस वर्ष शेष देहातों के विद्युतीकरण करने की योजना भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) माह जुलाई, 1977 तक 8626 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 2695 और ग्राम विद्युतीकरण के लिये राज्य में चल रही विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में स्वीकृत हैं, जिनका विद्युतीकरण कार्य योजना के अनुसार चालू है।

(2) राज्य की 135 पंचायत समितियों में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाई जा चुकी है। भू-जल विभाग की सूचना के अनुसार करीब 22-23 पंचायत समितियां ऐसी बताई गई हैं जिनमें भू-जल की उपलब्धता व उपलब्ध जल की क्वालिटी के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाना उचित नहीं है । ऐसी पंचायत समितियों की सूची संलग्न है।

(3) जिन पंचायत समितियों को भू-जल की उपलब्धता संदिग्ध बताई गई है उनमें ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

(वि ुत् मंत्री)
संभावित 'डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान' के अन्तर्गत बनने वाली विद्युतीकरण योजनाओं में लेने का विचार है।

(4) चूरू जिले की 2 पंचायत समितियों की दो मिनी योजना बनाई जाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजी जा चुकी है जिन पर निगम विचार कर रहा है। इसकी स्वीकृति के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(5) रतनगढ़ तहसील के 95 ग्रामों में से 22 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। इस प्रकार 73 गांव इस तहसील के विद्युतीकरण होने के लिये बचे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अलावा किसी भी क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहता है। धन की कमी के कारण अधिक गांवों का विद्युतीकरण करना फिलहाल संभव नहीं है।

Statement indicating names of Panchayat Samities where formulation of schemes is not feasible

S. No.	Name of Panchayat Samiti	District
1	2	3
I. Areas with no ground water recharge and in which mining of ground water is suggested :		
1.	Dhorimana	Barmer
2.	Sheo	-do-
3.	Sankra	Jaisalmer
4.	Bikaner	Bikaner
5.	Dungargarh	Churu
II. Areas with negligible ground water recharge :		
1.	Kolayat	Bikaner
2.	Taranagar	Churu
3.	Rajgarh	-do-
III. Areas with saline ground water :		
1.	Nagaur	Nagaur
2.	Mundwa	-do-
3.	Ratangarh	Churu
4.	Churu	-do-
5.	Sardarshahar	-do-
6.	Mandore	Jodhpur
7.	Luni	-do-
IV. Areas which need detailed hydrogeological investigation:		
1.	Ganganagar	Ganganagar
2.	Raisinghnagar	-do-
3.	Karanpur	-do-
4.	Suratgarh	-do-
5.	Padampur	-do-
6.	Nohar	-do-
7.	Bhadra	-do-
8.	Sadulshahar	-do-

मादड़ी ग्राम के पास उदयपुर-भीलवाड़ा सड़क की मरम्मत का कार्य

146. **श्री गोविन्दसिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में गोमती चौराहे से आमेट-सरदारगढ़ होती हुई सड़क मादड़ी ग्राम के पास उदयपुर-भीलवाड़ा रोड से जोड़ी है ? यदि हां, तो यह कितनी कंकरीट की बनी हुई है तथा कितनी कच्ची है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील कुम्भलगढ़ में चारभुजा से सेवन्तरी पवित्र तीर्थस्थानों को जोड़ने वाली सड़क का कार्य विधान सभा चुनावों के समय रोक दिया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सड़क 32.5 किलोमीटर लम्बाई में मैटल्ड एवं 12.5 किलोमीटर में कच्ची है ।

(2) जी नहीं । इस वर्ष बजट में प्रावधान नहीं होने के कारण मई के प्रथम सप्ताह में इस सड़क का कार्य रोक दिया गया था । धनाभाव के कारण इस कार्य को पूर्ण कराना सम्भव नहीं है ।

झुंझुनू जिले के प्रसूति गृहों में लेडी डॉक्टरों की व्यवस्था

147. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा मण्डावा जिला झुंझुनू में श्री बृजमोहन सर्राफ राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र कब से चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र की स्थापना के पश्चात् आज तक वहां पर महिला चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लेडी डॉक्टर के अभाव में कस्बे की जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अब राज्य सरकार वहां लेडी डॉक्टर की व्यवस्था कब तक कर देगी ?

(4) झुन्झुनू जिले के अन्य किन-किन कस्बों में जहां पर प्रसूति गृह हैं लेडी डॉक्टर नहीं है एवं राज्य सरकार कब तक वहां पर लेडी डॉक्टर की व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

(1) मण्डावा, जिला झुन्झुनू में श्री बृजमोहन सरार्फ राजकीय मातृ शिशु संस्थान केन्द्र दिनांक 2 मार्च, 1975 से चालू है ।

(2) जी हां । महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकी, किन्तु जनता की मांग पर पुरुष चिकित्सक लगाया गया जो दिनांक 17-7-75 से कार्यरत है । अब दिनांक 31-8-77 से लेडी डॉक्टर का पदस्थापन किया जा चुका है।

(3) असुविधा तो हुई होगी । लेडी डॉक्टर का पदस्थापन आदेश दिनांक 31-8-77 के द्वारा किया जा चुका है ।

(4) जिले के अब सभी प्रसूति गृहों में लेडी डॉक्टर कार्यरत हैं ।

हरिजनों एवं आदिवासियों के उत्थान के लिये कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता

148. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऐसी कौन-कौन-सी स्वयं सेवी संस्थाए हैं जो हरिजनों व आदिवासियों के उत्थान के लिये कार्य करती हैं ? कृपया उन संस्थानों के नामों को सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार इन संस्थाओं को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रति वर्ष देती है तथा सन् 1975, 1976 व 1977 में क्रमशः कितनी धनराशि इन संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में हरिजनों व आदिवासियों के उत्थान के लिये समाज कल्याण विभाग की सहायता से कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में इन संस्थाओं को निम्न प्रकार से अनुदान स्वीकृत किया गया है:—

वर्ष	स्वीकृत धनराशि
1975-76	21,44,398)
1976-77	27,33,310)
1977-78	51,66,000)

(बजट प्रावधान)

Page No. 185

राजस्थान में हरिजनों व आदिवासियों के उत्थान के लिये समाज कल्याण विभाग की सहायता से कार्य करने वाली स्वयं-सेवी-संस्थाओं की सूची

क्र० सं०	नाम संस्था
1	2
1.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर
2.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
3.	बापा सेवा सदन, सरदारशहर (चूरू)
4.	वाल रश्मि सोसाइटी, जयपुर
5.	आल इण्डिया फैडरेशन ऑफ एस.सी.एस.टी./बैकवर्ड्स एण्ड माइनोरिटीज वेलफेयर एसोसियेशन, राजस्थान स्टेट ब्रांच, जयपुर
6.	राजस्थान हरिजन सेवक संघ, जयपुर
7.	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर
8.	राजकीय उच्च मा. वि., पिसांगन (अजमेर)
9.	दलित वर्ग संघ शाखा, भिनाय (अजमेर)
10.	महिला विद्यापीठ, भुसावर (भरतपुर)
11.	त्रैलोक हरिजन छात्रावास, नोखा (बीकानेर)
12.	जगजीवन सर्वोदय ट्रस्ट, कोलायत (बीकानेर)
13.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुरा
14.	गांधी आश्रम, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)
15.	भवानी शंकर नन्दवाना स्मारक सेवा संघ, चित्तौड़
16.	बागड़ विद्यापीठ, डूंगरपुर
17.	राजस्थान आदिवासी सेवक संघ, उदयपुर
18.	श्री गोरधन विद्या विहार, खड़गदा
19.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सांगरिया (गंगानगर)
20.	राष्ट्रीय हरिजन नानगराम रेगर छात्रावास समिति, हनुमानगढ़ टाउन
21.	श्री गांधी हरिजन छात्रावास, भादरा (गंगानगर)
22.	श्री गांधी छात्रावास, अमरसर (जयपुर)
23.	राजस्थान विद्या मन्दिर छात्रावास, शाहपुरा
24.	साहित्य सदाव्रत समिति, जयपुर
25.	नेहरू छात्रावास, चौमू (जयपुर)
26.	अनुसूचित जाति सेवा समिति, फुलेरा (जयपुर)
27.	समाज प्रगति परिषद, जयपुर
28.	ठक्कर बापा छात्रावास, मनोहरपुर
29.	रा. उ. मा. वि., सेंथल (जयपुर)
30.	राज. जटिया रेगर विकास सभा, जोधपुर
31.	अनुसूचित जाति छात्रावास, आसोप (जोधपुर)

1	2
32.	शान्ति विद्या मन्दिर, बिठड़ी
33.	तहसील दलित वर्ग संघ, पोकरण
34.	शास्त्री सदन, सांचोर
35.	श्री राजेन्द्र छात्रावास, सूरजगढ़ (झुन्झुनू)
36.	गांधी छात्रावास, अलसीसर (झुन्झुनू)
37.	बापू छात्रावास, चिड़ावा (झुन्झुनू)
38.	गांधी छात्रावास, नवलगढ़
39.	राजकीय हा. सै. स्कूल, मुकन्दगढ़
40.	इन्द्रा गाँधी बालिका निकेतन, अरणावता (झुन्झुनू)
41.	यूथ सोशियल एसोसियेशन, पिलानी (झुन्झुनू)
42.	यादव हरिजन समिति, सिथाना (झुन्झुनू)
43.	अनुसूचित जाति शास्त्री छात्रवास, बिसाऊ (झुन्झुनू)
44.	बापू छात्रावास, झुन्झुनू
45.	नेहरू स्मारक, नवलगढ़
46.	जवाहरलाल नेहरू छात्रावास, टमकोर (झुन्झुनू)
47.	जिला आदिम जाति सेवक संघ, झालावाड़
48.	राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास, डीडवाना
49.	महात्मा गांधी छात्रावास, नागौर
50.	राजस्थान बोहरा बावरी किसान सभा, लाडनू (नागौर)
51.	राजस्थान अनुसूचित जाति सेवक संघ, जयपुर
52.	श्री शास्त्री हरिजन छात्रावास, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
53.	श्री बापू छात्रावास, फतहपुर (सीकर)
54.	श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर
55.	राजस्थान मीणा सुधार संघ, नादोती (स. माधोपुर)
56.	श्री रेगर सुधार सभा, निवाई (टोंक)
57.	आदिवासी सहयोग समिति टी. डी., उदयपुर
58.	विद्या भवन बेसिक स्कूल, जयपुर
59.	राज. उ. मा. वि., खेरवाड़ा
60.	महिला मण्डल, उदयपुर
61.	महिला आश्रम, उदयपुर
62.	राजस्थान दलित वर्ग संघ, जयपुर
63.	राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर
64.	पिछड़ी जाति छात्रावास, भीम (उदयपुर)

मुख्य नगर नियोजक कार्यालय के निलम्बित कर्मचारी

149. **श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)** : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य नगर नियोजक कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्वश्री द्वारिका प्रसाद शर्मा, बजरंगसिंह, पूरणमल इत्यादि को आपातकाल के दौरान मुख्य नगर नियोजक ने अपने निजी कारणों से सेवामुक्त कर दिया एवं कुछ अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सर्वश्री अलीशेर खां, रघुनाथ सिंह, बाबूलाल इत्यादि को उप-नगर नियोजक (मुख्यालय) के घर पर कार्य नहीं करने के कारण सेवा से निलम्बित कर दिया गया जबकि राजकीय कर्मचारियों से घरेलू काम-काज कराना अपराध है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में कनिष्ठ लिपिकों के दो रिक्त पदों पर 30 अप्रेल, 1977 को की गयी नियुक्ति नियमानुसार नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इसी प्रकार की अनियमिततायें काफी समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति में भी की जाती रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा किस उद्देश्य से किया गया एवं इस प्रकार राज्य सरकार को क्यों धोखा दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।
(2) जी नहीं।
(3) जी नहीं।

अकाउण्ट्स ऑफिसर्स की नियुक्ति

150. **श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल ने सन् 1975-76 एवं 1976-77 में कुछ अकाउन्ट्स ऑफिसर्स की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो यह नियुक्तियां किस-किस व्यक्ति की और किस प्रक्रिया द्वारा की गई ? इस सम्बन्ध की सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(2) अकाउन्ट्स ऑफिसर की योग्यता क्या होनी चाहिये और इस सम्बन्धी नियम क्या हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल ने सन् 1975-76 में केवल एक लेखाधिकारी श्री पूरणचन्द काला की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की थी। यह नियुक्ति समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाल कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करके एक चयन समिति द्वारा की गई थी। वर्ष 1976-77 में कोई नियुक्ति नहीं की गई पर चालू वर्ष 1977-78 में 13 प्रोबेशनरी अकाउन्ट्स ऑफिसर्स की नियुक्ति स्पेशल इमरजेंसी रिक्रूटमेंट रेगुलेशन मण्डल द्वारा स्वीकृत करने पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाल कर एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके की गई। दोनों विज्ञापनों व नियुक्त किये गये प्रोबेशनर अकाउन्ट्स ऑफिसर्स की सूची परिशिष्ट 'ए' 'बी' व 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अकाउन्ट्स ऑफिसर की योग्यता जो मण्डल के अधिकारी सेवा नियम, 1974 व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल लेखाधिकारी एवं लेखाकार (स्पेशल इमरजेंसी रिक्रूटमेंट) रेगुलेशन, 1977 में दी गई है परिशिष्ट 'डी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

Appendix 'A'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/Exam/D. 406 *Jaipur, dated 22-9-1975*

ADVERTISEMENT

Applications are invited for 6 posts of Accounts Officers on the prescribed form obtainable from the office of the Secretary, Rajasthan State Electricity Board, New Hotel Building, Jaipur-6 by making a written request accompanied by a self addressed (duly stamped) envelope so as to reach this office by 9-10-75 along with a crossed postal order of Rs. 10/-(Rs. 2.50 for Scheduled Castes/Tribes candidates) drawn in favour of the Asstt. Accounts Officer (CASH), RSEB, Jaipur.

16% and 12% of the posts are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates respectively.

Minimum qualification (a) Chartered Accountant (Member of the Institute of Chartered Accountants of India).

OR

(b) Cost & Works Accountant of the Institute of Costs & Works Accountant of India, Calcutta.

OR

(c) Costs & Works Diploma of any recognised University in India with 5 years experience in responsible position in Accounts department of Public/Private Undertaking preferably electricity undetakings.

OR

(d) S. A. S. Accountant with 5 years service as S. A. S. Accountant.

Working knowledge of Hindi written in Devnagri script is essential.

Age On 1-1-1976 must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years. There is no upper age limit for the employees of the Board.

Pay Scales Rs. 375-25-550-30-850 plus usual allowance (Total emoluments at the minimum of the pay scale would be arround Rs. 775/- per month). Advance increments in the scale can be considered to deserving persons.

The application form complete in all respects, must reach this office on or before 15-10-1975.

Sd/—**Rajendra Jain**
Secretary

Appendix 'B'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Jaipur, dated 9th February, 1977

ADVERTISEMENT

No.RSEB/Rectt/D.—Applications are invited for filling up the posts of Accounts Officers and Accountants in the Rajasthan State Electricity Board. The likely number of vacancies are 15 & 40 respectively. The prescribed application form and syllabus can be obtained from the office of the Secretary, Rajasthan State Electricity Board, Vidhyut Bhawan, Vidhyut Marg, Jaipur-302005, by making a written request accompanied by a self-addressed (duly 50 paise postage stamped) envelope (size 16 cms. x 22 cms.)so as to reach this office by 24-2-77 along with a crossed postal order of Rs. 25/- (Rs. 6.25 in case of SC/ST candidates) drawn in favour of the Assistant Accounts Officer (Cash), Rajasthan State Electricity Board, Jaipur. The amount of Rs. 25/- includes examination fee.

16% and 12% of the posts are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates respectively.

Minimum Qualification:

(i) For the post of Accounts Officer a person must possess a Master's Degree in Arts & Science or Commerce from a University establihed by law in India and must have secured at least 55% marks in his Degree as well as master Degree Examination.

(ii) For the post of Accountant a person must be a Second Class Graduate in Arts or Science or Commerce from a University established by law in India.

Age :

The date of birth of the applicant for any of the two posts should not be eariler than 1-5-1949 and not later than 1-5-1956. Scheduled Castes/Scheduled Tribes women candidates and the employees of the Board whose date of birth is not earlier than 1-5-1944 will also be eligible.

Candidates fulfilling the conditions regarding qualifications and age etc; will be required to appear at their own cost at a written competitive examination in three papers in case of Accounts Officers and two papers in case of Accountants proposed to be conducted at Jaipur tentatively on 2nd and 3rd April, '77 (for Accounts Officers) and on 29th March, '77 for Accountants. The papers will be on general topics to test the General Knowledge and Proficiency of candiadates in Hindi and English.

Scales of pay for the posts of Accounts Officer is Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1500 and for Accountants is Rs. 250-16-330-20-390-25-550-665. The selected persons will draw minimum of the scales of the post plus usual allowances during the period of probation which will be two years. The scales of pay of the post of Accountant is likey to be revised.

The application form, complete in all respects must reach the office of the Secretary as mentioned above on or before 5th March,'77. Applications received after that date will not be considered.

Sd/- **N. K. Varma**
Secretary

Appendix 'C'

Statement showing the particulars of probationery Accounts Officers appointed in April, 1977

S. No.	Name and father's name	Date of birth	Qualification	Home district	Address
1.	Sh. Ram Prakash Rastogi. S/o Sh.. Suraj Prakash Rastogi.	21-2-54	M.A. (Economics)	Jaipur	18, Tonk Fatak, Jaipur.
2.	Sh. Prahalad Sharma, S/o Sh. Kashi Prasad Sharma.	15-3-53	M.Sc. (Chemestry)	Jaipur	1--GH, Dwarkapuri, Nahri-ka-Naka, Jaipur.
3.	Sh. Giri Raj Kishore Sharma, S/o Sh. Hanuman Dutt Shastri.	30-8-53	M.Sc. (Zoology)	Nagaur	Station Road, Near Bank, Ladnu.
4.	Sh. Ashok Kumar Jain, S/o Sh. Mohar Chand Jain.	16-5-50	M.Sc. (Phy.)	Alwar	3, Civil Lines, Alwar.
5.	Mrs. Prabha Agarwal, D/o Sh. S. L. Gupta.	26-6-49	M.A. (Eco.)	Jaipur	C--276, Bhabha Marg, Tilak Nagar, Jaipur--4.
6.	Sh. Vinay Kumar Bhatnagar, S/o Sh. C. L. Bhatnagar.	11-2-53	M.Sc. (Phy.)	Ajmer	C/o V. K. Bhatnagar, the New Bank of India, Pali Marwar.
7.	Sh. Arun Kumar Joshi, S/o Sh. Chandra Prakash.	6-10-54	M.Sc. (Chem.)	Jhalawar	C/o Smt. Kul Chandrika Joshi, B--127, Mangal Marg, Bapu Nagar, Jaipur.
8.	Sh. Niranjan Nath Dwedi, S/o Sh. Tikeshwar Dewdi.	26-1-51	M.Sc. (Chem.)	Udaipur	C/o Sh. Raghu Veer Singh Rathore, F--10, Vijai Path, Kanti Chandra Road, Bani Park Jaipur--6.
9.	Sh. Anand Prakash Joshi, S/o Sh. Om Prakash Joshi.	1-9-53	M.A. (Eco.)	Ajmer	SB--28, Bhawani Singh Road, Bapu Nagar, Jaipur--4.
10.	Sh. Ravindra Kumar Saxena, S/o Sh. Rama Kant Saxena.	17-3-53	M.A. (Eco.)	Mathura (U.P.)	F--18, Bajaj Nagar, Jaipur.
11.	Sh. Deepak Srivastava, S/o Sh. G. S. Srivastava.	14-9-55	M.A. (History)	Jaipur	C/o Dr. Shiv Lal, Ganga Shahar Road, Bikaner.
12.	Sh. Om Prakash Bhuwalia, S/o Sh. Gajanand Bhuwalia.	1-6-52	M.Sc. (Zoology)	Ajmer	C/o Nand Kishore Sharma, near Gandi Park, Malpura (Distt. Tonk).
13.	Sh. Bajrang Lal Bagra, S/o Sh. H. P. Sharma,	21-11-54	M.Com. C.A. (INT)	Jaipur	C--54, Bapu Nagar, Jaipur--4.

Appendix 'D'

QUALIFICATIONS FOR DIRECT RECRUITMENT ON THE POST OF ACCOUNTS OFFICERS PROVIDED IN THE RSEB OFFICERS (RECRUITMENT, PROMOTION AND SENIORITY) REGULATIONS, 1974.

(a) Chartered Accountants (Member of the Institute of Chartered Accountants of India).

OR

(b) Cost & Works Accountant of the Institute of Cost and Works Accountants of India, Calcutta.

OR

(c) Cost & Works Diploma of any recognised University in India. 5 years experience in responsible position in Accounts Department of Public or Private Undertaking. Preferably Electricity Undertakings.

OR

(d) S. A. S. Accountant with 5 years service as S. A. S. Accountant in a Government Department or at least 10 years experience of teaching Economics or Statistics to at least Degree classes with published work of recognised value on Economics or Statistics to their credit.

Provided that the candidates belonging to Scheduled Castes or Shedulled Tribes need not possess this experience.

QUALIFICATIONS AS PRESCRIEED IN THE R.S.E.B. ACCOUNTS OFFICERS AND ACCOUNTANTS (SPECIAL EMERGENCY RECRUITMENT) REGULATION, 1977.

For the post of Accounts Officer, a person must possess Masters Degree in Arts or Science or Commerce from a University established by law in India and must have secured at least 55% marks in Degree as well as Masters Degree Examination.

आसोप-डिगराना सड़क

151. श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बिलाड़ा तहसील के आसोप से डिगराना सड़क फेमीन में बनी थी ? यदि हां, तो क्या यह सड़क चलने योग्य है ?

उत्तर

जी हां, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्रेवल रोड बनाई गई थी। इस सड़क पर गत वर्षों में अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति से यातायात में कठिनाई होती है।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

152. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1975 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 40 रु. प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान उक्त छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई ?

(3) क्या राज्य सरकार उसे अब आगे चालू करने का इरादा रखती है ?

(4) क्या इस तरह आपातकालीन स्थिति में छात्रवृत्ति को बन्द किया जाना आपातकालीन ज्यादतियों के अन्दर नहीं आता है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह छात्रवृत्ति कालेज स्तर के छात्रों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त दी जाती थी।

(2) जी नहीं। उक्त छात्रवृत्ति को बन्द करने सम्बन्धी निर्णय आपातकाल की घोषणा से पूर्व ही माह जनवरी, 1975 में लिया जा चुका था।

(3) इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(4) जी हां। क्योंकि यह निर्णय आपातकाल की घोषणा के बहुत समय पूर्व माह जनवरी, 1975 में ही लिया जा चुका था।

आबू रोड से रानीवाड़ा-सांचोर-बाड़मेर सड़क की पुलियाओं की मरम्मत का कार्य

153. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आबू रोड से रानीवाड़ा-सांचोर होकर बाड़मेर तक सीधी सड़क बनी हुई है ? यदि हां, तो इस बाढ़ में इस सड़क पर कहां-कहां नदियों पर पुलियायें बह गईं ?

(2) क्या इसी मार्ग पर जेतपुरा नदी पर जब नवाब लोहारू मंत्री थे तब पुलिया

(श्री रघुनन्दन व्यास)

का शिलारोपण हुआ था और वह पत्थर वहां विद्यमान है ?

(3) क्या इस समय आबू रोड-रानीवाड़ा मार्ग बन्द है ?

(4) क्या बाढ़ नियंत्रण हेतु प्राप्त राशि से ये पुलिया बना दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस वर्ष बाढ़ में सिरोही जिले में इस सड़क पर वर्तमान नाले एवं नगरवाड़ा नाले पर बनी हुई पुलियायें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जालोर जिले में इस सड़क के रानीवाड़ा-मन्डोर भाग में एक चार मीटर स्पान की पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है ? और [illegible] नदी पर बने पुल की मन्डोर त[illegible] बनी एप्रोच सड़क का हिस्सा 150 [illegible] लम्बाई में बह गया है ?

(3) जी हां।

(4) जी हां।

अभी बाढ़ नियन्त्रण हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

बन्ध बैराठ की सपाट का ठेका

154. श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बन्ध बैराठ जिला भरतपुर को ऊंचा उठाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिक पानी निकलने के लिये सपाट बनाई गई है जिसका ठेका किसी राजनैतिक नेता के सम्बन्धी को दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सपाट को बनाने के बाद ही यह टूट गई जिसे दुबारा बनाने में राज्य सरकार को लाखों रुपया खर्च करना पड़ा ?

(4) क्या इस गलत काम की जिम्मेदारी ठेकेदार व अभियन्ताओं की है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। बांध बारेठा को सन् 1972-73 में ऊंचा उठाया गया था।

(2) जी हां। बांध बारेठा से वर्षा के [illegible]मय सरप्लस पानी निकालने के निमित्त [illegible]पाट का निर्माण किया गया था। इस निर्माण [illegible] ठेका श्री गंगाप्रसाद 'बी' श्रेणी ठेकेदार को दिया गया था व सपाट पर फाटक लगाने का कार्य मै० मैटल किंग, जयपुर को दिया गया था। दोनों ठेकेदारों का किसी राजनैतिक नेता से सम्बन्ध होना विभाग की जानकारी में नहीं है।

(3) जी नहीं। दुबारा बनाने [illegible] प्रश्न नहीं उठता है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।